Friday, 10 April, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Fumigated
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 35, शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1970/20 चैत्र, 1892 (शक)

No. 35, Friday, April 10, 1970 Chaitra 20, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
931	आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में श्रीपुर कोयला खान के निकट पाये गये 16 शव	16 Bodies found near Sripur Colliery in Asansol (West Bengal)	1-8
932	भारतीय नौवहन का विस्तार	Expansion of Indian Shipping	8-12
933	भारत का पुरात्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey of India	12-18
	प-सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**	
17	बिड़ला भवन के बारे में सहमति	Accord on Birla House	19-21
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या			
34	पश्चिम बंगाल में चीन समर्थक इश्तहार तथा तोरण लगाना	Display of pro-Chinese Posters and Festoons in West Bengal	21-22
	फाजिल्का की स्थिति के बारे में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Former Punjab Chief Minister's Statement re. Status of Fazilka	22
36	नक्सलवादी पत्रिका 'लिबरेशन' में छापामार लड़ाई के बारे में लेख	Article on Guerrilla Warfare in Naxalite Organ 'Liberation'	22
37	पंजाब तथा हारयाणा के लिये सीमा आयोग की नियुक्ति	Appointment of Boundary Commission for Punjab and Haryana	23
38	पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मार्क्सवादी मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के किसान और श्रमिकों को अपनी लाठियां तैयार रखने और भालों को तेज रखने का आह्वान	Call by a former Marxist Minister of West Bengal to West Bengal Peasants and workers to keep their lathis ready and spears sharp	23
939	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का दर्जा	Status of Hill districts of Uttar Pradesh	24
940	चण्डीगढ़ विवाद के सुलझाने में विलम्ब के बारे में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Former Punjab Chief Minister's Statement re- delay in settlement of Chandigarh Issue	24

* किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव पूछा था।

*The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was ually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
941	राज्यपालों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त Guidelines for Governors	24–25
942	प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये त्रिपक्षीय लाभ योजना का कार्यान्वयन Implementation of triple Benefit scheme for Primary and Higher Secondry School Teachers	25–26
943	ऐशियाई देशों का पर्यटक व्यापार Tourist Trade of Asian Countries	26
944	भारतीय वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संबंध में लार्ड टाड के विचार Views of Lord Todd on Indian Scientists and C S I R	26–27
945	सोवियत संघ जाने वाले भारतीय पर्यटकों को सुविधायें Facilities to Indian Tourists going to Soviet Union	27
946	भूमि संबंधी अशांति Agrarian unrest	27–28
947	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा अनुदानों का दुर्विनियोग Misappropriation of grants by Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi	28–29
948	बंगाल बन्द Bengal Bandh	29
949	निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति Lapse of Preventive Detention Act	29–30
950	स्कूलों में यौन सम्बन्धी शिक्षा Sex Education in Schools	30
951	इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये बोइंग—737 विमानों की खरीद Purchase of Boeing 737 Aircraft for IAC	30
952	राज्य सरकारों के क्षेत्राधीन आने वाले रियासतों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना Abolition of privileges of ex-Rulers of States coming within the purview of State Governments	31
953	हिमाचल प्रदेश में चीनी जासूसों का गिरोह Chinese Spyring in Himachal Pradesh	31
954	संसद् सदस्यों के परिवार के सदस्यों को पेंशन दिया जाना Grant of Pension to family members of Members of Parliament	31
955	चुराई गई पुरातत्व वस्तुओं की दिल्ली में बरामदगी Recovery of stolen antiques in Delhi	32
956	दिल्ली में स्कूटरों में गोल मीटरों के स्थान पर टैक्सियों के मीटरों का लगाया जाना Replacing of round meters fitted in Scooters by taxi type meters in Delhi	32
957	दिल्ली के कालिजों में प्रवेश Admission in Delhi Colleges	32–33

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
958	इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कोषाध्यक्ष के पास से धन राशि गायब हो जाना / Amount Missing from custody of IAC Cashier	33
959	दिल्ली के कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना / National Services Scheme in Delhi	33–34
960	शराब का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्कूल के लड़कों का उपयोग / Use of School Boys in Delhi by Bootleggers	34–35
अतरांकित प्रश्न संख्या		
5829	महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजपथों पर पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था / Provision of adequate facilities on important National Highways	35
5830	अनधिकृत हवाई पट्टियों का प्रयोग / Use of Unauthorised Airstrips	35–36
5831	पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय / Foreign Exchange earning from Tourism	36
5832	मंगलौर में कुलियों के पास से रूसी-चिह्नों वाले ट्रांसमिटरों का बरामद होना / Recovery of Transmitter with Russian Markings from Porters at Mangalore	36–37
5833	राज्यों में सेनायें स्थापित करना / Formation of Senas in States	37
5834	दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा / Direct Air Service between Delhi and Bhubaneswar	37–38
5835	दिल्ली में टैक्सियों और आटोरिक्शाओं के ड्राइवरों की हड़ताल / Strike by Taxi and Auto-Rickshaw Drivers in Delhi	38
5837	नासिक में एक हवाई अड्डा बनाये जाने की मांग / Demand for an Aerodrome at Nasik	38–39
5838	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना / Voluntary Retirement Scheme	39
5839	श्री बूटा बेग की दिल्ली यात्रा / Visit by Mr. Buta Beg to Delhi	39–40
5840	उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री के भाषण / Prime Minister's speeches in U. P.	40
5841	राष्ट्रीयकृत और स्टेट बैंकों तथा अन्य उपक्रमों की रक्षा के बारे में प्रस्ताव / Proposal re. safety of Nationalised State Bank and other undertakings	41
5842	अरब तथा अफ्रीकी देशों में भारतीय स्त्रियों का गुलामों के रूप में बेचा जाना / Alleged sale of Indian Girls in Arab and AFRICAN COUNTRIES AS Slaves	41–42
5843	इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के जन सम्पर्क विभाग द्वारा टाइम्स आफ इंडिया के श्री के० एन० मलिक की एजेंट के रूप में नियुक्ति / Appointment of Shri K. N. Mallick of the 'Times of India' as agent by Public Relations Department of IAC	42

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5844	न्यायाधीशों की राजनीतिक पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to bar Judges from Holding political posts	42–43
5845	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of High Court Judged	43
5846	महाराष्ट्र सरकार द्वारा इंजीनियरों को रोजगार देने के लिये योजना	Maharashtra Government's Scheme for Employment of Engineers	43–44
5847	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुनः सेवा लाभ देना	Restoration of Service benefits to employees who participated in September 19, 1968 strike	44
5848	मालवीय नगर और हौज खास, नई दिल्ली के बीच की सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था करना	Provision of light on road between Hauz Khas and Malviya Nagar, New Delhi	44–45
5849	भूतपूर्व मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारी	Personal staff of Ex-Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers	45
5850	विश्वविद्यालय शिक्षा को केन्द्रीय समवर्ती विषय बनाने के लिये संविधान का संशोधन	Amendment of Constitution to make University education as a Union concurrent subject	45–4
5851	पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा भारतीय वन अधिकारियों का अपहरण	Indian Forest Officers kindnapped by Pakistan soldiers	46
5852	मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी फर्मों द्वारा रायफलों का निर्माण	Manufacture of Rifles by Private concerns in Madhya Pradesh	46
5853	विमानों में तोड़-फोड़ की घटनाओं के बारे में भारत के विचार	India's views on aerial sabotage	47
5854	शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में कुवेत को सहायता देने के सम्बन्ध में भारत कुवेत करार	Indo-Kuwait agreement for assistance to Kuwait in educational and medicinal spheres	47
5855	राज्यों को स्वायत्ता देने के बारे में संविधान में संशोधन	Amendment of constitution Regarding autonomy to States	47–48
5856	लेनिन शताब्दी समारोह	Lenin Centenary Celebrations	48
5857	मेधावी छात्रों को खेल कूद के लिये प्रोत्साहन देने की योजना	Scheme for encouragement to Talented students in sports and games	49

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5858	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिये व्यवस्था	Arrangement for teaching of sociology in Higher secondary schools of Delhi	49
5859	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों को उन्हीं समुदायों के व्यक्तियों से भरना	Filling up of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Members of that community	49–50
5860	आई० सी० एस० अधिकारी	ICS officers	50
5861	मैसूर में शाहजी भोंसले की समाधि का रखरखाव	Maintenance of samadhi of Shahji Bhonsle in Mysore	50–51
5862	आगामी औलम्पिक खेलों के लिये खिलाड़ियों का चयन	Selection of Players for next Olympic Games	51
5863	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	Central Industrial Security Force	51–52
5864	मनीपुर के ग्रामों के बीच सीमा का निर्धारण	Determination of boundary between villages in Manipur	52–53
5865	मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास-कार्य	Development works in hill areas of Manipur	53
5866	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पद भरना	Filling up of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	53
5867	हज यात्रियों द्वारा डायना बन्दूकों का भारत लाया जाना	Diana Guns brought into India by Haj Pilgrims	54
5868	कलकत्ता में राजनयिकों को अपने निवास स्थानों के भीतर रहने के लिये कहा जाना	Diplomats in Calcutta asked to keep indoors	54
5869	भारत विरोधी प्रचार करने वाली भारत स्थित गैर-सरकारी संस्थाओं को विदेशी सहायता	Foreign assistance to private institutions in India engaged in Anti-Indian propaganda	54–55
5870	सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति द्वारा हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers through Direct Recruitment and after departmental promotion	55
5871	हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी सहायकों के पदों पर भर्ती के लिये परीक्षा	Examination for recruitment of Hindi Officers and Hindi Assistants	55–56
5872	तामरचेरी के निकट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर बम फेंका जाना	Throwing of bomb at CRP men near Tamaracherry	56

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5873	एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स में नि:शुल्क यात्रा के हकदार अधिकारी / Officers entitled to free travel on Air India and Indian Airlines	56–57
5874	आत्म हत्या की घटनायें / Incidence of suicide	57
5875	हवाई पट्टी की देखभाल / Maintenance of airstrips	57–58
5876	अशोक होटल, नई दिल्ली के प्रबन्ध में सुधार / Improvements in management of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	58–59
5877	श्रीनगर और लेह के बीच संचार साधनों का विकास / Development of means of communication between Srinagar and Leh	59
5878	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ, दिल्ली पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच / Enquiry against office bearers of Lal Bahadur Shastri Rashtriya Vidyapeeth, Delhi	59–60
5879	पश्चिम बंगाल में अन्तर्दल मुठभेड़ों में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग / Use of Firearms in inter-party clashes in West Bengal	60
5880	विद्यार्थियों के लिये रात्रि अध्ययन-गृह / Night study houses for students	60
5882	शिक्षा मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निबटारा / Disposal of letters in Ministry of Education received from Members of Parliament	61
5883	संसद् कार्य विभाग में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा / Disposal of letters received in the Depttt. of Parly. Affairs from Members of Parliament	61–62
5884	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निबटारा / Disposal of letters received in Ministry of Tourism and Civil Aviation from Members of Parliament	62
5885	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा / Disposal of letters received in Ministry of Shipping and Transport from Members of Parliament	63
5886	गृह-कार्य मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा / Disposal of letters received in the Ministry of Home Affairs from Members of Parliament	63–64
5887	शिक्षा सम्बन्धी योजना और प्रशासन पर गोष्ठी / Seminar on Educational Planning and Administration	64–65
5888	नक्सलवादियों द्वारा हमले के कारण कलकत्ता में छवि-गहों के मालिकों को क्षति / Loss to Cinemahouse owners in Calcutta on account of attack by Naxalites	65
5889	दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में अनुसूचित जातियों के प्राध्यापकों के पदों का आरक्षण / Reservation for scheduled castes lecturers in school of correspondence courses of Delhi University	65
5890	राज्यपालों का सम्मेलन / Conference of Governors	66

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5891	सिबसागर जिले में आसाम नागालैंड सीमा के कारण तनाव की स्थिति	Tension over Assam Nagaland Boundary in Sibsagar District	66
5892	पब्लिक स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस पर प्रतिबन्ध लगाना	Imposition of restriction of fees charged by Public Schools	67
5893	सिंघभूम जिले में नक्सलवादियों की गैर कानूनी गतिविधियाँ	Unlawful activities of Naxalites in Singhbhum District	67
5894	धार्मिक स्थानों की यात्रा सुखदायी बनाने के लिये सुविधाएँ देना	Provision of facilities for making journey to religious places comfortable	67
5895	मध्य प्रदेश में मूर्तियाँ एकत्रित करना	Collection of idols in Madhya Pradesh	67–68
5896	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की प्रतिकूल प्रविष्टियाँ	Adverse entries in confidential reports of staff participating in strike of September 19,1968	68–69
5897	लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक मजूरी पर नियुक्त कर्मचारी	Employees on daily wages appointed to posts of LDCs and to Class IV posts	69
5898	हिन्दी अनुवादकों के पदों को हिन्दी सहायकों के पदों में बदलना	Conversion of posts of Hindi Translators into Hindi Assistants	69–70
5899	हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Translators	70
5900	हिन्दी अनुवादकों के पदों पर नियुक्ति	Appointment to posts of Hindi translators	70–71
5901	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकरण से पहले और बाद में हिन्दी सहायकों के पदोन्नति के अवसर तथा उनकी सेवा की शर्तें	Service conditions and channels of promotion of Hindi Assistants before and after decentralisation of Central Secretariat Service	71
5902	पुलिस गोली बारी में एस० पी० ए० गोलियों का प्रयोग	Use of S. P. A. Bullets in Police firings	72
5903	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को रियायत	Concession to S. C. & S. T. students for admission to Delhi University	72
5904	राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्र-वृत्तियाँ	Scholarships for children of Political sufferers	72–73
5905	ईसाई नागाओं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षएँ	National aspirations of Christian Nagas	74
5906	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विभाजन के बारे में प्रस्ताव	Proposal re. dismemberment of C. S. I. R.	74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos		
5907 पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तैनात करना	Deployment of Central Reserve Police in West Bengal	74–75
5908 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघों और संगठनों को मान्यता देने के लिये नये नियम	New rules for recognition of Central Government Employees Unions and Associations	75
5909 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती मामलों को वापस लेना	Withdrawal of Court cases against Employees who participated in the 19th September, 1968 strike	75
5910 दिल्ली प्रशासन की राजस्व परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना	Administrative Approval by Centre to Revenue Projects of Delhi Administration	75–76
5911 राज्यपालों तथा राजदूतों के पदों पर नियुक्तियां	Appointments to posts of Governors and Ambassadors	76
5913 गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या की सीमा	Limit on number of Padma Awards on Republic Day	76–77
5914 लद्दाखी भाषा की पुस्तकों पर पुरस्कार	Award of Prize for Books in Ladakhi Language	77
5915 देश में बौद्धों की संख्या	Buddhists in the country	77
5916 भारत की भूतपूर्व रियासतों के नरेशों के निजी कर्मचारियों के लिये रोजगार	Employment of personal staff of Rulers of Former Indian States	78
5917 पश्चिमी दिनाजपुर जिले के लोगों द्वारा पुलिस दल से हथियार छीन लेना	Disarming of Police Party by People in west Dinajpur District	78
5918 अखिल भारतीय संग्रहालय सम्मेलन, वाराणसी	All India Museum Conference, Varanasi	78–79
5919 दिल्ली में पर्यटक पुलिस दल बनाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to form Tourist Police Force in Delhi	79
5920 उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों में कमी	Reduction in I.A.S. posts in Orissa	79–80
5921 दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक	Meeting of I.G. Ps from Delhi, Punjab Haryana and Himachal Pradesh	80
5922 फरवरी, 1970 में एथन्स में हुए हवाई डकैती संबंधी सम्मेलन में एयर इंडिया द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Air India in a conference on Air Piracy held at Athent in February, 1970	80–81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5923 विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार के अनुदान	Central Government grants to various Private Institutions	81
5924 माओ को मनीपुर नार्थ डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय बनाने की मांग	Demand for making Mao as Headquarters of Manipur North District	81
5925 मनीपुर में व्यायाम शिक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading the Post of Physical Instructors in Manipur	81–82
5926 मनीपुर राजकीय परिवहन के लिये खरीदी गई मोटरगाड़ियाँ	Vehicles purchased for Manipur State Transport	82-83
5927 डाकुओं के उत्पात को खत्म करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central help for curbing menace of dacoits	83
5928 प्राथमिक स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को ऋण	Loans to State Governments for constructing buildings for primary schools	83
5929 उड़ीसा के भारतीय प्रसाशनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार	Padma Awards to I.A.S./I.P.S. Officers from Orissa	83
5930 हिंसात्मक घटनाओं में बमों का बारम्बार प्रयोग	Frequent use of bombs in incidents of violence	84
5931 उच्च शिक्षा के लिये विदेशों को जा रहे भारतीय विद्यार्थी	Indian students going abroad for Higher Study	84
5932 नक्सलवादियों की गिरफ्तारी	Arrest of Naxalites	84–85
5933 मुर्शिबाद जिले (पश्चिम बंगाल) में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riot in Murshidabad District (West Bengal)	85
5934 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा विमान द्वारा की गई यात्रायें	AIR Journeys performed by Chairman I.A.C.	85–86
5935 सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े होटलों को दिया गया विदेशी शराब का कोटा	Foreign liquor Quota given to big hotels in Public and Private Sectors	86–87
5936 तकनीकी जनशक्ति नीति बनाना	Evolving of Technical Manpower Policy.	87–89
5937 होटल उद्योग द्वारा वित्तीय संस्थाओं से सहायता की मांग	Demand by Hotel Industry for Assistance from F inancial Institutions	89–90
5938 कलकत्ता में अपराध	Crimes in Calcutta	90
5939 बंगाल बन्द के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों का रद्द किया जाना	Air India and Indian Airlines flights cancelled during Bengal Bandh	90

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5940	देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and order situation in the Country 91
5941	दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, चिराग दिल्ली, दिल्ली, के प्रधानाचार्य द्वारा छुआछात बरतने का आरोप	Allegation of practising of untouchability by Principal, Government Higher Secondary School, Chirag Delhi, Delhi 91
5942	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officers in Education Department of Delhi Administration 92
5943	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में पदोन्नति	Promotion in Education Department of Delhi Administration 92
5944	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य	Hindi work in Government Offices 92–93
5945	तुतिकोरिन गहन सागर बन्दरगाह पर विकास कार्य	Development work at Tuticorin Deep Sea Harbour 93–94
5946	दिल्ली में स्कूटरों और टैक्सियों के लिये गोल मीटर	Round Meters for Scooters and Taxis in Delhi 94
5947	कर्मचारियों द्वारा "खाली बैठे रहो" हड़ताल के कारण इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं का बन्द किया जाना	Suspension of Indian Airlines Services due to "sit in" strike by Employees 94–95
5948	मंत्रिमण्डल के सरकार के बारे में राजस्थान सरकार का निर्णय	Rajasthan Government's decision re: size of Cabinet 95
5949	कोवालम समुद्र तट (केरल) पर एक होटल तथा कुटीर बनाना	Construction of a Hotel and Cottages at Kovalam Beach (Kerala) 95–96
5950	हिमाचल प्रदेश को न्यायिक अधिकारियों का नियतन	Allocation of Judicial Officers to Himachal Pradesh 96–97
5952	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर डिग्रियों पर उपकुलपति के हस्ताक्षरों में असंगति	Anomaly in signature of Vice Chancellor on Master's Degrees conferred by University of Delhi 97
5953	दिल्ली में जामिया मिलिया, दयाल सिंह कालेज, पी० जी० डी० ए० वी० कालेज को अनुदान	Grants to Jamia Millia Dayal Singh College and P.G.D.A.V. College in Delhi 97–99
5954	दिल्ली में सान्ध्याकालीन कालेजों का पूर्णरूपेण स्वतन्त्र कालेजों के रूप में कार्य करना	Evening Colleges in Delhi to function as full fledged independent Colleges 99
5955	फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी महिला जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of a Pakistani Spy Girl in Ferozpur 99

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
5956	केन्द्रीय स्कूल संगठन की तरह के संस्कृत स्कूल संगठन की आवश्यकता / Need for Sanskrit Schools organisation on the lines of Central Schools Organisation	99-100
5957	यूरोपीय देशों से आये पर्यटकों के लिये राज्य व्यापार निगम की कारें / S.T.C. Cars for use of Tourists from European Countries	100
5958	विदेशी पर्यटकों के लिये केरल में पर्यटक केन्द्र / Tourist Centres in Kerala Visited by Foreign Tourists	100-101
5959	दिल्ली में दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पीटा जाना / Beating of students of Higher Secondary Examination by DTU Staff in Delhi	101
5960	पटना में अशोक स्तम्भों का पता लगना / Discovery of Ashoka Pillars in Patna	102
5961	कलकत्ता में उच्च विस्पोटक बमों का पाया जाना / Recovery of high explosive bombs in Calcutta	102
5962	चण्डीगढ़ में हड़प्पा युग की वस्तुओं का पता लगाना / Discovery of Harappan Age Finds in Chandigarh	102-103
5963	मेरठ जिले में एक हरिजन लड़के की हत्या / Murder of a Harijan boy in Meerut District	103-104
5964	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय अभ्यर्थियों का इण्टरव्यू के लिये जाने के समय मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा सहायता की जाने की पद्धति को समाप्त करने के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिश / Recommendation of Estimates committee to discontinue the practice of associating ministry's representative at the time of interview of Departmental candidates by UPSC	104
5965	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय / Optional subjects in syllabus of IAS Examination	105
5966	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के लिये सांविधिक मंजूरी / Statutory sanction for functioning of C.B.I.	105-106
5967	मास्को स्थित पीपल्स फ्रेन्डशिप (पैट्रिस लुमुम्बा) विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति / Scholarship for study in People's Friendship (Patrice Lumamba) University, Moscow	106
5968	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सेवा निवृत्ति की आयु / Retirement age of Principals of Higher Secondary Schools, Delhi	106-107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5969 विभिन्न मंत्रालयों में प्रतिनियुक्त पर मध्य प्रदेश संवर्भ के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I. A.S. and I. P. S. Officers of Madhya Pradesh Cadre on Deputation to various Ministries	107
5970 मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कल्याण समिति	Welfare Committee for Central Government Employees in Madhya Pradesh	107–108
5971 खाल घाट पर नर्मदा नदी पर पुल	Bridge over River Narmada at Khalghat	108
5972 इंजीनियरिंग स्नातकों में व्याप्त बेरोजगारी	Unemployment among Engineering Graduates	108–109
5973 ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद को प्रोत्साहन देना	Promotion of sports in Rural Areas	109
5974 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में पदोन्नति	Promotion in Central Health Service Scheme	109–110
5975 पाकिस्तान तथा चीन के लिये जासूसी करने पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested for spying for Pakistan and China	110
5976 विदेशी जहाज कम्पनियों को देय भाड़ा	Freight payments to Foreign shipping companies	110–111
5977 कांडला अरुद्ध पत्तन के बारे में पत्रकारों के एक दल द्वारा की टिप्पणियां	Observations made by a Team of Journalists re Kandla Free Port	111–112
5978 केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर के निदेशक के विरुद्ध आरोप	Inquiry into allegations against Director,C.F.T.R.G.Mysore	112
5979 रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कर्मचारियों को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में खपाना	Absorption of Employees of River Steam Navigation Company in Inland Water Transport Corporation	112–113
5980 मरमागाओ पत्तन न्यास के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints received against officials of Marmugao Port Trust	113
5981 केरल में तैनात केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को वेतन का भुगतान	Payment of Salary to C. R. P. deputed to Kerala	113–114
5982 बम्बई बन्द	Observance of Bombay Bundh	114
5983 दादरा और नगर हवेली का दर्जा	Status of Dadra and Nagar Haveli	114-115
5984 पश्चिम बंगाल में हत्या, लूटमार तथा आगजनी के अपराधों में दण्ड प्राप्त व्यक्तियों के मामले वापिस लेना	Withdrawal of cases of persons convicted for murder, loot and arson in West Bengal	115
5985 औद्योगिक संस्थानों के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	Central Industrial Security Force for Industrial Concerns	115–116

अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5986	अनुसंधान-कार्य की व्यवस्था के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C. recommendations re: Provision for Research	116
5987	भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों की निजी थैलियां और विशेषाधिकार	Privy Purses and Privileges of Rulers of former Indian States	116-117
5988	राजनीतिक पीड़ितों को छात्रवृत्तियां की राशि न दी जाना	Non-payment of Scholarship to Political sufferers	117
5989	हिंसा करने वाले राजनीतिक दल	Political parties indulging in violence	117
5990	ईडन गार्डन, कलकत्ता में क्रिकेट टैस्ट मैच में भारतीय झंडे का न होना	Absence of Indian flag at cricket test in Eden Garden Calcutta	118
5991	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में चलाने का सुझाव	Suggestion to run Punjab University Chandigarh as Central University	118-119
5992	दिल्ली में रिंग रोड को चौड़ा करना तथा बिजली लगाना	Widening and electrification of Ring Road, Delhi	119
5993	एयर इंडिया के कर्मचारियों की उपलब्धियों में तदर्थ वृद्धि	Ad-hoc Increase in emoluments of Air India Staff	120
5994	पेड़ पौधों के बारे में भारत सोवियत विचार गोष्ठी	Indo Soviet Symposium on Flora	120
5995	बम्बई में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेन्ट	International Hockey Tournament held in Bombay	120-121
5996	आस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम कप्तान लारी द्वारा कलकत्ता क्रिकेट टैस्ट मैच समाचार पत्र संवाददाता को गाली दी जाना	Abusing of a press correspondent by Australian Captain Lawry at Calcutta Cricket Test Match	121
5997	सरकार समिति का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report on CSIR	121-122
5998	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उच्च पदों पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की योग्यताओं के सम्बन्ध में जांच	Enquiry re. qualifications of Scientists holding top positions in CSIR	122
5999	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के संबंध में मुद्रण कार्य पर किया गया व्यय	Expenditure incurred by Central Hindi Directorate on Printing work re. correspondence course	122
6000	विदेशी सहयोग से चल रहे होटलों में विदेशी पर्यटकों का ठहरना	Stay of foreign tourists in hotels run with foreign collaboration	123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० स० U. S. Q. Nos.		
6001 दिल्ली प्रशासन के मनोरंजन कर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Entertainment tax officers of Delhi Administration	123–124
6002 पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उपद्रवों के कारण सम्पत्ति की हानि	Loss to property in West Bengal due to political disturbances	124–125
6003 काश्मीर में जन सम्मेलन	Kashmir people's Conference	125
6004 कालीकाट में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Airport in Calicut	125–126
6005 पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय द्वारा निकाला हुआ पंचांग	Panchang brought out by Ministry of Tourism and Civil Aviation	126
6006 जयपुर में इंडियन एयरलाइन्स के एक डकोटा विमान की दुर्घटना संबंधी जांच के निष्कर्ष	Findings of enquiry made into accident to Indian Airlines Dakota Plane at Jaipur	127–128
6007 अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगें	Demands of public works department in Andaman and Nicobar Islands	128
6008 पंजाब इन्जीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों का आवंटन	Allocation of Staff of Punjab Engineering College, Chandigarh	128
6009 बेरोजगार कमर्शियल पायलटों के लिये रोजगार	Jobs for unemployed commercial pilots	129
6010 इन्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों की बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सचिव पद पर नियुक्ति	Appointment of I. A. S. officers as Secretary in Banaras Hindu University	129
6011 विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक तथा प्रांतवाद सम्बन्धी गतिविधियां	Communal and Parochial Activities in Universities	129–130
6012 दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा केरल हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं की मान्यता समाप्त करना	Withdrawal of recognition to Examination conducted by Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha and Kerala Hindi Prachar Sabha	130
6013 मैसर्स ब्रिटेन नोरमेन लिमिटेड द्वारा बनाये गये छोटे विमान का फीडर सेवा के लिये उपयोग करना	Introduction of Mini Aircraft produced by M/s Britten Norman Ltd for Feeder Service	131
6014 कोचीन में बड़े तेलवाहक जहाज खड़े करने के लिये तेल टर्मिनल	Oil Terminal for Berthing Huge Oil Tankers at Cochin	131
6015 केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रीमंडलों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या	Ceiling on the Size of Central and State Ministries	132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6016 अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	132
6017 अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के नियम	Rules governing Recruitment and promotion of Employees of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	132–133
6018 अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Employees Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	133
6019 अंदमान में मुख्य भूमि के व्यक्तियों को अंदमान विशेष वेतन देना	Andaman Special pay to Mainlanders in Andaman	133–134
6020 हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें	Conditions of Service of Himachal Pradesh Employees	134
6021 हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	Pay and allowances of non-gazetted employees of Himachal Pradesh	134–135
6022 पश्चिम बंगाल में बेसिक स्कूलों को समाप्त किया जाना	Abolition of basic schools in west Bengal	135
6023 वैयक्तिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वस्थता शिक्षा	Education in personal and public hygiene, Nutrition and fitness	135–136
6024 प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवाओं के लिये अधिकारियों के चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रियां	Procedure for selection and appointment of officers to Class I and II Services	136–137
6026 सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवत्ति आयु	Resentment among passengers travelling in foreign Airlines	138
6027 विदेशी विमान समवायों के विमानों के यात्रियों में व्याप्त रोष	Retirement age of Government Employees	137–138
6028 पारादीप पत्तन का 42 फुट से अधिक तलकर्षण	Dredging of Paradip Port beyond 42 feet	138–139
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.	139
दिल्ली में पीलिया संक्रामक रोग फैलने के समाचार और स्थिति का सामना करने के लिये की गई कार्यवाही	Reported outbreak of Jaundice epidemic in Delhi and the steps taken to meet the situation	139–144
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	144–146

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०	U. S. Q. Nos.	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	146
105 वें प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Hundred and Fifth Report	
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
100 वां प्रतिवेदन	Hundredth Report	147
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the sitttings of the House	147
13वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants 1970–71	147–148
वैदेशिक व्यापार मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade	150–161
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Suseela Gopalan	
श्री कृ० गु० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	
श्री राम सेवक	Shri Ram Sewak	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	
6 अप्रैल, 1970 के प्रदर्शनकारियों में से कथित लापता लोगों के बारे में वक्तव्य	Statement re persons reported missing from among demonstrators of 6th April, 1970	149–150
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	161
विधेयक पुरः स्थापित	Bills Introduced	162–163
(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 77क और 168क का रखा जाना), श्री मधुलिए का	Representation of the people (Amendment) Bill (Insertion of new Sections 77A and 168A) by Shri Madhu Limaye	
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 174 का संशोधन), श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का	Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Article 174) by Shri C. K. Bhattacharyya	
(3) प्राणदंड की समाप्ति विधेयक, श्री ओम प्रकाश त्यागी का	Capital Punishment Abolition Bill by Shri Om Prakash Tyagi	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०	U. S. Q. Nos.	
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 123 का संशोधन), श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी का	Constitution (Amendment) Bill, (Amendment of Article 123) by Shri S. S. Kothari	163–175
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) श्री मधु लिमये का—जारी	Constitution (Amendment) Bill (Omission of Article 314) by Shri Madhu Limaye—contd.	
विचार करने का प्रस्ताव—जारी	Motion to consider—contd.	
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	
श्री जी० विश्वनाथन,	Shri G. Viswanathan	
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharayya	
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	
श्री तन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बैलट के बारे में	Re. Balloting of Private Members Bills	176
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	
पश्चिमी जर्मनी के व्यापारियों तथा वित्त पोषकों के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा	Visit by West German Delegation of Businessmen and Financiers	176–180
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
श्री खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1970/20 चैत्र, 1892 (शक)
Friday, April 10, 1970/ Chaitra 20, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में श्रीपुर कोयला खान के निकट पाये गये 16 शव

+

† *931. **श्री देवेन सेन :**
श्रीमती सुचेता कृपलानी :
श्री मधु लिमये :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मीठालाल मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि संयुक्त समाजवादी दल के एक समर्थक द्वारा, जिसने बतलाया कि वह भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के चंगुल से अभी-अभी बचकर आया है, संकेत दिये जाने पर आसनसोल जो पिछले सात महीनों में संयुक्त समाजवादी दल तथा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थकों के बीच बार-बार मुठभेड़ों का केन्द्र रहा है, के निकट श्रीपुर कोयला खान से लगने वाली खाई से पश्चिम बंगाल पुलिस को 16 शव मिले थे; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 मार्च, 1970 को श्रीपुर कोयला खान में श्रमिकों के दो वर्गों के बीच एक झगड़ा हुआ और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए

गोली चलाई थी । दो व्यक्ति मरे और पांच घायल हुए थे । उसी दिन पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति श्री नसीब खां और श्री हरी चरन यादव गुम हैं । पुलिस द्वारा की गई खोज के परिणाम स्वरूप श्री हरी चरन यादव, बंदूक की गोली से जख्मी, एक खुले स्थान पर मिला और उसे उपचार के लिये आसनसोल अस्पताल भेज दिया गया । श्री नसीब खां का पता नहीं लग सका । 21 मार्च, 1970 को श्री जुम्मन मियां नामक एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि वह उन्हें उस स्थान पर ले जा सकता हैं जहां श्री नसीब खां का शव मिल सकता है । श्री जुम्मन मियां द्वारा दिये गये संकेत पर पुलिस ने श्रीपुर गाँव से लगभग एक मील की दूरी पर एक स्थान की तलाशी की और एक शव वहां जमीन में दबा हुआ पाया । बाद में पहचान की गई कि शव श्री नसीब खां का था । और अधिक तलाशी करने पर पुलिश ने बिना सिर का एक शव और दो अस्थिपिंजर बरामद किये । दो मामले दर्ज कर दिए गये हैं और जांच पड़ताल हो रही है ।

Shri Deven Sen: Sir, it has been stated that the statement is based on the information given by the Government of West Bengal. May I know whether the information received from the West Bengal Government was furnished by the local authorities or by certain other sources ?

Secondly, no reply has been given to the question as to whether sixteen dead bodies were traced or not.

According to the report published in the 'Hindustan Times' of 25th march, 16 bodies found at Sripur.....round-about the ditch ; scattered human hair, clothes and bits of bones were also found. In this context, may I know the reasons for which the entire area in which two dead bodies were found was not dug ? In that area certain other dead bodies were also found afterwards. At times, we had informed the Government that our persons were missing. Even now our three persons are missing and their whereabouts are not known to us. With reference to 'a clue provided by a S. S. P. supporter' as mentioned in the question, the Hon. Minister should place a copy of the statement made by that man. May I know whether the supporter of S. S. P. has stated that Nasib Khan was forced to drink and that his entire face was smashed before his dead body was thrown aside ? Whether all these points were replied in his statement ? Did he also state that if that area was dug then some more dead bodies would be found therein ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जिस सूचना के आधार पर यह जांच की गई थी वह इस समय मेरे पास नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार ने शवों के पता चलने के बारे में जो सूचना भेजी है उसे ब्यौरेवार सभा-पटल पर रख दिया गया है । उसमें कहा गया है कि किसी कारण से की जाने वाली खुदाई के कारण वहां एक शव पाया गया जिसके सर नहीं था तथा वहीं दो पंजर भी पाये गये । इन मामलों की जांच की जा रही है । इस समय केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है । अन: 16 शवों के सम्बन्ध में दी गई सूचना सच प्रतीत नहीं होती ।

Shri Deven Sen: May I know from the Hon. Minister whether the post mortem of the dead bodies and the skeletons, found there, was carried out or not and whether they were sent to Calcutta for any other examinations ? What is the report of the post mortem examination ? Were they killed of gun-shot or of any thing else ? It has also been stated that two persons were killed due to the opening of fire by the police on the 18th day of the month. Where are the dead bodies of those two persons. May I know whether those dead bodies were traced and whether they were identified ? Were those bodies burnt ? We want this information.

Shri Y. B. Chavan : No doubt, you are anxious to know all these things but I am giving you that information which I have. The necessary examination pertaining to the two skeletons is being done in the forensic laboratory.

Shri Deven Sen : Has any report been received ?

Shri Y. B. Chavan : I have not received any report.

Shri Deven Sen : When that is expected ?

Shri Y. B. Chavan : How can I tell ?

Shri Meetha Lal Meena : Sir, at present the State of West Bengal is under the President's Rule. Therefore, the entire responsibility of the State is on the Centre. One of these members on the Advisory Committee appointed there has resigned and the rest of the two do not intend to work. The Governor desires to increase the numbers of the representatives and to include a Muslim member in that Committe in proportion to the population of Muslim community. But no body is prepared to work as a member of that committee. In these circumstances how the law and order in the State would be maintained. **(Interruptions).**

Mr. Speaker : What is the relevancy of it here ? Let him put question. **(Interruptions).**

Shri Meetha Lal Meena : Sir, how could the law and order be maintained there ? What arrangements are being made when the advisory committee to the Governor are not cooperating with him ? **(Interruptions).**

Mr. Speaker : Why are you clubbing this issue with the main question ? You may put question.

Shri Meetha Lal Meena : In the view of that fact that the advisors of the Governor are not performing their duty in connection with the maintenance of law and order may I know the arrangements proposed to be made by the Central Governments in order to constitute an advisory Committee immediately **(Interruptions).**

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बात की प्रश्न के साथ कोई संगति नहीं है।

Shri Meetha Lal Meena : Then, how it could be maintained ? **(Interruptions).** It appeared from the statement given by the Governor that he was going to look into the conspiracy. He has also stated that these people are involved in creating this situation. Let the Government say some thing about that man against whom the Governor himself did make the statement ? **(Interruptions).**

Shri Y. B. Chavan : Who is involved ? **(Tnterrustions)**

Mr. Speaker : Shri Jyotirmoy Basu.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मालिकों द्वारा मन्जूरी बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित करने में देरी करने या उसकी अवहेलना करने के कारण ही यह सारे विवाद और सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में श्रमिक आन्दोलन को समाप्त कराने के लिए चंबल घाटी से समाज विरोधी तत्वों का आवाहन किया था **(व्यवधान)**।

श्री समर गुह : साम्यवादी दल में ऐसे * * बहुत हैं । (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मैं जानता हूं आप * *

श्री हेम बरुआ : * * कहकर एक सदस्य दूसरे को क्यों बदनाम करते हैं ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय सदस्य ने श्री समर गुह को * * कहा है । उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए । अथवा उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए । यह अपमान जनक है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं लगता । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! यदि आप कृपा करके रिकार्ड देखने का कष्ट करें तो आप को विदित होगा कि श्री समर गुह हम मार्क्सवादियों को * * कहकर पुकारते रहे हैं । इस प्रकार की टिप्पणियों का और क्या उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा निवेदन है कि श्री समर गुह ने यह टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की थी । उन्होंने केवल यह कहा था कि साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं में ऐसे * * बहुत हैं अथवा * *

अध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत बार यह निवेदन किया है कि ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिएं । मैं दोनों पक्षों की ओर से कहे गये इस शब्द को कार्यवाही वृतान्त से निकालता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बात रिकार्ड में विद्यमान है कि मेरे दल को कलंकित करते के लिए बहुत बार इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है । अब में अपने प्रश्न पर आता हूं । एक स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार इस नसीब खां नामक व्यक्ति ने, जो एस० एस० पी० की ओर से कार्मिक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता था, संघ से त्यागपत्र दे दिया तथा वह कोयला खान मजदूर सभा में सम्मिलित हो गया । इससे एस० एस० पी० के बहुत से कार्यकर्ता नाराज हो गये । सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि कहीं इन्हीं व्यक्तियों में से तो किसी ने यह काम नहीं किया । इस कोयला खान के पास ही स्थित कोयला खान में आठ व्यक्तियों की हत्या की गई थी । अत: सरकार को यह भी पता लगाना चाहिये कि कहीं उनके शव वहीं तो नहीं गाड़ दिये गये हैं । एक दूसरी बात भी है । जिस कब्रिस्तान का उल्लेख किया गया है उसके चारों ओर बहुत वर्षों से ऊंची बाड़ लगी हुई है । यह कैसें सम्भव है कि उस बाड़ के ज्यूं के त्यूं रहते हुये भी शवों को दफना दिया जाये । साथ ही क्या यह सच नहीं है कि गत 200 वर्षों से यह स्थान गांवों में रहने वाले संथाल लोगों का कब्रिस्तान रहा है ? क्या माननीय मन्त्री हमें यह सब बात बतायेंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सम्पूर्ण घटना की जांच की जा रही है । अत: ऐसी स्थिति में तथ्यों के संबन्ध में कुछ कहना न सरल है और न उचित है । जिस घटना का उल्लेख किया गया है मैंने उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य अवश्य आपके समक्ष रखे हैं । इस समस्या के सम्बन्ध में मैं केवल इतनी जानकारी दे सकता हूं कि साम्यवादी (मार्क्स०) दल और संसोपा द्वारा चलाये जाने वाले दोनों

* * अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the *Chair*.

कार्मिक संघों में लगातार शत्रुता चली आ रही थी। संसोपा के संघ को मान्यता मिल गई थी किन्तु बाद में एक दूसरे कार्मिक संघ की स्थापना हो गई जिससे दोनों में संघर्ष हो गया। सामान्य रूप से मैं इतनी ही जानकारी दे सकता हूं। यह स्थान कब्रिस्तान था अथवा क्या था, इन प्रश्नों के संबन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब कोई अन्य कहानी सुना कर आप सभा को धोखा देना चाहते हैं ?

Shri Achal Singh : May I know whether the post mortem was conducted of those 16 dead bodies, and if so, the report of the post mortem examination ?

Shri Y. B. Chavan : I do not have all these details regarding the investigation.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : उन व्यक्तियों की हत्या किस दिन की गई थी तथा जो शव मिला है उसकी शव परीक्षा की रिपोर्ट में क्या कहा गया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : शव परीक्षा की रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं। इन मामलों की जांच की जा रही है। यह जानकारी तो जांच अधिकारी और न्यायालय से प्राप्त हो सकती है। मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : दो अस्थि-पंजर और एक शव मिला है। यह अपराध सम्भवत: किस तारीक्ष को किये गये थे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यदि बिवरण का अध्ययन किया जाये तो उसमें लिखा हुआ है कि :

"21 मार्च 1970 को जुमन मिया ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि मैं आपको उस स्थान तक ले जा सकता हूं जहां श्री नसीब खां का शव है। पुलिस ने जुमन मिया के संकेतों पर श्रीपुर गांव से एक मील दूर उस स्थान का पता लगाया तथा वहीं उन्हें भूमि में गड़ा हुआ एक शव मिला।"

यह उसी दिन की बात होगी।

श्री समर गुह : श्रीपुर क्षेत्र में हुई यह घटना बर्दवान और त्रिबेनी क्षेत्र मे हुई घटनाओं से किसी प्रकार कम भयानक और निर्दयी नहीं है, सम्भवत: अधिक ही है। क्या यह सच है कि 1967 में भी एक समाजवादी नेता श्री बी० पी० झा की हत्या की गई थी ....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री समर गुह : वह घटना भी आसनसोल क्षेत्र की है। वह व्यक्ति समाजवादी कार्मिक संघ का अध्यक्ष था। उसकी भी हत्या की गई की तथा उसने मरते समय अपने वक्तब्य में साम्यवादी (मा०) दल के एक विधान-सभा सदस्य का नाम लिया था जिसने उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया था।

क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? क्या यह सच है कि कोयला खान के 90 प्रतिशत कर्मचारियों से अधिक व्यक्ति संसोपा संघ के नियंत्रण में हैं ? क्या यह भी सच है कि लापता 16 कर्मचारियों में से कब्रिस्तान में से केवल चार

कर्मचारियों के शव खोजे गये हैं ? क्या यह भी सच है कि शव परीक्षा से ज्ञात होता है कि उनके सर कुचल दिये गये थे और उन्हें बलपूर्वक शोरे का तेजाब पिलाया गया था ? क्या यह सच है कि शव परीक्षा की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है ? क्या सरकार इस घटना की अदालती जांच करायेगी जैसा कि बर्दवान घटना के संबन्ध में किया गया था ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने 1967 में हुई जिस घटना का उल्लेख किया है, मुझे उसका ध्यान है तथा उस घटना की चर्चा सदन में भी की गई थी । श्री झा की हत्या दिन दहाड़े की गई थी । कुछ माननीय संसद्-सदस्यों ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था तथा इस घटना की चर्चा की थी । अतः सभा को उस सम्बन्ध में जानकारी है ।

जहां तक इस मामले की अदालती जांच कराने का सम्बन्ध है मुझे राज्यपाल का निश्चित निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है । मामले की जांच की जा रही है तथा सामान्यतः यही विचार है कि अदालती जांच सहायक सिद्ध नहीं होगी । वैसे अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

शवों के संबन्ध मे मुझे जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी उसका उल्लेख विवरण में कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त मुझे 16 शवों के संबन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा शव परीक्षा की रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं है ।

श्री समर गुह : क्या रिपोर्ट के मिलते ही उसे हमें उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जांच कार्य पूरा होने के उपरान्त तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् ही ऐसा किया जा सकता है । यदि आप उस समय इसकी मांग करेंगे तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Keeping in view this fact that in the days of United Front Government, efforts were made to impress upon the Police and planned efforts were made to distract the employees and officials of the State Government from their loyalty therefore May I know whether the Home Ministry has contemplated the possibility of getting the cases of all the political murders examined by the Central Bureau of Investigations ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि प्रत्येक मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जा सकती है । यह व्यवहार्यतः असम्भव है । जब बंगाल के अधिकारी समस्त स्थिति पर विचार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि वह इस मामले पर विचार करेंगे । यदि उन्हें भारत सरकार से किसी विशेष सहायता की आवश्यकता हुई तो निश्चय ही हम देंगे ।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि कुछ गम्भीर बातें हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, श्री गोपालन

श्री समर गुह : श्री ज्योतिमय बसु ने यह व्यंग्य किया है कि ये सभी प्रश्न पूर्व-नियोजित हैं और पूर्वाभ्यास किये हुए हैं । यह सदस्य और सभा की गरिमा पर आक्षेप है । क्या सदस्य ऐसा आरोप लगा सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, कृपया बैठ जाएं ।

श्री प० गोपालन : हमारे दल के विरुद्ध निन्दा का अभियान, जो झूठ और मिथ्या निन्दा पर आधारित है, काफी समय से चला रहा है। यह एक ऐसे खतरनाक बिंदु पर पहुंच गया है जहां हमारे दल के नेताओं को जान से मार डालने के षड़यंत्र रचाये जा रहे हैं। हम इस मामले में किसी के लिए याचना नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि यह एकतरफा कार्य नहीं रहेगा। यहां यह कहा गया है कि यह मृत शरीर श्री नसीब खान का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री का ध्यान 25 मार्च के पी० टी० आई० और यू० एन० आई के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस महा निरीक्षक श्री एस० एम० घोष ने कहा था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि खोंद कर निकाले गये दो शवों के कंकालों को बहुत पहले दफना दिया गया था; और यदि हां, तो कौन-सा वक्तव्य सच है ? क्या गृह कार्य मंत्री अथवा बंगाल के पुलिस महा निरीक्षक का वक्तव्य सच है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : गृह कार्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सच है।

श्री प० गोपालन : मैं आप से सुरक्षा चाहता हूं, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : और अधिक प्रश्न न पूछे जायें, मैं आप को तर्क-वितर्क में नहीं पड़ने दूंगा। आप ने एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया था।

श्री प० गोपालन : मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं। गृह कार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि पुलिस महा निरीक्षक का वक्तव्य सही नहीं है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस महा निरीक्षक के विरुद्ध ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले पर गलत वक्तव्य देने के कारण कार्यवाही की जाएगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण:—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री प० गोपालन : मंत्री महोदय चुप क्यों हैं (**व्यवधान**)।

Shri Hukum Chand Kashwai : I have been trying for 15-20 minutes to hear the simultaneous interpretation in Hindi of the English debates but could not hear it. Why not the simultaneous interpretation in Hindi is being done ?

Shri Meetha Lal Meena : When there is arrangement of simultaneous interpretations in English of the Hindi questions then why not Hindi interpretation is there. Why the step motherly treatment is being given to Hindi ?

Mr. Speaker : I have been told that there is defect in the machinery. What trouble has been fallen in two-four minutes. It is a machinery which fails so many times. If he is so eager then he may come here.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is very objectionable that you are asking to come here.

Mr. Speaker : His machinery has failed so he may go there.

श्री बे० कृ० दासचौधरी : गृह कार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्मकार संघों में पारस्परिक शत्रुता है। ऐसे उदाहरण हैं कि जहां कर्मकार संघों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा नहीं है,

वहां भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने पसारीहाट जिले के मेरे कूच-बिहार निर्वाचन क्षेत्र में पांच व्यक्तियों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि निन्दा करने के प्रयत्न किये गये थे। यह कह कर कि निन्दा करने के प्रयत्न किये गये, उन्होंने यह कहावत चरितार्थ की कि खाली मस्तिष्क हमेशा शंकालु होता है। मैं गृह कार्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे निर्वाचन-क्षेत्र कूच-विहार में हुई निर्मम हत्याओं की न्यायिक जांच और उचित जांच करवाई जायेगी। मैंने पहले ही कुछ समय पूर्व गृह-कार्य मंत्री महोदय को इस बारे में लिखा था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने इस बारे में मुझे लिखा था। मेरे पास इस समय तथ्य नहीं है। मैं निश्चय ही बाद में उनको उत्तर दूंगा।

भारतीय नौवहन का विस्तार

*932. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में नौवहन का जितना विस्तार हुआ है, भारतीय नौवहन का विस्तार उसके अनुसार कम रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं और इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। भारतीय नौ वहन-टनभार के विस्तार की कुल प्रतिशतता विश्व के कुल टनभार में विस्तार से कम नहीं है। लॉयड्स रजिस्टर आफ शिपिंग द्वारा पहली जुलाई 1969 के लिये विश्व-टनभार के नवीनतम आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं। इन आंकड़े के अनुसार पहली जुलाई 1969 में विश्व-टनभार 2116.60 लाख जी० आर० टी० है जब कि पहली जुलाई 1968 को यह 1941.52 लाख था। अत: उस वर्ष 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में भारतीय टनभार 19.45 लाख जी० आर० टी० से बढ़कर 22.88 लाख जी० आर० टी० हो गया है जिसके अनुसार 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 से 1969 तक की अवधि में विश्व-टनभार में 163.1 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि भारतीय टनभार में 610.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने कागजी कार्यवाही बहुत की है। भारतीय जहाजरानी उद्योग में भारी वृद्धि के बावजूद, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय जहाजरानी से देश से समुद्र द्वारा होने वाला व्यापार कितना होता है ? यदि यह निश्चय ही सच है, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय जहाजरानी उद्योग इतना बढ़ गया है और विश्व के कुल व्यापार विस्तार की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, तो यह अनुमान किया जाता है कि भारत से समुद्र द्वारा होने वाला कुल व्यापार कम से कम 50 प्रतिशत भारतीय जहाजों द्वारा होता है।

दूसरे हमने कुछ समय पूर्व यह समाचार पढ़ा था कि नेशनल शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ शिकायतें की थीं और साथ ही साथ उन्होंने हमारे देश में जहाजरानी की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्यवाहियां करने के बारे में सुझाव दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुझाव दिये गए थे और सरकार ने कितने सुझावों को स्वीकार किया है ?

श्री इकबाल सिंह: जहां तक सामान्य लदाव व्यापार का सम्बन्ध है, हम भारतीय समुद्र पारीय व्यापार में 40 से 45 प्रतिशत बाल ले जा रहे हैं। जहां तक बृहत सामग्री का सम्बन्ध है, हम उसका केवल 9-10 प्रतिशत ले जा रहे हैं। भारत के संपूर्ण कुल व्यापार का जहां सम्बन्ध है हम लगभग इसका 20 प्रतिशत ले जा रहे हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य और शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष, श्री एम० वी० कृष्णप्पा के वक्तव्य में अन्तर है। यहां यह कहा गया है :

"तिस पर भी श्री कृष्णप्पा के विचार में अब तक का हुआ विकास संतोषजनक नहीं है क्योंकि भारतीय जहाजरानी इस समय देश के विदेशी व्यापार का केवल 18 प्रतिशत माल ले जा रही है।"

यह अध्यक्ष का वक्तव्य है और मंत्री महोदय ने कहा है कि यह 20 प्रतिशत है।

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरे सहयोगी और श्री कृष्णप्पा के कथन में कोई विरोधाभास नहीं है। श्री कृष्णप्पा ने इसको 18 प्रतिशत बताया है और मंत्री महोदय ने इसको लगभग 20 प्रतिशत बताया है। यह एक साधारण अन्तर है। मुख्य बात यह है कि हम मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़े दे रहे हैं। श्री कृष्णप्पा ने किस आधार पर इसे 18 प्रतिशत बताया है। मैं कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु यह सच है कि उन्नत देश 50 प्रतिशत पर्याप्त माने जाते हैं और यह लक्ष्य हमने रखा है। हमारे पास अपने विदेशी संसाधन सीमित हैं, देश में पोतस्थलों की कमी है, विदेशी पोतस्थलों में अधिक बुकिंग होती है और संभारक की साख की भी कठिनाई है। इन सब के बावजूद भी मैं समझता हूं कि सीमाओं के होते हुए भी हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : सरकार ने नेशनल शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष के कितने सुझावों को स्वीकार किया है ?

श्री इकबाल सिंह : शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने बहुत से सुझाव दिए हैं, यदि आप कोई विशेष सुझाव के बारे में कहें तो मैं आप को बता सकता हूं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : वर्ष 1947 और वर्ष 1969 के आंकड़ों का अन्तर एक गलत चित्र प्रस्तुत करते हैं क्योंकि भारत ने यह व्यापार वहीं से आरंभ दिया था। यह प्रश्न उस समय से संबंधित है जब विश्व जहाजरानी खूब जोरों पर थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जहाजरानी ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं में निश्चित लक्ष्यों को पूरा किया है ; यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी है ?

श्री इकबाल सिंह : जो आंकड़े मैंने दिये थे, वे यह बतायेंगे कि इसमें हमने जो वृद्धि की है वह प्रतिशत आधार पर विश्व व्यापार के टनभार से तुलना करती हैं। केवल 1966 और 1967

में यह कम रही थी। अन्य वर्षों में हमने बस में और अखिर प्रतिशत वृद्धि की है जो विश्व व्यापार के टनभार से तुलना करती है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : तीन योजनाओं के लक्ष्यों के बारे में क्या हुआ है ?

श्री इकबाल सिंह : तीन योजनाओं के लक्ष्यों के वारे में यह कहना है कि यह न केवल पूरा किया गया है अपितु इससे भी आगे बढ़ गये हैं और चौथी योजना में लक्ष्य 4 मिलियन मीट्रिक टन का है। उसमें से 4 लाख मीट्रिक टन आर्डर पर होगा और 3.5 मिलियन मीट्रिक टन चालू होगा।

श्री बेदब्रत बरुआ मेरे विचार में मन्त्री महोदय को व्यापार का 20 प्रतिशत वहन करके ही चुप नहीं हो जाना चाहिए। इसको 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा और ब्याज के रूप में दी जाने वाली राशि को बचा सकते हैं, अतएव, क्या मैं जान सकता हूं कि विश्व के जहाज निर्माण देशों से जहाज प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री रघुरामैया : हम सब मानीय सदस्य के इस विचार से सहमत हैं कि इस देश की शीघ्र ही यथासंभव जहाज से अधिक से अधिक माल ले जाना चाहिए। मैंने पहले ही कठिनाइयों को बता दिया है। सर्वप्रथम हमारे पोतस्थलों की एक निश्चित क्षमता है। हम और अधिक नहीं बना सकते हैं। जब तक कोचीन पोतस्थल नहीं बन जाता तब तक यह असंभव है। तब हमें विदेशी पोतस्थलों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनमें से अधिकांश या तो 1972 तब बड़ी संख्या में आरक्षित किये गये हैं या कुछ मामलों में वे 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा चाहते हैं और कुछ मामलों में 70 प्रतिशत विदेशी मुद्रा चाहते हैं जो कि हम देने की स्थिति में नहीं हैं। हम सम्भारकों से उधार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम कम विदेशी मुद्रा के बारें में भी बात कर रहे हैं, अतएव हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Hukum Chand Kachwai : In our country the expansion of shipping has been less in comparison to other countries and also what we earn from it, are not spent on it. It is also said, and we have received complaints in this regard from other countries, that it does not serve the passengers in a proper way. The employees who work in this field, have to attend duties for six months and the rest six months they have to sit at home. Nothing is done to solve the different difficulties that the families of those who are in this service, have to face. I want to know whether there is any arrangement to convey the troubles of the employees working here to their families.

Mr. Speaker : When I am here, he should be relevant. Tomorrow if some one read the debate then he will laugh at us. You please make your question relevant. I give you one more chance.

Shri Atal Bihari Vajpayee : His half question is relevant.

Shri Iqbal Singh : He has asked only one relevant question. He said that the expansion of Indian tonnage remained less than the world tonnage. I want to say that it has been more. As I said in reply to a question that their expansion is 9 per cent and ours is 15 per cent. About the rate of growth, the question does not arise.

श्री ए० श्री धरन : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कोचीन पोतस्थल के बारे में कहा है। कोचीन पोतस्थल रेगिस्तान में मरीची के समान हो गया है, इस पोतस्थल का सात बार शिलान्यास

किया गया । मेरा प्रश्न यह है । इस परियोजना का निर्माण किस चरण पर है ? सरकार ने इस पर कहां तक प्रगति की है ? यह कोचीन पोतस्थल कब पूरा हो जायेगा ? भगवान के लिए हमें स्पष्ट उत्तर दीजिए ।

श्री रघुरामैया : मेरे मित्र जानते हैं कि जापान से एक दल यहां आया हुआ है तो विभिन्न साधनों और देश में उपलब्ध साधनों का मूल्यांकन करेगा ताकि यह पता किया जा सके कि किस मशीन की आवश्यकता है और विदेशों से किस तकनीकी सहायोग की आवश्यकता है । इस देश से भी उसी के समान एक दल वहां जायेगा और तब तकनीकी करार किया जायेगा और इसके पश्चात् हम संभरणकर्त्ता का ऋण तथा अन्य बातों की व्यवस्था करेंगे । भूमि पहले ही अर्जित कर ली गई है और हम पोतस्थल का निर्माण आरम्भ करेंगे । यह कार्य पूरा किया जायेगा और मुझे विश्वास है कि वे उसे देखेंगे ।

श्री ए० श्रीधरन : मैं किसी ठीक-ठीक समय-सीमा के बारे में जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता था कि क्या मन्त्री महोदय कोई विशिष्ट समय-सीमा बता सकते हैं ? जब मेरे सहयोगी श्री बासुदेवन नायर ने पहले इस सभा में आधे घंटे की चर्चा उठाई थी तो तत्कालीन परिवहन मन्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने उत्तर में कहा था कि हम शीघ्र ही इसको क्रियान्वित करेंगे । उनको इस सभा में यह कहे हुए दो वर्ष बीत गए हैं । अतएव हम जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास कोई विशिष्ट समय-सीमा है जिसके अंतर्गत यह किया जा सके । यदि वे एक बार समय की कोई अवधि निर्धारित करते हैं तो वह कार्य उसी अवधि में पूरा होना चाहिये । क्या वह यह कह सकते हैं कि यह परियोजना इतनी समयावधि के हाथ में लेली जायेगी ?

श्री रघुरामैया : सभा इस बात को अनुभव करेगी कि हम किसी अन्य देश और उसकी सरकार से सहयोग तथा ऋण ले रहे हैं, मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूं ? मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि हम और सरकार इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करने का भरसक और यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : हम कितने टन माल का परिवहन कर सकते हैं यह हमारे अपने शिपयार्ड तथा उन विदेशी शिपयार्डों पर निर्भर करता है जिनका हम जलयान खरीदते हैं । मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि विशाखापत्तनम के हमारे शिपकार्ड की क्षमता सीमित है । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या इस सीमित क्षमता के अतिरिक्त विशाखापत्तनम में बने जलयानों की लागत की भी कोई सीमा नहीं है क्योंकि उनकी लागत उन जलयानों की लागत से 25 प्रतिशत अधिक है जिन्हें हम कहीं अन्य स्थान से प्राप्त करते हैं । मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप विशाखापत्तनम में बनने वाले जलयानों की इतनी ऊंची लागत में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

मेरा दूसरा प्रश्न उन जलयानों के बारे में है जिन्हें हम खरीदते हैं । इसकी दो प्रक्रियायें हैं एक तो सीधी खरीद, जैसाकि आपने चैकोस्लोवेकिया से खरीदे गये जलयानों के बारे में किया है, और दूसरी प्रक्रिया वर्षों तक रहन रखने के आधार पर है जैसाकि जयन्ती शिपिंग ने किया है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप जयन्ती शिपिंग के उदाहरण का अनुकरण करेंगे तथा अपनी तत्कालीन कमी को पूरा करने के लिये इस आधार पर बड़ी संख्या में जलयानों का क्रय करेंगे ?

श्री रघुरामैया : जहां तक यहां विशाखापत्तनम में बने तथा विदेशों से खरीदे गये जलयानों की लागत की बात है, मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि एक विदेशी जलपान के निर्माण की लागत में राज सहायता का अंश भी होता है और इसीलिये उसकी वास्तविक निर्माण-लागत का पता लगाना कठिन है। विशाखापत्तनम शिपमार्ड द्वारा निर्मित अपने जलयानों के लिये हम इसी प्रकार का तत्व उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक रहन रखने आदि की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि जलयान प्राप्त करने के लिये सम्भव ऐसे किसी स्रोत के मार्ग में हम बाधा नहीं बनते हैं।

Archaeological Survey of India

†933: **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Atam Das :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 75 per cent of the budget of the Archaeological Survey of India is spent on administrative matters only ;

(b) whether it is also a fact that the amount provided in the annual budget is insufficient for excavation of the historical places in the country as well as their management and maintenance ; and

(c) the number and names of the ancient monuments protected by the Archaeological Survey of India ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए, स्थानों की खुदाई, राष्ट्रीय पुरातत्वीय स्मारकों का अनुरक्षण और उनकी विशेष मरम्मत के लिए निर्धारित धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। और अधिक धन मिलने पर, अधिक कार्य किया जा सकता है।

(ग) इस समय 3,477 स्मारक केन्द्र द्वारा संरक्षित हैं। इससे पहले प्रकाशित सूची, जिसमें नाम तथा अन्य विवरण दिए गए हैं, संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

Shri Ram Gopal Shalwale : Through you, Sir, I want to know from the Hon. Minister as to what are the sources of their income ? Secondly, may I know the number of officers and other staff working in the Survey Department and also their scales of their pay ? How many years ago was this Survey Department set up and how many places are yet to be taken over other than the said 3477 places ?

May I know whether the Government would consider the question of giving additional grant for the repairs of those places ?

श्री रंगा : श्रीमन्, जो प्रश्न हमने उठाया है उसके बारे में आपने क्या निर्णय किया है ? हमें कोई सन्देश प्राप्त नहीं हुआ है। क्या हम यह समझें कि इस सभा में उठने वाले हर प्रश्न का निर्णय प्रधान मंत्री की ही इच्छा पर होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न सुन रहा हूं ?

श्री रंगा : उस दिन उन्होंने यह प्रश्न आपके सामने उठाया था तथा हमने आपसे निवेदन किया था कि आप इस बारे में तुरन्त उसी समय ही कोई निर्णय न करें । परन्तु हमने सुझाव दिया था कि गृह-कार्य मंत्री तथा सभा के नेता प्रधान मंत्री सम्भवतः आप से बातचीत करें तथा राज्य सभा के उन सदस्यों के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई निर्णय लें जो अब राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं तथा फिर वे यहां उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के जिम्मेवार रहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने महाधिवक्ता से सलाह की थी । गृह-कार्य मंत्री ने भी कहा था कि किसी सदस्य के मंत्री बने रहने में कोई बाधा नहीं है ।

श्री रंगा : एक बात तो यह है कि सेवामुक्त होने वाले मंत्री को राष्ट्रपति यह कहें कि वह वैकल्पिक प्रबन्ध होने तक मन्त्री बने रहें और यह एक दूसरी बात है कि प्रधान मन्त्री ऐसी नीति पर चलें कि जैसे यदि कोई सदस्य सदस्य न रहे तो प्रधान मन्त्री इसे अपने हित में अथवा सरकार के हित में अच्छा समझें कि...

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस तर्क से सन्तुष्ट हूं कि वह मन्त्री बनी रह सकती हैं। जहां तक औचित्य का प्रश्न है, आप और प्रधान मन्त्री बैठकर इस बारे में निर्णय कर लें । जहां तक मेरा यहां कर्त्तव्य है, मुझे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है ।

श्री रंगा : तो आप संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । यह तो सभा के नेता--प्रधान मंत्री--को निर्णय करना है । मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ।

दूसरी बातों के बारे में आप अपने स्तर पर बात कर लें ।

श्री रंगा : अब तक जिस भी मन्त्री की नई नियुक्ति हुई है उसे आपसे तथा आपके माध्यम से हम से परिचित कराया जाता रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो मंत्री बनी रही हैं ।

श्री रंगा : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि प्रधान मंत्री किसको मंत्री पद के लिये चुनती हैं । चाहे जो व्यक्ति बने, हमें तो उसी से व्यवहार करना है । परन्तु जब कोई मंत्री अपना स्थान खो देता / खो देती है तो...

अध्यक्ष महोदय : यह तो बेकार में बात को बढ़ाना है ।

श्री रंगा : मुझे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं दी जा रही है तथा आप इस बारे में निर्णय नहीं दे रहे हैं । मुझे अपनी बात कहने दीजिये । मैं कोई बात बार-बार नहीं कह रहा हूं । यदि हमारी सारी बात को अनुचित समझते हैं तो मैं आपके सामने झुकने को तैयार हूं । परन्तु मैं तो अब तक यही समझा हूं कि यदि कोई मंत्री सदस्य नहीं रहता तो प्रधान मंत्री को यह छूट होती है कि वह उसे त्यागपत्र देने को कहें तथा यदि चाहें तो अधिकाधिक छः मास के लिये उसे पुनः मंत्री नियुक्त करें । तदुपरान्त वह मंत्री इस सभा में अथवा दूसरी सभा में बिना स्थान ही मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है । परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि प्रधान मंत्री

विशिष्ट मंत्री को यह आदेश दें कि यद्यपि तुमने अपना स्थान खो दिया है तथा यद्यपि तुमने अपना त्यागपत्र दे दिया है तो दो-तीन बेचारे मंत्रियो ! तुम्हारे मंत्री बने रहने में कोई अनुचित बात नहीं है और तुम मंत्री बने रह सकते हो, और हमें और आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। यह तो प्रधान मंत्री का फरमान हुआ।

मैं तो आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह संवैधानिक है। साथ ही, क्या यह उचित भी है ? इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। यह एक अभूतपूर्व घटना है। अत: मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप कुछ समय लगा कर इस पर निर्णय करें। यदि आप इस सम्बन्ध में कोर्ट निर्णय करते हैं तो आपको हमें और सभा को सूचित करना होता है कि अमुक निर्णय लिया गया है और अब हम इस प्रश्न को पुन: न उठायें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : हम चाहते थे कि आप इन दो बातों पर निर्णय दें : पहली तो यह कि क्या प्रधान मन्त्री द्वारा नियुक्ति अथवा सेवा वृद्धि की दी गई अनुमति संवैधानिक तथा कानून संगत है तथा क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, और दूसरे, अब क्योंकि मंत्री महोदया अपनी सदस्यता खो बैठी हैं तो वह इस सभा के लिये सर्वथा अपरिचित हैं। उन्हें ऐसे सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता जो इस सभा की कार्यवाही में भाग ले सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I think that the House should be given an opportunity to discuss this matter. If the Attorney-General has given his consent he too can be called here and we can ask him the questions. It is very important matter. It is not only the question of Smt. Jaipal Singh. We have nothing against her in our mind. If the President so desires, he can appoint her as a Minister again, but since there has been a convention in the States, on this basis, this cannot be allowed in the Centre. The Parliament should set an ideal before the State Legislative Assemblies. This matter needs thorough discussion.

[श्री पें० वैंकटसुब्बया खड़े हुए]

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री पें० वैंकटासुब्बया : मैं दो बातों को लेकर निवेदन करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री को यह अधिकार है कि वह चाहे जिसे मंत्री बनायें। इस समय जो मंत्री हैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। प्रश्न यह है कि क्योंकि वह राज्य सभा की सदस्या नहीं रही हैं तथा उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दे दिया है, यह प्रधान मंत्री की स्वेच्छा पर है कि वह इसे स्वीकार करें तथा उन्हें फिर से नियुक्त करें। दूसरे...

अध्यक्ष महोदय : वह उस दिन यहां नहीं थे। वह उसी बात को पुन: कह रहे हैं।

श्री पें० वैंकटासुब्बया : हम महाधिवक्ता को यहां बुलाना चाहते हैं तथा उनका मत जानना चाहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इस बारे में पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं। क्या इस स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं। इन तीन मंत्रियों के बारे में मैं किसी भी चर्चा का स्वागत करूंगा जो राज्य सभा के लिये निर्वाचित नहीं हुए हैं।

प्रश्न काल से पूर्व ही वह सदन में उपस्थित थीं और यह बहुत बुरी बात है कि जब वे प्रश्नों का उत्तर देने लगीं तो आपत्तियां उठाई जाने लगीं। हमें भारतीय परम्परा के अनुसार एक

महिला का उचित सम्मान करना चाहिए। पहले प्रश्न उठाने वाले सदस्यों तथा श्री मधोक का भारतीयकरण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि सदन में कम से कम एक तो साहसी सदस्य है।

उस दिन यह निर्णय हुआ था कि मैं महान्यायवादी से परामर्श करूं और उस परामर्श का अनुकरण करूं। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता तो छह माह तक मन्त्री बना रह सकता है। नई नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं महान्यायवादी के विचारों की एक प्रतिलिपि उनको भेज सकता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महान्यायवादी सदन में उपस्थित हों जिससे हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही वक्तव्य दे चुकी हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह कोई साधारण मामला नहीं है। मेरे विचार से आपको महान्यायवादी के गलत परामर्श पर नहीं चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे सदन में आकर अपने विचार व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका परामर्श मान लेता हूं अन्यथा मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न आपके बात मान लेने का नहीं है। यहां एक नई परम्परा बनाई जानी है। सदन को इस पर चर्चा करने और महान्यायवादी से कुछ पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे व्यक्तिगत रूप में न लें तो मैं कहूंगा कि पंजाब में जनसंघी मन्त्री भी इसी प्रकार पद पर बने रहे थे।

श्री बलराज मधोक : यह कोई कसौटी नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale : I have asked that what is the annual income of this department and from where it comes. How many officers and employees are employed in the archaeological department and what is their total salary. When this department was established ? The number of such places out of 3477 mentioned by the Hon. Minister where survey was conducted and repairs have to be done. May I know whether the Government is considering to give additional grant to this department ?.

श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह : विभाग के प्रशासन के लिए कुल बजट अनुदान 1, 61, 58,000 रुपये था जिसमें से 52, 23, 010 रुपये का प्रशासनिक व्यय है अर्थात् कुल अनुदान का 32.3%.

Shri Ram Gopal Shalwale : The Hom. Minister has not replied to the question as to how many officers and employees are there in this department and what is their annual salaries.

श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह : सब मिलाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 1023 कर्मचारी है।

Shri Ram Gopal Shalwale : I have asked in my original question that whether it is a fact that 75% of the expenditure is on only officers and employees. Therefore I want a reply to the question, as to what is their total salary.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे माननीय सहयोगी ने बतायेा है कि प्रशासन पर 32% व्यय हुआ है और शेष व्यय स्मारकों के रख-रखाव पर हुआ है जिसमें ऐपीग्राफी, रसायनिक विभाग, अनुसंधान आदि जैसे विभाग सम्मिलित हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नई खुदाई और नये काम के लिये पर्याप्त धन है ? उसके लिये मैं बताना चाहता हूं कि जो धन दिया गया है मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि इतना धन पर्याप्त नहीं है और जब तक और अधिक धन इस विभाग को नहीं दिया जाता नये खुदाई कार्य के लिए और व्यय करना सम्भव नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale : I put another question. There is a place in Ajmer called "Dhai din ka Jhonpra". I know that the pillars used in it are from some old Temple. May I know that whether these pillars will be restored to their old places. Secondly, whether any repairs were made in the Purana Qila at Delhi, which is known as fort of Pandavas. Thirdly, may I know the amount spent on the repairs of Jama Masjid in Delhi.

Mr. Speaker : These are not specific questions and are irrelevant.

Shri Ram Gopal Shawale : This relates to archasslogy. I am surprised how you say that it is irrelevant. May I know whether Purana Qila is covered in this or not. I want to know whether repairs have been made there or not.

श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह : पुराने किले में खुदाई का कार्य चल रहा है। मुझे हर्ष होगा यदि रुचि रखने वाले माननीय सदस्य वहां जाएं और देखें कि वहां क्या हो रहा है।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं पुरातत्व स्मारकों की सुरक्षा में दिखाई जा रही अत्यधिक उपेक्षा का केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं और वह यह है कि श्री रंगपट्टम के निकट 'खुम्बुस' जहां टीपू सुल्तान को दफनाया गया था। खुम्बुस के सामने बने पार्क पर वहां रहने वाले किसानों ने हल चला दिए हैं। शीघ्र ही संभवत: उस स्मारक को भी नष्ट कर दिया जाएगा और उसे सामान्य भूमि की भांति बना दिया जाएगा और चावल अथवा गेहूं की खेती आरंभ कर दी जाएगी। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे स्थानों पर कोई चौकीदार या कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं जो इनकी देख-भाल कर सकें। यह तो एक ही उदाहरण है। देश में इस प्रकार के उदाहरण हजारों मिल जाएंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित स्मारक के विषय में तो कुछ जानकारी नहीं है किन्तु जो कुछ इन्होंने बताया है उसके विषय में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। जहां तक स्मारकों की देख-भाल के लिए चौकीदारों आदि की संख्या का प्रश्न है, यह अपर्याप्त है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है जिससे कम से कम एक चौकीदार प्रत्येक स्मारक के लिए नियुक्त किया जा सके और दूसरे, जहां तक सम्भव होगा हम यह प्रयत्न करेंगे कि स्मारकों की 24 घन्टे चौकीदारी हो सके।

श्री नीति राज सिंह चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पिछले दस वर्षों में मध्य प्रदेश में, जबलपुर, होशिंगाबाद और नरसिंहपुर के प्राचीन स्मारकों पर कुछ व्यय किया, और यदि नहीं तो क्यों ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं पता करके जानकारी दूंगा।

श्री पें० बैकटासुब्बया : ये स्मारक पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र होते हैं किन्तु यहां पर अपर्याप्त मार्गदर्शक होने तथा इनकी उचित देख-भाल के लिए कम चौकीदार होते हैं अत: कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं और पर्यटक वहां जा नहीं पाते। क्या मन्त्री महोदय की कोई ऐसी

योजना है जिसके उनके मन्त्रालय और पर्यटन मन्त्रालय की गतिविधियों में समन्वय हो सके जिससे ये स्मारक अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकें और अधिक राजस्व प्राप्त कर सकें।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : पर्यटन विभाग से हम लगातार विचार विमर्श करते रहते हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इसकी पुष्टि में यह कहूंगा कि माननीय सदस्य ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हम पर्यटन मन्त्रालय से विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है।

Shri Janeshwar Misra : Excavations are being made by archaeological department at Kaushambi. Are the government aware that many valuable coins which were found there have not been kept in Kaushambi Museum but have been misappropriated by the incharge of the place and those carrying on excavations.

Mr. Speaker : How is this relevant ?

Shri Janeshwar Misra : Sir, this is relevant. I know that some strictures have been passed by the Allahabad High Court against Shri Goverdhan Rai Sharma, incharge of this excavation, that he has misappropriated funds several times. Are there complaints coming from all parts of India about the misappropriation of the funds of archaeological department. Will the Hon. Minister conduct an enquiry and take steps to check the misappropriation of funds.

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये प्रश्नों की जांच कराई जाएगी।

श्री बूटा सिंह : मैं नहीं जानता कि मंत्रालय किसी विशेष स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक मानने के लिए क्या कसौटी अपनाता है। सदन मेरे कथन से सहमत होगा कि वह स्थान जहां मुगल बादशाह ने गुरु तेगबहादुर को बंदी बनाए रखा और जहां उन्होंने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, किसी भी कसौटी के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्मारक होने का अधिकारी नहीं है। यह बहुत खेद की बात है कि सरकार इस स्मारक को 16 लाख रुपये में गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति को बेचना चाहती है। क्या मंत्री महोदय समिति को यह धन वापिस कर देंगे और स्मारक की राष्ट्रीय स्मारक के रूप में रक्षा की जाएगी। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और इन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय पर विचार किया जाएगा।

डा० मैत्रयी बसु : महोदय, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या दूसरे हुगली पुल के निर्माण से, सर जेम्स विलसन, जिन्होंने हमारी ब्राह्मी लिपि को पढ़कर अर्थ निकाला था, का स्मारक गिराना पड़ेगा; और यदि हां, तो इसकी रक्षा के लिए क्या किया जा रहा है।

Shri Ramavatar Shastri : The archaeological department has its offices at many places and towns. There is an office at Patna also.....(interruptions). Sir, I seek your protection. I want to know if officer incharge of the archaeological department in Patna and his staff are misappropriating the funds.

Shri Yajna Datt Sharma : Sir, in this way an important question is intentionally being evaded.....(interruptions).

Mr. Speaker : You started this.

Shri Yajna Datt Sharma : How did we start this ?

Shri Ramavatar Shastri : I want to know if the workers have submitted a memorandum against the incharge of the place and have requested for an action against the corruption there. Have the government received such a memorandum, and if so, have you or have you not taken action against the named officers to stop corruption..... (interruptions).

Mr. Speaker : Why all of you make so much noise. Neither I nor the Hon. Minister can hear any thing.

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : पटना पुरातत्व विभाग के उस क्षेत्र का मुख्यालय है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मैं प्राय: पटना जाती रहती हूं, मुझे इस कार्यालय के किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की ।

श्री समर गुह : महोदय, सदन ने बीस मिनट तक ऐसी बातों पर चर्चा की है जिनका प्रश्न से कोई संबंध न था । कई सदस्यों ने मेरे अगले प्रश्न को रोकने का भी प्रयत्न किया है । यदि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : सब सदस्यों में से आप मुझे परामर्श दे रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : ऐसा लगता है आप इनके प्रश्न पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, अत: आप इधर-उधर देखते रहे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री समर गुह : आपने उन सदस्यों को अनुमति दी जो मेरे प्रश्न को रोकना चाहते थे । अप्रासंगिक प्रश्नों पर २० मिनट लगा दिए गये । यदि आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । सदस्यों के अधिकारों के रक्षक से ऐसी आशा नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ठीक से व्यवहार करेंगे तो आप के अन्य अधिकारों की रक्षा कर सकता हूं । प्रश्न काल को बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री० स० मो० बनर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं श्री समर गुह का आदेश करता हूं । इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में काफी त्याग किया है किन्तु उन्होंने कहा है कि सदस्यों ने २० मिनट ले लिए हैं । हमारे दल के सदस्यों ने २० मिनट नहीं लिए । श्री रंगा और अन्य सदस्यों ने यह समय लिया है । श्री गुह ने यह भी कहा कि उनके प्रश्न को रोकने के लिए कुछ सदस्यों ने अप्रासंगिक प्रश्न किए हैं । यह बहुत गलत है । यह सदस्यों पर आक्षेप है । यदि आप अनुमति दें तो इनके प्रश्न पर एक घंटा तक चर्चा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न लिया जायगा ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

बिड़ला भवन के बारे में सहमति

+

17. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री रा० वरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि बिड़ला बन्धु बिड़ला भवन सरकार को देने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री० के० के० शाह) : (क) और (ख) बिड़ला बन्धुओं ने बिड़ला भवन को सरकार को उपहार स्वरूप देने अथवा गांधी स्मारक के रूप में भवन के स्वामित्व और उनके रखरखाव के लिए न्यास की स्थापना के सम्बन्ध में जो शर्तें रखी हैं उनकी जांच की जा रही है । इस स्थिति में उन शर्तों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, our countrymen wanted to construct a memorial at that place where Gandhiji was assassinated. They have been demanding it for the last twenty years. When this proposal came before Pandit Nehru he said that he could not compel Birla Brothers because they also have their own sentiments and feelings. I am happy and want to congratulate Birla Brothers that they have donated that building and honoured the sentiments of the people of India. May I know from the Hon. Minister if it was one of the condition.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, श्री द्विवेदी का नाम पहले था ।

श्री कंवर लाल गुप्त : किन्तु वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह अल्प सूचना प्रश्न है और मेरा प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know from the Hon. Minister if it is one of the conditions settled Between the government and Birla Brothers that they will deliver Birla House free of cost and they will get a suitable land in lieu thereof.

Secondly whether you have sent this matter to the Prime Minister for consideration and if so what is her reaction.

Thirdly it is reported in the newspapers that Shri Jagjivan Ram is the man behind this settlement. How far it is correct.

Shri K. K. Shah : Mr. Speaker, Sir, I kave already said that the terms and conditions are being discussed.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I rise on a point of order.

श्री सु० कु० तापड़िया : इसका 'पैट्रीऑट' को कैसे पता चल गया ?

श्री शिव नारायण : मंत्री महोदय वह बतलाने को तैयार नहीं जो पत्रों में छप चुका है।

अध्यक्ष महोदय : जब सदस्य अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, आप क्यों व्यवधान डालते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, Mine is a point of order. My point of order is in regard to the answer given by Hon. Minister and what is the public interest due to which he not replying. Does it involve any foreign affair, foreign trade or does it endanger the public security.

Why he does not want to give us information. I therefore want that all the details should be placed before the house. I also want to tell that Shri Mani Lal Bagri deserves to be congratulated because he was the man who was expelled from the house for seven days because he has raised this issue here.

Shri K. K. Shah : Sir, I request the members not to press because a noble suggestion is being implemented. Now the question is of only 10 or 15 days and after that everything will be known.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, my point of order has not been answered.

Shri K. K. Shah : No body knows it yet. I do not know whether Shri Jagjiwan Ram had a talk with them but I had a talk which is not to be disclosed due to public interest.

श्री बलराज मधोक : श्रीमन, हम बहुत अल्प सूचना के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं किन्तु उनकी अनुमति नहीं दी जाती। यह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया था किन्तु अब स्वीकार करने के बाद कहते हैं कि इसके बारे में जानकारी जनहित में प्रकट नहीं कर सकते हैं। मंत्री महोदय, इस अल्प सूचना प्रश्न की स्वीकृति स्थगित रख सकते थे। यह सदन के प्रति बहुत भद्दा व्यवहार है। सदन के साथ व्यवहार का यह कोई ढंग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा होता यदि मंत्री महोदय ने कहा होता कि बातचीत आरम्भ होने वाली है और जब कोई निर्णय हो जायगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

श्री के० के० शाह : यही तो मैंने कहा है। शीघ्र ही अंतिम निर्णय हो जायगा और मैं ही सबसे पहले इसकी सूचना दूंगा। जैसे ही शर्तों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री बलराज मधोक : तब इसे निलम्बित किया जा सकता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : इसे निलम्बित होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : तब इसे निलम्बित किया जाता है।

श्री पीलू मोदी : यदि बिरला बन्धुओं को उतनी ही भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है तो श्री शशिभूषण को चार दिन का भोजन भी दिया जाए।

श्री० पें० वेंकटसुब्बया : आप इन्हें भी यह बतला दीजिए कि कठिनाई यह है कि सरकार द्वारा कोई निर्णय लेते ही इसे भारतीय प्रावदा में प्रकाशित कर दिया जाता है।

श्री के० के० शाह : मैं इसे पहले सभा पटल पर रखूंगा ।

[श्री स० मो० बनर्जी खड़े हुए]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे और लम्बा न करें । मैंने प्रश्न को निलम्बित कर दिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप इसे निलम्बित कर सकते हैं । मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अतः इस पर कोई और प्रश्न न उठाया जाए ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में चीन समर्थक इश्तहार तथा तोरण लगाना

* 934. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता में तथा अन्य क्षेत्रों में दीवारों पर, सरकारी कार्यालयों के भीतर तथा शिक्षा संस्थाओं में बहुत बड़ी संख्या में चीन समर्थक इश्तहार तथा तोरण बिना रोक-टोक लगाये जा रहे हैं; और यदि हां, तो ऐसे तोरणों तथा इश्तहारों में सामान्यतः क्या लिखा जाता है ;

(ख) क्या ऐसे तोरणों तथा इश्तहारों पर माओत्से-तुंग के चित्र, उनके लेख तथा भाषण लिखे होते हैं और क्या ऐसे इश्तहारों और तोरणों के द्वारा पीकिंग से होने वाले प्रसारणों को नियमित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है ;

(ग) क्या ऐसी गतिविधियां इस देश में कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करती हैं और भारतीय संविधान में उल्लिखित भारतीय प्रभुसत्ता की भावना के भी विरुद्ध है ; और क्या ऐसी राष्ट्र विरोधी तथा तोड़-फोड़ करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिये वर्तमान कानूनी उपबन्ध अपर्याप्त हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी राजनीतिक गतिविधियों से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त चह्वाण) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में माओ की प्रशंसा करते हुए तथा उसके विचारों का प्रचार करते हुए चीन-समर्थक इश्तहार तथा तोरण लगाये तथा लिखे गये थे । कुछ इश्तहारों में माओ के चित्र तथा उसकी रचनाओं से लिये गये कुछ उद्धरण थे । कुछ इश्तहारों में लोगों से पीकिंग रेडियो के प्रसारण सुनने का आग्रह

किया गया था । ऐसे इश्तहारों को लगाने के लिए कानून के अधीन कारवाई की जा सकती है यदि इनको लगाने से सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ती है अथवा लोक-शान्ति भंग होती है अथवा यदि ये इश्तहार कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं अथवा उसका अपमान करते हैं अथवा उसके प्रति अश्रद्धा के लिए उकसाते हैं अथवा उकसाने का प्रयास करते हैं अथवा यदि ये इश्तहार भारत की प्रादेशिक अखण्डता में संदेह करते हैं ।

फाजिल्का की स्थिति के बारे में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*935. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** **श्री देविन्द्र सिंह मार्चा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमृतसर से 24 मील दूर लालपुरा में हुए अकाली सम्मेलन में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री गुरुनाम सिंह द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पंजाब फाजिल्का को नहीं छोड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्र प्रकाशित समाचार देखे हैं ।

(ख) सरकार ने पंजाब के विवादों का सम्मत हल निकालने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया था किन्तु जब यह देखा गया कि पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न रुख अपनाए गए हैं और कोई सम्मत हल सम्भव नहीं है तो केन्द्रीय सरकार ने 29 जनवरी 1970 को अपने निर्णय की घोषणा कर दी । यह निर्णय निष्पक्ष तथा सामान्यता देने वाला है तथा राष्ट्र के सर्वापरि हित में है । सरकार का इस निर्णय में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

Article on Guerrilla Warfare in Naxalite organ Libration

*936. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri T. P. Shah :**
Shri Bharat Singh Chuahan **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to an article published in Liberation; a leading journal of the Naxalites, in which directives have been issued to obtain lethal weapons like pistols, guns, etc.

(b) whether it is a fact that the present guerrilla warfare has also been referred to in the said journal and a call has been made to destroy landlords and capitalists ; and

(c) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Government have seen the February 1970 issue of the journal 'Liberation', published from Calcutta, containing such articles.

(c) The Delhi Administration have been requested to register a case under sections 124A and 505 IPC and to have it investigated according to law.

पंजाब तथा हरियाणा के लिये सीमा आयोग की नियुक्ति

*937. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों ने चंडीगढ़ के सम्बन्ध में हुये निर्णय पर केन्द्रीय सरकार को अपनी स्वीकृति से अवगत करा दिया है ;

(ख) क्या इस स्वीकृति में एक शर्त लगाई गई है कि उनके लिये पहले सीमा आयोग की नियुक्ति की जाये ;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति का विरोध किया है ?

(घ) इस आयोग के किस तारीख से नियुक्त किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या यह एक सदस्यीय आयोग होगा; और यदि हां, तो क्या उसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा अथवा कोई भाषा विशेषज्ञ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राज्य सरकारों से अपनी स्वीकृति भेजने के लिए औपचारिक रूप से नहीं कहा गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग), (घ) तथा (ङ) राज्य सरकार ने आयोग नियुक्त करने के अपने इरादे की घोषणा पहले ही कर दी है और संकेत दिया है कि सम्बन्धित सरकारों के परामर्श से विचारार्थ विषय नियत किये जायेंगे। ये सभी मामले सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं।

पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मार्क्सवादी मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के किसान और श्रमिकों को अपनी लाठियां तैयार रखने और भालों को तेज रखने का आह्वान

*938. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री हरेकृष्णा कोनार ने किसानों और श्रमिकों से कहा है कि वे संघर्ष के लिए अपनी लाठियां तैयार रखें तथा भालों को तेज रखें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) . कलकत्ता शहर के भीतर सार्वजनिक स्थानों में और कलकत्ता के उपनगरों में लाठियों, भालों तथा अन्य आक्रमणात्मक हथियारों को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कलकत्ता पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ।

Status of Hill Districts of Uttar Pradesh

*939. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published under the heading "Uttar Parvatiya Rajya" in the weekly Hindustan Samachar dated the 7th March, 1970 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government would accord the status of Union Territory to the eight hill Districts of Uttar Pradesh to bring about their development and, if so, by what time ; and

(d) if not, the immediate steps likely to be taken to satisfy the people of the said Districts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such writing has come to the notice of the Government.

(b), (c) & (d) The demand for a separate administrative unit consisting of 8 hill districts of Uttar Pradesh has been made from time to time on the ground that economic development of these areas has not been satisfactory. The Government of Uttar Pradesh have constituted a Hill Development Board and are giving special attention to the development of the hill areas. Accelerated development, and not the creation of a separate administrative unit would meet the real needs of the people of these areas.

चन्डीगढ़ विवाद को सुलझाने में विलम्ब के बारे में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

*940. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री गुरनाम सिंह ने केन्द्रीय सरकार पर चण्डीगढ़ विवाद को सुलझाने में असाधारण विलम्ब करने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि इस साधारण प्रश्न पर तीन वर्ष की लम्बी अशांति के लिये कुछ केन्द्रीय कांग्रेसी नेता जिम्मेबार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार कीक्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस आशय की प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई हैं ।

(ख) जैसा कि सदन में समय-समय पर स्पष्ट किया गया है, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण इस जटिल प्रश्न का एक सम्मत हल ढूंढ़ निकालने का रहा था । विलम्ब का कारण वास्तव में दोनों राज्य सरकारों द्वारा लिए दृष्टकोणो में अत्यधिक मिलता था । चूंकि बार-बार प्रयत्न करने के बावजूद उनके विचारों में समझौता कराने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, अत: केन्द्रीय सरकार को इस विषय में अपना निर्णय लेना पड़ा तथा उसकी घोषणा करनी पड़ी ।

राज्यपालों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

*941. **श्री रवि राय :** क्या **गृहकार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपालों के लिये संवैधानिक मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में अपना मत प्रकट करने के लिये सरकार ने कुछ न्यायविदों को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तालिका में सर्व श्री ए० के० सरकार, पी० बी० गजेन्द्रगडकर, एम० सी० सीतलवाड़ तथा स्वर्गीय मेहर चन्द महाजन शामिल थे ; और

(ग) इस प्रश्न पर इन न्यायविदों के विचारों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) (क) से (ग) : एक विवरण तथा न्यायविदों के साथ हुए मेरे पत्राचार की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3/44/70]

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए

त्रिपक्षीय लाभ योजना का कार्यान्वयन

*942. **श्री स. मो. बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय लाभ योजना को क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवा सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए पेंशन, निर्वाह निधि और उपदान अथवा बीमे की त्रिपक्षीय लाभ योजना लागू कर दी है :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. केरल
4. मैसूर
5. तमिलनाडु
6. उत्तर प्रदेश ; और
7. पश्चिम बंगाल

कुछ राज्यों में केवल पेंशन अथवा अशदायी निर्वाह निधि जैसे सेवानिवृत्ति के विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। महाराष्ट्र में सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के स्कूलों के आध्यापकों के लिए, एक पेंशन योजना है। निम्नलिखित राज्यों में निर्वाह निधि योजनाएं हैं :—

1. गुजरात

2. मध्य प्रदेश

3. हरियाणा

4. असम, और

5. राजस्थान

उड़ीसा में त्रिपक्षीय लाभ योजना, केवल प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए लागू हैं। नागालैंड में थोड़े ही से प्राइवेट स्कूल हैं और शनैः शनैः उन्हें सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है।

ऐशियाई देशों का पर्यटक व्यापार

* 943. **श्री बेदब्रत बरुआ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप महाद्वीप से पर्यटक व्यापार की तुलना में जापान को छोड़कर, समस्त ऐशियाई देशों का पर्यटक व्यापार नगण्य है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, वर्मा तथा अन्य पड़ौसी देशों को भी इस संयुक्त प्रयास में शामिल करने के लिये कोई संयुक्त कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह काफी हद तक सही है।

(ख) दक्षिणी ऐशिया में क्षेत्रीय आधार पर पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए आई० यू० ओ० टी० ओ० के दक्षिण ऐशिया यात्रा आयोग (एस० ए० टी० सी०) के देशों का भारत की प्रेरणा पर नई दिल्ली में मार्च, 1969 के दौरान मन्त्री स्तर का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अफगानिस्तान श्रीलङ्का, भारत, ईरान, मंगोलियन जनगणराज्य और नेपाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पाकिस्तान ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उक्त क्षेत्र में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए संयुक्त रूप से किये जाने वाले प्रयत्न सम्बन्धी कई संकल्प पारित किये गए।

भारतीय वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में लार्ड टाड के विचार

* 944. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा तथा युवक** सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया गया है जिसमें नोबल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश रसायनवेत्ता लार्ड टाड ने 14 जनवरी, 1970 को बम्बई में कहा था कि भारत में समुचित नेतृत्व के अभाव में बहुत से वैज्ञानिकों तथा प्रोद्योगविज्ञों की महान योग्यताओं का कोई लाभ उठाया नहीं जा रहा है, और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ख) क्या सरकार लार्ड टाड से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कार्य-प्रणाली के संबन्ध में रूपरेखा देने का अनुरोध करने का विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा तथा युवा सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार का ध्यान लार्ड टाड द्वारा बम्बई में समाचार पत्रों को दिए गए इन्टरव्यू की ओर गया है। उक्त विचार उनके व्यक्तिगत विचार थे, किन्तु उनको ध्यान में रख लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) न्यायमूर्ति बी ए० के० सरकार की अध्यक्षता में एक जांच समिति पहले ही से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के समग्र कार्यकरण की जांच कर रही है और उसके सुधार के लिए उपाय और साधन सुझा रही है।

सोवियत संघ जाने वाले भारतीय पर्यटकों को सुविधाएं

* 945. **श्री सीतारा केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने सोवियत संघ जाने वाले भारतीय पर्यटकों की अधिक सुविधाएं देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार सोवियत संघ से आने वाले पर्यटकों को वैसी ही सुविधाएं देने के बारे में विचार कर रही है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव (आफर) की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भूमि सम्बन्धी अशांति

* 946. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने हाल ही में भूमि सम्बन्धी विद्यमान अशान्ति के कारणों तथा उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस अध्ययन से यह पता चला है कि देश में गांवों में अशान्तिपूर्ण स्थिति है और यदि ग्रामीण लोगों में बढ़ती असमानता को कारगर तरीके से दूर न किया गया तो यह विस्फोटक रूप धारण कर सकती है ;

(ग) इस अध्ययन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) किये गए इस अध्ययन के आधार पर विभिन्न मन्त्रालय इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) "वर्तमान भूमि सम्बन्धी तनाव के कारण और स्वरूप" शीर्ष से एक लेख गृह मन्त्रालय के अनुसंधान और नीति प्रभाग में तैयार किया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) लेख की उसी रूप में प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं । लेख का सम्बन्ध निम्न-लिखित बातों से है :—

(i) भारतीय कृषि का नमूना ;

(ii) भूमि और कृषि सम्बन्धी सुधारों के विभिन्न पहलू और वे क्षेत्र जहां उद्देश्यों और अपेक्षाओं को अभी पूरा नहीं किया गया है ; तथा

(iii) कृषि क्षेत्र में विद्यमान असंतोष अथवा वंचना से उत्पन्न अशान्ति का स्वरूप ।

(घ) लेख में दिये गये सुझावों का सम्बन्ध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि सुधार और अन्य भूमि कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन से है । उनके साथ खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा, जो भूमि सुधारों से संबन्धित है, मामला हाथ में लिया गया है । गृह मन्त्रालय ने भी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों और मुख्य मंत्रियों का ध्यान भूमि सुधार और अन्य भूमि कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन के महत्व की ओर आकर्षित किया है । खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा बुलाए गए मुख्य मन्त्रियों के भूमि सुधार सम्मेलन के अधिकतम सीमा के संसोधन के लिए प्रस्ताव तथा अन्य सिफारिशें मनीपुर, त्रिपुरा, दिल्ली और दादरा तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के विचाराधीन हैं । संबन्धित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त कदम उठाएंगे । भूमि राज्य सूची का विषय होने के कारण, केन्द्रीय सरकार का कार्य सलाह देना और राज्यों से कार्य-वाही करने का अनुरोध करने का है और वह कर दिया गया है ।

Misappropriation of Grants by Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi

*947. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of grants given by Government to the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi since its inception year-wise ;

(b) whether it is a fact that during the course of audit of the accounts of the Vidya-peeth, it has been found that two types of cash-books, i. e. one as genuine and the other as fake, have been maintained there in order to conceal the misappropriation of the grants given by Government ;

(c) whether Government propose to get all the accounts of the said Vidyapeeth audited by the Comptroller and Auditor General and to stop further grants or to take over the said institution ; and

(d) If not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The following grants have been given to the Vidyapeeth since its inception,

1967-68	Rs. 4.15 lakhs
1968-69	Rs. 4.75 lakhs
1969-70	Rs. 5.25 lakhs

(b) No, Sir.

(c) & (d) The Comptroller & Auditor General has already conducted a special audit of the accounts of the Vidyapeeth for 1967-68 and has also agreed to audit its accounts in future on a consent basis. A senior accounts-cum-Finance Officer has also been appointed to ensure proper utilisation of funds. As the institution was taken over as an autonomous organisation under the Ministry of Education & Youth Services in 1967-68 the question of stopping grants does not arise.

Bengal Bandh

*948. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of places where riots occurred in connection with the recent Bengal Bandh and the extent of loss of life and property in the said riots ; and

(b) the details of the report sent by the state government in this regard and whether any judicial enquiry would be held in respect of the said riots ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Facts are being ascertained from the state government. The state government propose to institute such judicial inquiries in respect of incidents of Burdwan and at Triveni, in Hooghly district.

निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति

*949. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रिमन्डल की आन्तरिक कार्यों संबन्धी समिति ने निवारक निरोध अधिनियम के समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) कुछ राज्यों द्वारा इन शक्तियों को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को क्या सुझाव दिये गए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) निवारक निरोध अधिनियम के समाप्त होने से उत्पन्न सम्भावित समस्याओं का पुनरीक्षण करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के उपाय करने के लिये राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने

निवारक निरोध के लिये कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र और असम की सरकारें निवारक निरोध के अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाने के लिए कार्यवाही कर रही हैं। उड़ीसा विधान को मीनापुर व त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। निवारक निरोध के लिए एक विनियम नेफा के लिए उद्घोषित किया गया है।

स्कूलों में यौन सम्बन्धी शिक्षा

* 950. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक** सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने प्रायोगिक आधार पर स्कूलों में यौन सम्बन्धी शिक्षा आरंभ करने तथा परिवार नियोजन के सम्बन्ध में शिक्षा देना आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह निर्णय करने के लिये कि बच्चों को क्या जानकारी दी जाये तथा इस प्रयोग के लिए किस वयो वर्ग के बच्चों को चुना जाये, कोई समिति नियुक्ति की है ; और

(ग) क्या समिति ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है; और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक किसी राज्य ने स्कूलों में यौन शिक्षा लागू करने और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देने का निर्णय नहीं किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए बोइङ्ग 737 विमानों की खरीद

* 951. **श्री शिवचन्द्र झा** : **श्री विश्व नारायण :**

क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में अमरीका से इंडियन एयरलाइन्स के लिए बोइंग–737 विमानों को खरीदने का करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार की अनुमति से इंडियन एयरलाइन्स ने बोइंग कंपनी को अतिरिक्त पुर्जों आदि सहित सात बोइंग 737--200 विमानों का क्रयादेश दिया है जिसमें 405 लाख डालर की विदेशी मुद्रा का व्यय सम्मिलित है।

(ख) इस प्रायोजना के लिए विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिए कारपोरेशन ने एक्सिम बैंक, बोइंग कंपनी, और एक अमरीकी वाणिज्यिक बैंक से ऋणों के साथ-साथ यू० एस० एड से एक प्रायोजनेतर (नान-प्राजेक्ट) ऋण की व्यवस्था की है।

Abolition of Privileges of Ex-Rulers of States Coming within the Purview of State Governments

*952. **Shri Ramesh Chandra Vyas :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that some State Governments have suggested to the Central Government that they should be permitted to abolish such of the privileges of the ex-Rulers of States as come in their jurisdiction ;

(b) whether the Government of Rajasthan have also made such a demand ; and

(c) if so, Government's reaction in regard thereto ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) No uch suggestion has been made to the Central Government.

(c) Does not arise.

हिमाचल प्रदेश में चीनी जासूसों का गिरोह

* 953. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में चीनी जासूसों का गिरोह सक्रिय है ; और

(ख) क्या उक्त जासूसों के गिरोह का पाकिस्तान के जासूसों से कोई सम्बन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने चीनी और पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किये गये ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । तथापि, हिमाचल प्रदेश में तीन तिब्बतियों के विरुद्ध विदेशियों के लिए अधिनियम के अधीन मामले दर्ज किये गये हैं । उनमें से एक को 30 दिसम्बर, 1969 को दो वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई है । अन्य दो मामलों की जांच की जा रही है ।

संसद् सदस्यों के परिवार के सदस्यों को पेंशन दिया जाना

954. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **संसद्-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तमिलनाडु राज्य के विधान मण्डल के उन सदस्यों के परिवारों को उनकी पदावधि समाप्त होने तक पेंशन देने के राज्य सरकार के निर्णय की ओर दिलाया गया है जिन की मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई हो ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की सुविधाएं संसद् सदस्यों को भी दी जायेंगी ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) मद्रास से दिनांक 17 मार्च, 1970 के एक समाचार का कहना है कि तमिलनाडु के शिक्षा मन्त्री ने विधान सभा के उन सदस्यों, जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई हो, के परिवारों को, उनकी पदावधि समाप्त होने तक पेंशन देने के राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा राज्य विधान सभा में की ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव, इस समय, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चुराई गई पुरातत्व वस्तुओं की दिल्ली में बरामदगी

* 955. **श्री अदिचन :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों ने दिल्ली / नई दिल्ली में भारी मात्रा में चुराई गई वस्तुएं बरामद की हैं ;

(ख) यदि हां, तो बरामद की हुई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) गत वर्ष में देश के विभिन्न भागों में बरामद की गई/चुराई हुई वस्तुओं का ब्यौरा और उनका अनुमानित मूल्य क्या है ; और

(घ) पुरातन मूर्तियों की बढ़ती हुई चोरी के अपराध के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) बरामद की हुई वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । तीन व्यक्तियों को जिनसे ये पुरा-वस्तुएं आदि बरामद की गई थीं, गिरफ्तार कर लिया गया है और वे जमानत पर हैं । जांच-पड़ताल अभी जारी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–3155/70]

(ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से शीघ्र उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार इस समस्या की गम्भीरता से अवगत है तथा पुरा-वस्तुओं की चोरी की रोकथाम के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है ।

दिल्ली में स्कूटरों में गोल मीटरों के स्थान पर टैक्सियों के मीटरों का लगाया जाना

956. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्कूटरों में इस समय लगे हुये सभी गोल मीटरों के स्थान पर टैक्सियों के मीटरों को लगाने के प्रस्ताव की जांच कर ली है ;

(ख) क्या गोल मीटरों में किराये की राशि को पढ़ना कठिन होता है , और

(ग) यदि हां, तो गोल मीटरों को कब तक बदल दिया जायेगा ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां, उचित किराये को अभिनिश्चित करने में कुछ कठिनाई अनुभव की गई ।

दिल्ली के कालिजों में प्रवेश

*957. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **शिक्षा तथा युवा सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिजों के प्रिंसिपलों ने यह निर्णय किया है कि वे केवल उतनी ही संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी वे सुचारु रूप से व्यवस्था कर सकते हैं, भले ही अन्य विद्यार्थियों के अंक प्रवेश के लिये अपेक्षित स्तर से अधिक ही क्यों न हों और इस निर्णय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठे रहे लगभग 5,000 विद्यार्थियों के प्रभावित होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है । दिल्ली के कालेजों में दाखिले का पूरा प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

Amount Missing from Custody of I. A. C. Cashier

*958. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in December, 1965 a sum of Rs. 2,06,512 was reported missing from the possession of the Cashier of the Indian Airlines Corporation, Malhotra Building, New Delhi and a Senior Accounts Officer was appointed in April, 1968 for conducting an enquiry into the matter ;

(b) whether the report of a preliminary enquiry was considerably delayed before the appointment of the said official ;

(c) the name of the person found guilty on the basis of the final enquiry report and the action taken against him and the amount that has been recovered ; and

(d) whether the officer, who conducted the final enquiry, has been relieved of his post and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) An amount of Rs. 6,512 was reported to have been stolen from the possession of the Cashie of Indian Airlines, Malhotra Building, New Delhi, in December, 1965. After the investigation by the police and a preliminary enquiry, an enquiry by a Senior Accounts Officer was ordered in April, 1968.

(b) The enquiry was delayed as it was started only after the receipt of the police report.

(c) The enquiry report did not fix responsibility on any individual.

(d) The Officer concerned has been retired on attaining the age of 55 years.

दिल्ली के कालेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना

* 959. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवा** सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में राष्ट्रीय सेवा योजना पर दिल्ली में कालेजवार कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) इस योजना के अधीन विभिन्न कालेजों द्वारा कौन से विशेष कार्यक्रम लिये गये थे ; और

(ग) क्या भविष्य में मार्गदर्शन के लिये इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शराब का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्कूलों के लड़कों का उपयोग

*960. **रामावतार शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शराब का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब ले जाने के कार्य में दिल्ली में स्कूलों के लड़कों की सेवाओं का उपयोग करने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पूसा रोड नई दिल्ली के स्कूल के एक छात्र श्री प्रेमनाथ की हत्या की ओर भी दिलाया है जिसके बारे में संदेह है कि उसकी हत्या शराब का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों ने की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इन समाज-विरोधी तत्वों की ऐसी गतिविधियां रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सरकार को एक व्यक्ति श्री प्रेमनाथ की मृत्यु की जो लिंक रोड के स्कूल का छात्र तथा करोलबाग का निवासी था, जानकारी है किन्तु उसकी मृत्यु सही तौर पर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है । तथापि इस सम्बन्ध में दो संदिग्ध व्यक्तियों को, जो पूसा रोड पर स्थित एक शराब की दुकान के सेल्समैन बताये जाते हैं, गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) समाज-विरोधी गतिविधियों पर कड़ी तथा पूरी-पूरी नजर रखी जाती है । जब कभी किन्हीं गैर-कानूनी तथा समाज-विरोधी गतिविधियों की सूचना दी जाती है तो कानून के अधीन निरपवाद रूप से कार्रवाई की जाती है ।

बिड़ला भवन के बारे में सहमति

17. **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री रा० बरुआ** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धु बिड़ला भवन सरकार को देने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) बिड़ला बन्धुओं ने कुछ शर्तों पर, जो विचारधीन हैं, सरकार को बिड़ला हाऊस या तो उपहार के रूप में देने, अथवा गांधी जी के मेमोरियल के रूप में भवन के स्वामित्व और अनुरक्षण के लिए एक ट्रस्ट बनाने की पेशकश की है। इस अवस्था में शर्तों को बताना वांछनीय नहीं है।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजपथों पर पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था

5829. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण राजपथों पर कार से यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं, विशेष रूप से बम्बई-आगरा सड़क पर नितांत अपर्याप्त हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्यटन विभाग ने इसकी ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो महत्वपूर्ण राजपथों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में बम्बई-आगरा सड़क पर प्रत्येक 100 मील के बाद पर्यटक विश्रांत गृह बनाने तथा अन्य पर्यटक सुविधाएं देने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को मालूम है कि फिलहाल सड़क द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(ख) से (घ) मार्गस्थ सुविधाओं के विषय में नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित एक अध्ययन दल इस समय ऐसी सुविधाओं की, राज्य सरकारों के परामर्श से, जांच कर रहा है जिनकी कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजपथों पर आवश्यकता है।

अनधिकृत हवाई पट्टियों का प्रयोग

5830. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हवाई पट्टियों सहित विभिन्न स्थानों में दिन प्रतिदिन चलने वाले विभिन्न प्रकार के विमानों के स्वामित्व, उड़ानों अथवा अवतरणों पर कोई नियंत्रण, उनका कोई रिकार्ड अथवा उनकी कोई निगरानी रखी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं जहां उक्त रिकार्ड रखा जाता है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को देश में स्थित अनधिकृत हवाई पट्टियों की स्थापना और प्रयोग के बारे में जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) नागर विमानन विभाग में ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय

5831. **श्री स० कुन्दू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पर्यटन से प्राप्त हुए राजस्व में से विदेशी मुद्रा में कितनी आय हुई है ; और

(ख) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये छोटे होटल खोलने तथा विश्राम गृह बनाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय (करोड़ रुपयों में)
1967	25.18
1968	26.42
1969	33.11

(ख) विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित होटल प्रायोजनायें, होटल उद्योग के लिए घोषित किये गये इस प्रकार के विभिन्न प्रोत्साहनों के पात्र हैं , जैसे कर एवं वित्तीय राहत, उदार मूल्यह्रास दरें तथा विकास छूट, रियायतीं शर्तों पर दिल्ली क्षेत्र में सरकारी स्वामित्व की भूमि का विक्रय, इत्यादि ।

मंगलौर में कुलियों के पास से रूसी चिह्नों वाले ट्रांसमीटरों का बरामद होना

5832. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर पत्तन पर काम करने वाले दो कुलियों प्रभाकरन और नारायणन के पास उस समय, जब वे मंगलौर में कोचीन एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे, बेतार का एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पाया गया था, जिस पर रूसी चिन्ह अंकित थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह ट्रांसमीटर एक रूसी जहाज से आया था, जो गत दिसम्बर में मंगलौर पत्तन पर रुका था ।

(ग) क्या यह भी सच है कि रूसी जहाजों द्वारा केरल के साम्यवादियों का और बहुत से ट्रांसमीटर, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरण और सैकड़ों पेंसिल नुमा तथा चाबी के गुच्छेनुमा बम सप्लाई किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या व्यावहारिक कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि 21 जनवरी, 1970 को एक व्यक्ति प्रभाकरण गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे में एक वायरलेस ट्रांसमीटर का एक हिस्सा था जिस पर कुछ रूसी चिन्ह थे । जांच-पड़ताल जारी है ।

(ग) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में सेनायें स्थापित करना

5833. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन समय प्रत्येक राज्य में विभिन्न सेनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) वे कब-कब स्थापित की गई थीं और उनके संस्थापक कौन हैं ;

(ग) प्रत्येक सेना में अनुमानतः कितने व्यक्ति हैं; और

(घ) कौन-कौन सी सेनायें राज्यों की राजनैतिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेना

5834. **श्री. दे० अमात** : **श्री क० प्र० सिंह देव** :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच इंडियन एयर लाइन्स की एक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता तथा उनके महत्व पर बार-बार आग्रह कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ग) अब तक इस विमान सेवा को आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को सुझाव दिया है कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक सीधी विमान सेवा होनी चाहिये ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स का विचार है कि कारवेल विमानों में अतिरिक्त धारिता तथा इस मार्ग पर पर्याप्त यातायात के सुनिश्चित आश्वासन के अभाव के कारण उक्त प्रस्ताव को फिलहाल क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है । परन्तु सुझाव को सावधानी-पूर्वक ध्यान में रखा जायेगा ।

दिल्ली में टैक्सियों और आटोरिक्शाओं के ड्राइवरों की हड़ताल

5835. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टैक्सियों तथा आटोरिक्शाओं के ड्राइवरों द्वारा किन कारणों से हाल में हड़ताल की गई थी ; और

(ख) सड़कों पर मोटरगाड़ियों के उपलब्ध न होने से जनता को परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राजस्थान बाट व माप (परावर्तन) अधिनियम, 1958 जो दिल्ली तक बढ़ाया गया है और उसके अधीन बने नियमों के प्रतिबन्धों को दिल्ली में टैक्सी / आटोरिक्शाओं पर लगे किराया मीटरों पर लागू करने का दिल्ली प्रशासन के निर्णय का दिल्ली में टैक्सी और आटोरिक्शा ड्राइवरों द्वारा विरोध किया गया और इसके कारण अचानक हड़ताल हुई ।

(ख) दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से यात्रियों की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम और निजी चालकों के अधिक बसों को चलाने का प्रबन्ध किया गया था । टैक्सी अड्डों से यात्रियों को ले जाने के लिए डी० एन० वाई / डी एल जेड पर्यटक टैक्सियों को अनुमति देने का भी प्रबन्ध किया गया था ।

नासिक में एक हवाई अड्डा बनाये जाने की मांग

5837. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक नगर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोग नासिक में एक हवाई अड्डा बनाये जाने की मांग करते रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो नासिक में हवाई अड्डे तथा हवाई संचार व्यवस्था का निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । नासिक के निकट ओजार में एक विमानक्षेत्र है जो कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नियंत्रण में है । इसके अतिरिक्त नासिक रोड पर एक और विमानक्षेत्र है जो कि भारतीय वायु सेना के नियंत्रण में है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते । फिर भी इंडियन एयरलाइन्स अपने विमान बेड़े की स्थिति सुधरने पर नासिक के लिये विमान सेवा प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगा, बशर्ते कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा इसके लिये अनुमति प्रदान कर दी जाती है ।

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

5838. **श्री सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के बारे में 20 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन को सुदृढ़ करने के उपायों अर्थात् कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवा-निवृत्त करने सम्बन्धी सिफारिश के एक अंश को स्वीकार किया है और किन कारणों से 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त करने के बारे में इसी सिफारिश के दूसरे अंश को स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) सरकार द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिये क्या आंकड़े उपलब्ध हैं कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के अधिकारियों की 50 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनका सेवा काल लगभग 25 वर्ष हो जायेगा ; और

(ग) सरकार ने किन कारणों से प्रभावित होकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में एक श्रेणी के अधिकारियों और दूसरी श्रेणी के अधिकारियों के बीच भेदभाव करने का निर्णय किया है जैसा कि ऊपर बताया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) श्रेणी 1 और श्रेणी 11 की केन्द्रीय सेवाओं की सीधी भर्ती के लिये आयु सीमायें सामान्यतः 21 से 24 वर्ष नियत की गई हैं । तदनुसार, उन सेवाओं में अधिकारी 50 वर्ष की आयु के होने तक लगभग 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे । किन्तु, जहां किसी पद के लिये भर्ती नियम उच्चतर आयु-सीमा, अर्थात् 35 वर्ष या अधिक, निर्धारित करते हैं तो ऐसे पद का धारक 50 वर्ष तक की आयु होने तक केवल 15 वर्ष या कम की सेवा पूरी करेगा । किसी सरकारी कर्मचारी को वार्धक्य की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त करने की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, यदि ऐसा करना लोक-हित में आवश्यक हो, सेवा की उचित अवधि के लिए प्रावधान करने की दृष्टि से नियमों में व्यवस्था है कि उक्त उच्चतर आयु-सीमा वाले मामलों में सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार सेवा-निवृत्त करने की शक्ति का प्रयोग केवल उसके 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ही किया जाएगा । उपरोक्त 50 अथवा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी पर लोक-हित में सेवानिवृत्ति की शक्तियों का प्रयोग करने की व्यवस्था करने वाले नियमों में कोई भेद-भाव नहीं है ।

श्री बूटा बेग की दिल्ली यात्रा

5839. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के एक मुसलमान श्री बूटा बेग हाल में दिल्ली आये थे और शहर में अनेक व्यक्तियों से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो वे कब से कब तक दिल्ली में रहे और उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था ;

(ग) क्या उन्हें उनकी दिल्ली यात्रा के लिये भारत सरकार द्वारा कोई वीसा दिया गया था; तथा यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये वीसा दिया गया था ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ प्रमुख नागरिकों ने अमृतसर के निकट भारत-पाकिस्तान सीमा पर उन्हें विदाई दी थी ;

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 22 नवम्बर, 1969 को एक व्यक्ति मिस्टर बूटा बेग यू० के० का वैध पासपोर्ट लिये हुसैनीवाला चैकपोस्ट द्वारा भारत में घुसा था । ऐसा समझा जाता है कि वह 23 नवम्बर, 1969 को दिल्ली में था और कई व्यक्तियों से मिला था । वह 24 नवम्बर को अमृतसर के लिए रवाना हो गया था । उसके दौरे के उद्देश्य के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में प्रधान मन्त्री के भाषण

5840. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने जनवरी, 1970 के हाल ही के उत्तर प्रदेश राज्य के दौरे के समय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषणों में सरकारी मामलों जैसे राज्य के मुख्य मन्त्री और केन्द्र के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों का उल्लेख किया था ;

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि देश के प्रधान मन्त्री और एक राज्य के मुख्य मन्त्री के बीच सार्वजनिक रूप से आलोचना के आदान-प्रदान के कारण केन्द्र और राज्य के अच्छे सम्बन्ध स्थापित होने में सहायता नहीं मिलती ; और

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अच्छी परम्परा स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश के दौरों के दौरान प्रधान मन्त्री ने तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों का उल्लेख किया था कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की थी और यह कि राज्य की उनकी यात्राएं उस राज्य पर एक भारी वित्तीय बोझ है ।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित 'सरकारी मामलों' के बारे में निश्चित ब्यौरा न होने के कारण कोई तथ्य प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मन्त्रियों और राज्य के मन्त्रियों के बीच सम्बन्धों के बारे में अच्छी परम्परा स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए सदैव उत्सुक रही है ।

राष्ट्रीयकृत तथा स्टेट बैंकों तथा अन्य उपक्रमों की रक्षा के बारे में प्रस्ताव

5841. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया की एक शाखा में हुई लूट की एक घटना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत तथा स्टेट बैंकों और राज्यों में स्थित अन्य उपक्रमों की रक्षा के लिये राज्य सरकारों की सलाह से अथवा अपने आप ही कोई कार्यवाही आरम्भ करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) किसी विशेष कार्यवाही पर सोच विचार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अरब तथा अफ्रीकी देशों में भारतीय स्त्रियों का गुलामी के रूप में बेचा जाना

5842. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकड़ों भारतीय लड़कियों को अरब तथा अफ्रीकी देशों में दास के रुप में बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वव्यापी स्तर पर महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक पण्य चल रहा है तथा लड़कियों को विदेशों में अच्छे रोजगार का प्रलोभन देकर फांसा जा रहा है और इस सम्बन्ध में बम्बई में पांच अरब महिलाओं का एक दल बहुत सक्रिय है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस इन लड़कियों को उस समय बचाने में अपने आप को असमर्थ पाती है जब वे यह घोषणा करती हैं कि वे स्वेच्छा से देश को छोड़कर बाहर जा रही हैं और उन्हें अरब तथा अफ्रीका देशों में विवाह अथवा वेश्यावृत्ति के लिए 10-15 हजार रुपयों में बेच दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अनैतिक पण्य को रोकने के लिए सरकार का किस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । इस सम्बन्ध में किसी संगठित गिरोह के कार्यरत होने के कोई प्रमाण नहीं है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । जहां तक घरेलू नौकरों का सम्बन्ध है, उनका उद्व्रजन भारतीय उद्व्रजन अधिनियम, 1922 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित किया जाता है । प्रत्येक मामले में ऐसे घरेलू नौकरों के उद्व्रजन की सिफारिश करने से पहले विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा नियुक्तिकर्त्ता, से समझौते, रोजगार की शर्तें, जमानत की राशि आदि प्राप्त की जाती है, और विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों की सिफारिशों के आधार पर ही उक्त अधिनियम के अधीन घरेलू नौकरों के उद्व्रजन की अनुमति दी जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के जन सम्पर्क विभाग द्वारा टाइम्स आफ इंडिया के श्री के० एन० मलिक की एजेंट के रूप में नियुक्ति

5843. **श्री स० च० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स निगम के जन सम्पर्क विभाग ने फोटो आदि सप्लाई करने के लिये टाइम्स आफ इंडिया के श्री के० एन० मलिक को एजेंट अथवा ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है ;

(ख) क्या दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों में यह आरोप सिद्ध हो गया है कि उपर्युक्त एजेंट ने इंडियन एयरलाइन्स तथा एक अन्य फोटो-पत्रकार को धोखा दिया है ;

(ग) उपर्युक्त एजेंट द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की गयी धन राशि को उससे वसूल करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त मुकदमे के निर्णय की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ङ) क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय के अधीन उपक्रम अब भी उपर्युक्त एजेंट के माध्यम से वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1957 में फोटोग्राफ्स की सप्लाई के बारे में इंडियन एयरलाइंस ने ऐशियन न्यूज फोटो सिण्डीकेट को ठेका दिया था । श्री के० एन० मलिक उस समय सिण्डीकेट के लिये कार्य कर रहे थे ।

(ख) सितम्बर 1957 में इंडियन एयरलाइन्स ने मुख्य मार्गों पर वाइकाउण्ट विमानों का परिचालन प्रारम्भ किया । नये विमान के व्यापक प्रचार के लिये श्री के० एन० मलिक के जरिये ऐशियन न्यूज फोटो सिण्डीकेट को विमान के फोटोग्राफों के लिये आर्डर दिया गया, तथा बाद में औरों को भी आर्डर दिये गये, जिनमें श्री अमरनाथ के ज़रिये सेन्ट्रल न्यूज फोटो सर्विस को आर्डर दिया जाना भी शामिल है । कुछ फोटोग्राफ श्री अमरनाथ द्वारा लिये गये थे, परन्तु श्री के० एन० मलिक ने गलत बयान दिया कि श्री अमरनाथ उसका एजेन्ट था और परिणामस्वरूप अदायगी श्री मलिक को कर दी गई । श्री अमरनाथ ने इंडियन एयरलाइन्डस पर मुकदमा दायर कर दिया और अदालत ने फैसला दिया कि श्री मलिक को गलत अदायगी की गई है और श्री अमरनाथ के हक में डिग्री प्रदान की ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने श्री मलिक के विरुद्ध अलग से मुकदमा दायर कर दिया और उसके विरुद्ध 2397/- रुपये की राशि की एक डिग्री प्राप्त की, जिसकी अदायगी तीन किस्तों में प्राप्त की गई ।

(घ) अदालती-निर्णय की एक प्रतिलिपि संसद् के प्रस्तकालय में रखी गयी है ।

(ङ) जी, नहीं ।

न्यायाधीशों की राजनीतिक पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाने के लिये संविधान में संशोधन

5844. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा में अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की राजनीतिक पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाने के लिये सरकार का संविधान में संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सेवारत तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सामान्यतया न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कर्त्तव्यों वाले पदों पर नियुक्त किया जाता है । बहुत ही विरले अवसरों पर उनकी सेवाएं अन्य नियुक्तियों के लिए मांगी जाती हैं । जैसा कि सुझाव दिया गया है यदि ऐसी रोक लगा दी जाए तो देश उनके उस प्रौढ़ न्यायिक अनुभव से वंचित रह जायगा जिसका अन्यथा लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकता है ।

Appointment of High Court Judge

5845. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are considering the question of not appointing a person who is related to a prominent leader of some political party, as Judge of a High Court ; and

(b) Whether it is a fact that certain persons, who are either related to the leader of some political party or had been members of some political parties are being appointed as Judges of the Allahabad High Court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Proposals for appointment to a High Court have to emanate from State authorities. The Government of India have not received any proposals for appointments to the Allahabad High Court after the new Ministry was formed in Uttar Pradesh.

Maharahstra Government's Scheme For Employment Of Engineers

5846. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Government of Maharashtra have formulated new scheme to provide employment to their 30,000 Engineers ;

(b) Whether it is also a fact that under the said scheme it would be obligatory on the part of class I contractors to provide jobs to these Engineers ;

(c) Whether it is further a fact that the training period of these Engineers would be three years and they would be paid an allowance of Rs. 250/-p. m. during this period ; and

(d) if so, whether Government propose to inspire other States to act in similar manner ?

Minister of State in the ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) No, Sir. No new scheme to provide employment to 30,000 Engineers has been formulated by the Government of Maharashtra. However, the Government of Maharashtra are implementing several schemes to augment employment opportunities for engineers. One of these schemes is to provide employment to unemployed civil engineers

who have passed out during 1967 and thereafter. Under this scheme, it is obligatory for A-1 and A class contractors to employ three engineers as stipendiary trainees. The training period under the scheme is three years and the stipend is Rs. 250/—p. m. for graduates and Rs. 150/—p.m. for diploma holders.

(b) The Central Government have already recommended to the State Governments to ensure employment of engineers by contractors. Many of the State Governments have issued orders to ensure employment of engineers by contractors.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुनः सेवा लाभ देना

5847. **श्री स० कुन्दू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गृह-कार्य मंत्रालय ने यह निदेश दिया है कि 19 सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध अर्थात् उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि रोकना, अर्हकर परीक्षा में बैठने न देना, उनकी सेवा-पुस्तक में प्रतिकूल प्रविष्टि करना, उनके सेवा काल से व्यवस्था पैदा करना, को समाप्त कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदेश द्वारा अतिक्रमण किये गए कर्मचारियों को उनकी नियमित वरीयता तथा मिलने वाले अन्य लाभ पुनः वापिस दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्रालय में मंत्री ने इस संबन्ध में लोक सभा में 2 मार्च, 1970 को एक वक्तव्य दिया है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाती है ।

(ख) खोई गई वरिष्ठता को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा तथा भोगे गये अन्य प्रतिकूल भावों पुर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा ।

Provision of Light on Road Between Hauz Khas and Malviya Nagar, New Delhi

5848. **Shri Onkar lal Bohra** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some years back the old road leading from Hauz Khas to Malviya Nagar, New Delhi, was closed and a new road constructed to replace it;

(b) if so, the reasons therefor when the new road has resulted in increasing the istance between the two places;

(c) the reasons for not providing street light on the new road although it had been constructed years back and when there was street light on the old road although it had been closed for the traffic many years ago; and

(d) the time by which street light would be positively provided on the said new road ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) A new road has been constructed to replace the old road in a part of its length. It is, however, not correct that the entire old road between these two places has been closed and replaced by a new one.

(b) The increase in distance is 86.8 meters only. The new road was constructed according to the Zonal Plan of the Area and as provided in the Master Plan for Delhi and would result in avoiding traffic hazards and in increasing the efficiency and quick movement of traffic.

(c) and (d) The Delhi Development Authority on whose behalf the road was constructed by the Central Public Works Department (Delhi Administration) did not make necessary provision for providing lighting on the road at the time of its construction. The Delhi Administration have now informed that the estimate is under preparation for providing lighting on the road and it is likely that the work may be taken up during the current financial year subject to availability of funds.

Personal Staff of Ex-Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers

5849. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of Ex-Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers, whose Personal Staff is still there as it was previously and whether it is a fact that they are being paid full pay and allowances for doing no work or for doing very little work ;

(b) the total expenditure incurred in the second half of 1969 in respect of the said staff and the amount of overtime allowance which is included in the said expenditure ;

(c) whether Government propose to send these persons back to their parent offices or Ministries ; and

(d) if so, by what time and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ; (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विश्वविद्यालय शिक्षा को केन्द्रीय समवर्ती विषय बनाने के लिए संविधान का संशोधन

5850. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय शिक्षा को एक केन्द्रीय अथवा समवर्ती विषय बनाने का है, ताकि शिक्षा के गिरते हुये स्तर में एकरूपता लाई जा सके तथा देश में एकता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो संविधान में संशोधन करने वाला इस आशय का विधेयक कब तक संसद् में पेश करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शिक्षा आयोग की सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है कि समवती सूची में शिक्षा को शामिल करने का परिणाम यह हो सकता है कि जहां शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण

की स्वतन्त्रता और लचीलेपन की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां अवांछनीय केन्द्रीयकरण और कठोरता आ जाए ।

उसके संस्थापन के अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी कार्रवाइयां करने का काम सौंपा जाता है जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार तथा समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षण तथा अनुसंधान के स्तरों के निर्धारण तथा रखरखाव के लिए उपयुक्त समझा जाता है ।

Indian Forest Officers Kidnapped by Pakistan Soldiers

5851. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri R. K. Biria :
Shri D. N. Patodia :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri T. P. Shah :
Shri Devindar Singh Garcha :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Saminathan :
Shri Mayavan :
Shri Dhandapani :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the news published in the Times of India dated the 7th March, 1970 to the effect that Pakistani soldiers had kidnapped seven Indian Forest Officers is correct ;

(b) if so, the details of action taken by Government in this regard and Pakistan's reaction to it ; and

(c) if no action has been taken by the Government the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) On 24th February, 1970 some Armed Personnel from Pakistan moving in a motor launch trespassed into Indian territory and kidnapped five Indian Forest Staff who were patrolling in our area in a boat. Three Indian fishermen in another boat were also forcibly taken away to Pakistan by the same Pak patrol boat at the same time but they were subsequently released.

Strong protests have been lodged at appropriate levels with the authorities of Pakistan and the return of these forest staff has been taken up with the East Pakistan Government.

The East Pakistan Rifle Sector Commander has made an allegation that the Indian Forest Officials were arrested inside Pak territory in Pak waters.

Manufacture of Rifles by Private Concerns in Madhya Pradesh

5852. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have entrusted the work of manufacturing rifles to some private concern in **Madhya Pradesh** ; and

(b) if so, the percentage of the total demand for rifles the supply of which has been entrusted to the said private concerns ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विमानों में तोड़ फोड़ की घटनाओं के बारे में भारत के विचार

5853. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों में तोड़-फोड़ की घटनाओं के संबन्ध में भारत के विचार क्या हैं ;

(ख) क्या इन विचारों से अन्य सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अवगत कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार हवाई व्याघात कार्यों से अत्यधिक चिन्तित है, क्योंकि इनसे उन व्यक्तियों को जो विमान में चढ़े हुये हैं तथा जो भूमि पर हैं, बड़ा खतरा पैदा होता है । आई० सी० ए० ओ० तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधियों ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन के साथ किये जाने वाले गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कार्यों की जोरदारी निन्दा की है, जिनसे हाइजैकिंग (विमान का बलात् अपहरण) अथवा हवाई डकैती भी सम्मिलित हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने इस गम्भीर समस्या का उपयुक्त समाधान निकालने के लिए किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों में भाग लिया है, और लेती रहेगी ।

शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में कुवेत को सहायता देने के सम्बन्ध में भारत-कुवेत करार

5854. **डा० सुशीला नागर** : **श्री देवेन सेन** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवेत को शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता देने के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा कुवेत सरकार के बीच मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में एक करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांनआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को स्वायत्तता देने के बारे में संविधान में संशोधन

5855. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को वित्तीय, विधायी तथा कार्यपालिक शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिये पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित करने तथा उसकी गारन्टी देने की दृष्टि से भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजना है और उसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्र-राज्य संबन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । आयोग ने संविधान में किसी संशोधन की सिफारिश नहीं की ।

लेनिन शताब्दी समारोह

5856. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेनिन शताब्दी को, जो 22 अप्रैल, 1970 को पड़ती है, मनाने के लिये सरकार ने एक समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई ;

(ग) क्या लेनिन शताब्दी को मनाने का निर्णय भारत सरकार में स्वयं किया था या इस बारे में किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने सुझाव दिया था; और यदि हां, तो उक्त संस्था का नाम क्या है ; और

(घ) उक्त शताब्दी समारोह पर कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च कितना होगा, तथा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) सोवियत सरकार ने 1966 और 1968 में हुये यूनेस्को के क्रमश: चौदहवें और पन्द्रहवें महासम्मेलन में, विदेशों में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी समारोह आयोजन संबन्धी भारतीय संकल्प का सह-प्रायोजन किया था पारस्परिक सदभावना के रूप में, भारत सरकार ने यूनेस्को के पन्द्रहवें महा-सम्मेलन में 22 अप्रैल से सितम्बर 1970 तक लेनिन शताब्दी आयोजन संबन्धी सोवियत रूस के संकल्प का सह-प्रायोजन किया ।

शिक्षाविदों, अकादमिकों, कलाकारों, चित्रकारों और संसद् सदस्यों की एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है ।

अनुमान है कि, इस प्रयोजन के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा तैयार किए गये विभिन्न कार्यक्रमों पर लगभग 2 लाख रुपये खर्च होंगे । कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी ।

मेधावी छात्रों को खेल-कूद के लिये प्रोत्साहन देने की योजना

*5857. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दण्डपाणि :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मेधावी छात्रों को खेल-कूद के लिये प्रोत्साहित करने की एक योजना पर इस समय विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसको कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ; और

(घ) उस योजना को किस प्रकार तथा किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) सरकार ने योजना का अनुमोदन कर दिया है। 26 मार्च, 1970 को जारी की गई प्रेस नोट की एक प्रति, जिसमें योजना सम्बन्धी ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी–5156/70]

Arrangement for Teaching of Sociology in Higher Secondary Schools of Delhi.

5858. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has made arrangements for teaching various subjects in the Higher Secondary Schools in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that teaching of subject like Sociology is essential for creating a spirit of social consciousness among the students ; and

(c) if so, the reasons for not including Sociology among the subjects being taught in the schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The requisite information is being collected from the authorities concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Filling up of Posts Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Members of that Community

5859. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 425 on the 5th December, 1969 regarding filling up of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by members of that community and state :

(a) whether the requisite information asked for in the supplementaries raised on the question referred to above has since been collected ;

(b) if so, the details thereof Undertaking-wise and Category-wise ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (c) : The required information has since been collected and is given in the statement annexed. The pre-examination training centres at Allahabad and Madras impart training only to those Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who would be competing for I. A. S. etc. combined competitive examinations. These centres do not provide any special training to candidates who compete for recruitment to services posts under the public undertakings or to other Government Services. The enclosed statement, therefore, gives figures of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates who have been trained at these centres and of those who have successfully competed for I. A. S. etc. combined competitive examinations.

[Placed in Library. See No. L. T. —3157/70]

I. C. S. Officers

5860. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** **Shri Bansh Narain Singh**
Shri Narain Swaroop Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of I. C. S. Officers borne on the cadre of the Central and State Governments, separately ;

(b) the number out of them of those who have accounts in the foreign banks in the country and in foreign countries ;

(c) the number out of them of those who have left or divorced their Indian wives and married foreign ladies ; and

(d) the special privileges being provided to them and terms of their services ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) All I. C. S. officers are borne on the cadre of the States to which they were allotted. On Ist April, 1970, 108 I. C. S. officers were borne on the different State cadres. The cadre-wise list is attached as Annexure1. Out of 108 (including those on leave or refused leave preparatory to retirement) 84 were serving in connection with the affairs of the Central Government, and 24 in connection with the affairs of the state Government.

[Placed in Library. See No. L. T. —3158/70]

(b) & (c) The information is not available with Government.

(d) The I. C. S. officers are enjoying protected service conditions in the matters of remuneration, pension, leave and disciplinary matters. A statement showing principal differences in service conditions of I. C. S. vis-a-vis I. A. S. is attached Annexure-II.

[Placed in Library. See No. L. T.—3158/70]

Maintenance of Samadhi at Shahji Bhonsle in Mysore

5861. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Ram Gopal Shalwale**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Samadhi of Shahji Bhonsle in Mysore is lying utterly neglected and no honour is shown to it ;

(b) if so, whether the Central Government propose to issue any directives to the State Government to look after the said Samadhi ; and

(c) if not, whether the Central Government would arrange to look after the said Samadhi and, if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) to (c) Shahji's tomb at Hodegiri is a Centrally protected monument. The tomb is in a sound condition. The work to improve the precincts by clearing the growth of jungle, rectifying the faulty drainage and also by spreading gravel on pathways has been started already by the Archaeological Survey of India.

Selection of Players for next Olympic Games

5862 **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Arjun Singh Bhadoria**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) in which year the next Olympic Games would be held ;

(b) the steps being taken by India for the safeguard of her prestige in the next Olympic Games ;

(c) the games for which India proposed to make special preparations ;

(d) whether Government have taken any decision in respect of correct selection of pl ayers for the said games, imparting proper training to them and for their maintenance ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The next Olympic Games are scheduled to be held in Munich (West Germany) during 1972.

(b) It is primarily for the Indian Olympic Association and the National Sports Federations to take suitable steps for achieving high standards in various games. However, all proposals for financial assistance from the Gove rnment in this connection will be given due consideration, in consultation with the All India Council of Sports.

(c) Events in which India can reasonably expect high positions, like Hockey, will, no doubt, receive special consideration in the matter of grant of financial assistance from the Government for preparation of the team.

(d) and (e) Under the Olympic Charter, the Government cannot interfere in the selection etc. of players. However, the All India Council of Sports renders necessary guidance to the National Sports Federations in such matters. Financial assistance is also sanctioned by the Government for coaching camps organised by the Federations to prepare their teams for participation in International events. The services of coaches from the National Institute of Sports are also made available for these camps.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

5863. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री जी० वाई० कृष्णन : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सामिनाथन : **श्री यज्ञदत शर्मा :**
श्री एन० शिवप्पा : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जयसिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पक्ष में नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश राज्यों ने भारत सरकार के उक्त प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के जिन्होंने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया है और उन राज्यों के जिन्होंने उक्त प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, क्या नाम हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) संसद् में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के गठन और विनियमन का विधान पुर;स्थापित करने से पहले राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श किया गया था और उनके विचारों को ध्यान में रखा गया था ।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसार तैनात किया जायगा ।

मनीपुर में ग्रामों के बीच सीमा का निर्धारण

5864. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में मनीपुर के एक पहाड़ी ग्राम मइबंग के कोम भाति के जोगों ने मनीपुर के प्रशासक को आवेदन-पत्र भेजा था कि मनीपुर स्टेट डाबर प्रेजीडेंट द्वारा घोषित और वर्ष 1953 में मुख्य आयुक्त श्री भार्गव द्वारा पुष्ट सीमा रेखा के आधार पर इम्फाल ईस्ट तहसील के नगरगबम के लगान वाले गांव के साथ उनके ग्राम की सीमा निर्धारित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासक ने उस याचिका को निपटा दिया है और सीमा का निर्धारण कर दिया है ;

(ग) क्या बन्दोबस्त अधिकारी, मनीपुर ने मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार इस पहाड़ी के सम्बन्ध में बन्दोबस्त कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त अधिनियम पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लागू कर दिया गया गया है ; और

(ङ) यदि यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है तो उपर्युक्त अधिनियम के अधीन भूमि का बन्दोबस्त किस प्रकार किया गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि उनके रिकार्डों में ऐसे किसी आवेदन-पत्र का पता नहीं लगता । इन दो गांवों की सीमा 1923–24 के सर्वेक्षण नक्शे और 1962–63 के वर्तमान सर्वेक्षण कार्य में स्पष्ट रूप से अंकित कर दी गई थी । अतः गांव की सीमा के सीमांकन का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्य

5865. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा आयोग द्वारा विकास कार्य को अपने अधिकार में लेने के बाद मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन-कौन से विशिष्ट विकास कार्य आरम्भ किये गये हैं ;

(ख) उक्त कार्यों पर अब तक कितना खर्च किया गया है ;

(ग) क्या पानी की सप्लाई और संचार के विकास की ओर ध्यान दिया गया है ?

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3159/70]

Filling up of Posts Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

5866. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that on the basis of arbitrary definition of the words 'suitable candidate', most of the Officers in Government Offices ignore the intelligent Harijan candidates and appoint other candidates against the posts reserved for them ;

(b) if so, the steps being taken by Government to put an end to such injustice and malpractice ; and

(c) in case no steps are being taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir. According to the instructions, issued in February 1968, the recruiting authority has to recommend candidates belonging to Scheduled Castes who may obtain a low place in the order of merit to the extent of completing the quota of vacancies reservede for them, provided that such candidates come up to the minimum standard necessary for the maintenance of the efficiency of administration as laid down in Article 335 of the Constitution. Further restrictions have been placed on the exercise of any arbitrary powers in this regard by providing that no vacancy reserved for Scheduled Castes can be de-reserved without the prior approval of the Ministry of Home Affairs. For this purpose, the Ministry Department concerned has to make a self-contained reference containing full details. A copy of this reference is also required to be sent to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is only after taking into account all the facts and the comments, if any, of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that a decision is taken if the vacancy should be de-reserved. In case the de-reservation of the vacancies is agreed to, the reservation is not lost but is carried forward to the subsequent year.

These instructions are considered to provide sufficient safeguard against any injustice or malpractice.

(b) & (c) Do not arise.

Diana Guns Brought into India by Haj Pilgrims

5867. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Diana guns have been brought by the Haj Pilgrims for which no licence is obtained ; and

(b) if so, the number of such guns brought during the year 1969 and this year so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Some pilgrims have brought Diana guns on their way back from Haj. No licence is required for such of the guns as satisfy certain tests prescribed under the Arms Act.

(b) Over-all figures of import of these guns are not available as the Customs authorities maintain record of only such air guns in respect of which the Police authorities have some doubt about their being in the exempted category and are detained by them for detailed examination. The number of Diana guns detained by the Customs authorities for examination by Police during 1969 and 1970 (so far) are 1066 and 262 respectively.

कलकत्ता में राजनयिकों को अपने निवास-स्थानों के भीतर रहने के लिए कहा जाना

5868. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में विदेशों के राजनयिकों को सूर्य के अस्त होने के बाद अपने निवास स्थानों के भीतर ही रहने की हिदायत दी गई है ;

(ख) क्या दूतावासों के कार्यालयों ने भी सरकार से कोई सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए कहा था ;

(ग) उपर्युक्त सुरक्षात्मक उपाय कब तक किए जाते रहेंगे ; और

(घ) इस स्थिति के बारे में सरकार की क्या धारणा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : कुछ समय पहले फ्रान्सिसी महा वाणिज्य दूत तथा उनकी पत्नी पर किए गए घातक आक्रमण के संदर्भ में कलकत्ता स्थित वाणिज्य निकाय के प्रतिनिधियों के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के विचार-विमर्श हुए थे और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों तथा उनके परिवारों के लिए सुरक्षा प्रबन्ध किए गए थे । कुछ वाणिज्य कार्यालयों के विशिष्ट अनुरोध पर संरक्षण उपाय अब भी किये जा रहे हैं ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा स्थिति की पूरी-पूरी निगरानी की जा रही है ।

Foreign Assistance to Private Institutions in India Engaged in Anti-Indian propaganda.

5869. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that certain private institutions functioning in the country are receiving assistance from U. S. A. in one way or the other and are engaged in making anti-Indian propaganda and safeguarding American interest ;

(b) if so, the number and Statewise details thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Attention is invited to the statement made by the Home Minister in the Lok Sabha on May 14, 1969 in regard to the report of the Intelligence Bureau on the use of foreign money in the last general elections, as well as for other objectionable purposes.

Appointment of Hindi Officers Through Direct Recruitment and After Departmental Promotion

5870. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi Officers working at present in various Ministries/Departments of the Government of India ;

(b) the number of those out of them recruited directly and the number of those promoted to the said posts ;

(c) whether the promoted officers have been appointed against regular posts ;

(d) if not, the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that the said persons appointed on an ad hoc basis had been working as Hindi Assistants or Translators for the last 10 to 12 years and have now been working on the posts of Hindi officers on an ad hoc basis for the last 2 to 3 years ; and

(f) if so, the time by which this condition of ad hoc basis is likely to be withdrawn and the reasons for which they are not being appointed against regular posts inspite of their confidential Reports being satisfactory ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (f) Posts of Hindi Officers are isolated posts created by various Ministries/Departments according to their requirements. These posts are not in direct line of promotion for other isolated posts, like, Hindi Assistants Translators. However, the factual information asked for in the Question is being collected and would be laid on the Table of the House as early as possible.

Examinations for Recruitment of Hindi Officers and Hindi Assistants.

5871. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an examination has been held for recruitment to the posts of Hindi Officers in various Ministeries /Departments of the Government of India ;

(b) whether it is also a fact that a similar examination was held for recruitment to the posts of Hindi Assistants also in 1959 ;

(c) whether any examination was held thereafter and, if not, the reasons therefor ;

(d) the number of Hindi Assistants / Translators appointed since then in addition to those persons who qualified in the said examination in 1959 ;

(e) whether any difference has been made in the service conditions and benefits in respect of the said two types of recruitments ; and

(f) if not, how it has been ensured that the aforesaid Hindi Officers Examination would not meet the same fate ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A written test was held by the UPSC on 19th July, 1969 in connection with recruitment to the posts of Hindi Officers and Hindi Supervisors and equivalent posts in the Ministries / Departments of the Government of India. This test was limited to eligible departmental candidates holding posts created exclusively for Hindi work in various Ministries Departments inecluding attached offices in scales of pay carrying a maximum of Rs. 425 —or more. Candidates who reached such minimum qualifying standard in the written test as was to be fixed by the Commission in their discretion, were to be fixed by the Commission in their discretion, were to be summoned by them for interview; the written test being intended to operate as an aid to screen candidates for interview.

(b) A departmental examination for selection of candidates for appointment as Hindi Assistants in the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme was held by the U. P. S. C. in June 1959. This examination was open to eligible U. D. Cs L. D. Cs. of the Central Sectt. Clerical Service.

(c) With gradually increasing number of Central Government employees being trained in Hindi under this Hindi teaching scheme it was not longer considered necessary to recruit Hindi assistants for dealing exclusively with Hindi work. For purpose of translations from Hindi to English and **vice-versa** Hindi trans lators have been appointed.

(d) and (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(f) Although posts of Hindi Officers are isolated posts, recruitment thereto falls within the purview of the Union Public Service Commission since such posts are Class II Gazetted posts. Recruitment to such posts will continue to be made by the Ministries concerned only through the U. P. S. C. and in accordance with the Recruitment Rules framed for the purpose, so long as the Rules are in force.

तामरचेरी के निकट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर बम फेंका जाना

5872. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 1969 को तामरचेरी के निकट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर एक देशी बम फेंकने के लिये कोई गिरफ्तारियां की गई थीं; और

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी ? और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में अन्तर्थस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स में नि:शुल्क यात्रा के हकदार अधिकारी

5873. **श्री जि० मो० विश्वास : क्या पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वर्गों के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स में नि:शुल्क यात्रा करने के हकदार हैं ;

(ख) वे किन विभागों तथा संगठनों के अधिकारी हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने अधिकारियों ने, वर्ग-वार, इन सुविधाओं का लाभ उठाया है ; और

(घ) इस पर कितना खर्च आया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)और (ख) एयर-इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स दोनों ही के विनियमों में उनके अपने-अपने कर्मचारियों के लिये नि:शुल्क / रियायती विमान यात्राओं की व्यवस्था इस शर्त के साथ की गई है कि यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति के बाद सीटें बचती हों। दोनों कारपोरेशनें अन्य विमान कम्पनियों के कर्मचारियों को तथा आई० ए० टी० ए० संकल्प संख्या 200 में जिन वर्गों के व्यक्तियों के लिये व्यवस्था की गई है उनको भी नि:शुल्क यात्रा सुविधायें प्रदान करने के लिए आबद्ध हैं।

(ग) और (घ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

Incidence of Suicide

5874 **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the incidents of suicides are increasing in the country ;

(b) the number of such cases during the last three years, year-wise ;

(c) whether it is also a fact that Britain and some other countries have accepted the principle that suicide is not a crime but it is a sin, and suicide has been excluded from the ambit of crime in those countries ; and

(d) if so, whether the Government of India also propose to amend the Indian law in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) From 1967 to 1968 there was an increase of 4.6% in the incidence of suicide cases. The nature of the trend from 1968 to 1969 will be known when figures for 1969 called for are available.

(b) A statement showing the information for the years 1967 and 1968 in respect of all States and Union Territories is attached. Information for the year 1969 is being obtained and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

[Placed in Library. See No. L.T.-3160/70]

(c) The Government of India have no information. The position is being ascertained.

(d) No such proposal is under consideration at present.

Maintenance of Airstrips

5875. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are several airstrips in the various parts of the country at present ;

(b) whether it is also a fact that most of them are in a neglected condition and consequently they are not being put to any use:

(c) if so, whether Government would take steps to ensure their proper maintenance;

(d) whether the entire maintenance expenditure on this account is borne by the Central Government or it is partly borne by the concerned State Governments also ;

(e) whether it is also a fact that residential colonies have been set up, cultivation is being done and factories are being set up near these airstrips ; and

(f) if so, whether Government are taking any steps to keep the public movement of these airstrips ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes , Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) the cost of maintenance of the aerodromes is fully borne by their respective owners viz., the Central Government/State Government/private parties as the case may be.

(e) No, Sir.

(f) Yes, Sir. Adequate watch and ward staff has been employed where necessary.

Improvements in management of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi

5876. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been no increase in the usable accommodation in the Ashoka Hotels Ltd., New Delhi inspite of its expansion made in the last year ;

(b) the number of visitors who stayed in the said hotel last year and how it compares with that in previous years ;

(c) whether Government propose to bring about an improvement in the management of the said hotel with a view to attract more visitors ; and

(d) the details of suggestions made by the Consultant firm which was entrusted with the work of proposing improvements in the management of the said hotel ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There has been no expansion of accommodation in the Ashoka Hotel ; only renovation has been undertaken.

(b)

Year	No. of guests
1969-70 (upto 27-3-1970)	1, 26, 723
1968-69	1, 21, 707
1967-68	1, 22, 093
Main Hotel	
Annexe (25-1-1968 to 31-3-1968)	9, 789

The occupancy in 1969-70 was higher than in 1968-69. The year 1967-68 is not comparable because the UNCTAD Conference was held in that year and many delegates stayed in the Ashoka Hotel for about two months.

(c) Efforts are constantly made to improve the facilities and management of the hotel.

(d) Suggestions on working procedures were received from a firm of business Consultants appointed in 1968, which have received careful consideration.

Development of Means of Communications Between Srinagar and Leh

5877. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Atam Das :**

Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the recommendations made by the Gajendragadkar Commission, wherein the need for the development of means of communications between Srinagar and Leh has been emphasised ; and

(b) if so, the steps taken by the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) ; (a) & (b) The Gajendragadkar Commission was appointed by the Government of Jammu and Kashmir and the Commission submitted its recommendations to the State Government. It is now for the State Government to consider and arrange to implement the recommendations of the Commission.

Enquiry against office bearers of Lal Bahadur Shastri Rashtriya Vidyapeeth, Delhi.

5878. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2785 on 8th August, 1969 regarding the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Vidyapeeth, Delhi and State :

(a) the dates on which the allegation against the Director and other officers of the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Vidyapeeth were received and the dates on which they were refferred to the Central Bureau of Investigation for enquiry ;

(b) the complete details of the said allegations ;

(c) whether the special enquiry has since been completed and, if so, the findings thereof and the action taken against the officers found guilty ; and

(d) if the enquiry has not so far been completed, the reasons for the delay and the date by which the enquiry is likely to be completed ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) ; (a) The allegations were received in March-April, 1968 and after departmental scrutiny, they were referred to the Central Bureau of Investigation for detailed investigation on the 7th September, 1968.

(b) The allegations relate to administrative and financial irregularities e. g, irregular payments of scholarships, non-maintenance of proper attendance registers, non-observance of the financial rules in regard to the use of the funds of the Institute.

(c) The Central Bureau of Investigation have since completed their investigation and submitted their report. They have recommended institution of departmental disciplinary

proceedings against the delinquent officials of the Vidyapeeth. The recommendation of the Central Bureau of Investigation was considered by the Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth Sabha in its meeting held on the 16th March, 1970 and it was decided to accept the recommendation of the Central Bureeu of Investigation. Further necessary action in this regard is being processed.

(d) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में अन्तर्दल मुठभेडों में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग

5879. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में 1969-70 संयुक्त मोर्चा शासन में अन्तर्दल मुठभेड़ों तथा घेराओं और भूमि जब्ती आन्दोलनों के दौरान खुलेआम तथा बार-बार आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया था ;

(ख) क्या संयुक्त मोर्चा गृह मन्त्रालय ने साम्यवादी (मार्क्सिस्ट) दल के सदस्यों को छोटे अस्त्रों तथा बन्दूकों के लिये भारी संख्या में लाइसेंस जारी किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो कितने ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

विद्यार्थियों के लिये रात्रि अध्ययन गृह

5880. **श्री वि० नरसिन्हा राव** : क्या **शिक्षा तथा युवा सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उन विद्यार्थियों के लिये रात्रि अध्ययन गृह योजना चालू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो अपने घरों पर पर्याप्त सुविधाओं के न होने के कारण अध्ययन कठिनाई महसूस करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना चालू न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठना ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दैनिक छात्रगृह / गैर आवासी छात्र केन्द्र योजना का उद्देश्य दिन के छात्रों को कालेज / विश्वविद्यालय में उनके खाली समय में अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना है । कुछ विश्वविद्यालय दैनिक छात्रगृह को सायं काफी देर तक खुला रखते हैं ताकि विद्यार्थियों को सुविधा अधिक देर तक उपलब्ध हो सके । फिर भी, गैर आवासी छात्रों के अधिक भाग के लिए यातायात तथा अन्य समस्याओं के कारण रात्रि अध्ययन-गृह की व्यवस्था अधिक उपयोगी नहीं होगी ।

Disposal of letters in the Ministry of Education received from Members of Parliament.

5882. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them to which final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying to the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters, to which replies had been sent, were not replied to and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Disposal of letters received in the Deptt. of Parly. Affairs from Member of Parliament

5883. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Department from Members of Parliament during the period from 1st January 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them to which final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying to the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies had been sent, were not replied to and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghurmaiah): (a) 214 letters were received during the period from 1.1.1969 to 28.2.1970. These letters pertain to various matters relating to the following subjects :—

1. Allotment of Jeeps, Cars and Scooters to M. Ps;
2. Supply of TV sets ;
3. Supply of seeds of improved varieties etc. ;
4. Residential Government Accommodation and allotment of sites for construction of houses ;
5. Visits of Members of Parliament to various places in India and abroad ;

6. Salaries & Allowances, TA/DA and telephone facilities to Members of Parliament ;

7. Supply of surplus English Typewriters ;

8. Nomination of Members of Parliament to various Boards, Committees Commissions etc. ;

9. Discussion on various matters in Parliament ;

10. Air lifting of dead bodies of Members of Parliament ;

11. Code of Conduct for Political Parties ; and

12. Miscellaneous matters.

(b) 156 letters were replied to finally in quickest possible time ranging from 1 day to 4-5 months, depending upon the nature of information required in individual cases. The Department being a coordinating organisation, time was taken in several cases in collecting information from various Ministries Departments and State Governments.

(c) The remaining letters needed no reply. The contents of the letters were passed on to the concerned Departments/Ministries as necessary. We are aware of the directives of the Prime Minister in this regard.

(d) No. Sir.

(e) Replies were sent, where necessary, covering all important points raised in the letters.

Disposal of letters received in the Ministry of Tourism and Civil Aviation from Members of Parliament.

5884. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them to which final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying to the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies had been sent, were not replied to and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (e) A very large number of letters have been received from Members of Parliament in this period on a wide variety of subjects. It is my policy and consistent endeavour to reply personally to all letters addressed to me as quickly as possible. Letters addressed to me by Members of Parliament largely relate to the development of tourism, the introduction of new air services, change in timings of air services and administrative matters including the transfer of various grades of employees. The detailed information required by the hon'ble Member would not, however, be commensurate with the time and labour involved in collecting it.

Disposal of Letters Received in the Ministry of Shipping & Transport from Members of Parliament

†5885. **Shri Bansh Narain Singh** **Shri Ram Swarup Yidyarthi** :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them to which final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying to the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies had been sent, were not replied to and, if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Trnsport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Disposal of Letters Received in the Ministry of Home Affairs from Members of Parliament.

5886. **Shri Bansh Narain Singh** : **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of letters received by him and his Ministry from Members of Parliament during the period from 1st January, 1969 to 28th February, 1970 and the subject of each of them ;

(b) the number out of them to which final replies have been sent and also the approximate time taken in sending the replies ;

(c) the reasons for not replying to the remaining letters and whether he is aware of the directives of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether undue delay is caused in replying to the letters of Members of Parliament so that the issues raised therein lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether certain points raised in the letters to which replies had been sent, were not replied to and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e) During the period 1st January 1969 to 28th February 1970, 2302 letters were received by the Minister of Home Affairs and the Ministry of Home Affairs from Members of Parliament. Of these, final replies have been sent to 1740 letters. By and large, replies were sent within two weeks to six weeks. 308 letters did not call for a reply or a reply was not considered necessary as they were acknowledgments or for information or the position had been explained to the Members of Parliament orally or in reply to questions in Parliament or, where they related to complaints of a local nature, by the local authorities concerned.

33 letters related to matters which were not the concern of the Home Ministry. They were transferred for suitable action to the Ministries/Departments concerned. The issues raised in 221 letters are under examination in consultation with other Ministries Departments, State Governments etc.

The collection of information in respect of the subject-matter of each letter will involve time and labour which will not be commensurate with the results.

The directions of the Prime Minister are kept in view in dealing with letters from Members of Parliament. In many cases it becomes necessary to collect information from or consult with other Departments, State Governments etc. before the issues raised can be examined properly. Collection of information and consultation takes time. Where all the points raised in a letter cannot be answered promptly, an interim reply is given.

शिक्षा सम्बन्धी योजना और प्रशासन पर गोष्ठी

5887. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी योजना और प्रशासन पर हुई गोष्ठी द्वारा सरकार को कुछ सिफारिशें भेजी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी आयोजना तथा प्रशासन की समस्याओं पर गोष्ठी में चर्चा हुई थी और बहुत सी सिफारिशें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं :—

(i) शिक्षा के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना के परिव्यय का 20 प्रतिशत से कम कोटि-सुधार की योजनाओं के हेतु निश्चित न किया जाए।

(ii) विज्ञान के पढ़ाने, स्कूल कम्पलेक्सज के निर्माण, शिक्षकों व पर्यवेक्षकों के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं की व्यवस्था तथा प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाने की व्यवस्था में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए चौथी आयोजना में विशिष्ट व्यवस्था की जाए।

(iii) इस प्रयोजन के लिए विकसित करने के हेतु सौद्देश्य सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित आधार पर प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों के रूप में उन्नत किया जाए।

(iv) राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित की गयी भण्डारी समिति की सिफारिशों को पंचायत समिति के शिक्षकों के बारे में पूर्णत: स्वीकार कर लिया जाए।

(v) स्कूल कम्पलेक्सज का निर्माण, कार्य अनुभव की शुरुआत, संस्था सम्बन्धी आयोजनाओं का निर्माण, परीक्षा सुधार तथा उनके सम्बन्ध में मामलों के अध्ययन के प्रकाशन की व्यवस्था, जैसे शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों तथा परिवर्तनों की प्रगति के पर्यवेक्षण तथा पुनरीक्षण के हेतु समुचित तंत्र स्थापित किया जाए।

(ग) सिफारिशें राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाई के लिए भेज दी गयी हैं क्योंकि वे राजस्थान राज्य से सम्बन्धित हैं ।

नक्सलवादियों द्वारा हमले के कारण कलकत्ता में छवीगृहों के मालिकों को क्षति

5888. **श्री बाल्मीकी चौधरी :** **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता में "प्रेम पुजारी', तथा "धरती" नामक चलचित्रों को प्रदर्शित कर रहे छविगृहों पर पीकिंग समर्थक नक्सलवादियों द्वारा हमला किये जाने के कारण छविगृह मालिकों को कितनी हानि हुई ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में सामान्य कारोबार चालू करने के लिये चलचित्र उद्योग में फिर ये विश्वास पैदा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ते में "धरती" नामक चलचित्र को प्रदर्शित करने वाले किसी छविगृह पर कोई हमला नहीं हुआ । "प्रेम पुजारी" नामक हिन्दी चलचित्र को प्रदर्शित करने वाले उन छविगृहों में हुई हानि की राशि का अलग-अलग सिनेमा मालिकों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है जिन पर 3 मार्च, 1970 को हमला हुआ था ।

(ख) इन घटनाओं के सम्बन्ध में पांच मामले दर्ज किये गये हैं और कानून के अनुसार छानबीन की जा रही है । 36 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में अनुसूचित जातियों के प्राध्यापकों के पदों का आरक्षण

5889. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अनुवर्ती शिक्षा स्कूल में प्राध्यापकों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त स्कूल में इस समय अनुसूचित जातियों के कितने प्राध्यापक हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) उच्च शैक्षणिक स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के नियमों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए किसी प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) कोई नहीं ।

राज्यपालों का सम्मेलन

5890. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राज्यों के राज्यपालों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) उपर्युक्त चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) राज्यपालों का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष देश के सामान्य हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए होता है। सम्मेलन में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिए जाते हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 दिसम्बर, 1969 को हुये सम्मेलन में राज्यपालों ने राज्यों की राजनैतिक और प्रशासनिक स्थिति तथा देश की आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया था।

सिबसागर जिले में आसाम नागालैंड सीमा के कारण तनाव की स्थिति

5891. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दंडपाणि :
श्री स० कु० तापड़िया :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र नागाओं द्वारा आसाम के देहातों से जबरदस्ती लगान वसूल करने की घटनाओं और नागालैंड पुलिस द्वारा आसाम पुलिस के कार्य में कथित हस्तक्षेप करने के कारण सिबसागर जिले में नाजिरा के निकट आसाम-नागालैंड सीमा के सम्बन्ध में तनाव बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई निदेश जारी किये हैं कि वे देश में इस प्रकार की स्थिति न पैदा करें ; और

(ग) क्या उक्त दो राज्यों के बीच इस प्रकार के सीमा सम्बन्धी झगड़े निपटाने के लिए कोई कार्यवाही किये जाने के संबन्ध में विचार किया जा रहा है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस क्षेत्र में तनाव के बढ़ने के कोई समाचार नहीं हैं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये गए हैं कि दोनों सरकारों को वर्तमान अन्तर-राष्ट्रीय सीमा के परे अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

Imposition of Restriction of Fees Charged by Public Schools

5892. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number, names and addresses of the Public Schools and other Schools functioning on the lines of the Public Schools, in Delhi and New Delhi, separately ;

(b) the amount of fees charged, Class-wise, in each of these Schools ;

(c) the reasons for not imposing any restrictions on the fees charged by these Schools ;

(d) whether it is a fact that the persons belonging to the middle and low-income groups are not able to send their children to these Schools because of the exorbitant fees charged by them ; and

(e) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e) : Necessary information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

सिंघभूम में नक्सलवादियों की गैर-कानूनी गतिविधियां

5893. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंघभूम जिले के बंगाल-बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में गोपीवल्लभपुर, बहरगौड़ा तथा अन्य समीपवर्ती गांवों में नक्सलवादी हत्यायें तथा लूट-पाट कर रहे हैं जिससे वहां हाल में बहुत अराजकता और आतंक फैल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Provision of Facilities for making Journey to Religious Places Comfortable

5894. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to make the journey to the famous religious places and dhams such as Badri Nath, Amarnath, Vaishno Devi, Kanya Kumari etc. in the country, comfortable ; and

(b) the steps being taken by Government to save the pilgrims from the menace of beggars, Pandas, and leprosy patients at the said religious places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) These functions are mainly the responsibility of the State Governments concerned. The Department of Tourism has, however, made a number of improvements to rest houses along important pilgrim routes. Tourist bureaux and low income group rest houses have also been set up at a number of places.

Collection of Idols in Madhya Pradesh

5895. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Arcoaehlogical Department of the Government of India is collecting idols from the ancient places and ruined temples in Madhya Pradesh ;

(b) whether the said idols are being kept at one place or sent somewhere else ;

(c) the details of the idols collected and the name of the place where they have been kept ; and

(d) the action taken to check theft of idols and their sale by the persons committing such thefts while these are being kept at the said place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Yes, Sir. The Archaeological Survey of India is collecting loose sculptures from such Centrally protected monuments as are located in out of the way places.

(b) As far as possible loose sculptures are taken to places of safety in the concerned monuments. Where this is not possible sculpture sheds are specifically constructed for the purpose in central places near the monuments.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) The arrangements made for the safety of these sculptures at different centres are being ascertained and the information will be placed on the Table of the House.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की प्रतिकूल प्रविष्ठयां

5896. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री जय सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग और अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों की 1968 की गोपनीय रिपोर्टों में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बारे में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रविष्टि की प्रति सम्बन्धित अधिकारियों को दी गई थी और यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्बद्ध कर्मचारियों को इस टिप्पणियों के बारे में लगभग डेढ़ वर्ष बाद सूचित किया गया था और क्या ऐसा करना स्थायी नियमों के अनुसार है ; और

(घ) क्या मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये आदेशों तथा संसद में इन आशय की घोषणा किये जाने के पश्चात्, कि सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार सेवा में आये व्यवधान को समाप्त किया जाएगा, के पश्चात्, उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियां की गई थीं तथा उनकी प्रतियां कर्मचारियों को सप्लाई की गई थीं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग ने सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अपने कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में, ऐसे भाग लेने के तथ्य के बारे में हड़ताल के बाद प्रविष्टि की थी। प्रारम्भ में इस प्रविष्टि की सूचना सम्बन्धित कर्मचारियों को नहीं दी गई थी क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया और कर्मचारी हड़ताल में अपने भाग लेने से पूर्णत: अवगत थे। किन्तु

बाद में यह निर्णय किया गया कि उक्त प्रविष्टि की सूचना देनी चाहिए, जैसा कि स्थायी अनुदेशों में अपेक्षित है और 5 मार्च, 1970 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसा किया गया था। संबन्धित कर्मचारियों को प्रविष्टि की सूचना 2 मार्च, 1970 को गृह मन्त्रालय में मन्त्री द्वारा लोकसभा में दिये गए वक्तव्य के अनुसरण में इस मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के बाद किन्तु उक्त आदेशों के संघ लोक सेवा आयोग में प्राप्त होने से पहले दे दी गई थी। किन्तु इस सूचना से सर-सरकार द्वारा घोषित छूटों पर किसी भी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता।

अन्य कार्यालयों के बारे में सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि उन कार्यालयों के नाम प्रश्न में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

Employees on Daily Wages Appointed to Posts of L. D. Cs. and to Class IV Posts

5897. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees on daily wages (part time) have been appointed to the posts of Lower Division Clerks and to Class IV posts in the Union Ministries and Departments ;

(b) if so, the number of those who have put in more than three months, service, Ministry-wise and Department-wise ;

(c) whether Government propose to appoint them on regular basis at an early date and, if so, the time by which they would be daclared as regular employees ; and

(d) if not, the reasons for neglecting these low paid employees ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) and (d) General instructions already exist according to which part-time casual labourers are eligible for appointment to Class IV posts on the regular establishment which are required to be filled by direct recruitment subject to their satisfying the conditions laid down in Ministry of Home Affairs O. M. No. 16/5/68-Estt (D), dated 5th July, 1968. However, clerks engaged on daily wages (part-time) can be appointed to the regular establishment, if they are nominated by the Employment Exchanges against regular vacancies of Lower Division Clerks notified to them, or if they compete successfully in the examination held by the Union Public Service Commission for recruitment to posts which are included in the Central Secretariat Clerical Service.

Conversion of Posts of Hindi Translators into Hindi Assistants

5898. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** **Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to convert the posts of Hindi Translators into those of Hindi Assistants and to hold an Examination for them through the U. P. S. C. ;

(b) whether a regular Assistant on English side is considered more efficient and is required to have more command on Hindi as well as on English than a Hindi Translator ; and

(c) whether, the reasons for according lower status to Hindi Translators tha regular Assistants (English) is the anti-Hindi attitude of certain senior Officers in his Ministry as also the lack of knowledge of Hindi of those Officers who create various obstructions in the progress of Hindi in order to save themselves from the inconvenience caused to them on this account.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) The duties and responsibilities attached to posts of Assistants are quite different from those attached to posts of Hindi Translators and the requirements of these two categories of posts can not be compared.

(c) No, Sir.

Appointment of Hindi Translators

5899. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** **Shri Hardayal Devgun .**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministry of Law and some other Ministries make appointments to posts of Hindi Translators through the UPSC, while his Ministry and some other Ministries make such appointments themselves ;

(b) whether it is proposed to have regular cadre of Hindi Assistants, Translators and Hindi Officers ; and

(c) if so, the time by which such a cadre will be formed and if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There are posts of Translators in the Ministry of Law in Class II. The post of Hindi Translators in the Ministry of Home Affairs are in Class III. Class II posts come within the purview of the U. P. S. C. and therefore, recruitment to the posts of Translators if they are in class II are made through U. P. S. C. The selection to posts of Hindi Translators in the Ministry of Home Affairs and other Ministries which are in Class III are not required to be made through the U. P. S. C.

(b) & (c) There is no such proposal at present. All such posts are isolated posts created by Ministries themselves according to their requirements and filled by them with reference to the relevant recruitment rules. There are no higher posts to which the holders of such isolated posts could be promoted directly.

Appointment to posts of Hindi Translators

5900. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** **Shri Hardaval Devgun :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Administrative Officers in various Union Ministries and Offices and the Officers authorised to make appointments to the posts of Hindi Translators fear that if avenues of promotions are opened for the Hindi Assistants, Hindi is likely to make way in the Secretariat through them as 'Assistant' word is suffixed with their designation ;

(b) whether it is also a fact that while making appointments to the posts of Hindi Translators (in the pay scales of Rs. 320-530 and Rs. 325-575) preference is given to those

Hindi Assistants and Hindi Translators (Pay scale Rs. 210-425) who have been appointed on ad-hoc basis by various Ministries over those appointed by his Ministry on the basis of 1959 Examination of the Union Public Service Commission and the former are placed in a better and higher position so that the interest of those ad-hoc appointees is protected even in future also ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) Posts of Hindi Translators, in the pay scales of Rs. 320-530 and Rs. 325-575, are isolated posts created by the different Ministries with reference to their requirements. Appointments to these posts are made by the Ministries themselves in accordance with the provisions of the relevent recruitment rules framed for the purpose. It is open to the Ministries concerned to consider the Hindi Assistants recruited on the results of the 1959 UPSC examination along with others while making such appointments if they fulfil the requirements under those rules.

Service conditions and channels of Promotion of Hindi Assistants before and after Decentralisation of Central Secretariat Service.

5901. **Shri Narayan Swaroop Sharma.** **Shri Hardayal Devgun.**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the date when the Central Secretariat Service was decentralised ;

(b) the service conditions and channel of promotion in respect of the Hindi Assistants before and after the decentralisation respectively and the details of orders issued by his Ministry in respect of the said persons at the time of decentralisation ;

(c) whether it is a fact that in his Ministry itself there are one or two Class II (non-gazetted) posts of the Hindi Assistants and that some posts of the Hindi Assistants are Class III (non-gazetted) ;

(d) if so, whether Government propose to declare all the Hindi Assistants working in various Ministries and offices of the Government of India as Class II (non-gazetted) employees ; and

(e) if not, the reasons, for the said discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) 1st October, 1962.

(b) Post of Hindi Assistants are isolated posts and they do not belong to anyi organised service. Their conditions of service are governed by the rules framed by the Ministries themselves. There are no higher posts in direct line of promotion for Hind. Assistants. As posts of Hindi Assistants do not form part of the Central Sectt. Service the orders issued in respect of decentralisation of the CSS do not apply to Hindi Assistants.

(c) All the posts of Hindi Assistants in the Ministry of **Home Affairs** are Class III (non-Gazetted).

(d) and (e) Do not arise.

पुलिस गोली बारी में एस० पी० ए० गोलियों का प्रयोग

5902. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस द्वारा गोली चलाने में एस० पी० ए० गोलियों का प्रयोग बन्द करने का विचार किया है क्योंकि इनसे मानक (स्टैंडर्ड) 303 गोलियों की अपेक्षा ज्यादा व्यक्ति (हताहत) होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एस० पी० ए० गोलियों को मानक 303 गोलियों के बराबर प्रभावकारी बनाने किन्तु इसे भीड़ को तितर-बितर करने के कार्य में व्यक्तियों को कम हताहत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया था कि इसे तब तक प्रयोग न किया जाये जब तक कि आगे किये जा रहे परीक्षण पूर्ण नहीं हो जाते हैं और एक निश्चित अपेक्षाओं वाली कोई गोली की खोज नहीं हो जाती है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को रियायत

5903. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने हायर सेकण्ड्री परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबन्ध में सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को रियायत दे सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि कला तथा वाणिज्य के पास पाठ्यक्रमों में दाखिले की पात्रता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक तथा विज्ञान के पास पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने के लिए दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट पहले से ही दी जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

5904. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाएं देने पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) इसी अवधि में राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों के कितने बच्चे सरकारी खर्च पर विदेशों में गये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) योजना में, विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था नहीं है ।

विवरण

(क) राज्यों में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियों तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय अंश के रूप में राज्यवार निम्नलिखित राशि खर्च की गई है ।

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	मन्जूर सहायता का केन्द्रीय अश		
	1967-68	1968-69	1969-70
	रु०	रु०	रु०
1–आन्ध्र प्रदेश	96,097	64,065	64,065
2–बिहार	16,359	22,420	7,182
3–गुजरात	9,136	93,850	64,766
4–केरल	6,000	9,407	15,204
5–मध्य प्रदेश	32,727	32, 236	80,541
6–मद्रास	45,719	9,148	55,283
7–महाराष्ट्र	1,07,840	60,000	60,000
8–मैसूर	1,75,872	11,371	28,350
9–उड़ीसा	45,566	37,347	—
10–पंजाब	—	1,01,069	1,17,084
11–हरियाणा	--	76,532	1,04,232
12–राजस्थान	9,047	7,709	30,321
13–उत्तर प्रदेश	1,94,635	1,94,640	1,94,640
14–पश्चिम बंगाल	—	1,16,378	74,614
15–जम्मू और काश्मीर	--	449	411
16–दिल्ली	15,836	36,774*	25,658
17–गोवा, दमन और दीव	33,850	24,470, 66	24,183
18–पाण्डिचेरी	23,562	22,955	23,000
19–मणिपुर 20–त्रिपुरा 21–हिमाचल प्रदेश	} सूचना की प्रतीक्षा है		

*1969-70 में अदा की गई ।

ईसाई नागाओं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं

5905. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं में केवल ईसाई ही ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अलग राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी ये महत्वाकांक्षाएं गैर-ईसाई नागाओं सहित अन्य भारतीयों से भिन्न हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के विभाजन के बारे में प्रस्ताव

5906. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को लोक सभा के किसी सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है कि वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विभाजन का विचार त्याग दें ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र में क्या लिखा है ; और

(ग) उस पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) जी हाँ । माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर) का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए और कि सरकार समिति से अनुरोध किया जाना चाहिये कि अपनी रिपोर्ट के द्वितीय भाग को शीघ्र भेजें । उन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कर्मियों की समस्याओं में से कुछ पर टिप्पणी भी की है ।

सरकार के सामने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान के 'विभाजन' जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी यह यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न प्रयोगशालाओं को उस मंत्री के चार्ज के अन्तर्गत सीधे स्थापित किया जाना चाहिये जो उनके साथ कार्यरूप से अधिक सम्बंधित हैं । यह सुझाव अभी तक जांच की बिल्कुल प्रारम्भिक स्थिति में ही है । सरकार समिति की रिपोर्ट के अन्तिम भाग की सरकार प्रतीक्षा भी कर रही है ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तैनात करना

1065. **श्री रवि राय :** **श्री आदिचन :**

श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि भारत सरकार ने 27 मार्च, 1970 को बंगाल बंद के अवसर पर बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तैनात की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ टुकड़ियां केवल पश्चिम बंगाल में में रखी गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघों और संगठनों को मान्यता देने के लिये नये नियम

5908. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्यचारी संघों और संगठनों को मान्यता देने के लिये नये नियम बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती मामलों को वापस लेना

5909. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री रा० रा० सिंहदेव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती मामले वापस ले लिये जाएं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार की नीति यह है कि कानून को अपनी कार्यवाही करने दी जाय और न्याय के सामान्य मार्ग में हस्तक्षेप न किया जाय। फिर भी, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन मामलों में, जिनमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाइयों को समाप्त करने की दृष्टि से विचाराधीन मुकदमों की संवीक्षा करवाई जाय।

दिल्ली प्रशासन की राजस्व परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा स्वीकृति दिया जाना

5910. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा 1.5 करोड़ रुपये की राजस्व परियोजनाओं पर संभवतया कार्य आरम्भ न किया जा सके क्योंकि उनके लिये केन्द्र से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 15 लाख रुपये तक की वित्तीय लागत के मामलों में उप-राज्यपाल को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार है । उससे ऊपर की लागत के मामलों को संबंधित मंत्रालयों को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है । चूंकि इन मामलों के व्यापक फलितार्थ हैं, अत: प्रायोजना को पूरा करने के लिये प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले अलग-अलग मंत्रालयों को सूक्षम परीक्षण करना पड़ता है । कभी-कभी ऐसे विलम्ब को टाला नहीं जा सकता ।

राज्यपालों तथा राजदूतों के पदों पर नियुक्तियाँ

5911. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नई कांग्रेस' के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों और संसद् सदस्यों को, जो 1967 के आम चुनाव में हार गये थे, राज्यपाल तथा राजदूत नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति किसी उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति के परामर्श से की गई थी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी नियुक्तियां संसद-सदस्यों की समिति, जिसमें सभी दलों के सदस्य हों, की सलाह से की जायगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुछ भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों/उपमंत्रियों को, जो 1967 के आम चुनावों में पुन: निर्वाचित नहीं हुए, राजदूत नियुक्त किया गया है न कि राज्यपाल। वे जनवरी, 1969 से पहले नियुक्त किये गये थे, अत: यह प्रश्न नहीं उठता कि क्या वे नई कांग्रेस दल के थे ।

(ख) ये नियुक्तियाँ किसी उच्च स्तर सलाहकार समिति के परामर्श से नहीं की जाती हैं । चूंकि राजदूत की ड्यूटी उसके प्रत्यापन के देश में भारत सरकार की नीतियों की विवेचना करना है, अत: ऐसी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

Limit of Number of Padma Awards on Republic Day.

5913. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Home** Affairs be pleased to state :

(a) whether any maximum limit has been fixed as regards the number of persons to be selected for giving Padma Awards every year on the Republic Day ;

(b) the total number of persons who have so far been given such Awards ; and

(c) whether Government would consider reducing the number of persons to be awarded each year so that they, like those who are awarded Nobel Prize, could feel a real sense of respect ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No, Sir.

(b) 840.

(c) The number of awards given so far cannot be regarded as detracting from the real sense of respect attached to the awards. Taking into consideration the population of the country and the large number of the fields of activity in which public service may be rendered, it may not be practicable to limit the awards to a very small number.

Award of Prize for Books in Ladakhi Language

†5914. **Shri Kushok Bakula.** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any book in Ladakhi language ever received a prize from amongst the books and other works of literature invited for this purpose for the benefit of neo-literates ;

(b) it so, the details thereof ; and

(c) if not, whether Government would pay attention in this regard in future ?

The Minister of Education and Youth Services (DR. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Scheme of Prize Competitions of Books for Neo-literates is confined only to the languages included in the Seventh Schedule of the Constitution, excepting Sanskrit.

Buddhists in the Country

5915. **Shri Kushok Bakula.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Buddhists in the country according to the last census ;

(b) the number of those out of them who are Buddhists by birth and those who have adopted Buddhism later ;

(c) whether the persons who have adopted Buddhism later have also been accorded the same facilities as have been given to Harijans ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla). (a) 3,256,036 according to the last census of 1961.

(b) The requisite information is not available.

(c) & (d). Scheduled Caste converts to Buddhism are not given any concessions or facilities as given to Scheduled Caste candidates. The reason is that no person professing a religion other than Hinduism or Sikhism is deemed to belong to a Scheduled Caste as it is only in those two religions that the practice of untouchability is countenanced.

Employment of personal Staff of Rulers of former Indian States.

5916. **Shri Kushok Bakula.** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for providing alternative employment to personal staff of the Rulers of the former Indian States and to the various categories of workers employed in their places who would be rendered jobless after the abolition of privy purses ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) Government have no proposals in this connection.

(b) Does not arise.

पश्चिमी दिनाजपुर जिले के लोगों द्वारा पुलिस दल से हथियारों का वापस लिया जाना

5917. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जनवरी, 1970 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले, सोनागांव ग्राम में लोगों ने एक पुलिस दल से हथियार वापस ले लिये थे तथा उनको एक प्रकार से बन्दी बना लिया था ;

(ख) क्या एक प्रकार से 'बन्दी बनाये गये' पुलिस दल को छुड़ाने के लिये जो सशस्त्र पुलिस भेजी गई थी, लोगों द्वारा उसके 29 सिपाही तथा एक इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल कर दिये गये थे ; और

(ग) 'बन्दी' बनाये गये पुलिस मैनों से ग्रामवासियों ने कितने हथियार तथा कितना गोला-बारूद छीन लिया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 जनवरी, 1970 को एक पुलिस दल से वेस्ट दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने के क्षेत्र के खारीगोपालपुर, गोविन्दपुर, सोनागांव तथा अन्य गांवों के कुछ व्यक्तियों द्वारा हथियार उतार लिए गए थे और उसे घेर लिया गया था । उनको बचाने के लिए भेजे गए दल में से एक निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक तथा 11 कांस्टेबल भीड़ द्वारा घायल किये गये ।

(ग) भीड़ ने छः राइफलें, गोला बारुद के 100 राउण्ड, म्यान सहित छः संगीन तथा कपड़े के छः पौच छीन लिए । अब राइफलें गोला-बारुद के 80 राउण्ड, दो संगीन, एक स्थान तथा कपड़े के 2 पौच बरामद कर लिए गए हैं ।

All India Museum Conference, Varanasi

†5918. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an All India Museum Conference was held in Varanasi in the second week of March, 1970 ;

(b) if so, the topics which came up for discussion thereat ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Youth Services (SMT. Jahanara Singh) : (a) Yes, Sir. It was organized by the Museums Association of India which is a private body.

(b) It is under stood that the Conference discussed six written papers on different aspects of research which could be undertaken by museums of different categories such as Archaeology, Technology and Science, Anthropology, Decorative Art, Natural History, etc. It is reported that besides the above-mentioned written papers, speakers introduced four other topics including training of Museum personnel for research, which were also considered.

(c) No formal request has been received for any action by the Government.

Proposal to from Tourist Police Force in Delhi

5919. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri R. Barua :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to form a Tourist Police Force in Delhi ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time bs which the said Force is likely to start funetioning ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) & (b) : A pilo s cheme to post tourist police at key points of tourist interest in Delhi is being introduced in consultation with the Delhi Administration. The details are being worked out.

(c) By 30.6.1970.

उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों में कमी

5920.**श्री स० कुन्दू** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदों की संख्या घटा दी है और भारतीय पुलिस सेवा के पदों की संख्या बढ़ा दी है ; और

(ख) यदि हां, हो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) त्रिवर्षीय पुनरीक्षण के आधार पर अभी हाल में उड़ीसा के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की रचना का संशोधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उड़ीसा के भारतीय पुलिस सेवा की अधिकृत संख्या 92 से बढ़कर 99 हो गई है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है निम्नलिखित सात पद बढ़ा दिये गये हैं और यातायात नियंत्रक का एक पद हटा दिया गया है :—

1. पुलिस उपमहा निरीक्षक (परास) —	1
2. पुलिस उप महानिरीक्षक (अन्वेषण तथा रेलवे)—	1
3. पुलिस के सहायक महा निरीक्षक (सतर्कता)—	1
4. पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा)—	1

5. पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा)	1
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	2
7. विभिन्न आरक्षणों तथा कोटे में परिणामी वृद्धि (वास्तविक)—	1
	8
समाप्त किये गये पद को घटाकर—	1
वास्तविक वृद्धि—	7

त्रिवार्षिक पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उड़ीसा के आई० ए० एस० संवर्ग को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक

5921. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों की फरवरी, 1970 में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये बैठक में कोई फार्मूला निकाला गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । उत्तरी क्षेत्र राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों की एक बैठक चण्डीगढ़ में 16 से 19 फरवरी, 1970 तक हुई थी ।

(ख) यह सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र राज्यों के लिये एक समान पुलिस नियम पुस्तिका तैयार करने के सम्बन्ध में हुआ था और इसमें प्रस्तावित नियम पुस्तिका के कुछ अध्यायों पर सविस्तार विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । यह विषय इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिये कार्य-सूची का भाग नहीं था ।

फरवरी, 1970 में एथन्स में हुए हवाई डकैती सम्बन्धी सम्मेलन में एयर इंडिया द्वारा भाग लिया जाना

5922. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने फरवरी, 1970 में एथन्स में हवाई डकैती सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन अन्य देशों ने भाग लिया ; और

(ग) इसमें क्या निर्णय किये गये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक सूचना नहीं है ।

Ceutral Government Grants to various Private Institutions

5923. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of grants given by the Central Government to various private colleges, schools and other private educational institutions during the last three years ;

(b) the criteria on which the said grants were given ; and

(c) the amount out of the said grants actually spent and the action taken by Government to ensure the proper utilization of these grants ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

'माओ' को मनीपुर नार्थ 'डिस्ट्रिक्ट' का मुख्यालय बनाने की मांग

5924. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर नार्थ डिस्ट्रिक्ट में माओ के लोगों ने फरवरी, 1970 के महीने में किसी समय मनीपुर के उपराज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें माओ को उक्त जिले का मुख्यालय बनाने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह मॉग की गई है कि नव निर्मित मनीपुर (नार्थ) डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय 'माओ' होना चाहिए।

(ग) जनता द्वारा किये गये सभी अभ्यावेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखने के पश्चात् मनीपुर सरकार ने मनीपुर (नार्थ) डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय के रूप में 'केरंग' का चयन किया है ।

मनीपुर में व्यायाम शिक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

5925. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक** सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयों को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमाधारी शिक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ा दिया जाये और उनके लिये प्राध्यापकों के वेतन के समान वेतन नियत किया जाना चाहिये;

(ख) क्या गोहाटी विश्वविद्यालय के व्यायाम शिक्षकों को आसाम में प्राध्यापकों का वेतन-मान दिया जाता है;

(ग) क्या मनीपुर में अर्हता प्राप्त व्यायाम शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और उनके वेतनमान भी अलग-अलग हैं; और

(ग) क्या मनीपुर में व्यायाम शिक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जायेगा और क्या विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार उनको प्राध्यापक का वेतनमान दिया जायेगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना मनीपुर प्रशासन और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर राजकीय परिवहन के लिये खरीदी गई मोटरगाड़ियां

5926. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राजकीय परिवहन के लिये पिछले तीन वर्षों में कितनी मोटरगाड़ियां खरीदी गईं ;

(ख) कितनी मोटरगाड़ियां को अभी सप्लाई किया जाना है और उक्त अवधि में कितनी मोटर गाड़ियों के लिये क्रयादेश दिये गये थे ;

(ग) मनीपुर सरकार से क्रयादेश प्राप्त करने वाली तथा उनकी मोटरगाड़ियां सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) खरीदी गई मोटरगाड़ियां पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है और सप्लाई होने वाली मोटरगाड़ियों पर और कितनी राशि व्यय की जायेगी ; और

(ङ) कितनी मोटरगाड़ियां खरीदी गई हैं और वे किस किस्म की हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 63

(ख) 8 टाटा मर्सीडीज बेन्ज बस चेसिजों की अभी पूर्ति की जानी है ।

(ग) (1) मेसर्स टाटा लोको-मोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

(2) मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता

(3) मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई ।

(4) मेसर्स बाल्पोर्ड ट्रांसपोर्ट, डिब्रूगढ़ ।

(घ) गाड़ियों की खरीद पर 2653840 रु० की राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है । पूर्ति किये जाने वाले 8 टाटा मर्सिडीज बेन्ज बसों पर 365337 रुपये के व्यय का अनुमान है ।

(ङ) खरीदी गई गाड़ियों में 48 टाटा मर्सिडीज बेन्ज चेसेज, 5 डाज चेसेज, 9 हिन्दुस्तान चेसेज और 1 विली जीप शामिल है ।

Central Help for Curbing Menace of Dacoits

5927. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to take some steps to help those States where the incidents of loot, arson and murder are increasing days by day due to the terror of dacoits and the State Governments are finding themselves incapable of removing that menaces and, if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ; and

(b) whether the Central Government are ready to extend the help of the Central Reserve Police and Border Security Force to the State Governments, if they approach the Centre for such help for solving the dacoit problem and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Certain proposals are under consideration in consultation with the concerned State Governments.

(b) It will not be advisable to deploy Border Security Force and Central Reserve Police force for anti-dacoity operations, since these Forces have their own specified character of duties and their preoccupation with those duties would not permit of their being used for any other purpose.

Loans to State Governments for Constructing Bulidings for Primary Schools

†5928. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government provide loans to the States for constructing buildings for the new Primary Schools ; and

(b) if so, the estimated demand of each State for the year 1970-71 and the various factors taken into account for advancing the said loans ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) & (b) No,Sir. Plan assistance is not related to any scheme or programme, but is given through block loans and block grants. However, the outlay for elementary education is earmarked and States are free to provide for the construction of building s for primary schools within the earmarked outlay.

उड़ीसा के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार

5929. **श्री वी० ना० देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उड़ीसा के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी ; और

(ख) उड़ीसा राज्य से कितने अधिकारियों को वास्तव में पुरस्कृत किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंसात्मक घटनाओं में बमों का बारम्बार प्रयोग

5930. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में झगड़ों तथा हिंसात्मक घटनाओं में बमों का अब बारम्बार प्रयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1969 की तुलना में जनवरी, 1970 से लेकर अब तक असैनिक गड़बड़ी की किन-किन घटनाओं तथा किन स्थानों पर बम फेंके गये अथवा प्रयोग में लाये गए ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मनीपुर, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीप समूह, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली, पाण्डीचेरी, नेफा, तथा चण्डीगढ़ में 1969 तथा 1970 में हिंसात्मक घटनाओं में बमों का प्रयोग नहीं किया गया है। गुजरात में सितम्बर और अक्तूबर, 1969 में बम विस्फोट की तीन घटनाएं अहमदाबाद में हुई थीं। गोवा में बार्ज-मैनस हड़ताल के दौरान जून व जुलाई, 1969 में विस्फोटों की 4 घटनाएं सूचित की गईं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

उच्च शिक्षा के लिए विदेशों को जा रहे भारतीय विद्यार्थी

† 5931. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 के शुरू से लेकर अब तक कितने भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये विदेश गये हैं ;

(ख) वे विद्यार्थी किन-किन विश्वविद्यालयों तथा किन विषयों के अध्ययन के लिये गये हैं ;

(ग) उनमें से सरकार की ओर से तथा निजी तौर पर गये विद्यार्थियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार की ओर से गये तथा निजी तौर पर गये विद्यार्थियों को अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3161/70.]

Arrest of Naxalites

5932. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of persons arrested so far in connection with the Naxalite agitation in various parts of the country ;

(b) the number of Naxalites imprisoned in the jails of various States, State-wise ; and

(c) the number of Naxalites killed, State-wise as a result of the police firing ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) According to information received from the state governments/union territory administrations, no extremists have been arrested in Gujarat, Haryana, Tamil Nadu, Mysore, Nagaland, Rajasthan, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Himachal Pradesh, Manipur, NEFA and Pondicherry. Information from the remaining States/Union territories is being collected.

(c) Attention is invited to the answer to Lok Sabha unstarred question No. 5163, dated April 3, 1970.

मुर्शिदाबाद जिले (पश्चिम बंगाल) में साम्प्रदायिक दंगे

5933. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत इदुल-जुहा के अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो दंगों के तत्कालीन कारण क्या थे और उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया था ; और

(घ) भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं को होने से रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बकर-ईद के अवसर पर एक नये स्थल पर प्रस्तावित गो-बध के कारण 17 फरवरी, 1970 को मुर्शिदाबाद जिले के रामकृष्णपुर तथा बिहानियां गांवों में उपद्रव हुए। अवैध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इन घटनाओं में तीन व्यक्ति मारे गये और 19 घायल हुए। 125 मकानों को आग लगा दी गई।

(ग) जिला प्राधिकारियों ने पीड़ितों को तत्काल अस्थायी राहत दी। 155 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 300 रु० का अनुग्रहात् मंजूर करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(घ) घटनाओं के सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामलों की जांच की जा रही है। इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजुक क्षेत्रों में पुलिस टुकड़ियां नियुक्त की गईं और चलते-फिरते गश्ती दल तैनात किये गये।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा विमान द्वारा की गई यात्रायें

5934. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के चेयरमैन को उनकी चेयरमैन के रूप से कालावधि के प्रत्येक वर्ष में यात्रा तथा दैनिक भत्ते के रूप में कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उन्होंने इंडियन एयरलाइन्स के खर्चे पर देश में विमान द्वारा कितनी बार यात्रा की ; और

(ग) चेयरमैन द्वारा उनकी नियुक्ति से लेकर अब तक इंडियन एयरलाइन्स के खर्चे पर विदेशों की कितनी बार यात्रा की गई है और उन पर वास्तव में कितना व्यय हुआ और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन ने कारपोरेशन के कार्य से भारत में की अपनी यात्राओं के वास्ते किसी दैनिक भत्ते की मांग नहीं की । परन्तु उन्होंने इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाया ।

(ख) पांच ।

(ग) दो । पहली बार अमस्टरडम में हुई आई० ए० टी० ए० की वार्षिक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिये अक्तूबर, 1969 में, तथा दूसरी बार बोइंग 737 विमानों की खरीद के वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए बातचीत करने के लिये मार्च, 1970 में अमरीका गये । इंडियन एयरलाइन्स ने दैनिक भत्ते और आतिथ्य-सत्कार भत्ते के अतिरिक्त किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया क्योंकि ये यात्राएं आई०ए०टी०ए० विनियमों के अन्तर्गत दूसरी विमान कम्पनियों द्वारा मानार्थ जारी की गई टिकटों पर की गई थीं । इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इन दो अवसरों पर दैनिक भत्ते और आतिथ्य-सत्कार भत्ते पर किया गया व्यय क्रमश: 122/- पौंड और 705 डालर था ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े होटलों को दिया गया विदेशी शराब का कोटा

5935. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में दिल्ली के ओबराय इन्टरकान्टिनेन्टल तथा अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली और बम्बई के सन-एन-सैंड, ताजमहल होटल तथा ग्रांड होटल को दिये गये विभिन्न किस्मों की विदेशी शराब के कोटों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि में उनके द्वारा कितने मूल्य की शराब बेची/खरीदी गई ;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में इन होटलों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) निम्नलिखित होटलों को पर्यटन अभिवृद्धि स्कीम के अंतर्गत दिये गये अनेक प्रार्थना-पत्रों पर पर्यटन विभाग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर आयात-निर्यात के महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 की अवधियों के लिये मुक्त विदेशी मुद्रा (फ्री फारेन एक्सचेंज) एवं रुपयों में अदायगी की अनुमतिपूर्वक जारी किये गये विभिन्न प्रकार की विदेशी मदिरा के लिये आयात लाइसेंसों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	होटल का नाम	स्वीकृत किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य		
		1967-68	1968-69	1999-70
		रु०	रु०	रु०
1.	ओबेराय इन्टरकांटिनेंटल होटल नई, दिल्ली ।	90,000	1,14,000	1,44,000
2.	अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।	90,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	सन-एन-सैंड होटल, बम्बई ।	13,500	53,000	40,000
4.	ताज महल होटल, बम्बई ।	60,000	1,00,000	1,04,238
5.	ग्रांड होटल, बम्बई ।	3,200	कुछ नहीं	कुछ नहीं

इन लाइसेंसों पर आयात की किस्म की मदिरा, अथवा बेची गयी/खरीदी गयी मदिरा के मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

तकनीकी जनशक्ति नीति बनाना

5936. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी व्यक्तियों की बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये अन्य योजना नीतियों के संबंध में एक तकनीकी जनशक्ति नीति बनाने की वांछनीयता का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गत कुछ वर्षों में तकनीकी कर्मचारियों के कुछ वर्गों के बीच बेरोजगारी की समस्या की ओर सरकार का ध्यान रहा है। योजना आयोग द्वारा गठित नियोजन व प्रशिक्षण संबंधी योजना दल के अधीन जनशक्ति सम्बन्धी एक उपदल चौथी और पांचवीं योजनाओं के दौरान जनशक्ति की सापेक्ष महत्व की अपेक्षाओं में विभिन्न मंत्रालयों की जनशक्ति अपेक्षाओं की परीक्षा कर रहा है। जनशक्ति संबंधी हमारी नीति का मूल उद्देश्य पूर्ति तथा मांग के संतुलन के लिए संयुक्त तथा समन्वित प्रयत्न करना तथा उसी समय वर्तमान जनशक्ति साधनों के अधिकतम उपयोग के लिए योजना बनाना रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी जनशक्ति की प्रभावी उपयोगिता के लिए योजना बनाने के अतिरिक्त जब यह प्रतीत होता है कि पूर्ति तथा मांग की स्थिति के चिन्ता का कारण होने की सम्भावना है, सरकार भी उपचारी उपाय करती है ।

इन्जीनियरों के बीच जब बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दी, तो सरकार ने इंजीनियरों के लिए नियोजन अवसर बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किये। इन उपायों का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठा रही हैं। 1968-69 से तथा इससे आगे इंजीनियरी संस्थाओं में दाखिला कम करने का भी निश्चय किया गया है जब तक कि पांचवीं योजना काल के लिए मांग के अधिक स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं। पांचवीं योजना काल में इंजीनियरों की मांग व पूर्ति के मूल्यांकन की इस समय परीक्षा की जा रही है।

विदेश से लौटने वाले उच्च अर्हताप्राप्त वैज्ञानिकों तथा शिल्पशास्त्रियों के लिए अस्थायी स्थानों की व्यवस्था करने के लिए, जब तक वे देश में उपयुक्त पदों में न खपा लिये जायें, सरकार ने एक वैज्ञानिक समुच्चय की स्थापना की है। देश में उच्च अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को भी इस समुच्चय में रखा जाता है। उच्च अर्हताप्राप्त वैज्ञानिकों को खपाने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए सरकार के अधीन वैज्ञानिक संस्थाओं और सरकारी उद्यमों को समर्थ बनाने के लिए सरकार ने एक योजना भी तैयार की है।

सरकार को इस आशंका का भी पता है कि निकट भविष्य में कृषि तथा पशु चिकित्सा स्नातक कुछ फालतू हो सकते हैं। कृषि तथा पशुचिकित्सा स्नातकों में उत्पादनकारी आत्मनियोजन के अवसर बढ़ाने के लिये उपाय आरम्भ किये गये हैं।

विवरण

इन्जीनियरों के लिए नियोजन के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित उपायों की सूची :—

(1) प्राप्त साधनों के अनुसार या दिये गये साधनों के अनुसार चतुर्थ या बाद की योजना में शामिल होने वाली परियोजनाओं के लिये प्रारम्भिक कार्य राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आरम्भ किये जायं। यह निर्णय किया जाय और बतला दिया जाय कि केवल पूर्ण रूप से जांच की गई परियोजनाओं को चतुर्थ योजना में शामिल किया जायेगा।

(2) चुने हुए पूर्ण मुख्य परियोजनाओं की तकनीकी रिपोर्टें वरिष्ठ इंजीनियरों के निरीक्षण में तैयार की जाय।

(3) प्रतिवर्ष 5,000 परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा मंत्रालय का उद्योग में प्रशिक्षण कार्यक्रम का यथासम्भव से विस्तार किया जाय। श्रम और नियोजन मंत्रालय का यह सुझाव है कि इंजीनियर-स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को शामिल करने के लिए शिक्षु अधिनियम में संशोधन किया जाय। इस सुझाव की शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से और अधिक परीक्षा की जाय।

(4) ताप-विद्युत् केन्द्रों के परिचालन तथा रख-रखाव के लिए 1,500 स्नातक तथा डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण के प्रबन्ध किये जाएं।

(5) रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाय। भर्ती-प्रणाली तथा नियत अर्हताओं में, जहां भी सम्भव हो, संशोधन किया जाय। रिक्त तकनीकी पदों के भरने पर लगी सामान्य रोक हटा ली जाय।

(6) सैनिक तकनीकी दल के लिए शार्ट-सर्विस टेकनीकल कमीशन को लागू करने का निर्णय शीघ्र किया जाय ।

(7) भारतीय सलाहकारी संगठनों (इंडियन कन्सल्टेंसी आरगेनाइजेशन) प्रोत्साहित किया जाय । जहां कहीं सम्भव और वांछनीय हो विद्यमान सलाहकारी संगठनों की वर्तमान क्षमता और कुशलता को ध्यान में रखते हुये, किसी भारतीय सलाहकारी संगठन या आवश्यक विशेषज्ञता के किसी सरकारी संगठन से तकनीकी दृढ़ता तथा व्यवहारिकता के प्रमाण-पत्र, बृहत प्लान-परियोजनाएं, विदेशी-सहयोग परियोजनाएं तथा ऐसी परियोजनाएं जिनके लिये सरकार द्वारा स्थापित संगठनों से वित्तीय सहायता की मांग की जातो है, प्राप्त करने के लिए आग्रह किया जाय ।

(8) लघु उद्योगों के निर्माण के लिए इंजीनिरियों की वित्तीय सहायता एक विशेष योजना बना कर की जाय । वर्तमान स्टेट बैंक स्कीम का पुनर्निरीक्षण उसके अब तक के प्रभाव को देखते हुए किया जाय ।

(9) स्वीकृत ठेकेदारों (एप्रूव्ड केन्ट्रक्टर्स) को संविदात्मक शर्तों के अनुसार योग्यता प्राप्त इंजीनियरों को नियुक्त करने के लिए बाध्य किया जाय ।

(10) इंजीनियरों को निर्माण कार्य करने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यन्त्रों के लिए मरम्मत और सफाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध करने के किए सहकारी संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।

(11) सार्वजनिक उपक्रमों में विपणन, बिक्री और प्रबन्धकारी पदों पर इंजीनियरों के नियोजन के अवसर खोजे जाएं :

(12) वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास में एक बहु-विशेषता दृष्टिकोण अपनाया जाय ।

(13) विदेशों में हमारे दूतावासों के जरिए विकासशील मित्र देशों को उनके विकास कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ भेजने के विशेष प्रयत्न किये जाएं ।

(14) श्रम और नियोजन मन्त्रालय के सुझाव की कि उन फैक्टरियों को जिसमें एक निश्चित संख्या से अधिक कारीगर कार्य कर रहे हैं और जो विद्युत शक्ति का प्रयोग कर रही हैं, योग्यता प्राप्त इंजीनियरों को नियुक्त करने के लिए बाध्य किया जाय । औद्योगिक विकास तथा कम्पनी मामलों के मन्त्रालय के परामर्श से और आगे जांच की जाय ।

होटल उद्योग द्वारा वित्तीय संस्थाओं से सहायता की मांग

5937. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग यह मांग करता रहा है कि जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं से यह अनुरोध किया जाना चाहिये कि वे इस उद्योग को भी उसी प्रकार ऋण दें जिस प्रकार निर्माता उद्योगों को दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में सहायता के लिये वित्त मन्त्रालय से अनुरोध किया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) भारत के होटल व रेस्टोरेन्ट एसोसिएशनों के संघ ने 1966 में इस आशय का एक संकल्प पारित किया था । होटल उद्योग को उन उद्योगों में शामिल किया जा चुका है जो औद्योगिक वित्त निगम, भारत के औद्योगिक विकास बैंक और राज्य वित्त निगमों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । होटल उद्योग को राष्ट्रीयकृत बैंकों से और होटल विकास ऋण योजना के अधीन भी ऋण उपलब्ध है । सितम्बर, 1967 से जीवन बीमा निगम ने सम्पत्ति बन्धक योजना (प्रापर्टी मार्टगेज स्कीम) के अधीन रिहायशी मकानों के निर्माण से इतर प्रयोजनों के लिए ऋण देना बन्द कर दिया है, तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इडिया ऋण नहीं देता है ।

कलकत्ता में अपराध

5938. **श्री दे० अमात** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना तथा जन-संपर्क विभाग द्वारा "अन्य नगरों की तुलना में कलकत्ता में अपराधों का कम होना" शीर्षक के अन्तर्गत 17 जनवरी, 1970 को पश्चिम बंगाल खण्ड पन्द्रह, संख्या 24 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1969 में प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कानपुर तथा भुवनेश्वर में कितने अपराध हुए ; और

(ग) इन आंकड़ों से उक्त पत्र की बात कहां तक सिद्ध होती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

बंगाल बन्द के दौरान एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों का रद्द किया जाना

5939. **श्री दे० अमात** : **श्री बाल्मीकि चौधरी** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा आयोजित बंगाल बन्द के कारण इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विमानों की कितनी उड़ानें रद्द की गईं अथवा अस्त व्यस्त हुईं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कारण इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया को कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 17 मार्च, 1970 को बंगाल बन्द के कारण इंडियन एयरलाइन्स की 44 उड़ानें रद्द की गयीं तथा 6 विघ्नग्रस्त हुईं। कारपोरेशन को लगभग 1.90 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई । जहाँ तक एयर इंडिया का संबन्ध है, उनकी कलकत्ता के रास्ते से होने वाली टोकियो की उड़ान एक घन्टे की देरी से हुईं, परन्तु कोई हानि नहीं हुई ।

देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति

5940. **श्री दे० प्रमात** :क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने अपने हाल के वार्षिक सम्मेलन में प्रधान मंत्री से देश में तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मन्त्री ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण का उत्तर देते समय विधि तथा व्यवस्था की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया ; और

(ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । प्रधान मंत्री ने समाज में व्याप्त अशान्ति का उल्लेख विस्तृत संदर्भ में किया था और ऐसे संघर्ष तथा मुकाबले को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया था जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है ।

(ग) संविधान के अधीन राज्य सरकारों को लोक-व्यवस्था, पुलिस और न्यायकरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। शान्ति भंग होने को रोकने और हिंसा की किसी अभिव्यक्ति से शक्ति से निपटने के लिए उनके द्वारा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कार्यवाहियां की जाती हैं । केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों को उचित सहायता प्रदान करती है जब कभी उसकी मांग की जाती है ।

सरकार पश्चिम बंगाल में अराजकता की समस्या को शक्ति से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प है और राज्य सरकार उचित कार्यवाही कर रही है ।

Allegation of Practising of Untouchability by Principal Government Higher Secondary School, Chirag Delhi, Delhi

5941. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1991 on the 28th November, 1969 regarding allegation of practising of untouchability by the Principal Government Higher Secondary School, Chirag Delhi, Delhi and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The allegation has been made in the press only. Necessary enquiry has been conducted by the Delhi Administration, and it has been found that the complaint is unfounded and baseless.

(c) Does not arise.

Scheduled Castes—Scheduled Tribes Officers in Education Departmnet of Delhi Administration

5942. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3701 on the 12th December, 1969 regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers in the Education Department of the Delhi Administration and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons there for ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The infoamation furnished by the Delhi Administration was not complete ; they have, therefore, been requested to furnish full information as early as possible.

Promotion in Education Department of Delhi Administration

5943. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1931 on the 6th March, 1970 regarding promotion in the Education Department of the Delhi Administration, Delhi in the reserved quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and state :

(a) whether it is a fact that various schools were asked **vide** the Department of Education, Delhi Administration, Delhi, Order No. F/1-19 (44) Adm, 2/69 dated the 4th November, 1969 and No. ED/A-2 (Coord.)/70 dated the 22nd January, 1970 to furnish details, immediately and positively, of the action taken to safeguard the interest of the teachers belonging to the Scheduled Castes in matters of promotion in the reserved quota ;

(b) if so, the details received in respect of each subject and the number of such teachers given promotions, subject-wise ; and

(c) in case no promotions were made, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The requisite information is being collected from the authorities concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Hindi Work in the Government Offices

5944. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2945 on the 13th March, 1970, regarding Hindi work in Government offices and state :

(a) the number, designations and pay-scales of the staff appointed for Hindi work in the Central Hindi Directorate, Commission for Scientific and Technical Terminology, Official Language (Legislative) Commission, Law (Journal), Railways, various Divisions of the Ministry of Information and Broadcasting, Posts and Telegraphs Department and Central Public Works Department :

(b) the offices out of them where the posts of the level of Joint/Deputy/Under Secretary for Hindi work have been created and the reasons for not creating such posts in the offices where they have not been created ;

(c) whether Government would lay all the orders, with brief details in respect of use of Hindi, on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement giving the information in respect of posts sanctioned for Hindi translation work is annexed.

[Placed in Library. See No. L.T.–3162/70]

(b) Posts at this level exist in the Ministry of Railways ; Posts and Telegraphs Department ; Central Hindi Directorate ; Commission for Scientific and Technical Terminology ; Official Language (Legislative) Commission ; and Law Journal Wing. Posts of varying levels are created keeping in view the nature of work performed in an organisation and the duties required to be pe rformed at various levels in that organisation.

(c) Brief details of Government orders regarding use of Hindi are given in the annual reports of the Ministry of Home Affairs and the Annual Assessment Report on the programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Unions for the year 1968-69 already laid on the Table of the Sabha.

तूतीकोरिन गहन-सागर बन्दरगाह पर विकास-कार्य

5945. **श्री अदिचन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतिकोरीन गहन-सागर बन्दरगाह पर विकास कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है; और यदि नहीं, तो कितना विलम्ब हुआ ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है और उस पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ; और

(ग) उक्त परियोजना क कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) तूतीकोरीन बन्दरगाह परियोजना, परियोजना के लिये वर्षानुवर्ष के किये गये नियतन के आधार पर प्रगति कर रहा है । संशोधित अनुमान 1969-70 और बजट अनुमान 1970-71 में क्रम से 300 लाख रुपये और 425 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है :—

1—समस्त तट कार्य प्राय: पूरे हो गये ।

2—अपतट कार्य ।

(1) **उत्तरी पनकट दीवार** : 4,142 मी० की कुल लम्बाई में से 1,515 मी० की लम्बाई के लिए कार्य पूरा हो गया है । एल० एस० (तट से लम्बाई) 1,515 मी० से एल० एस० 1,755 मी० के भाग पर कार्य प्रगति पर है ।

(2) **दक्षिणी पनकट दीवार** : 3,797 मी० की कुल लम्बाई में से 1,451 मी० की लम्बाई के लिए कार्य पूरा हो गया है । एल० एस० 1,461 मी० से एल० एस० 1,834 मी० के भाग में कार्य प्रगति पर है ।

(3) **पहुंच बाजू** : 735 मी० लम्बाई का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ।

तट पार के शेष निर्माण कार्यों की निविदाओं की जांच की जा रही है ।

शुरू होने से फरवरी 1970 तक इस परियोजना पर कुल 1161 लाख रुपये का व्यय किया गया है । निवल व्यय 810 लाख रुपया होता है ।

दिल्ली में स्कूटरों और टैक्सियों के लिये गोल मोटर

5946. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूटर और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल इस आश्वासन पर समाप्त की गई थी कि टैक्सियों में प्रयोग किये जाने वाले मीटरों के स्थान पर गोल किस्म के मीटर प्रयोग किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के झुक जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उनसे उत्पन्न होने वाली यात्रियों की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जायगा ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कर्मचारियों द्वारा खाली बैठे रहो हड़ताल के कारण इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाओं का बन्द किया जाना

5947. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री न० कु० सांधी :
श्री लोबो प्रभु :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रमेशचन्द्र व्यास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों द्वारा खाली बैठे रहो हड़ताल के कारण इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें बन्द कर दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं ; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं को निर्बाध रूप से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ (ए० सी० ई० यू०) द्वारा अपने सदस्यों को "केवल अफसरों के लिखित आदेशों पर काम करो" तथा 18 से 20 मार्च, 1970 तक के लिये "समयोपरि (ओवर टाइम) काम का बहिष्कार "करो" निदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप कतिपय वर्गों के कर्मचारियों द्वारा की गयी सामूहिक कार्यवाही के कारण 18, 19 और 20 मार्च, 1970 को इंडियन एयरलाइंस की सेवायें अवरुद्ध हो गयी थीं ।

(ख) हड़ताल एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की इस मांग के कारण की गई थी कि 40/- रुपये प्रतिमास की तदर्थ राशि, जिसको प्रबन्धकवर्ग ने देना स्वीकार कर लिया था, न केवल उन

वर्गों के कर्मचारियों को ही दी जाये जिनका प्रतिनिधित्व उक्त संघ द्वारा किया जाता है, परन्तु उन वर्गों के कर्मचारियों को भी दी जाये जिनका कि प्रतिनिधित्व भारतीय विमान तकनीकी संघ द्वारा किया जाता है, यद्यपि यह दूसरा संघ इस राशि को लेने के लिये राजी नहीं था।

(ग) निदेश केवल 18 से 20 मार्च तक की अवधि के लिये था, तथा 21 मार्च, 1970 के प्रातः से पुनः सामान्य परिचालन शुरु किये गये। बाद में दोनों संघों ने उक्त राशि को लेना स्वीकार कर लिया।

मन्त्रिमण्डल के आकार के बारे में राजस्थान सरकार का निर्णय

5948. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मन्त्रिमण्डल का आधार छोटा करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर विचार किया है ;

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकार ने केन्द्र को अपना निर्णय बता दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्यों में मन्त्रिपरिषदों के आकार के बारे में सिफारिश की गई थी। प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। दलबदल सम्बन्धी समिति ने भी मन्त्रि-परिषदों के आकार को सीमित करने के प्रश्न की जांच की थी। समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों की टिप्पणियां मांगी गई थीं। राजस्थान सरकार ने कोई टिप्पणियां नहीं दी हैं। समिति द्वारा व्यक्त किये विचारों और उन पर संसद में हुई टीका टिप्पणी को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार का विचार विधान बनाने का है।

कोवालम् समुद्र तट (केरल) पर एक होटल तथा कुटीर बनाना

5949. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवालम समुद्र तट पर होटल तथा कुटीरों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ;

(ग) कुटीरों के पहले समूह के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) वर्ष 1970-71 में कोवालम पर्यटन परियोजना पर कितना धन खर्च करने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) अक्तूबर, 1970 में।

(ग) कुटीरों के 1971 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

(घ) पर्यटन विभाग ने कोवालम् प्रायोजना के लिये 1970-71 में 16 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की है और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इसी अवधि में 20 लाख रुपये खर्च किये जाने की आशा है ।

हिमाचल प्रदेश को न्यायिक अधिकारियों का नियतन

5951. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो न्यायिक अधिकारी पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिए नियत किए गए थे, उनकी संख्या और नाम क्या थे ;

(ख) क्या उनकी वरिष्ठता हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय मामला किस स्थिति में है और उसको अन्तिम रूप से कब तक निश्चित कर दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिए 15 न्यायिक अधिकारी नियत किए गए थे । उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री आर० एन० अग्रवाल
2. श्री डी० आर० धमीजा
3. श्री रामफल सिंह
4. श्री तिलवा हांडा
5. श्री ओंकार नाथ
6. श्री ए० एन० भोएल
7. श्री आई० पी० आनन्द
8. श्री ए० एल० सोनी
9. श्री एस० एस० मित्तल
10. श्री शमशेर सिंह
11. श्री के० बी० एण्डले
12. श्री शान्ति लाल
13. श्री बी० पी० भटनागर
14. श्री मोहिन्द्र सिंह सेहमें
15. श्री आर० के० महाजन

इन अधिकारियों में से सर्वश्री आई० पी० आनन्द, के० बी० एण्डले, शान्ति लाल और मोहिन्द्र सिंह से हमें का पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए पुनर्नियतन किया गया है ।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों की स्थाई समन्वित वरीयता सूची तैयार की गई थी। सूची को हिमाचल प्रदेश सलाहकार समिति के विचारार्थ भेजा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर डिग्रियों पर उपकुलपति के हस्ताक्षरों में असंगति

5952. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1970 को हुए दीक्षांत समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में प्रदान की गई स्नातकोत्तर डिग्रियों पर उपकुलपति के हस्ताक्षर हैं जब कि हिन्दी में उसके नीचे कुलपति (चान्सलर) पदनाम लिखा हुआ है;

(ख)यदि हां, तो यह असंगति किस प्रकार हुई; और

(ग) इससे उन डिग्रियों की वैधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने "कुलपति" पदनाम के साथ डिग्रियों पर हस्ताक्षर किये हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने इसे "वाइस-चान्सलर" के हिन्दी पर्याययाची शब्द के रूप में माना है। आयोग द्वारा "चान्सलर" के हिन्दी पर्यायवाची शब्द के रूप में, कुलाधिपति माना गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर, इन अभिधानों को अपना लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में जामिया मिलिया, दयाल सिंह कालेज, पी० जी० डी० ए० वी० कालेज को अनुदान

5953. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली के जामिया मिलिया, दयाल सिंह कालेज तथा पी० जी० डी० ए० वी० कालेज को कुल कितना सहायता अनुदान दिया गया।

(ख) वर्ष 1969-70 में इन तीन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) गत तीन वर्षों में इन तीन संस्थाओं को प्रति व्यक्ति कितना अनुदान दिया गया; और

(घ) यदि इसमें कोई भारी अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण के कालम 1 से 3 तक में दी गई है।

(ग) और (घ) जिन विषय क्षेत्रों में पाठ्यक्रम कराये जाते हैं (जैसे कला, विज्ञान या वाणिज्य) तथा उन पाठ्यक्रमों (जैसे पास, आनर्स, उत्तर-स्नातक) के स्तर को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित संस्थाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद संस्थाओं के अनुदान सुनिश्चित किये जाते हैं। विकास अनुदानों के लिये भी किसी भी समय में पहले से प्राप्त किये गये विकास की स्थिति पर विचार किया जाता है तथा और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में संस्थाओं को अनुदान प्रति व्यक्ति के आधार पर नहीं दिये जाते।

दिल्ली के संघटन कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वीकृत घाटे का 95% तक का संरक्षण अनुदान देता है। विकास अनुदान स्वीकृत ढांचे के अनुसार दिये जाते हैं जो कि कराये जाने वाले पाठ्यक्रमों के स्तर में तथा अनुदान देने के उद्देश्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जामिया मिलिया के मामले में, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के, अनुभाग 3 के अंतर्गत समझा जाने वाला विश्वविद्यालय है, आयोग केवल विकास अनुदान देता है, जबकि शत प्रतिशत आधार पर अनुरक्षण भत्ता तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले विकास अनुदान के बराबर का हिस्सा इस मन्त्रालय द्वारा दिया जाता है।

समझा जाने वाला विश्वविद्यालय होने के कारण जामिया मिलिया अपनी प्रदान की जाने वाली विभिन्न डिग्रियों के आधार पर अपनी निजी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इस पर कुछ धन राशि व्यय होती है। संघटक कालेजों के मामलों में परीक्षाओं का आयोजन दिल्ली विश्व-विद्यालय करता है। इन संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मन्त्रालय, दोनों के द्वारा दिये गये कुल अनुदान के आधार पर गणना किये गये प्रति व्यक्ति के अनुदान के आंकड़े संलग्न विवरण के कालम 4,5 तथा 6 में दिये गये हैं।

फिर भी, उपरोक्त दिये गये कारणों को देखते हुए, इन आंकड़ों की तुलना नहीं हो सकती।

संस्था का नाम	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 1969-70 के दौरान दिया गया अनुदान	विवरण 1969-70 के दौरान छात्रों की संख्या	प्रति व्यक्ति अनुदान 1967-68	प्रति व्यक्ति अनुदान 1968-69	प्रति व्यक्ति अनुदान 1969-70
1	2	3	4	5	6
	रु०		रु०	रु०	रु०
जामिया मिलिया (उत्तर-मैट्रिक शिक्षा)	4,25,200	832	1234.6	1590.8	1835.5
दयाल सिंह कालेज					
प्रातः	11,47,000	1540	632.1	462.4	744.8
सायं	3,00,500	713	354.3	324.1	421.4

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मन्त्रालय द्वारा दिये गये अनुदान के आधार पर इसकी संगणना की गई है।

पी० जी० डी० ए० वी० कालेज					
प्रात:	5,28,607	832	455.4	437.8	635.3
सायं	2,90,500	748	275.1	294.4	388.3

दिल्ली में सान्ध्याकालीन कालेजों का पूर्णरूपेण स्वतंत्र कालेजों के रूप में कार्य करना

5954. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्तमान कालेजों के सान्ध्याकालीन अनुभागों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कालेज मनाने का सिद्धान्त के रूप में निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्व-विद्यालय ने सिद्धान्त: यह निर्णय किया है कि सायंकालीन कक्षाओं का आयोजन पूर्णत: स्वायत्त: कालेजों के रूप में किया जाना चाहिये ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय किया जाना है ।

फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी महिला जासूस की गिरफ्तारी

5955. **श्री न० कु० सांधी** : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में फिरोजपुर क्षेत्र में एक पाकिस्तानी महिला जासूस को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या इस मामले में पूछताछ कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 19 मार्च, 1970 को हुसैनीवाला नियंत्रण-चौकी पर कुमारी मलिक सुल्ताना नामक एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक गिरफ्तार की गई और विदेशियों के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक मामले की जांच की जा रही है। जांच के ब्यौरे इस अवस्था में प्रकट करना लोकहित में न होगा ।

Need for Sanskrit Schools Organisation on the Lines of Central Schools Organisation

5956. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Ram Gopal Shalwale** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up an organisation by the name of the Central Schools Organisation ;

(b) if so, whether Government also propose to set up a similar organisation for the Sanskrit Schools for the development of Sanskrit Schools in the country ; and

(c) if not, the reasons therefor especially when there is no such recognised organisation at present ?

The Minister of State, Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The objectives of Central Schools and Sanskrit Schools are different ; it is, therefore, not considered necessary to set up a similar organisation for Sanskrit Schools. However, it is hoped that the recently established Central Sanskrit Parishad will help in this process.

यूरोपीय देशों से आये पर्यटकों के लिए राज्य व्यापार निगम की कारें

5957. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के यात्रा एजेन्टों के 19वें वार्षिक सम्मेलन ने यह सुझाव दिया है कि पर्यटकों, मुख्यता यूरोपीय देशों से आने वाले पर्यटकों के उपयोग के लिए राज्यों को राज्य व्यापार निगम को और अधिकार दी जाएं ;

(ख) क्या अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटकों पर लगाये गए यात्रा प्रतिबन्धों में छूट देने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक वर्ष में 90 दिन तक ठहरने के लिए नार्डिक देशों (नार्वे, स्वीडन, डेन्मार्क और फिनलैंड) तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा समाप्त कर दिये हैं ।

अस्थायी "लैंडिंग परमिट" के आधार पर वीजा रहित प्रवेश करने (वीजा फ्री एन्ट्री) की वैधता की अवधि को 7 दिन से बढ़ा कर 21 दिन कर दिया गया है ।

विदेशी पर्यटकों के लिए केरल में पर्यटक केन्द्र

5958. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितने ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र हैं, जिन्हें देखने विदेशी पर्यटक आते हैं ?

(ख) वर्ष 1970-71 की वार्षिक योजना में केरल राज्य के पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) क्या वरकाला को भी पर्यटन विकास कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारतीय जनमत

संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, नवम्बर 1968 तथा अक्टूबर, 1969 के बीच, 3.1 प्रतिशत पर्यटकों ने त्रिवेन्द्रम् की, 2.6 प्रतिशत ने कोचीन की तथा 0.3 प्रतिशत ने कालीकट की यात्रा की ।

(ख) पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए धन का नियतन राज्यवार नहीं किया जाता, बल्कि किसी स्थान का यात्रियों के लिये उसके वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है। 1970-71 के दौरान केरल में जिन महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटक स्कीमें हाथ में लेने का प्रस्ताव है उनमें कोवालम, कोचीन तथा पेरियार वन्य पशुशरण स्थान सम्मिलित हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ल में दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियो को पीटा जाना

5959. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूट नं0 19 पर धौला कुआं, नई दिल्ली जाने वाली दिल्ली परिवहन उपक्रम की एक बस (संख्या 1057) को, जिसमें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, नौरोजी नगर केन्द्र, नई दिल्ली के परीक्षार्थी थे, 13 मार्च, 1970 को लगभग 12.50 बजे सरोजिनी नगर डिपो में ले लाया गया था और वहां दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों तथा श्रमिकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा था ।

(ख) क्या उक्त घटना की कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और दिल्ली परिवहन उपक्रम के दोषी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) 13 मार्च 1970 को बस नं० डी एल पी 1095 को (नकि 1057 जैसा प्रश्न में उल्लेख किया गया है) जो विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों से भरी हुई थी, कुछ विद्यार्थियों और संवाहक के बीच वादविवाद के कारण सरोजनी नगर डिपो ले जाया गया । दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारी और श्रमिकों द्वारा विद्यार्थियों के कथित पीटे जाने के बारे में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है ।

(ख) पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना पर कार्य करते हुए स्थानीय पुलिस ने औपचारिक जांच की ।

(ग) पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया । जांच के परिणामस्वरूप कोई प्रसज्ञेय मामला नहीं बनाया गया ।

(घ) दिल्ली परिवहन उपक्रम प्राधिकारियों ने बस के चालक और संवाहक को आरोप पत्र दिये हैं और नियमों के आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पटना में अशोक स्तम्भों का पता लगाना

5960. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में लकड़ी के छः अशोक स्तम्भों के अवशेषों का हाल में पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख)सीवर लाइन डालने के लिए लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग द्वारा की गई खुदाई के फलस्वरूप, लकड़ी के खड़े हुए 6 स्तम्भों के अवशेष, जो तकरीबन एक कतार में हैं, कुछ आड़े पड़े हुए स्तंभों के साथ, पाए गये हैं। ये प्राचीन पाटलीपुत्र के लकड़ी के खम्बों की पंक्ति के एक भाग जान पड़ते हैं जो कुम्हार के निकट बुलन्दीबाग में पाए गये थे। इन स्तंभों को निश्चित रूप से अशोक काल का नहीं कहा जा सकता बल्कि ये बुलन्दी बाग की मौर्यकाल की स्तंभ पंक्ति से मिलते जुलते हैं।

कलकत्ता में उच्च विस्फोटक बमों का पाया जाना

5961. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : श्री न० कु० सांधी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में विभिन्न स्थानों में हाल में 45 उच्च विस्फोटक बम पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) क्या इस बात की जांच की गई है कि इन बमों का निर्माण कहां किया गया था ; और

(घ) उनके उत्पादन में रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 20 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक कलकत्ता के विभिन्न भागों से पुलिस द्वारा 356 बम बरामद किये गये थे। 325 उच्च विस्फोटक बम, 3 पेट्रोल बम, 27 पटाखे और 1 ग्रेनेड थे। इस संबन्ध में 180 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। पोटास क्लोरेट और बमों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली अन्य सामग्री के अवैध व्यापार को रोकने के पुलिस के प्रयत्न जारी हैं।

(ग) विश्वास किया जाता है कि बरामद किये गये सभी बम देश में बने थे।

चण्डीगढ़ में हड़प्पा युग की वस्तुओं का पता लगाना

5962. **श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के सैक्टर 17 में हड़प्पा युग की कुछ वस्तुओं का पता

लगाया गया है; और यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने उन वस्तुओं के विद्यमान होने का संकेत दिया था तथा वह किस विभाग में काम करता है;

(ख) यह संकेत कब और किसको दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके बाद उस कार्य से उसका संबन्ध हटा दिया गया था और यह काम कुछ अप्रशिक्षित तथा अव्यवसायी व्यक्तियों को सौंपा गया था, जिन्होंने उस स्थान की अंधाधुंध खुदाई करके उन सब वस्तुओं को खराब कर दिया था; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच करने का है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के गवेषणा निदेशक ने उस स्थान का निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था कि उस स्थान के खराब हो जाने के कारण गैर-वैज्ञानिक ढंग से खुदाई करना है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अब इस कार्य को भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग को सौंपने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) से (ग) : हड़प्पा काल से सम्बन्धित कब्रगाह के अवशेष चण्डीगढ़ के सेक्टर 17–सी में पाये गये हैं। जो कुछ समाचार पत्रों में छपा था, उसके अलावा सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) सिद्धान्त के तौर पर विश्वविद्यालय को, जिसने काम शुरू किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तकनीकी सहायता और मार्ग दर्शन में कार्य करते रहना चाहिये। किन्तु, यदि वह कार्य करने में असमर्थ हो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस कार्य को करेगा किन्तु अपनी योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार ही।

मेरठ जिले में एक हरिजन लड़के की हत्या

5963. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला मेरठ, पुलिस स्टेशन छपरौली, ग्राम किरथाल के निवासी, श्री करमसिंह के पुत्र, सुखपाल सिंह नाम के हरिजन लड़के (द्वितीय वर्ष का छात्र) को 18-3-70 को दिन दहाड़े मार दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मृतक के पिता द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम बताये जाने के बावजूद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त गांव में गत 12 वर्षों में हरिजनों की यह तीसरी नृसंश हत्या है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है / की जा रही है कि इस मामले को दबाया न जाये और गांव के हरिजनों में पुनः विश्वास पैदा हो ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी क्योंकि दोषी व्यक्ति फरार थे। उनमें से दो ने अब न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और न्यायिक हिरासत में रखे गये हैं।

(ग) 27-8-60 को श्री प्रीतम सिंह नामक एक व्यक्ति के हत्या के अलावा उस गांव में गत 12 वर्षों में हत्या की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन थाना चपरौली के मामला अपराध संख्या 44 दर्ज किया गया है। आगे जांच जारी है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय अभ्यर्थियों का इन्टरव्यू लिए जाने के समय मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा सहायता की जाने की पद्धति को समाप्त करने के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिश

5964. **श्री राजदेव सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि वह पद्धति जिसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के इन्टरव्यू बोर्ड इन्टरव्यू तथा चयन के लिए बुलाये गये विभागीय अभ्यर्थी की उसी मन्त्रालय अथवा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सहायता की जाती थी, अनुचित है तथा उसे छोड़ दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे यह पता नहीं चलता कि यह पद्धति निष्पक्ष नहीं है और इससे स्वतन्त्र रूप से चयन नहीं हो सकता है ; और

(घ) उक्त सिफारिश को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) गृह-मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग पर प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक सभा) के सैंतालिसवें प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा विचार किया गया था तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद समिति को यह उत्तर दिया गया कि फिलहाल आयोग का उनके द्वारा स्थापित किये गये इन्टरव्यू बोर्डों में विभागीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की वर्तमान पद्धति को समाप्त करने का विचार नहीं है। तथापि, संघ लोकसेवा आयोग, अगले वर्ष अथवा उसके आसपास प्राप्त अनुभव के संदर्भ में स्थिति का पुनरीक्षण करेगा। इस उत्तर पर प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक सभा) द्वारा अपने 100वें प्रतिवेदन में विचार किया गया तथा समिति ने अपनी पहले सिफारिश को दोहराया, 24 फरवरी, 1970 को लोक सभा के पटल पर रखे गए प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक सभा) के 100वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 के 1 से 4 तक के पैरा तथा अध्याय 4 को देखिए। प्राक्कलन समिति की अन्तिम सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में विचार किया जा रहा है।

भारतीयप्रशासनिक सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय

5965. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के पाठ्यक्रम के वैकल्पिक विषयों में जबकि विश्व-इतिहास, यूरोपीय-इतिहास, तथा ब्रिटिश-इतिहास को शामिल किया गया है लेकिन हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 1857 से लेकर अब तक हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करना वांछनीय समझती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय गणतंत्र की स्थापना तक का भारतीय इतिहास प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के विषयों की सूची में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है। भारतीय इतिहास III के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के उद्धरण

"भारतीय पुनर्जागरण : राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, और विद्यासागर; आर्य समाज, थियोसाफिस्ट, रामकृष्ण और विवेकानन्द ; सैयद अहमद खां। सामाजिक सुधार। आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885–1905)। दादाभाई नौरोजी, रानाडे, और गाखले। सैनिक राष्ट्रवाद का विकास, विभाजन विरोधी आन्दोलन। स्वदेशी तथा बहिष्कार। तिलक और अरविन्द घोष, होम रूल लीग तथा लखनऊ पैक्ट।

संविधानिक विकास : 1861 और 1892 के अधिनियम ; मिन्टो-मार्ले सुधार; माउंटफोर्ट सुधार, 1935 अधिनियम।

महात्मा गांधी का आविर्भाव तथा स्वतन्त्रता संघर्ष। शक्ति का हस्तान्तरण : क्रिप्स मिशन : कैबिनेट मिशन ; स्वतन्त्रता अधिनियम और विभाजन। 1950 का संविधान। स्वतन्त्र भारत : विदेश नीति, गुट निरपेक्षता ; धर्म निरपेक्षता तथा योजना।"

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के लिए संविधिक मन्जूरी

5966. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संगठन तथा कार्यकरण के लिये कोई सांविधिक मन्जूरी अथवा आधार नहीं है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक लोगों के हित में इस त्रुटि को सुधारने के लिए चालू सत्र में कोई समुचित विधान अधिनियमित करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान, अधिनियम 1946 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक जांच पड़ताल करने वाली एजेन्सी के रूप में संगठन और कार्यकरण के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किये जाने वाले एक गैर जांच-पड़ताल के स्वरूप के कुछ अन्य कार्य जैसे

अपराध अभिलेखों तथा आंकड़ों का संकलन, अपराध अनुसंधान इत्यादि इसके विशेष पुलिस संस्थान के कार्यों का एक आवश्यक प्रशासनिक विस्तार है। एक ऐसा स्वयंपूर्ण विधान है, जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सभी कार्य निहित हों, अधिनियमित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मास्को स्थित पीपल्स फ्रेन्डशिप (पैट्रिस लुमुम्बा) विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति

5967. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मास्को स्थित पीपल्स फ्रेन्डशिप (पैट्रिस लुमुम्बा) विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों का कोटा दोगुना करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) पीपल्स फ्रेन्डशिप विश्वविद्यालय, मास्को छात्रवृत्तियों का एक सेट, विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु सरकार द्वारा चुने जाने के वास्ते भारतीय राष्ट्रिकों के लिये भारत सरकार को, तथा एक अन्य सेट भारत रूसी सांस्कृतिक सोसाइटी द्वारा चुने गये छात्रों के लिए सोसाइटी को देता है। प्रथम वर्ग के छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं था। किन्तु, भारत रूसी सांस्कृतिक सोसाइटी को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी करने का एक प्रस्ताव था। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सरकार की यह सामान्य नीति है कि विदेशी सरकारों / संगठनों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों के लिये सभी छात्रवृत्तियां भारत सरकार को ही पेश की जानी चाहिये। एक विशेष मामले के रूप में और एक प्रयोगात्मक कदम के रूप में, भारत सरकार पीपल्स फ्रेन्डशिप विश्वविद्यालय, मास्को में अध्ययन के लिए अधिकतम छात्रवृत्तियों के संचालन के वास्ते भारत रूस सांस्कृतिक सोसाइटी को अनुमति देने के लिये सहमत हो गई थी। अनुमति 1968-69 वर्ष से तीन वर्षों के लिये वैध थी, उसके बाद उसका पुनः विलोकन किया जायेगा।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सेवा निवृत्ति की आयु

5968. **श्री अचल सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा केन्द्रीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) क्योंकि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सेवा वृत्ति की वे सब सुविधाएँ प्राप्य नहीं हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, उन्हें दो वर्ष तक और नौकरी करने की सुविधा दी जाती है।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की देश भर में बदली हो सकती है, जब कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की नहीं हो सकती। इसके साथ ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक स्वायत्त निकाय है तथा इसे अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तें सुनिश्चित करने का अधिकार है।

I. A. S. and I. P. S. Officers of Madhya Pradesh Cadre of Deputation to Various Ministries

5969. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of I. A. S. and I. P. S. Officers of the Madhya Pradesh Cadre who have been working on deputation in the various Ministries/Offices of the Government of India for a period of more than three years ;

(b) the names of the posts on which they are working at present ; and

(c) the number of Officers out of them who have been working on the same post in the same Ministry/Office for a period of more than three years and whose period of deputation has been extended more than once ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) A statement is attached.

[Placed in Library, See No. L. T.–3163/70

(c) The number is as follows :–

I. A. S. – Nil*

I. P. S. – 3

Welfare Comittee for Central Government Employees in Madhya Pradesh

5970. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any Welfare Committee for the Central Government employees Madhya Pradesh which gets grants from the Central Government ;

(b) if so, the place where the said Committee exists, the name of the said Committee and its activities ; and

(c) if not, whether Government propose to take some steps for setting up such a Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) Yes, Sir. There are three such Committees in Madhya Pradesh viz :

(i) Central Government Departments Welfare Committee, Bhopal ;

(ii) High Power Committee, Gwalior ; and

(iii) High Power Committee, Indore.

The main functions of such Committees are as follows :

(i) To arrange sports in various localities ;

*Officers earmarked for the Central Administrative Pool have no fixed period of tenure. So their number has not been included.

(ii) to make overall arrangements for recreational activities ;

(iii) to arrange accommodation for indoor games and other recreational activities where the offices concerned cannot do it by themselves ;

(iv) to arrange inter-departmental tournaments;

(v) to deal with matters of common interest to all offices e. g. educational, medical and transport facilities, grant of special holidays, working hours etc. for which a reference to Central or State Government may be necessary ;

(vi) to arrange canteen facilities for the members of the staff.

(c) Does not arise.

Bridge Over River Narmada at Khalghat

5971. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a bridge on the Narmada river at Khalghat ;

(b) if so, whether it is a fact that Government have sought financial aid from the World Bank for the said project : and

(c) if so, the amount sought therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and the Ministry of Shipping & Transport (Shri Iqbal Singh): (a) Yes Sir. The construction of the bridge has recently been sanctioned at an estimated cost of Rs. 77.50 lakhs from National Highway funds.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

इंजीनियरिंग स्नातकों में व्याप्त बेरोजगारी

5972. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 10 जनवरी, 1970 को पूना में तकनीकी शिक्षा को नया रूप देने के बारे में एक अखिल भारतीय विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा था कि आज पाँच वर्षों के अन्दर इंजीनियरी-स्नातकों में व्याप्त बेरोजगारी एक समस्या नहीं रहेगी;

(ख) यदि हां, तो उस समय बेरोजगारी तथा इन्जीनियरी स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या का क्या स्वरूप है :

(ग) क्या सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदम उस समस्या की गम्भीरता को कम करने में असफल रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ङ) अगले पांच वर्षों में सरकार का विचार किस प्रकार इस चुनौती का सामना करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) तकनीकी शिक्षा को नया रूप देने के बारे में पूना में 10 जनवरी, 1970 को हुए, एक अखिल भारतीय सेमीनार का उद्घाटन करते हुए, मैंने आशा व्यक्त की थी कि देश की आर्थिक विकास की गति तथा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों में वर्धमान निवेश के साथ-साथ, इंजीनियर स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या इतनी गम्भीर नहीं रहेगी, जितनी इस समय है ।

(ख) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किये गये सूत्र के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1969 को बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों की अनुमानित संख्या 11,900 होनी चाहिये ।

(घ) से (ङ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों द्वारा उठाये गये अनेक उपायों से बेरोजगारी की समस्या धीरे-धीरे कम हो रही है । व्यावहारिक जनशक्ति संस्थान के अनुसार, 1967 में कुल इंजीनियर स्नातकों में से 5.5 प्रतिशत बेरोजगार थे । 1968 में यह तेजी से बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गई । यद्यपि नये स्नातकों के शामिल होने के कारण बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, किन्तु 31 दिसम्बर, 1969 को बेरोजगार इंजीनियरों की अनुमानित संख्या 8.1 प्रतिशत होनी चाहिए । यदि ऐसा ही चलता रहा और आर्थिक विकास होता रहा, तो बेरोजगार स्नातकों की प्रतिशतता के तेजी से गिरने की सम्भावना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देना

†5973. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेलों/स्वस्थता/मनोरंजन के अंग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद में रुचि पैदा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) खेलकूद को प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्यवार कितना खर्च किया गया ; और

(घ) क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के चुने हुए गांवों में प्रत्येक वर्ष 500 ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने और प्रत्येक केन्द्र को प्रारम्भ में खेल के समान खरीदने के लिये वित्तीय सहायता देने तथा ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों को केन्द्र चलाने के लिए प्रति माह थोड़ा पारिश्रमिक देने की योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में पदोन्नति

5974. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन जी० डी० एम० ओ० ग्रेड-2 से

जी० डी० एम० ओ० ग्रेड-1 में पदोन्नति करने के बारे में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन निर्देशों का उत्तर देने में उनका मंत्रालय कितना समय लेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन जनरल ड्यूटी मेडीकल अफसर, ग्रेड II की जनरल ड्यूटी मेडीकल अफसर, ग्रेड 1 में पदोन्नति के सिद्धान्त के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था। गृह मंत्रालय ने अपने विचार स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिये हैं।

पाकिस्तान तथा चीन के लिये जासूसी करने पर गिरफ्तार किये गए व्यक्ति

5975. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों में पाकिस्तान, चीन तथा दूसरे देशों के लिये जासूसी करने के सम्बन्ध में वर्ष 1969 में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो जासूसों के नाम क्या हैं तथा वे किन देशों के हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(ग) जासूसों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाती है और विदेशी जासूसी गतिविधियों का सामना करने के लिए विभिन्न सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सभी सम्भव सतर्कता बरती जाती है ।

विदेशी जहाज कम्पनियों को देय भाड़ा

5976. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 5 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2907 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968–69 तथा 1969–70 में विदेशी जहाज कम्पनियों को दिये गये भाड़े तथा इसके कुछ नौवहन भाड़े के अनुपात के बारे में आंकड़े इस बीच एकत्र कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनरीक्षित चौथी योजना में माल के निर्यात तथा आयात किये जाने वाले माल की जहाजरानी में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) 1969–70 के संगत आंकड़ों को प्राप्त करने और अनुमान बनाने के लिये अभी समय नहीं आया। इस समय ऐसा करना बहुत जल्दी होगा। 1968–69 के लिये विदेशी जहाजों को किये गये भाड़ा-भुगतान की राशि इससे पहले के प्रश्न में दिये गये आधार पर अनुमानित करके, 209 करोड़ रुपये आयेगी ।

(ग) भारतीय जहाजों को भारत के समुद्रपार व्यापार का और अधिक भाग ले जाने लायक बनाने के लिये की गई सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही भारत के समुद्रपार के जहाजी टनभार का विस्तार करना है। इस अर्जन की गत सन्तोषजनक रही है क्योंकि समुद्रपार-टनभार जो तीसरी योजना के शुरू में 1-4-1961 को 5. 65 लाख जी० आर० टी था वह अब 20.22 लाख जी० आर० टी० है। इस दिशा में सरकार द्वारा की गई कुछ अन्य कार्यवाही इस प्रकार है :

(1) भारतीय जहाजी कम्पनियों को विदेशी लाइनर समैलनों और दर समझौते में प्रवेश करने के लिये सहायता देना।

(2) यू० एस० एस० आर० पोलैण्ड, यू० ए० आर० और जीडी आर जैसे विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता करना।

(3) भारतीय जहाजों को सरकारी माल और सरकार द्वारा नियंत्रित माल प्राप्त करने में सहायता देना।

(4) भारतीय जहाजी कम्पनियों को नये जहाजी रास्तों में प्रवेश के लिये प्रोत्साहित करना।

आयात / निर्यात माल ले जाने के मामले में आत्म निर्भरता का सामान्यतया अर्थ लगभग 50 प्रतिशत ऐसे माल को राष्ट्रीय जहाजों में ले जाना होगा। यदि चौथी योजना का 4.00 मीलियन जी० आर० टी० का लक्ष्य प्राप्त हो जाय तो भारतीय जहाज समुद्रपार व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत ले जाने की स्थिति में होंगे।

कांडला अरुद्ध पत्तन के बारे में पत्रकारों के एक दल द्वारा की गई टिप्पणियां

5977. **श्री क० प्रा० सिंह देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० वें० नायक :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई पत्रकारों के एक दल को सरकार ने हाल में देश में विभिन्न पत्तनों का अध्ययन करने के लिये भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस दल में शामिल किये गये अधिकांश पत्रकारों ने यह समाचार दिया है कि हहमा बड़े पत्तनों की दशा खराब है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कांडला अरुद्ध पत्तन का विशेष उल्लेख किया है जिसका इसकी क्षमता के बावजूद भी अभी तक उचित विकास नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जनवरी-फरवरी, 1970 में भारत के पश्चिमी तट के पत्तनों को देखने के लिये प्रेस के एक दल के लिये प्रबन्ध किया गया था।

(ख) दल में शामिल पत्रकारों ने, इसके प्रतिकूल, उस विकास और आधुनिकीकरण पर प्रकाश डाला जो इन पत्तनों पर हुआ है और रचनात्मक समालोचना के तौर पर कुछ पत्तनों के सामने आई हुई समस्याओं पर विचार किया और उनको हल करने के लिये क्या कदम उठाये जायें, पर विचार किया।

(ग) पत्रकारों ने कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र द्वारा की गई धीमी प्रगति पर टिप्पणी की है।

(घ) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र सतत प्रगति कर रहा है और क्षेत्र में कारखानों की संख्या शनैः-शनैः बढ़ रही है।

केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्था मैसूर के निदेशक के विरुद्ध आरोप

5978. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री गु० च० नायक :**

श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्था मैसूर के निदेशक के विरुद्ध बाल आहार पर स्वामित्व प्राप्त करने के सम्बन्ध में लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इसमें क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिवर स्टीम नेवीनेशन कम्पनी के कर्मचारियों को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में खपाना

5979. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री एम० मुहम्मद इस्माइल :**

श्री गणेश घोष : **श्री भगवान दास :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्स कारपोरेशन में खपाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो उनको न खपाने के क्या करण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि उनको खपाने अथवा उनके लिए दूसरे काम की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकदाल सिंह) : (क) भूतपूर्व रिवर स्टीम नेवीगैशन कम्पनी के 8241 कर्मचारियों में से 5288 को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में खपाया गया।

(ख) निगम केवल उतने ही कर्मचारियों को खपा सकता था जितने कार्य करने के लिये आवश्यक थे। रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के अधिकांश कर्मचारी जिन्हें निगम में नहीं खपाया गया उन्हें कम्पनी ने नदी सेवाओं के सम्बन्ध में अपने कलकत्ता और आसाम घाटों में खपाये। चूंकि पाकिस्तान होकर नदी मार्ग बन्द हो जाने से कलकत्ता और आसाम के बीच नदी सेवाएं ठप्प हो गई हैं अतः उनके नौकरी पर लगाने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) रिवर नेवीगेशन कंपनी के कर्मचारियों को खपाने के बारे में सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है परन्तु सरकारी उपक्रमों को लिखा गया है कि रिवर स्टीम नेवीगेशन के भूतपूर्व कर्मचारियों को जहां तक हो सके, भर्ती करें। यह ज्ञात हुआ है कि 400 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी और अर्द्ध सरकारी उपक्रमों में इस तरह नौकरी मिल गई है। 89 व्यक्तियों, जिन्हें या तो केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम में नौकरी की पेशकश की गई थी, ने उसे नामंजूर कर दिया था।

मारमागाओं पत्तन न्यास के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5980. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री उमानाथ :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री राममूर्ति :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारमागाओ पत्तन न्यास के ऐसे कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो मारमागाओ पत्तन और रेलवे कर्मचारी संघ में शामिल होने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को कुछ कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये ऐसे पर्चे प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ अधिकारियों की उस संघ के साथ सांठगांठ के विरुद्ध शिकायत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें मुख्य बातें क्या कहीं गई हैं ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि मारमागाव बाटरफ्रन्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव ने मारमागाव पत्तन न्यास को अभ्यावेदन दिया था कि कुछ दमकल के आदमियों को उसकी यूनियन में शामिल होने के कारण एक कनिष्ट कर्मचारी को तंग किया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में तैनात केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को वेतन का भुगतान

5981. **श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री पी० पी० आस्थोस : **श्री इ० के० नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में तैनात केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को गत कुछ महीनों से वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इनको समय पर वेतन देने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दल के कर्मचारियों को वेतन का शीघ्र तथा समय पर भुकतान हो, जब वे तैनात किए जाते हैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के प्राधिकारियों के पास स्थायी व्यवस्था है ।

बम्बई बन्द

5982. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री घो० ना० देव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रमेशचन्द्र व्यास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिव सेना ने हाल में बम्बई में एक दिन के बन्द का आयोजन किया था जिससे बम्बई महानगर में काम काज पूर्णत: ठप हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बम्बई में शिव सेना द्वारा 2 मार्च, 1970 को एक दिन का बन्द आयोजित किया गया था । वह निश्चित समय के चार घण्टे पहले उठा लिया गया । यह सूचित किया गया है कि वन्द कुल मिला कर शान्तिपूर्ण था । सरकार का विचार है कि नगर में सामान्य जीवन की अस्त-व्यस्त करने के लिये जानबूझ कर ऐसे किसी प्रयास के लिये कोई औचित्य नहीं हो सकता ।

दादरा और नागर हवेली का दर्जा

5983. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा और नागर हवेली क्षेत्र को, जिस पर इस समय केन्द्रीय सरकार का प्रशासन है, गुजरात राज्य से अलग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार यह कोशिश करने का है कि इस क्षेत्र की अब जैसी स्थिति है, हस्तान्तरण होने पर भी यह गुजरात राज्य के साथ रहेगा; और

(घ) इसका हस्तान्तरण करने के लिये कितना समय लगाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) दादरा व नागर हवेली एक संघ राज्य क्षेत्र है, अतः गुजरात राज्य से इसे पृथक् करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में हत्या, लूटमार तथा आगजनी के अपराधों में दण्ड प्राप्त व्यक्तियों के मामले वापिस लेना

श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने जिनको हत्या, लूटमार तथा आगजनी के अपराधों में दण्ड दिया गया था, पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के आदेशों से अपनी सजाओं में पूर्णतया छूट प्राप्त कर ली है अथवा काफी सीमा तक कम करवा लिया है; बड़ी संख्या में हिंसा के तथा सम्पत्ति के अपराधिक मामलों को वापिस ले लिया गया है, कई अन्य मामलों में पुलिस द्वारा जांच रोक दी गई है तथा अपराधियों को छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पहली मार्च, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक नक्सलबाड़ी की घटनाओं और अन्य राजनैतिक आन्दोलनों में अंतर्ग्रस्त उन 41 व्यक्तियों के दण्ड माफ कर दिये गये और उन्हें मुक्त कर दिया गया, जिन्हें हत्या, लूट इत्यादि के प्रयत्न करने के मामलों में दोष-सिद्ध किया गया था । हत्या, लूट तथा आगजनी के अलावा अन्य आरोपों पर दोष-सिद्ध अन्य 12 व्यक्तियों के दण्ड भी माफ कर दिये गये थे और उन्हें मुक्त कर दिया गया । राज्य सरकार द्वारा वापिस लिए गए मामलों के ब्यौरे मंगाये जा रहे हैं ।

औद्योगिक संस्थानों के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

5985. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या हैं, जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आरम्भ किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति से ऐसा किया गया है;

(ग) कितने मामलों में राज्य सरकारों ने आपत्ति की है;

(घ) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में कर्मचारियों और कार्मिक संघों ने औद्योगिक सुरक्षा दल को वहां लाने का विरोध किया है जिससे उस कारखाने की औद्योगिक शान्ति भंग होने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो इस विरोध के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय उर्वरक निगम,

ट्राम्बे यूनिट; भारतीय उर्वरक निगम, बरौनी यूनिट, हल्दिया तेल शोधक परियोजना, हिन्दुस्तान तेल निगम लि०, बोकारो इस्पात दुर्गापुर । लि०, बोकारो, हिन्दुस्तान इस्पात लि०, दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर ।

(ख) और (ग) चूंकि इस दल को केवल केन्द्रीय उपक्रमों में ही तैनात किया जाता है अतः संबंधित राज्य सरकारों की सहमति का प्रश्न नहीं उठता ।

तथापि, यह बता दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार सिद्धांत रूप में औद्योगिक सुरक्षा दल के गठन के विरोध में थी, किन्तु ऐसा होते हुए भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, हिन्दुतान इस्पात लि० के संदर्भ में दल का गठन करने के लिए कुछ प्रबन्धों तथा प्रक्रियाओं पर वह सहमत थी ।

(घ) तथा (ङ) बरौनी तेल शोधक कारखाने में कर्मचारी तथा कार्मिक संघों द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को वहां लाने का विरोध करना ध्यान में नहीं आया हैं ।

यह दल उपक्रम के लिए उत्तम संरक्षण तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए है अतः इससे औद्योगिक शान्ति भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसंधान कार्य की व्यवस्था के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

5986. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1 प्रतिशत भाग अनुसंधान कार्य में लगाने के लिये समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी नहीं, श्रीमान् ।

भूतपूर्व भारतीय रियासतों के नरेशों की निजी थैलियां और विशेषाधिकार

5987. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के उन नरेशों की कुल संख्या कितनी है जिनको निजी थैलियां मिलती हैं और विशेषाधिकार प्राप्त हैं ;

(ख) प्रत्येक नरेश को कितनी धनराशि मिलती है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य हैं ; और

(घ) लोक सभा और राज्य सभा में ये सदस्य किन-किन दलों से सम्बन्धित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 278.

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3164/70]

(ग) 12 लोक सभा में तथा राज्य सभा में कोई नहीं ।

(घ) लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित "लोक सभा के सदस्यों की सूची" के पांचवें संस्करण में दी गई उनकी दल-सम्बद्धता :

कांग्रेस	—	7
स्वतंत्र	—	3
असम्बद्ध	—	2
जोड	—	12

राजनीतिक पीड़ितों को छात्रवृत्तियां की राशि न दी जाना

5988. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 के लिये राजनीतिक पीड़ितों की छात्रवृत्तियां जो शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा 1,050 रुपये के लिये स्वीकृति सूची के क्रम संख्या 20 पर पत्र संख्या डी० ई० एस० (1) एस० सी० एच०/पी० एस०/69-70 दिनांक शून्य के द्वारा मंजूर की गई थी तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली विश्वविद्यालय शाखा में 6 अक्तूबर, 1969 को जमा कर दी गई थी, सम्बन्धित विद्यार्थियों को नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि सम्बन्धित विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व छात्रवृत्तियां मिल जायें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) किरोड़ी मल कालेज, दिल्ली के प्रिंसिपल द्वारा पेश किए गए 1050.00 रु० के बिल का अब खजाने से भुगतान हो गया है । उन्होंने एक विद्यार्थी को अदायगी कर दी है और शेष तीन विद्यार्थियों को भुगतान लेने के लिए कहा गया है ।

Political Parties Indulging in Violence

5989. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have considered and taken a decision on the question of declaring as unlawful those political parties which indulge in violence and spread panic ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Individuals indulging in acts of violence or spreading rumours likely to promote feelings of enmity or hatred between different religious or other specified groups can be dealt with under the existing law. Under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, Government have power to declare unlawful any associations, which undertake or encourage activities which are intended, or support any claim, to bring about the cession or the secession of a part of the territory of India from the Union or which disclaim, question or disrupt the territorial integrity of India. The question of extending the scope of these provisious to cover extremist associations was discussed by the Home Minister with leaders of opposition parties. Since their response was not encouraging, further action in the matter was not taken. Government are considering the question of legislation to deal with associations, which promote or attempt to promote, on grounds of religion, disharmony or feelings of enmity, hatred or illwill between different religious groups.

ईडन गार्डन, कलकत्ता में क्रिकेट टैस्ट मैच में भारतीय झंडे का न होना

5990. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 में कलकत्ता के ईडन गार्डन मैदान में अधिकृत क्रिकेट टैस्ट मैच के समय आस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी जानकारी थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1969 में कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेले गये क्रिकेट टैस्ट मैच के सभी दिनों में राष्ट्रीय ध्वज आस्ट्रेलिया के ध्वज के साथ-साथ फहराया गया था ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में चलाने का सुझाव

5991. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के अधिकांश कालेजों को पटियाला स्थित पंजाबी विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है ;

(ख) क्या अमृतसर में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश भी शिमला में एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है ;

(घ) क्या इन सब कारणों से चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय की स्थिति अनेक प्रकार से बड़ी विचित्र हो गई है ;

(ङ) क्या ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय सरकार चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में चलाये ; और

(च) यदि हां, तो सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जी नहीं । पजाब राज्य में कुल 126 कालेजों में केवल 35 पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से सम्बद्ध हैं ।

(ख) गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर में पहले ही स्थापित किया जा चुका है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सेवा किए गए क्षेत्रों में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पंजाब विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को कम करेगी ।

(ङ) जी, हां ।

(च) सुझाव की जांच की गयी है और इसे मान लेना सरकार के लिए संभव नहीं हो सका है ।

दिल्ली में रिंग रोड का चौड़ा करना तथा बिजली लगाना

5992. **श्री बलराज मधोक** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में धौला कुआं तथा नजफगढ़ के बीच रिंग रोड को अभी तक द्विपथी सड़क नहीं बनाया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिंग रोड के इस भाग में और नजफगढ़ रोड से शकूर बस्ती के बीच के भाग में अभी तक बिजली की व्यवस्था भी नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रिंग रोड के इस भाग के दोनों ओर जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप इस पर यातायात भी कई गुना बढ़ गया है ;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम और इस क्षेत्र के लोग इस सड़क पर बिजली की व्यवस्था करने और इसे चौड़ा करने की मांग करते रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो रिंग रोड के इस भाग को चौड़ा करने और इस पर बिजली की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) संभवतया, माननीय सदस्य धौला कुआं और नजफगढ़ सड़क के बीच के रिंग रोड के भाग का उल्लेख कर रहे हैं । यह भाग पहले ही दो गली की सड़क है ।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में क्षेत्र की जनता से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, परन्तु नगर निगम से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) धौला कुआं से नजफगढ़ सड़क तक की रिंग रोड पर रोशनी करने का प्रश्न सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है ;

जहां तक नजफगढ़ सड़क से रोहतक सड़क तक के भाग में रोशनी करने के प्रश्न का सम्बन्ध है दिल्ली प्रशासन को अनुमान भेजने के लिये कहा गया है, यदि वे सड़क के इस भाग में रोशनी करना आवश्यक समझें ।

जहां तक धौला कुआं से नजफगढ़ रोड तक के भाग को चौड़ा करने का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन को यातायात सर्वेक्षण करने को कहा गया है और यदि यातायात गणनाओं से चौड़ा करना उचित सिद्ध हो तो इस भाग को चार गली के लिये चौड़ा करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा गया है ।

इस समय यह बताना संभव नहीं कि धौला कुआं से शकूर बस्ती तक का रिंग रोड का कब विद्युतीकरण होगा और धौला कुआं से नजफगढ़ तक के रिंग रोड को कब चौड़ा करना संभव होगा क्योंकि यह यथेष्ट औचित्य और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

एयर इंडिया के कर्मचारियों की उपलब्धियों में तदर्थ वृद्धि

5993. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों की उपलब्धियों में 40 रुपये की तदर्थ वृद्धि करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) वेतन विषयक वार्ताओं को अन्तिम रूप दिये जाने तक, एयर इंडिया ने अपने ऐसे सभी कर्मचारियों को जिनका मूल वेतन 1000/- रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है, 1 अप्रैल, 1969 से 40/- रुपये प्रति मास का तदर्थ भुगतान करने का निर्णय किया है । भुगतान पहले ही किया जा चुका है ।

पेड़-पौधों के बारे में भारत-सोवियत विचार गोष्ठी

† 5994. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1970 में दिल्ली में पेड़-पौधों के बारे में एक भारत-सोवियत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस विचार-गोष्ठी के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत-सोवियत वैज्ञानिक सहयोग के तत्वावधान में नई दिल्ली में 2 फरवरी, 1970 से 6 फरवरी, 1970 तक "औषध विज्ञान तथा पेड़-पौधों से तैयार होने वाले रसायन" विषय पर भारत-सोवियत विचार का आयोजन किया गया था ।

(ख) इस गोष्ठी के रूप में सोवियत और भारतीय वैज्ञानिकों को एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने वनस्पति-उत्पादों से तैयार होने वाले रसायन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित जानकारी तथा दोनों देशों में इस क्षेत्र में हुए विकास के बारे में चर्चा की एवं विचारों का आदान-प्रदान किया ।

बम्बई में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेन्ट

5995. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **शिक्षा तथा युवक** सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में जनवरी, 1970 में एक अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेन्ट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस टूर्नामेंट का आयोजन किसने किया और इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ था ;

(घ) उनके मन्त्रालय और अखिल भारतीय खेल परिषद् ने यदि कोई सहायता दी थी, तो क्या ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) 1. अर्जेन्टाइना 2. बेल्जियम 3. हालैंड 4 भारत 5. इटली 6. जापान और 7. पश्चिम जर्मनी।

(ग) भारतीय हाकी संघ की ओर से बम्बई हाकी एसोसिएशन ने इस टूर्नामेण्ट का आयोजन किया था। इस पर हुआ कुल खर्च लगभग 3,85,642 रुपये (तीन लाख पिचासी हजार छः सौ बयालिस रुपये) था।

(घ) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श से भारत में टूर्नामेण्ट आयोजित करने के लिये भारतीय हाकी संघ को आवश्यक अनुमति प्रदान की गई थी।

आस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम कप्तान लारी द्वारा कलकत्ता क्रिकेट टैस्ट मैच में समाचार पत्र संवाददाता को गाली दी जाना

† 5996. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में क्रिकेट टैस्ट मैच के दौरान आस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम कप्तान लारी ने एक संवाददाता को गाली दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना की वास्तविकता जानने के लिये क्या उनके मन्त्रालय ने जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भारतीय क्रिकेट प्राधिकारियों को इन घटना का कोई ज्ञान नहीं है और वे इस मामले पर प्रकाश डालने में असमर्थ हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार समिति का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर प्रतिवेदन

5997. **श्री रामावतार शर्मा** : **श्री देवेन सेन** :
श्रीयशवन्त सिंह कुशवाहा : **श्री रवि राय** :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सम्बन्धी सरकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) सरकार समिति ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट का केवल प्रथम भाग पेश किया है, जिसकी जांच की जा रही है। पूरी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। फिर भी, सरकार, यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयत्न करेगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उच्च पदों पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों की योग्यताओं के सम्बन्ध में जांच

5998. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करा कर यह पता चलाने का है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में उच्च पदों पर नियुक्त वैज्ञानिकों तथा अन्य व्यक्तियों के पास अपेक्षित कार्य के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि ऐसी किसी जांच का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार समिति ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) में उच्च पदों पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की नियुक्तियों की जांच की है और उनकी रिपोर्ट (भाग-1) 10-3-1970 को लोकसभा पटल पर रख दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Expenditure Incurred by Central Hindi Directorate of Printing Work Regarding Correspondence Course

5999. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the year-wise expenditure incurred by the Central Hindi Directorate during the last two years on printing work relating to correspondence course ;

(b) whether it is a fact that the said work is being got done from outside when the machines and employees are available in the office ;

(c) if so, whether it is proposed to take action against the officers responsible for this ; and

(d) if not, the reasons therefor .

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) All the material required during 1968–69 and 1969–70 was got printed through the Chief Controller of Printing & Stationery without incurring any direct expenditure. Only a sum of Rs. 210/—has been spent on getting two question papers printed from a private printer on tender basis ;

(b) The Central Hindi Directorate has no equipment or staff for printing. Even the duplicating machines and the staff employed to operate them are unable to cope with the volume of duplicating work.

(c) & (d) Does not arise.

विदेशी सहयोग से चल रहे होटलों में विदेशी पर्यटकों का ठहरना

6000. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन होटलों के नाम क्या हैं जो विदेशी सहयोग से चल रहे हैं ; और

(ख) 1969-70 में उन होटलों में कितने विदेशी पर्यटक ठहरे थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल नई दिल्ली में केवल ओबेरॉय इंटरकैंटिनेंटल होटल विदेशी सहयोग से चलाया जा रहा है ।

(ख) होटल से प्राप्त सूचना के अनुसार, वहां अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970 तक कुल 51,330 विदेशी पर्यटक ठहरे ।

दिल्ली प्रशासन के मनोरंजन कर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

6001. **श्री जुगल मंडल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के मनोरंजन कर कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उन पदों का जिन पर वे कार्य कर रहे हैं, ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मार्च, 1970 तक गत तीन वर्षों में मनोरंजन कर अधिकारी और मनोरंजन कर निरीक्षकों अथवा उनके अधीन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

(ग) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं और शिकायत करने वालों के नाम क्या हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उस अवधि में निलम्बित अथवा स्थानान्तरित किए गए अधिकारियों अथवा उनके अधीन कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और उनका स्थानान्तरण तथा निलम्बन करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन के मनोरंजन-कर अधिकारी के कार्यालय में कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) मनोरंजन-कर अधिकारी	—	1
(2) मनोरंजन-कर निरीक्षक	—	3
(3) मनोरंजन-कर उप-निरीक्षक	—	6
(4) मनोरंजन-कर निरीक्षक (मुख्यालय)	—	1
(5) लेखापाल	—	1
(6) खजांची	—	1
(7) उच्च श्रेणी लिपिक	—	2
(8) आशुलिपिक	—	1
(9) निम्न श्रेणी लिपिक	—	4
(10) चपरासी	—	4
	कुल :	24

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) शिकायतों में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात के आरोप थे । एक शिकायत लम्बी अवधि तक कर्मचारियों को स्थानान्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में भी थी । शिकायत-कर्त्ताओं के नाम ये हैं :—

1. श्री सुरेश चन्द्र, लोदी कालोनी, नई दिल्ली ।

2. श्री राम लाल, जे० जे० कालोनी, दिल्ली ।

3. श्री वी० एन० ब्रह्मचारी, जाम नगर हाउस, नई दिल्ली ।

चूंकि शिकायतें साबित नहीं हुईं, इसलिए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(घ) 1967 से मार्च, 1970 तक की अवधि में किसी भी अधिकारी कर्मचारी को किसी भी आधार पर निलम्बित नहीं किया गया । 1969-70 में 2 मनोरंजन-कर उप-निरीक्षकों अर्थात् सर्वश्री के० एन० शर्मा तथा एस० एच० जाफरी को प्रशासनिक कारणों के लिए अन्य विभागों को स्थानान्तरित किया गया । इसके अलावा 1968-69 में तत्कालीन मनोरंजन-कर अधिकारी श्री यू० आर० जैन को भी स्थानान्तरित किया गया था किन्तु यह स्थानान्तरण किसी शिकायत के कारण नहीं किया गया था ।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उपद्रवों के कारण सम्पत्ति की हानि

6002. **श्री रा० बरुआ** : **श्री रामावतार शर्मा**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के पिछले आम चुनावों के पश्चात् वहां राजनीतिक उपद्रवों के कारण राष्ट्रीय तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति की बड़ी हानि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस राज्य में इसी अवधि में बड़ी संख्या में राजनीतिक हत्यायें हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का अनुमान क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का है तथा किस प्रकार से ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री विद्याचरण शुक्ल**) : (क) और (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है । तथापि, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3545 दिनांक 6 दिसम्बर, 1968 के उत्तर में यह बताया गया था कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1967 तथा 1968 में संदिग्ध राजनैतिक विद्वेष के कारण पश्चिम बंगाल में बीस हत्यायें हुईं लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 दिनांक 5 दिसम्बर, 1969 के उत्तर में यह भी बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार को अपने अभिकर्ताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार दलों के परस्पर झगड़ों तथा साम्यवादी (मार्क्सवादी / वामपन्थी) दल तथा अन्य उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण 1969 में पश्चिम बंगाल में 101 हत्याएँ हुई थीं ।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर सरकार की चिन्ता सदन को सूचित कर दी गई थी। सरकार कानून के समस्त उल्लंघनों से दृढ़ता से निपटने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार यथोचित कार्यवाही कर रही है।

काश्मीर में जन सम्मेलन

6003. **श्री रा० बरुआ :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला मई, 1970 में काश्मीर में दूसरा जन सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं; और यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त सम्मेलन का आयोजन करने में शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है; और यदि हां, तो किस प्रकार की और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) प्रधान मंत्री को भेजे गये पत्र में शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि मई, 1970 के अन्तिम सप्ताह में श्रीनगर में राज्य के राजनैतिक भविष्य के शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, न्यायोचित तथा वास्तविक हल का कोई सूत्र ढूंढ़ निकालने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का विचार है। उन्होंने पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर तथा पाकिस्तान से कुछ व्यक्तियों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया था ताकि वे अपने होमलैंड के भविष्य के लिए अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। सरकार ने ऐसी अनुमति न देने का फैसला किया है।

(ख) सरकार का विचार है कि विचार-विमर्श के लिये प्रस्तावित प्रश्न गलत है और उनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

कालीकट में हवाई अड्डे का निर्माण

6004. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में कालीकट (केरल) में हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस कार्य को आरम्भ करने में सरकार के सामने क्या रुकावटें हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) भूमि के अभिग्रहण तथा स्कीम से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य चालू करने का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे, प्रायोजना के लिये औपचारिक मंजूरी की प्रत्याशा में, जिसे प्राप्त करने लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, उनके द्वारा सुझाई गई तथा नागर विमानन विभाग द्वारा अनुमोदित की गई योजनाओं के आधार पर भूमि के

अभिग्रहण का कार्य प्रारम्भ करें। औपचारिक रूप में मंजूरी जारी किये जाने तथा भूमि अभिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद अन्य कार्यों को उस हद तक हाथ में लिया जायेगा जहां तक कि चौथी पंच वर्षीय योजना में निर्धारित सीमा के अंतर्गत उनके लिये साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निकाला हुआ पंचांग

6005. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रति वर्ष पंचांग तैयार कराती है ;

(ख) यदि हां, तो यह पंचांग किस अभिकरण के माध्यम से तैयार कराया जाता है ;

(ग) इस पंचांग को तैयार करने पर कुल कितना धन व्यय होता है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष इसकी कितनी-कितनी प्रतियां प्रकाशित की गईं और कितनी प्रतियां बेची गईं ; और

(ङ) क्या सरकार को इस पंचांग की आलोचना करने वाला और इसकी प्रामाणिकता को चुनौती देने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय पंचांग 12 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) पंचांग भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है तथा प्रकाशन प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के आधार पर, पंचांग के तैयार किये जाने पर वार्षिक औसत व्यय 26, 650/रुपये आये हैं।

(घ)

वर्ष	प्रकाशित की गयी प्रतियों की संख्या	बेची गयी प्रतियों की संख्या
शक संवत् 1889 (1967-68)	9, 500	4, 245
शक संवत् 1890 (1968-69)	9, 330	3, 970
शक संवत् 1891 (1969-70)	9, 500	3, 726

(ङ) जी, हां। मोटे तौर पर, देश में पचांग तैयार करने के दो सम्प्रदाय हैं ; अर्थात् एक रूढ़िवादी तथा दूसरा आधुनिक। राष्ट्रीय पंचांग आधुनिक संप्रदाय से सम्बन्ध रखता है तथा वैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं सूर्य, चन्द्रमा तथा ग्रहों के ज्योतिषीय प्रेक्षणों पर आधारित है।

जयपुर में इंडियन एयरलाइन्स के एक डकोटा विमान की दुर्घटना संबन्धी जांच के निष्कर्ष

6006. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 फरवरी, 1970 को जयपुर में इन्डियन एयरलाइन्स के एक डकोटा विमान बी० टी० सी० जे० एस० की दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या इस दुर्घटना से सम्बन्धित इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह सच है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का सामान तथा ट्रिम शीट गुम पाये गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के वी० टी० सी० जे० एच० डकोटा की 18 फरवरी 1969 को दुर्घटना हुई थी, 1970 में नहीं। जांच कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) जांच अधिकारी के जांच परिणाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(घ) सम्बन्धित अधिकारी जांच अधिकारी के समक्ष सामान 'लोड शीट' तथा 'ट्रिम शीट' प्रस्तुत नहीं कर सका।

विवरण

जांच-परिणाम :

1. विमान के पास उड़ान के लिए उड़न योग्यता का वैध प्रमाण-पत्र था।
2. कार्मिकों के पास उक्त प्रकार के विमान के लिये उचित प्रमाणन (एंडोर्समेंट) सहित वैध लाईसेन्स थे।
3. मौसम साफ और अच्छा था। परन्तु उड़ान अन्धकार के समय की जा रही थी जब अधोमुखी एवं तिरछी हवा चल रही थी।
4. विमान अत्यधिक लदा हुआ (ओवरलोड) था तथा गुरुत्व केन्द्रावस्था (सी० जी० पोजीशन) की पूरी तरह से उपेक्षा किये हुए था।
5. इस उड़ान की रवानगी के कार्यभारी यातायान सहायक द्वारा तैयार की गयी लोड शीट और ट्रिम शीट झूठी थी तथा सुरक्षा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विमान चालक से उसे अनजाने में वीकार करा लिया गया था ?
6. विमान का कमांडर सह-विमान चालक की सीट पर बैठा था तथा सह-विमानचालक स्कमांडर की सीट पर बैठा था।

7. विमान परिचारिका सुरक्षा अपेक्षाओं का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए मैटल-बाक्स पर बैठी थी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगें

6007. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान तथा निकोबार सरकारी कर्मचारी और कर्मगार संघ में 15 नवम्बर, 1969 को सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में काम पर रखे गये विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का उल्लेख किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) अन्दमान प्रशासन द्वारा इन मांगों पर विचार किया गया है। इनमें से कुछ स्वीकार करने योग्य नहीं पाई गई हैं। परीक्षा पूरी होने के इाद अन्य मांगों पर अन्दमान प्रशासन द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

पंजाब इन्जीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों का आवंटन

6008.**श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पुनर्गठन पर पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ के कर्मचारी भी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को आवंटन होने वाले कर्मचारियों के वर्ग में आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका आवंटन कब किया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह आवंटन न किये जाने के कारण उनके वेतनमान निर्धारित नहीं किये गये हैं और भूतपूर्व पंजाब के स्थायी कर्मचारी अब भी अस्थायी पदों पर ही कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के आवंटन का प्रश्न अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में निर्णय पंजाब सरकार से यह स्पष्टीकरण मिलने तक के लिये रोक दिया गया है कि क्या भूतपूर्व पंजाब राज्य में इस कालेज के कर्मचारी समूचे राज्य संवर्ग में थे अथवा केवल इस संस्था के लिये ही भर्ती किये गये थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने आवंटित न किये गये कर्मचारियों के लिए वेतनमानों के संशोधन के प्रश्न पर पहले ही निर्णय ले लिया है। कालेज को स्थायी संवर्ग संख्या का पुनरीक्षण इस संस्थान के कार्यभार के संदर्भ में इसकी कर्मचारी-सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा तथा कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

Jobs for Unemployed Commercial Pinots

6009. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation be** pleased to state :

(a) the number of Commercial Pilots with licences at present in the country who are unemployed ; and

(b) whether Government are proposing to take some steps to provide jobs to them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) While precise information in this regard is not available, 929 pilots held current professional categories of pilot's licences as on 31st December, 1969 as follows :—

Commercial Pilot's Licence holders	358
Senior Commercial Pilot's Licence holders	84
Airline Transport Pilot's Licence holders	487

(b) Requests for the services of Commercial Pilots are circulated among Flying Clubs etc.

Appointment of I. C. S. Officers as Secretary in Banaras Hindu University

†6010. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a senior I. C. S. Officers as Secretary of the Banaras Hindu University ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is proposed to appoint such officers in other Universities also ?

The Minister of Education & Youth Services (Prof. V.K.R.V. RAO) : (a) & (b) No, Sir. However, the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University has requested for the deputation of an I. A. S. Officer for appointment as his Secretary to assist him in stream lining the administration of the University. The request of the Vice-Chancellor has been acceded to by Government.

(c) There is no such proposal under consideration.

Communal and Parochial Activities in Universities

6011. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission has recommended that a ban should be imposed on the communal and parochial activities in the Universities ;

(b) whether the said recommendation has been rejected by the Kerala Government ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) to (c) The National Integration Council, at its meeting in June, 1968, had among others recommended that "University campuses should not be used for any communal or sectarian

purposes". Thereafter the University Grants Commission brought this to the notice of all the Universities. The Education Minister also addressed the State Education Ministers for implementation of this recommendation. The Kerala Government have accepted this recommendation and have requested the Universities in their State to implement the recommendation.

Withdrawal of Recognition to Examination conducted by Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha and Kerala Hindi Prachar Sabha.

6012. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Kerala Government have withdrawn the recognition of the examination conducted by the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and the Kerala Hindi Prachar Sabha ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :(a) Recognition granted to the training examinations conducted by Voluntary Organisations including the examinations conducted by the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and the Kerala Hindi Prachar Sabha was withdrawn from the academic year 1968-69, but those, who have acquired these training qualifications before the above date, are eligible for appointment.

(b) The reasons as furnished by the State Government for withdrawing the recognition are as under :

(1) The requirements of the Government and other aided schools for trained language teachers could be fully met by the Government Hindi training colleges at Trichur and Trivandrum.

(2) The Sabha did not stress much on teaching practice as they do not have any recognised schools attached to them.

(3) In the Hindi Advisory Board meeting of the State held on 3.2.1965 under the auspices of Shri Govind Narain, the then Adviser, the members were of the view that the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha need not take up any training programme to cater to the needs of the Department of Education. The Organisation has only to concentrate on the propagation of Hindi.

(4) The basic amenities necessary for a training institution are reported to be lacking in all these institutions.

(5) The teachers employed in these training centres were reported as either unqualified or under-qualified. Some of the teachers are reported to be even lacking in the basic general qualification.

(6) There is no comparison between the teaching staff of the Sabha and the training Institutions of Government. There is also no comparison in the duration of the course, leading to the final examination.

मैसर्स ब्रिटन नोरमन लिमिटेड द्वारा बनाये गये छोटे विमान का फीडर सेवा के लिये उपयोग करना

6013. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ब्रिटन नोरमन लिमिटेड ने 'आईलैण्डर' नामक एक ऐसा छोटा विमान बनाया है जो कि वस्तुतः फुटबाल के मैदान में उतर सकता है, और इसके प्रदर्शन की विभिन्न सरकारी विमान जांच कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें बड़े नगरों तथा उनके उपनगरों के हवाई अड्डों के बीच फीडर सेवा और छोटे शहरों के बीच नियमित उड़ानों के लिये टैक्सी के रूप में चलाने के लिए इन विमानों को प्राप्त करेगी ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा छोटे विमानों का संचालन महंगा पड़ेगा ; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन इस सेवा का संचालन करने के लिये एक अलग विमान अथवा राजकीय सहायता प्राप्त कम्पनी स्थापित करेगी अथवा यह कार्य अन्य संचालकों को करने की अनुमति देगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन विभाग और इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों ने 2 मार्च, 1970 को 'आईलैण्डर' का प्रदर्शन देखा था।

(ख) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

कोचीन में बड़े तेलवाहक जहाज खड़े करने के लिये तेल टर्मिनल

6014. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **नौवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में बड़े तेलवाहक जहाजों के खड़े करने योग्य एक तेल टर्मिनल के निर्माण के लिये स्वीकृति देने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 80,000 कुल टन भार के तेल वाहकों की धरा-उठाई करने के लिये मौजूदा बन्दरगाह के अन्दर एक तेल गोदी बनाने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9.12 करोड़ रुपये है।

केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रीमंडलों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या

6015. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधानमंडलों में दल-बदल सम्बन्धी समिति के विचार तथा प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारों को देखते हुये सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों के मन्त्रिमण्डलों में मन्त्रियों की संख्या सीमित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं है, तो ऐसी सीमा न लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार का तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में केन्द्र में मन्त्रिपरिषद् के आकार के बारे में और राज्य प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में राज्यों में मन्त्रिपरिषदों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है । प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । दलबदल सम्बन्धी समिति ने भी मन्त्रिपरिषदों के आकार को सीमित करने के प्रश्न की जांच की है । समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और उन पर संसद् में हुई टीका-टिप्पणी को ध्यान में रखकर सरकार का विचार विधान बनाने का है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Demands of Employees of Ashoka Hotels Ltd,, New Delhi.

6016. **Shri Nihal Singh.** Will be Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any agreement had been concluded in 1968-69 in regard to the demands of the employees of the Ashoka Hotels Ltd., New Delhi between the management of the Hotel and the Wage Board ;

(b) if so, the main points of the said agreement ; and

(c) the number of recommendations that have been implemented by now and that of the remaining recommendations and the action taken to implement them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation. (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The recommendations made by the Wage Board with regard to scales of pay and allowances have been implemented by Ashoka Hotel. The recommendation regarding the introduction of a scheme relating to a Staff Welfare Fund is being processed by the Management of the hotel.

Rules governing Recruitment and Promotion of Employees of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi.

6017. **Shri Nihal Singh.** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the rules governing recruitment and promotion of the employees of the Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ;

(b) whether it is a fact that the rules of recruitment and promotion followed by the said Hotel differ from those followed by other Government undertakings ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(d) if no action has been taken so far, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d) The Ashoka Hotel framed its recruitment and promotion rules in 1963 keeping in view the peculiar nature of the hotel industry and the general principles laid down by the Government of India in this behalf. The hotel has not made any comparison of its rules with those followed by other Government Undertakings.

Payment of Bonus to Employees of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi.

6018. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount paid as bonus to the employees of the Ashoka Hotels Ltd., New Delhi in 1967-68 and 1968-69 year-wise ;

(b) whether it is a fact that an agreement was concluded between the employees and the management of the said hotel in 1967-68 in respect of bonus ;

(c) whether it is also a fact that the employees have not been paid full amount of bonus for 1967-68 and 1968-69 and, if so, the reasons for non-payment of the arrears of bonus so far ; and

(d) the steps being taken by Government to expedite the payment of the arrears ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Mr. Karan Singh) : (a) The amount of bonus paid to the employees of Ashoka Hotel for the years 1967-68 and 1968-69 was Rs.4,24,954/- and Rs. 4,49,815. 74 respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. The full amount of bonus has been paid to the employees for the years 1967-68 and 1968-69 in accordance with the provisions of the Payment of Bonus Act, 1965 and no arrears are due to them in this regard.

(d) Does not arise.

अंदमान में मुख्य भूमि के व्यक्तियों को अंदमान विशेष वेतन देना

6019. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री अन्दमान के मुख्य भूमि के लोगों के बारे में 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य भूमि के भर्ती किए गये अन्दमान में बसे लगभग सभी लोगों ने अन्दमान प्रशासन से अन्दमान विशेष वेतन पुन: देने के लिये अभ्यावेदन किया था तथा ये अभ्यावेदन अन्दमान प्रशासन के पास आज तक अनिर्णीत पड़े हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये अभ्यावेदन अलग-अलग किस तारीख और किन कारणों से अन्दमान प्रशासन के पास अनिर्णीत पड़े हुये हैं ;

(ग) इन अभ्यावेदनों पर अन्दमान प्रशासन कब तक निर्णय कर इसकी सूचना दे सकेगा; और

(घ) क्या पीड़ित सरकारी कर्मचारी इस अवधि में, जिसमें ये अभ्यावेदन अन्दमान प्रशासन के विचाराधीन हैं, भारत सरकार से अपील कर सकते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस श्रेणी के पांच व्यक्तियों में से चार ने अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन को अभ्यावेदन दिये थे। इनमें से केवल एक व्यक्ति का अभ्यावेदन प्रशासन के पास 8 नवम्बर, 1968 से अनिर्णीत पड़ा है क्योंकि उसकी कुछ पुराने दस्तावेजों के संदर्भ में जांच की जानी थी और इसलिए भी कि इसी बीच अन्दमान विशेष वेतन का पुनरीक्षण करने के प्रश्न की ओर भारत सरकार का ध्यान गया था। अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन को इस अभ्यावेदन को शीघ्र निपटाने की आशा है।

(घ) भारत सरकार को अपील प्रस्तुत करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब नीचे के स्तरों पर निवारण पाने के सभी साधन समाप्त हो जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

6020. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पंजाब से हिमाचल प्रदेश में आने वाले कर्मचारियों को समानता देने तथा उनका एकीकरण करने के बारे में निर्णय करने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सलाहकार समिति ने आने वाले कर्मचारियों के दावों के बारे में निश्चय करते समय, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से उनकी सेवा-शर्तों, भर्ती तथा प्रक्रियाओं तथा पदोन्नति के अवसरों के बारे में पता किया है तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन उक्त आवंटित कर्मचारियों को कोई संरक्षण प्रदान किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से किसी अवस्था पर सलाहकार समिति द्वारा पंजाब सरकार से सेवा की शर्तें, भर्ती का तरीका तथा पदोन्नति के अवसरों का पता करने के लिए नहीं कहा गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 और 84 के अधीन पंजाब से हिमाचल प्रदेश सरकार को आवंटित कर्मचारियों के पदों को सामान्यता तथा उन्हें समान्वितता दी जाती है।

हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

6021. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय अराजपत्रित कर्मचारियों के कौन-कौन से वर्ग हैं और उनके वेतनमान तथा राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में और दूर स्थित क्षेत्रों में उनको मिलने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के भत्ते क्या हैं ;

(ख) केन्द्र में अथवा दिल्ली में इस समय अराजपत्रित कर्मचारियों के कौन-कौन से वर्ग हैं और उनके वेतनमान क्या हैं और उन्हें विभिन्न राज्यों में और दूर स्थित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भत्ते क्या-क्या मिलते हैं ; और

(ग) यदि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब वाले वेतनमान और भत्ते और केन्द्र अथवा दिल्ली के वेतनमान और भत्ते दिये जायँ, तो उनके वेतनमानों और भत्तों में कितना अन्तर होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 6 मार्च, 1970 से हिमाचल प्रदेश समेत सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को केन्द्रीय नमूने पर वेतन तथा भत्ते देने का निश्चय किया गया है। इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिए सभी संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के बारे में आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में बेसिक स्कूलों को समाप्त किया जाना

6022. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी बेसिक के स्कूलों की वर्ष 1969 में समाप्त कर दिया है जबकि पश्चिम बंगाल राज्य समेत पूरे देश में इस पद्धति जन्मदाता महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) 339 वरिष्ठ बेसिक स्कूलों (मिडिल स्कूलों) को पश्चिम बंगाल में अपर हाई स्कूलों में परिवर्तित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में साधारण श्रेणी की 32101 प्राथमिक पाठशालाएं और करीब 2500 अवर बेसिक स्कूल (लोअर प्राइमरी स्कूल) हैं।

पश्चिम बंगाल में बेसिक स्कूल पद्धति को समाप्त करने और उन्हें दूसरे प्राथमिक स्कूलों के समान ही लाने का विचार है। फिर भी कोई औपचारिक आदेश अभी जारी नहीं किये गये हैं। ऐसे सभी स्कूलों के लिये सामान्य पाठ्यचर्या रखने तथा प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों के लिये 'कार्य-अनुसंधान' शामिल करने का इरादा है।

शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट (सिफारिश सं० 102) में सिफारिश की थी कि बेसिक शिक्षा के आवश्यक सिद्धान्तों को सभी स्तरों पर शिक्षा पद्धति का मार्ग दर्शन करना चाहिये तथा उसे रचनात्मक रूप देना चाहिये और शिक्षा के किसी भी स्तर की बेसिक शिक्षा के रूप में नाम देने की आवश्यकता नहीं है। विचाराधीन प्रस्ताव और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाइयां उपर्युक्त सिफारिशों के समान ही हैं।

वैयक्तिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वस्थता शिक्षा

6023. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में प्रत्येक बच्चे तथा वयस्क को वैयक्तिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वस्थता के सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा देने के लिए कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) इस प्रश्न का सम्बन्ध ऐसे विषय से है, जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं । देश भर की सभी प्राईवेट और सरकारी शैक्षिक संस्थाओं से प्रत्येक बच्चे अथवा वयस्क के बारे में सूचना एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा, वह प्राप्य परिणामों के आनुपातिक न होगा ।

प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया

6025. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : **श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में प्रथम श्रेणी सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया क्या है तथा इन पर कैसे नियन्त्रण रखा जाता है ;

(ख) इस प्रकार चुने गये अधिकारियों पर कौन-सा अधिनियम लागू होता है ;

(ग) क्या प्रथम श्रेणी सेवा के लिये चुने गये अधिकारी को द्वितीय श्रेणी सेवा में और द्वितीय श्रेणी सेवा के लिये चुने गये अधिकारी को प्रथम श्रेणी सेवा में सम्बन्धित मन्त्रालय स्वेच्छा से नियुक्त कर सकता है ;

(घ) यदि प्रथम श्रेणी सेवा के लिए चुने गये अधिकारी को मन्त्रालय द्वारा न तो प्रथम श्रेणी में नियुक्त किया जाता है और न ही द्वितीय श्रेणी में, तो उस सेवा की सेवा-शर्तें क्या होंगी ;

(ङ) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चुनाव में हस्तक्षेप करने का मन्त्रालयों को अधिकार है और क्या वे अपने आप सेवा श्रेणी में परिवर्तन कर सकते हैं ; और

(च) मन्त्रालयों द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी सेवा के लिये चुने गये अधिकारी को कितने समय के लिए अस्थायी रखा जा सकता है और स्थायीकरण के लिए सामान्य रूप से क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

गृह-कार्य मन्त्रायल में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत सरकार के अधीन प्रथम श्रेणी सेवा के लिए अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया उस सेवा के लिए बनाए गए नियमों में निर्धारित की जाती है । ये नियम या तो ससद् द्वारा पारित किसी अधिनियम

के अधीन अथवा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए जाते हैं। प्रत्येक सेवा पर उस मंत्रालय / विभाग द्वारा नियंत्रण रखा जाता है जिसके साथ उस सेवा का प्रशासनिक सम्बन्ध हो।

(ग) रिक्तियां उपलब्ध होने और चयन सूची में उसकी स्थिति के अधीन किसी विशेष सेवा में किसी श्रेणी विशेष के लिए चुना गया अधिकारी सामान्यतया उस सेवा में उसी श्रेणी में नियुक्त किया जाता है। किन्तु यदि किसी सेवा के नियमों में यह व्यवस्था हो कि प्रथम श्रेणी में रिक्तियों के उपलब्ध न होने जैसे कुछ कारणों से कोई अधिकारी द्वितीय श्रेणी में नियुक्त किया जा सकता है तो ऐसी नियुक्ति सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। किन्तु द्वितीय श्रेणी के लिए चुने गये व्यक्ति को सामान्यतया प्रथम श्रेणी में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(घ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि किसी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया व्यक्ति किसी कारण से, अर्थात् कोई रिक्ति उपलब्ध न होने, डाक्टरी में उसके अयोग्य घोषित किये जाने इत्यादि के कारण उस सेवा / पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है तो वह उस सेवा का सदस्य नहीं बनता है और इसलिए उस पर सेवा की शर्तों से संबंधित कोई नियम लागू होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयन सरकार द्वारा सामान्यतया स्वीकार किये जाते हैं। जहां तक श्रेणी के परिवर्तन का संबंध है, स्थिति उपर्युक्त भाग (ग) में बता दी गई है।

(च) प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में किसी अधिकारी का स्थायीकरण उसके परिवीक्षावधि को सन्तोषजनक रूप से पूरा करने तथा स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः ऐसी कोई अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है कि किसी अधिकारी को कब तक अस्थायी रहना पड़ता है। किन्तु, परिवीक्षा की अवधि सामान्यतया दो वर्ष होती है जिसे प्रत्येक सेवा के नियमों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। स्थायीकरण के लिए, विशेषतया प्रथम श्रेणी में, किसी अधिकारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन सामान्यतया विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है जिसके साथ संघ लोक सेवा आयोग सम्बद्ध होता है।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

6026. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष करने तथा इस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने का है ;

(ख) क्या सरकार अपने उन कर्मचारियों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने की वांछनीयता पर भी विचार करेगी जो 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; और

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 31 दिसम्बर, 1969 को 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सभी सम्बद्ध तत्वों की सूक्ष्म परीक्षा के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु कुछ वर्ष पूर्व 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाये।

(ख) इस सम्बन्ध में 20 मार्च, 1970 को लोक सभा में श्री शिवशेखरन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3601 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी विमान समवायों के विमानों के यात्रियों में व्याप्त रोष

6027. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की तलाशी ली जाने के कारण होने वाले अनावश्यक विलम्ब के बारे में विदेशी विमान समवायों के यात्रियों में बहुत रोब पाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ऐसी ही स्थिति चलती रहेगी; और

(ग) क्या कोई और देश भी ऐसा ही करता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। नागर विमानन प्राधिकारियों के पास ऐसी अनावश्यक देरी के किसी मामले की सूचना नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पारादीप पत्तन का 42 फुट से अधिक तलकर्षण

6028. **श्री स० कुन्दू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप पत्तन के कछार तल और प्रवाह तल मिट्टी और रेत के हैं;

(ख) क्या भारत के अन्य बड़े पत्तनों के तल सख्त और चट्टानी हैं;

(ग) क्या पारादीप पत्तन के ऐसे भौतिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए एशिया तथा सूदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के इस्तेमाल मिशन ने यह सुझाव दिया है कि पत्तन का 42 फुट से अधिक तलकर्षण किया जाये;

(घ) यदि हां, तो क्या पारादीप पत्तन के 42 फुट से अधिक गहराई तक तलकर्षण के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ससद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कछार और जलमार्ग के तल में रेत और गाद है। मिट्टी नीचे के स्तरों पर है।

(ख) विशाखापत्तनम के सिवाय किसी भी मौजूदा पत्तन का तल कठोर और चट्टानी नहीं है। विशाखापत्तनम के जलमार्ग के दोनों ओर चट्टान होने के कारण जलमार्ग-तल के नीचे कुछ भाग में उथली गहराइयां हैं।

(ग) 12-1-1970 तारीख की इकाफ की लौह और इस्पात की एशियाई औद्योगिक विकास परिषद् की रिपोर्ट में पारादीप पत्तन के 42 फु० से अधिक गहरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में पीलिया संक्रामक रोग के फैलने का समाचार तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिये कार्यवाही

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, मैं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में पीलिया संक्रामक रोग के फैलने के समाचार तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही"

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि ओखला से प्राप्य पानी के दूषित होने के सन्देह के परिणामस्वरूप मार्च, 1970 से दक्षिण दिल्ली की बस्तियों में बार-बार जल की सप्लाई रुक जाने से जनता में काफी असन्तोष पैदा हुआ था। उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमने यह कहते हुए कि परेशान होने की कोई बात नहीं, इस बारे में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। तथापि काफी सावधानी बरतने के तौर पर आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज ने विषाणु युक्त जिगर की सूजन के रोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ रोग से प्रभावित बस्तियों का सर्वेक्षण करने का कार्य अपने हाथ में लिया।

मार्च, 1970 में आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज ने ओखला से जल प्राप्त करने वाले ग्रेटर कैलाश के क्षेत्र के कुछ चुने हुए लोगों की जांच की थी। उनकी उपलब्धियों के अनुसार, 17 मार्च से 24 मार्च के बीच 735 मामलों की जांच की गई और उनमें से कोई भी पीलिया रोग का मामला नहीं पाया गया।

25 मार्च से 30 मार्च, 1970 के बीच डाक्टरी जांच किये गये 395 मामलों में से 4 मामले पीलिया रोग के पाये गये तथा 31 मार्च 1970 से 5 अप्रैल, 1970 के बीच डाक्टरी जांच किये

गये 270 मामलों में से एक मामला पीलिया के रोग का पाया गया। चिन्ता की कोई बात नहीं है परन्तु विशेष सावधानी की दृष्टि से निम्नलिखित सावधानी बरती गई है :—

(1) पीलिया रोग के मामलों का उपचार करने के लिए दिल्ली के प्रत्येक बड़े अस्पताल में एक वरिष्ठ चिकित्सक के अधीन एक-एक वार्ड स्थापित किया जायेगा।

(2) प्रतिदिन की स्थिति की जानकारी के लिए तथा यथासम्भव अस्पताल में भर्ती तथा उपचार के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपाय तथा साधन सुझाने के लिये दिल्ली स्थित संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक भी सम्बन्धित लोगों को एक दैनिक विवरणिका प्रेषित करने के उद्देश्य से अस्पतालों तथा चिकित्सालयों में आने वाले पीलिया रोग के मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं।

(3) जहां तक इस रोग के बारे में वर्तमान जानकारी प्राप्त है, इस रोग के लिये गामा ग्लोबुलिन Gama Globulin नामक रोग निरोधक प्रयोग में लाया जा रहा है जिनकी देश में कम सप्लाई है। गामा ग्लोबुलिन की सप्लाई के बारे में जानकारी निम्न प्रकार से है :

(एक) हैफकीन इन्स्टीट्यूट बम्बई से एक-एक मिलिग्राम के 100 संपुटक पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

(दो) हैफकीन इन्स्टीट्यूट, बम्बई से ही एक-एक मिलिग्राम के 1000 संपुटक एक-दो में ही प्राप्त हो जायेंगे तथा 4000 संपुटक इस महीने के अन्त तक प्राप्त हो जायेंगे।

(तीन) गामा ग्लोबुलिन की 5000 खुराकें इस मास की 10 तारीख तक मास्को से प्राप्त हो जायेंगी।

(चार) विश्व स्वास्थ्य संघ ने भी गामा ग्लोबुलिन की 6000 खुराकें सप्लाई करने का वायदा किया है।

(पांच) गामा ग्लोबुलिन की 1000 खुराकें-के बुलगेरिया से भी अगले कुछ दिनों में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

(छः) अगले कुछ दिनों में ही ऐसी गर्भवती स्त्रियों को दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में सफदरजंग अस्पताल, आलइन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज माल वीय नगर स्थित दिल्ली नगर निगम के जच्चा-बच्चा केन्द्रों पर लाजपत नगर तथा कालकाजी टीके लगाने की भी व्यवस्था कर दी गई है।

विषाणुयुक्त जिगर सूजन रोग के सामान्य उपचार के लिये बी० कम्पलैक्स, विटामिन सी, ग्लूकोज तथा इन्जेक्शन ग्लूकोज सैलाईन का उपयोग किया जाता है। पीलिया के गम्भीर मामलों में निओन माईसीन का उपयोग होता है। ये सभी दवायें सभी अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। जनवरी 1970 से 8 अप्रैल 1970 तक विभिन्न अस्पतालों / चिकित्सालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों का एक विवरण संलग्न है। मृत्युओं की जानकारी कोष्टकों में दी गई है। इन प्रतिवेदनों से पीलिया रोग के न होने के संकेत मिलते हैं। मैं सभा को एक बार फिर यह आश्वासन दूंगा कि सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध होगा।

दिल्ली में जनवरी—अप्रैल 1970 के बीच विषाणु युक्त जिगर सूजन रोग से प्रभावित मामलों तथा उनसे हुए मौतों को दर्शित कराने वाला विवरण

मास	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सालय	लेडी हार्डिंग अस्पताल	कलावती सरन अस्पताल	सफदरजंग† अस्पताल	विलिंगडन अस्पताल	आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईन्सिज	पुलिस अस्पताल	डर्विन अस्पताल	हिन्दू राव अस्पताल	दिल्ली नगर निगम के अधीन अन्य अस्पताल / चिकित्सालय
जनवरी	66	+	2	33	7	10	1	6 (1)	27	+
फरवरी	28	+	3	34	9 (1)	7	5	3	23	+
मार्च	65	9 +	1	22	3 (1)	10	2	3	34	33
अप्रैल	13									
तिथिवार ब्यौरा	1—18 तक	1	1	5 (1)	4	3	—	6	8	1
1.	1	—	-	1	2	—	—	4	3	—
2.	—	1	—	—	1	—	—	—	4	—
3.	2	—	—	1 (1)	—	—	—	—	—	—
4.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—
5.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
6.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7.	2	—	1	2	—	—	—	1	—	1
8.	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—

†12 मार्च से 31 मार्च तक की जानकारी + जानकारी उपलब्ध नहीं है — कोई मामला नहीं कोष्टक में दी गई संख्या मौतों की है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जहां मंत्री महोदय ने सावधानी उपायों की इतनी बड़ी सूची पेश की है वहां यह भी कहा है कि चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। विशेषज्ञों के मत के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इस समय इस संक्रामक रोग के फैलने का कोई खतरा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पानी के दूषित होने के कारण इस रोग के फैलने की बिल्कुल ही कोई सम्भावना नहीं है ? क्या विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया है ?

दिल्ली में दो-दो प्राधिकरण होने के कारण सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये वक्तव्यों में परस्पर अन्तर है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 23 मार्च के अपने वक्तव्य में कहा है कि "ओखला जल योजना से प्राप्त जल अपेक्षित स्तर का नहीं है"—अब प्रश्न यह है कि क्या आप ओखला से जल की सप्लाई बन्द कर रहे हैं; और यदि हां, तो दूषित जल की सप्लाई को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहें हैं ? दूसरी ओर दिल्ली प्रशासन सरकार पर आरोप लगा रहा है कि क्या सरकार ओखला से पानी के इस बहाव को रोकने के लिये समुचित कार्यवाही नहीं कर रही हैं ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या सरकार गत दस वर्ष पूर्व फैली इस महामारी की घटना से कोई पाठ सीखेगी। मंत्री महोदय सारी स्थिति का गलत अनुमान लगा रहे हैं। लोग इस बीमारी से मरेंगे।

श्री के० के० शाह : प्रतिदिन ही डाक्टरी जांच, रक्त-जांच तथा नमूना सर्वेक्षण की कार्य-बाही की जा रही है तथा दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार के मध्य इस विषय में परस्पर पूरा समन्वय है। अतः किसी एक पर कोई आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह चाहें तो उन्हें प्रतिदिन की जांच रिपोर्टें दिखाई जा सकती हैं।

हम जल में आक्सिजन की मात्रा की जांच करते रहे हैं ओर यद्यपि इसमें 200 यूनिट तक अनुमति होती है तो भी हम 40 यूनिट से अधिक होते ही जल की सप्लाई रोक देते हैं और कई दिन तक भी यह सप्लाई रोक कर जांच कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी सावधानी-उपायों से प्रारम्भिक लक्षणों वाले मामलों का भी उपचार हो जायेगा। मैं यह तो नहीं कहता कि इस रोग के फैलने की कोई सम्भावना नहीं है परन्तु इसके फैलने की सम्भावना 15 से 45 दिन के बीच हो सकती थी और हम 45 दिन पूरे कर चुके हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar). The Surveys and examination made by either the Government or the Delhi Administration reveal that there are less number jaundice cases this year, as compared to those during the last year. But it is also true that until the Govt. blocks up the sources of pollution of water the situation is not going to be completely controlled. Would they finally stop taking supply of dirty water from Okhla ? Secondly, what steps are being taken to stop dirty water flowing from Government and other factories ? Whereas the pollution of water continues, the air pollution is also steadily increasing owing to the existence of many industries here. Would the Government include this aspect also in their legislations being brought in this regard ? Then, is it also a fact that the 1000 ampoules brought here have been declared out of date by the doctors ? Also may I know whether the Govt. have done any survey in regard to this matter that whether the polluted water causes more harm to the pregnant ladies and children between the age croup of four and five years ? If so, what measures have been taken in this regard ?

Shri K. K. Shah. The Corporation has stated that the supply of water from Okhla would be stopped from September, 1970. As regard pollution, we have asked all the factories not to discharge any water without treating it properly. Research is being carried out in regard to air pollution and quite a long examination is required to decide about the contents of oxygen. There is already a very short supply of ampoules from the Haffkine Institute and therefore there is no question of keeping any stock.

Then it is very difficult to have a survey of preganant women. However, we have decided to give injections to pregnant women in the last three months of pregnancy;

Shri Kanwar Lal Gupta. I want to know the number of pregnant women and children affected and what measures have been taken in their case ?

Shri K. K. Shah. We are trying to calculate even before the start of delivery.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur): These days the water level in the Jamuna goes down and all the sewage drains fall in it. The washermen also wash clothes in this water and the same water is supplied for drinking purpose after a little bit of filtration. This causes the breek out of many diseases including Malaria which is caused owing to mosquitoes which bread in this dirty water. Inspite of that the Government have closed down the Malaria Institute and have also stopped spraying DDT in Delhi and in all other parts of the country. May I know what steps are being taken to stop water pollution and also what action was taken by the Govt. on the report of Jaundice out-break 10-12 years ago ?

श्री के० के० शाह : यह कहना गलत है कि हमने मच्छरो की रोक-थाम का कार्य बन्द कर दिया है । अब हम इस कार्य की देखभाल कर रहे हैं । दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि ओखला से पानी सितम्बर, 1970 तक बन्द कर दिया जायेगा और साथ ही दूसरी मशीनरी लगाई जायेगी । जहां तक दस-बारह साल पहले फैले पीलिया रोग की रिपोर्ट की बात है, उसके बारे में दो समितियां बनी हैं जो रिपोर्ट तैयार कर रही हैं । वह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : दिल्ली में कुल 1550 लाख गैलन पानी की सप्लाई होती है जब कि ओखला से केवल 60 लाख गैलन दूषित पानी मिलता है । चार वर्ष पूर्व एक विदेशी विशेषज्ञ ने भी सरकार को ओखला में पानी की सप्लाई बन्द करने को कहा था । सरकार ने यह सप्लाई बन्द क्यों नहीं की तथा दक्षिण दिल्ली को अपनी सामान्य प्रणाली से क्यों संबद्ध नहीं किया ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जहां मंत्री महोदय इस संक्रामक रोग के मामलों का आरम्भ में ही पता लगाने में असफल रहे वहां उन्होंने जनता में भी इस रोग के लक्षणों का प्रचार क्यों नहीं किया ताकि लोग स्वयं इसका उपचार कराने पहुंचते तथा शेष लोग इसके संक्रमण से बचते ?

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि दिल्ली में 30-31 गैलन प्रति व्यक्ति जल होना चाहिये जब कि यहां केवल 11 गैलन की उपलब्ध है । यह बात हमने नगर निगम को बताई है परन्तु उन्हें भी वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह भ्रामक उत्तर है । अनेक बार यहां सभा में मांग की गई है कि दक्षिण दिल्ली में जल सप्लाई की उचित व्यवस्था की जाये तथा हर बार सरकार ने कुछ न कुछ करने का वचन दिया है । वहां गर्मियों में 3 महीने तक पानी उपलब्ध नहीं होता । इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री के० के० शाह : प्रो० मधोक भली प्रकार जानते है कि यह कार्य नगर निगम (पालिका) कर रहा है। हमने उन्हें रुपया भी खूब दिया है। वह नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूछ सकते हैं।

अब छः मास के अन्दर ही नई सप्लाई उपलब्ध हो जायेगी और ओखला से पानी की सप्लाई बंद कर दी जायेगी। जहां तक जांच-व्यवस्था का सम्बन्ध है, आलइंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज के लोग नमूने ले रहे हैं तथा पानी की जांच कर रहे हैं।

इस पानी में एनजीमा (Enzyma) पाया गया है और हमने लोगों को सूचित किया है यदि उन्हें कुछ काला-सा मूत्र हो तो वे तुरन्त डाक्टर के पास जायें।

श्री एस०एम० कृष्ण (मंडया) : यह समस्या बार-बार उठती है और सरकार इसका समाधान नहीं कर पाती। मुझे याद है कि 1955 में नई दिल्ली में 10,000 लोग पीलिया रोग से प्रभावित हुए थे तथा उनमें से 86 की मृत्यु हुई थी। इसके परिणामस्वरूप एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी और सरकार ने इस बारे में विचार किया था। इस समिति ने तेरह सिफारिशें की थीं। क्या सरकार ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है?

श्री के० के० शाह : निर्धारित समय में जल सप्लाई को बन्द करने के सिवाय सभी सिफारिशों पर कार्यवाही की गई थी। समिति द्वारा सुझाये गये सभी सावधानी उपायों को अपनाया गया था।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विवरणियां और सूचना) (संशोधन) नियम

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विवरणियां और सूचना) (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 760 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल टी संख्या—3150/70]

पत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन गिगम

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से मैं प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 20-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत समाचार पत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन, नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 203 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल टी सख्या—3151/70]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : On a point of order. May I know whether Shri Satya Narayan Sinha has authorised Shri Iqbal Singh to lay papers on the table on his behalf ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : अन्य मंत्रियों की अनुपस्थित में उनकी ओर से कोई भी मंत्री पत्र सभा पटल पर रख सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar). I think Shri Iqbal Singh has not been authorised.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : When a Minister is absent then his deputies should lay the papers and not others.

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके उपमंत्री पत्र नहीं रख सकते तो मुझे इसकी सूचना दी जानी चाहिए । खैर आज तो मैं ये पत्र रखने की अनुमति देता हूं परन्तु भविष्य में नहीं दूंगा । यदि मंत्री महोदय सभा में उपस्थित न हों तो उनके राज्य मंत्री या उपमंत्री पत्रों को सभा पटल पर रखें । यदि वे भी नहीं होंगे तो मैं तब तक अन्य मंत्रियों को इसकी अनुमति नहीं दूंगा जब तक कि मुझे इसकीं सूचना न दी जाये ।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सरोजिनी महीषी) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 10 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 424 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 10 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 425 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 10 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 426 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का दूसरा संशोधन, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 453 में प्रकाशित हुआ था ।

(5) भारतीय पुलिस सेना (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 454 में प्रकाशित हुए थे ।

(6) जी० एस० आर० 455, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें 6 दिसम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2714 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(7) जी० एस० आर० 456, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें 13 दिसम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2736 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(8) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 28 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 494 में प्रकाशित हुए थे ।

(9) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का दूसरा संशोधन, जो दिनांक 28 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 495 में प्रकाशित हुआ था ।

(10) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 में 1970 का तीसरा संशोधन, जो दिनांक 28 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 496 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी–संख्या 3152/70]

कलकत्ता पत्तन का वार्षिक लेखा

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं वर्ष 1967-68 के लिये कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल टी संख्या 3153/70]

प्राक्कलन समिति

(ESTIMATES COMMITTEE)

105वें प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

श्री ए० श्रीधरन (ब्रडागरा) : मैं प्राक्कलन समिति के 105वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में सम्मिलित एक सिफारिश के उत्तर का एक विवरण जो प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजा गया था, सभा पटल पर रखता हूं ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Every time the Chairman of the Estimates Committee submits his report in English. I want to know when the Hindi copy of the same will be made available ?

Shri Molhu Prasad : Every day we raise this question but there is no change in the situation and no Hindi Translation is made available.

Shri Kameshwar Singh : Mr. Speaker. Please ask them to lay a Hindi Translation. of the Report also.

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I present the Hundredth Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations contained in their Seventy-third Report relating to Direct Taxes.

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS EROM SITTING OF THE HOUSE

13वां प्रतिवेदन

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The Hon. Home Minister had promised to lay the list of 102 missing persons and also the other details in this regard. Three women are also missing, You kindly fix some time and ask the Hon. Minister to give full information.

Shri Kameshwar Singh : You please ask him to give a statement in this regard.

Mr. Speaker: I will remind him.

अनुदानों की मांगें—1970-71

DEMANDS FOR GRANTS—1970-71

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय—(जारी)

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया है कि सूती कपड़ा उद्योग संकट में है। उत्पादन कम हो गया है, कपास के मूल्य बढ़ गये हैं और रुई का आकस्मिक आयात करना पड़ा है। कपड़ा मिलों की स्थिति फिर भी ज्यों की त्यों बनी है। सरकार भारतीय कपड़ा मिल महासंघ के हाथों की कठपुतली बनी हुई है और छोटे मिलों की उपेक्षा करके बड़े-बड़े मिलों के हितों को ही लाभ पहुंचा रही है। सरकार ने देश में अभाव को दूर करने हेतु अभी हाल ही में पी एल 480 के अन्तर्गत कपास का शीघ्र ही आयात कराने का निर्णय किया था और उस सारे आयात को इन्हीं बड़े मिलों में वितरित कर दिया गया। जब इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया तभी जाकर उन्होंने नीति में संशोधन किया और अब के बाद आयात कृत सारी कपास का वितरण तकुओं के आधार पर किया जायेगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि केवल छोटे मिलों पर ही संकट क्यों आया ? बड़े मिल इससे प्रभावित क्यों नहीं हुए ? कारण यह है कि सरकार ने छोटे तथा बड़े मिलों के साथ समान दृष्टि से व्यवहार किया है । चाहे वह मिल 12,000 तकुओं का हो चाहे एक लाख का, सब पर समान रूप से ही उत्पाद शुल्क आदि का बोझ डाला गया है । यह कैसे हो सकता है कि छोटे मिल ऐसे बड़े मिलों के समान ही इस वित्तीय बोझ को उठा सकें जिनका मूल्यानुसार उत्पादन बहुत अधिक है । क्या वे छोटे मिल बड़े मिलों से प्रतियोगिता करने के लिए उतना ही खर्च करेंगे, वही शुल्क देंगे तथा नियंत्रित किस्म के भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़े का अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे । इसलिये यह बड़ा ही जरूरी है कि बड़े और छोटे मिलों पर भिन्न-भिन्न दरों से उत्पादन शुल्क लगाया जाये ।

इन यूनिटों को और अधिक संकट-ग्रस्त होने से बचाने के लिये मैं यह सिफारिश करता हूं कि सरकार छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के अनुसरण में 12,000 तकुओं वाले कताई मिलों तथा 500 खड्डियों वाले बुनाई मिलों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त कर दे । इससे छोटे उद्योगों को कुछ उत्साह मिलेगा ।

हाल ही में रिजर्व बैंक ने कपास के लिये अग्रिम धन देने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है । इस नीति से भेद भाव भी पैदा हुआ है तथा भारतीय कपास का उपयोग करने वाले मिलों की तुलना में विदेशों से आयातित कपास का उपयोग करने वाले मिलों को अधिक लाभ हुआ है । इस नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है ।

जूट उद्योग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जूट उद्योग वर्ष 1969 में बड़ी कठिन स्थिति से गुजरा है । मेरा विचार है कि वर्ष 1970 में इस उद्योग की और भी अधिक बुरी स्थिति रहेगी । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दरियों के बनाने में काम आने वाले जूट के निर्यात में वृद्धि हुई है जब कि वस्तुस्थिति यह है कि हाल ही के महीनों में इस जूट के निर्यात, उत्पादन तथा इसके नौवहन में 50 प्रतिशत की कमी हुई । इसका कारण यह है कि हमने जूट उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया है जिससे इसके मूल्य में वृद्धि हुई है । वर्ष 1951 से जब-जब हमने जूट उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क लगाया है इसके निर्यात के बारे में हमारा स्थान पीछे ही होता गया है और पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है । अब इस सम्बन्ध में उपेक्षा या शिथिलता से काम नहीं चलेगा । यदि यह उत्पाद-शुल्क हटा दिया जाये तो हम अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में अपने खोये हुए स्थान पुनः प्राप्त कर सकते हैं ।

आयात व्यापार पर सरकार का एकाधिकार बढ़ता जा रहा है । आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बेकार सी बातें की जा रही हैं । इस बारे में मुझे एक बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि सरकार देश की सेवा करने के साथ वर्ग संघर्ष तथा राष्ट्रीयकरण के समाजवादी कार्यक्रम को एक साथ नहीं चला सकती । इसे उन दोनों में से केवल किसी एक को चुनना होगा ।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । यह बड़े ही सन्तोष की बात है कि वर्ष के दौरान इस मंत्रालय ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वाङ्गीण प्रगति दिखाई है । उद्योगों के उत्पादनों में वृद्धि हुई है । अनेक कठिनाइयों के

बावजूद निर्यात की गति को बनाये रखा गया है, बल्कि उसमें वृद्धि की गई है। व्यापारिक अंतर में भी उल्लेखनीय कमी की गई है। इसके विपरीत विपक्ष की ओर मेरे मित्र ने जो आंकड़े और प्रतिशततायें बताई हैं वे भ्रामक हैं।

तथ्य तो ये है कि वर्ष 1967 में हमारा निर्यात 1200 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1968 में यह 1364 करोड़ रुपये हुआ तथा इस वर्ष भी अनेक कठिनाइयां और उतार-चढ़ाव होने के बाद भी हमारा यह निर्यात 1420 करोड़ रुपये का हुआ। यह सफलता बड़ी महत्वपूर्ण है और मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई दी जा सकती है।

इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह चेतावनी भी देना चाहूंगा कि चालू वर्ष एक अत्यन्त कठिन वर्ष होगा और इसके दौरान निर्यात में वृद्धि प्राप्त करने के लिये सतत प्रयास और बड़ी कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। सभी उद्योगों के लिये अनेक आधारभूत कच्चे माल की बड़ी कमी है जिसके लिये समय पर तथा समुचित कार्यवाही करने की बड़ी आवश्यकता है ताकि उत्पादन में हानि न हो। दूसरे, उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण मूल्यों में बड़ी ही तेजी आ रही है। तीसरे, कपास, जूट, चाय, काफी, तिलहन, रबर तथा काजू की व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु में गम्भीरता से प्रयास किये जाने चाहिएं ताकि देशी उद्योग की मांग भी पूरी हो सके तथा आयात में कमी की जा सके। मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपराह्न भोजन काल के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर छः मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at six minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

6 अप्रैल, 1970 के प्रदर्शनकारियों में से कथित लापता लोगों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PERSONS REPORTED MISSING FROM AMONG DEMONSTRATORS OF 6TH APRIL 1970

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): Mr. Deputy Speaker, Sir, Mr. Speaker had stated that he would ask the Minister of Home Affairs to submit the list regarding the persons belonging to Samyukt Socialist Party whose condition is serious in the Hospital but he is not here. Mr. Speaker had assured us two days before that Home Minister will give us that list.

उपाध्यक्ष महोदय : जितना कुछ आप चाहते हैं उसके बारे में गृह मन्त्री जी को सूचना दे दी गई है। श्री दामानी।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Are you assuring that he will make his statement today ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि तैयार होने पर वह सदन में आ जायेंगे ।

अनुदानों की मांगें—1970-71

DEMANDS FOR GRANTS—1970-71

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैंने यह बताया कि चालू वर्ष में किस प्रकार निर्यात बढ़ा तथा इसे और अधिक बढ़ाने के लिये किस बात की आवश्यकता है । निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिये उद्योगों को तेजी से स्थापित करके उनका विस्तार करना चाहिये

कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कुछ आंतरिक मांगों को कम कर दिया जाना चाहिये परन्तु मैं इसमें विश्वास नहीं करता । इस बात के लिये कोई भी व्यक्ति यह राय नहीं देगा कि मांगों को कम किया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय निर्यात बढ़ाने के लिये समुचित कार्यवाही करेंगे ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं जूट तथा चाय का हमारा निर्यात काफी कम हो गया है । हमारा जूट उत्पादन 40 लाख गांठों से 70 लाख गांठों तक बढ़ गया है जो कि एक अच्छी प्रगति है फिर भी निर्यात गिर जाने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है । कच्चे जूट के कम मूल्य मिलने के कारण किसान निराश हो जाते हैं और इसलिये उत्पादन फिर गिर सकता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि शायद हमें इसका गत वर्ष की तरह आयात करना पड़े । अतः जूट का निर्यात बढ़ाने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहिएं ।

विश्व बाजार में जूट की मांग सीमित है । कीमतों को वसूल करने में समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न बाजार भाव की कीमतों की जांच करने के लिये सरकार के पास साधन हैं । स्थानीय मांग में भी सुस्ती है । जूट निर्यात बढ़ाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

इसी तरह चाय के सम्बन्ध में भी हमारा निर्यात गिर गया है और अपना निर्यात बढ़ाने के लिये सामयिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

इस बजट में जूट के निर्यात शुल्क पर कुछ छूट दी गयी है । इस शुल्क की छूट से जूट निर्माताओं को कोई विशेष राहत नहीं मिलेगी क्योंकि यह तो कुल जूट निर्यात का 5 प्रतिशत है तथा शेष 95 प्रतिशत की उपेक्षा कर दी गयी है । चाय से निर्यात शुल्क कम किये जाने की आवश्यकता है ताकि चाय का निर्यात बढ़ सके ।

आयात का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें कमी हो गयी है । गत वर्ष के 1933 करोड़ रुपये के आयात के मुकाबले इस वर्ष 1592.5 करोड़ रुपये तक का ही आयात हुआ है जो कि 17.6 प्रतिशत की

आयात में कमी बताता है । इस प्रकार निर्यात में तो 60 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा आयात में 340 करोड़ रुपये की कमी हुई । व्यापार में यह अन्तर गत वर्ष 500 करोड़ रुपये था जो अब केवल 100 करोड़ रुपये ही रह गया है ; इससे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति सुदृढ़ हो गयी है और देश विदेशी मुद्रा जमा करने की स्थिति में आ सका है ।

इसके साथ ही यह आवश्यक है कि आधारभूत कच्चे माल के आयात की उदारता के साथ व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि निर्यात के लिये किये जाने वाले उत्पादन पर प्रभाव न पड़े और उद्योग को घाटा न हो ।

जहां तक सूती वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है, हम सब समिति पर निर्भर हैं । अत: जो कोई भी निर्णय लिया जाये उसे सर्व सम्मति से लिया हुआ माना जाना चाहिये । इसमें किसी क्षेत्र विशेष की तरफदारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

गत वर्ष सूती वस्त्रों का निर्यात 95 करोड़ रुपये था तथा इस वर्ष निर्यात का लक्ष्य पूरा हो गया है क्योंकि निर्यात 105 करोड़ रुपये तक बढ़ गया तथा हम 110 करोड़ रुपये निर्यात की धन राशि को भी चालू वर्ष में पार कर सकते हैं ।

सरकार को उन सब समितियों की सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिये जो इन उद्योगों का आधुनिकीकरण करने और देशी कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये बनाई गई थी । देशी कपास का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये, ताकि कपास का उत्पादन बढ़े और देश को इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो ।

अब मैं राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम जो देश की दो बड़ी संस्थायें हैं; उन पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं । सरकारी नीति के अनुसार इन दोनों संस्थाओं को भविष्य के लिये बड़ा कार्य करना है । इन संस्थाओं के लिये बहुत-सा कच्चा माल आयात करना पड़ता है अत: हमें यह देखना है कि समय पर कच्चे माल का आयात हो ताकि हम अपना निर्यात बढ़ा सकें ।

निर्यात के सम्बन्ध में जहां तक राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध है, गत वर्ष 30 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया तथा इस वर्ष निर्यात बढ़ कर 48 करोड़ रुपये का हो गया । उनके द्वारा 60 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । यह 48 करोड़ रुपये का निर्यात कार्य देश के कुल निर्यात का $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत से भी कम है । हम आयात करने का सरल कार्य तो कर रहे हैं परन्तु हमें निर्यात को बढ़ाने के कठिन कार्य के लिये भी प्रयत्न करना चाहिये ।

मैं थोड़ा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बारे में कहना चहता हूं । इस निगम को लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात कार्य सौंपा गया है, लेकिन उनका कार्य उल्लेखनीय नहीं है । जो कुछ भी वृद्धि की गई है वह कुछ गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से हुई है । अत: उन्हें अयस्कों का हमारा निर्यात बढ़ाने के लिये नई मंडियों में जहां गुजाइश है, सम्पर्क बनाने के लिये सभी प्रयत्न करने चाहिये । परन्तु जब से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को यह कार्य सौंपा गया तभी से हमारा निर्यात घट गया ।

इसी प्रकार गत वर्ष स्वीडन की लौह-अयस्क खानों में महीनों तक हड़ताल चली। उस समय योरोप की धातु मिलों को लौह-अयस्क की सख्त जरूरत थी तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस सुअवसर का लाभ उठा सकता था। इसके उपरान्त पूर्वी योरोपीय देशों के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुये भी वे सोवियत-संघ से लौह-अयस्क मंगाते हैं। ऐसे अवसरों को इस निगम को कभी हाथ से नहीं निकलने देना चाहिये तथा अयस्कों का निर्यात बढ़ाना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम यह कह सकता है कि हमारा निर्यात बढ़ गया है परन्तु वह तो बहुत थोड़ा है। बहुत से बाजार हैं जहां लाभ उठाया जा सकता था परन्तु इस निगम ने ऐसा नहीं किया।

आस्ट्रेलिया केवल दो वर्ष पहले ही अपने लौह-अयस्क के लिये मंडियों में पहुंचा है। मंत्री महोदय सभा को बतायें कि आस्ट्रेलिय का लौह-अयस्क का निर्यात प्रति वर्ष किस दर पर बढ़ा है और हमारे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य की इससे क्या तुलना है। सरकार द्वारा प्रति टन 180 रुपये की राज सहायता के उपरान्त भी उनका फेरो मैंगनीज का निर्यात नाम मात्र का था। मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें और इस संस्था को एक अच्छा रूप और दृष्टिकोण प्रदान करें, ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : श्रीमन्, जैसा कि श्री तापड़िया तथा अन्य लोगों ने बताया कि विश्व में व्यापार में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना में हमारा व्यापार बहुत कम है। यद्यपि गत वर्ष तथा उससे पहले के वर्ष में हमने व्यापार में वृद्धि की है परन्तु क्या मंत्रालय इस अच्छी प्रवृत्ति को कायम रखने के लिये प्रयास करेगा ? 15 अगस्त के हिन्दू समाचार-पत्र में 'क्या निर्यात में तेजी कायम रखी जा सकती है ?' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा गया था कि आधुनिक निर्यात बाजार के लिये धैर्य्य तथा सक्रियता की आवश्यकता है। गत दो वर्षों में की गई सफलता की देखभाल करने के लिये देश की आंतरिक मांगों की वसूली के कारण ही की गई वृद्धि को समाप्त नहीं कर देना है। इसका कारण यह है कि विदेश व्यापार मंत्रालय में उदासीनतापूर्ण निष्क्रियता व्याप्त है। यदि हमने सावधानी के साथ सुदृढ़ बाजार तैयार किये होते तो हम, विशेष कर हथकरघा के सम्बन्ध में अपना बहुमुखी निर्यात बढ़ाने की अच्छी स्थिति में हो सकते तथा चीनियों और जापानियों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते।

मैं संक्षेप में हथकरघा निर्यात, विशेषकर हथकरघा धागा न कि हैथकरघा उद्योग, के बारे में कहूंगा। निर्यात प्रोत्साहन परिषद् और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना के बाद भी हमें कोई प्रगति मालूम नहीं देती है। यदि हम पिछले वर्षों के निर्यात आंकड़ों को देखें तो कोई वृद्धि नहीं पाते हैं।

यह बात जान कर खेद होता है कि सरकारी देख-रेख में बहुत से गैर सरकारी निर्यात करने वाले हथकरघा धागा विदेशों में निर्यात करते थे परन्तु इन संस्थाओं की स्थापना के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। अतः ऐसा लगता है कि इस तंत्र की कार्य प्रणाली में मूलतः कुछ दोष है।

सरकार समझती है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लोगों को प्रशिक्षण मिलता है तथा बाजार का अध्ययन भी होता है परन्तु अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना से इस उद्योग के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बोर्ड बम्बई में स्थित है जो हथकरघा क्षेत्र से बहुत दूर

है जब कि बम्बई में मिलों से बने कपड़ों का वातावरण है, वहां कैसे हथकरघा उद्योग चल सकता है। कौन सी ऐसी बात थी जिससे सरकार को बम्बई में इसे स्थापित करने के लिये विवश होना पड़ा। मंत्री महोदय विचार करें कि क्या बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर नहीं ले जाया जाना चाहिये, जहां कि उद्योग सर्वाधिक हैं, विशेष रूप से मद्रास में। तब यह बोर्ड उद्योग की कठिनाइयां अच्छी तरह समझ सकेगा।

यह भी आवश्यक है कि निर्यात प्रोत्साहन परिषद् को बोर्ड के साथ मिल कर कार्य करना चाहिये। इसे यह देखना चाहिये कि विदेशों के उपभोक्ता बाजारों की बदलती हुई रुचि और ढांचे को ध्यान में रखते हुये ढांचे में कैसे सुधार किया जा सकता है। जब तक हम ढांचे, अभिकल्प, रंगों आदि में परिवर्तन करने के लिये इसकी मदद करने की दृष्टि से एक प्रकार का संस्थान नहीं बनाते, तब तक हमारे लिये कोई प्रगति करना संभव नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में मैं श्री एस० के० सम्बन्धन के नेतृत्व में हाल में जो शिष्ट मंडल विदेश भेजा गया था, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस शिष्ट मंडल ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इसने सुझाव दिया है कि योरोपीय साझा बाजार सम्बन्धी देशों के लिये हमें जो 10 लाख डालर का शुल्क मुक्त कोटा निर्धारित किया गया है, उसको पूरा करने के लिये एक निर्यातक संघ बनाया जाये।

इसी सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि सूत के बाजार भाव में कमी तथा वृद्धि का हथकरघा उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व जब संकट था तो उस समय भी हमने मांग की थी कि बाजार से अधिक माल को हटा देना चाहिये और हथकरघे पर काम करने वाले जुलाहों के लिए अतिरिक्त भंडार स्थापित किया जाना चाहिये। हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हथकरघे पर काम करने वाले जुलाहे को आश्वासन मिले कि उनको सूत निश्चित तथा उचित मूल्य पर मिलेगा और इस प्रकार वे और अच्छी अवस्था में कार्य कर सकेंगे।

चाय का निर्यात करने को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में हमारी सरकार जो श्रीलंका के साथ समझौता करने का प्रयत्न कर रही है उसमें भी उसे अभी सफलता नहीं मिली है। हम पैकेज डील करने को कहते हैं परन्तु हम यह नहीं जानते कि क्या सरकार पैकेज डील करने और हमारे व्यापार को सुधारने में सफल हो पाई है या नहीं। बाजार सर्वेक्षण और बाजार अध्ययन को जारी रखने के लिए विचार करने की आवश्यकता है जिसे हमने चाय के लिए पहले ही प्राप्त किया हुआ है।

चाय-बोर्ड के सम्बन्ध में भी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। इस की कार्य-पद्धति में सुधार होना चाहिये। मन्त्री महोदय को सारे क्षेत्र में प्रोत्साहन देने वाली कार्यवाहियों को ही लेना चाहिये। कार्य-बोर्ड कलकत्ते में है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि कलकत्ते जैसे स्थान से काफी भीतर के दक्षिणी कोनों यथा कोचीन और नीलगिरी की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखना और उन्हें उचित प्रोत्साहन देना बहुत कठिन है। मेरे विचार से दक्षिणी क्षेत्र के लिये एक स्वायत्तशासी बोर्ड होना चाहिये या कम से कम उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक क्षेत्रीय बोर्ड होना चाहिये अथवा चाय-बोर्ड की एक ब्रांच खोली जानी चाहिये।

भारत जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है उनके अतिरिक्त अन्य नई वस्तुओं के निर्यात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्य कई वस्तुयें हैं जिनके निर्यात की बहुत अधिक सम्भावना है। उदाहरणार्थ अन्तराष्ट्रीय बाजार में मछली के निर्यात की बहुत अधिक गुंजाइश है। इसके निर्यात के लिये हमारे देश में भी कम सम्भावना नहीं है। मन्त्रालय को इसके सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये।

इसी प्रकार टैपीओका एक अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ है। केरल से कुछ मात्रा में टैपीओका स्टार्च का निर्यात किया जा रहा है। स्केन्डीनेविया के देशों और दूसरे देशों में टेपीओका का उपयोग सूअरों के चारे आदि के लिए होता है। इसी प्रकार सरकार यदि कबासा के लिए कुछ निर्यात बाजार ढूंढ़ने का प्रयत्न करे तो यह विदेशी मुद्रा कमाने के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु बन सकती है।

मैं श्री तापड़िया के साथ सहमत हूं कि हमें छोटी मिलों पर उत्पादन शुल्क कम करना चाहिये।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : मन्त्रालय ने विदेशी व्यापार का बहुत उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया है परन्तु वास्तव में हमारा विदेश व्यापार संकट-काल से गुजर रहा है। साम्राज्यवादी देशों के साथ हमारी व्यापार और भुगतान संतुलन की शर्तें विशेष अनुकूल नहीं हैं। पश्चिमी जर्मनी इसका स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार पी एल 480 के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है। यह समझौता हमारे देश के हित में बहुत खतरनाक है। प्रतिवर्ष इस की शर्तें कठोतर से कठोरतर होती चली जा रही हैं। हमें उन्हें कुल मूल्य का 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। पी एल 480 के प्रतिरूप रुपया निधि के अनुपात को बढ़ाने के लिए हमें विवश किया जाता है और फिर उसका भी 7 से 9 प्रतिशत हमारे ही देश में अमरीकी सरकार के प्रयोग के लिए अलग रखना पड़ता है। यह सभी उलझनें बहुत ही कठिन हैं। यहां तक कि एक अमरीकी सेनेटर जिसने कि भारत की यात्रा की थी, कहा कि इस शताब्दी के अन्त तक भारत में अमरीका का 2000 करोड़ रुपया जमा हो जायेगा।

अब उन वस्तुओं पर ही मन्त्रालय का दृष्टिकोण देखिये जिनका हम निर्यात करते हैं। नारियल रेशा उद्योग केरल का एक पुराना उद्योग है। आजकल तो यह लगभग नष्ट होने की स्थिति में है क्योंकि कृत्रिम रेशा तैयार हो जाने के कारण हमें विदेशों में कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यदि हमने विदेशी बाजारों में मुकाबला करना है तो हमें नारियल के रेशे को सस्ती दरों से बेचना होगा। आज इस सम्पूर्ण उद्योग के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इस कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है चाहे यह पुनर्गठन के सम्बन्ध में हो या फिर उद्योग को राहत देने के सम्बन्ध में।

कच्चे काजू के आयात के सम्बन्ध में केरल सरकार ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि वह इसका आयात राज्य व्यापार निगम के द्वारा करे, परन्तु भारत सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। इस प्रकार की व्यवस्था से तो केवल बड़े व्यापारियों को ही लाभ पहुँचने की संभावना है। जिन व्यापारियों को बिना लाईसेन्स के काजू सप्लाई किया जा रहा है वही तो इस उद्योग में दुर्व्यवस्था पैदा करते हैं। गत वर्ष राज्य व्यापार निगम का 60 करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य था परन्तु वह केवल 45 करोड़ रुपये का व्यापार ही कर पाई। इसका कारण यही रहा कि राज्य

व्यापार निगम ने किसी नये व्यापार क्षत्र में पदार्पण नहीं किया । इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मन्त्री महोदय को इस समस्या पर तुरन्त विचार करना चाहिये और नारियल तथा कच्चे काजू के बारे में तो विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री कृ० गु० देशमुख (अमरावती) : सब से पहले मैं अपने युवक तथा कार्यकुशल वैदेशिक व्यापार मन्त्री को बधाई देना चाहूंगा जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारा निर्यात बढ़ा है और आयात घटा है । परन्तु साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने चाय और पटसन जो कि विदेशी मुद्रा कमाने वाले पदार्थ हैं, हमने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया और जब तक हम इन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं देते हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खोते रहेंगे । इस वर्ष चाय और पटसन का निर्यात कम होकर क्रमश: 46 करोड़ रुपये और 2·1 करोड़ रुपये का हो गया है । हमें इनके प्रोत्साहन के लिए उचित कदम उठाने चाहियें ।

यह मन्त्रालय कपास उद्योग की ओर भी बिलकुल उदासीन रहा है । कपास की कीमत पर नियन्त्रण इसी मन्त्रालय द्वारा होता है । भारत में कपास की 60 से 65 लाख गांठों का उत्पादन होता है जब कि कपड़ा उद्योग के लिए 70 से 75 लाख गांठों की आवश्यकता होती है । हमारा अनुभव है कि सरकार 7 से 8 लाख कपास की गांठें प्रतिवर्ष कम सप्लाई को पूर्ण करने के लिये विदेशों से मंगवाती है । इसके लिये भारी मूल्य देना पड़ता है । यदि सरकार देश में कपास की इस कमी को पूरा करना चाहती है तो इसे कपास के सहायक मूल्य को इसके उत्पादन मूल्य में जोड़ना चाहिये । साथ ही देशीय उत्पादन के लिये सहायता मूल्य में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिये ।

दूसरी बात इस सन्दर्भ में यह है कि वस्त्र आयुक्त ने कपास उद्योग पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं । ज्यों ही मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो वह उस पर क्षेत्रीय पाबन्दियां लगा देते हैं ताकि विदर्भ की कपास को खण्डेश न भेजा जा सके और खण्डेश की कपास गुजरात न भेजी जा सके ।

दूसरी ओर कपास उद्योग के लिए बैंकों से ऋण लेने पर भी बहुत नियंत्रण लगे हुये हैं । जब हम उचित व्यापार के लिये सब उद्योगों को ऋण देते हैं तो कपास के लिए ऋण क्यों न दिया जाये ? बैंकों ने कपास के लिए ऋण सीमा 70 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दी है । इसका प्रभाव भी किसानों पर ही पड़ता है जो उन्हें कठिनाईयां सहने के लिये विवश करता है ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पैदा की गई कपास, बूरी 1007, जिसके रेशे की लम्बाई एक इंच है किसानों में बहुत लोकप्रिय हो रही है । महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि यह बूरी 1007 जो कि विशिष्ट प्रकार की कपास है, इसे मूल्य तालिका अथवा सहायता मूल्य के अन्तर्गत लाया जाये लेकिन ऐसा अब तक नहीं किया गया है । मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देकर इस कपास की कीमत को तालिका में लाना चाहिये ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश को व्यापरियों के आश्रित न छोड़ा जाये । कपास के सम्बन्ध में भी राज व्यापार निगम अथवा खाद्य निगम की भांति कोई निकाय स्थापित किया जाना चाहिये तथा उसी के माध्यम से व्यापार तथा आयात और निर्यात का नियन्त्रण किया जाना चाहिये । इस निकाय को भारतीय कपास निगम का नाम दिया जा सकता है । यह निगम पहले कपास के आयात और निर्यात का नियन्त्रण को तथा बाद में स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करे जिससे 7 लाख गांठों की कमी पूरी हो जाये ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, I want to congratulate the Hou. Minister as the figures relating to the export and import mentioned by him sound encouraging enough ? In the year 1969 our export increased to Rs 1592 as against Rs. 1209 in the year 1967. Our import also decreased to Rs 1374 in 1969 as against Rs. 2095 in the year 1967. But when we analyse these figures we are forced to admit that the position of our foreign trade is not so sound. The decrease in our import is due to the application of green revolution resulting in bumper crop in the country. Thus the credit does not go to the Hon. Minister.

The progress of our foreign trade is considerably low. We are not able to compete with the other countries even with Japan. Last year Japan exported her goods worth Rs. 9500 crores while our export was only at the time of Rs 1592 crores. With these figures we can well imagine our position.

Sir, our manpower is not being fully utilised. In this context my submission is that we should not embark upon the capital, intensine institutions. It is required today that the labour intensine institutions should be established in the country in order to explore more employment opportunities to the people of our country. By doing so we will also be able to increase our export. Fortunately, the products of our handloom industry, which is mainly a labour intensive institution, are highly demanded in the foreign countries. Therefore considerable encouragement should be given to this kind of industry. He should instruct the officials of the Directorate under him that they should provide work to Khadi weavers of the country and ask them to produce such goods which are demanded in the foreign countries.

Different States command speciality in different kinds of goods of handicraft. These goods are demanded in the foreign countries. I want to submit, therefore, that the handicraftsmen should be encouraged and the provisions should be made to export these articles to the foreign countries.

The motto of all the political parties who believe in socialistic pattern of society should be the greatest good to the greatest number. The Government should also adopt this motto. If all the suggestions given by me are accepted by the Government, I am sure, we will be able to give employment to all the persons of our country. I admit that big factories do provide employment to the people but our cottage industries can engage large number of people if they are given proper guidance and help. The Government should follow the idea of labour intensive industries on which Gandhiji laid much stress.

After the devaluation of Rupee in 1966 it was expected that our export would increase much. But I am sorry to mention that the export duty was raised to this extent that we could not enjoy the increase of our export.

So far as the enhancement of the export duty on Jute is concerned, in words, the Government have given protection to the Jute industry of Pakistan at the cost of our own industry. The Hon Minister should be aware of the fact that we are facing a great competition with Pakistan so far as the export of jute is concerned. Due to this enhanced rate of export duty we have lost the international market of Hessian and sacking jute. Unfortunately the demand of carpet backing is also reducing in the foreign countries because of the export duty. I have repeatedly raised this point that export duty from such things as are demanded in the foreign countries should be lifted immediately, in order to promote our export. But no heed is being paid by the Government towards this.

The Government of India announced their policy regarding the rate o. discount on the export duty on the carpet backing but it was done avariciously. My submission in this connection is that there should be no export duty on the carpet backing. Jute is the

major item by which we earn considerable foreign exchange Besides, it would be in the interest of more than 35,00,000 workers engaged in jute industry and in the interest of 40,000 families of agriculturists if the export duty is removed from the jute carpet backings

Tea industry is the next major industry of West Bengal providing employment to more than 10,00,000 workers It also earns a good deal of foreign exchange But this industry is also facing the same difficulties. After the devaluation of Indian rupee it was expected that the export of tea would increase. But the Government imposed export duty on tea at the rate of Rs. 2 per Kg resulting in dicrease of the export. In 1951 the supply of Indian tea to the world market was 45 per cent of the total supply which in 1965 is reduced to only 33 per cent It is a matter of concern that we are unable to compete with East Airica and Ceylon regarding the export of tea. While we earned foreign exchange worth Rs. 189 crores in 1967 and Rs 166 crores in 1968 from the tea export our income of foreign exchange reduced to Rs 144 in 1969. Now, the Government of India have removed the export duty from tea but they have raised the rates of excise duty which will likewise affect the export. Due to the imposition of excise duty the cost of production of tea would increase and we would not be able to compete with other countries.

The Government have also made a provision of refund on Darjeeling tea at the rate of 75 paise per kilogram. My submission, in this regard is that the Indian tea producers are not going to be benefitted by this refund provision. It is only the Russian agents who will enjoy the profit It is requested, therefore, that the Government should make such arrangement as may be conducive to the producers.

Before concluding I would like to put three questions. According to the international agreement we are entitled to export 3. 5 lakh tons sugar while we are exporting only 1,45,000 tons of sugar as mentioned by Shri Shinde. May I know whether the Government will ensure the export of total quantity of sugar-quota ?

So far as the export of Tobacco is concerned the Hon. Minister, while replying a question, had stated :

The S.T.C. will go into its trading not only for this year for lifting the surplus, but I have asked the S.T.C to develop this trade and export of this commodity on a continuing basis.

May I know the steps taken by the Government to fulfil this assurance ?

In the end I want to know the steps taken by the Government in respect of assets of Indian nationals in Pakistan taken over by the Government of Pakistan.

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, certain people belonging to Manipur have launched a *Dhrna* at the residence of the Prime Minister. Their demand is that Manipur should be given a status of Statehood. I request that the attention of the Government should be drawn toward their demand

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यान दिलाने का उचित ढंग नहीं है । कृपया इस प्रकार व्यवधान उपस्थित न करिये ।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Sir, superficially, the report presented by the Minister looks commendable but actually it is misguiding. In 1957 the percentage of Indian export to America was 1 6 while it came down to only 0.8 in 1969. The Hon. Minister claims that our export to America has increased but does not mention the ratio between the import from America and the Indian export to that country. If we compare both import and export we will come to know that the amount of our export to America is considerably low.

The Government of India could not adopt an efficaeious export strategy regarding foreign trade with African and South-East Asian countries These developing countries require credit facilities on which the Government do not formulate their policy in time.

The Government have also ailed to formulate any scheme relating to the demand of engineering goods in the country and outside the country. It resulted in the decrease of our export because of the increasing requirement of engineering goods in the country of which the Government was not aware. If it will continue we will not be able to earn foreign exchange through the engineering goods

The Government have not given any kind of encouragement to the export oriented industries in the country. The crash programme which was supposed to be undertaken by the Government in the year 1969-70 was started nine month later May I know clearly the reasons for delaying this matter for so long a period ?

Sir, in the year 1968-69 we earned foreign exchange worth Rs. 84 crores from the export of tea. But now it has reduced to Rs. 62 crores only. We are not able to compete in this trade with the countries like Ceylon and others. If this situation remains any more, I fear, foreign exchange not more than worth Rs. 52 crores could be earned in the ensuing year. Thus the workers employed in tea-gardens would face much difficulty. On this context, I want to suggest that a Warning Cell should be epened in his Ministry. This cell may warn the Government of the ensuing changes in the requirement of goods both inside the country and outside the country

No doubt, the prices of raw jute have fallen but the prices of processed goods of jute have not decreased. I also admit that the Government purchase B Twill Bags worth Rupees 1.50 crores every year and as a result of which this industry gets a considerable help. But may I know the reasons for purchasing these bags at the previous rates ? When the prices of raw jute have decreased the Government should also purchase these bags at the reduced rates. May I know whether there is any political consideration, in this matter ?

It was proposed by the Kerala Government that the import of cashew should be canalised through State Trading Corporation and the distribution of cashew should be assigned to the Cashew Development Corporation. But it is quite strange that the Central Government did not pay any heed to that proposal. The Government adopted a policy of open general license I would like to tell the House the reasons for which the Government have taken such steps. Some weeks ago Shri Nayar who is a big trader in cashew came here and influenced the Government. I am sure that the licence policy has been formulated by the Govt. keeping in view the interests of such big traders.

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) :—I am grateful to the Hon Members who have participated in the debate of this Ministry.

Our trade with the east European countries including Russia and Yugoslavia is on the increase Our export to these countries in 1968-69 was to the tune of Rs 269 crores whereas it was worth 211 crores of rupees in 1966-67. Our exports to Soviet Union has increased by sixteen per cent.

The export of non-traditional goods including the finished and engineering goods is also on the increase we have exported engineering goods worth Rs. 9 crores of rupees whereas in 1963-64. We exported engineering goods worth 35 lakh of rupees only. We are exporting storage batteries, small and hand made instruments, constructional material, sanitary fittings, textile machinery and railway wagons, converters, transistors etc. We now hope to export to these countries linolium, chemicals and medicines, ready made garments and cosmatics etc.

We have been meeting our requirements of fertilizers, sulphur, newsprint, tractors, ships and petroleum products from east European countries.

It has been the policy of the Government to organise the handloom industry in the country on cooperative basis. The Government have been giving financial assistance to this industry so that it can run successfully.

More than fifty percent handlooms have already been brought under the cooperative sector. The Government have also taken steps for bringing improvement in the quality and design of the cloth being manufactured by the Societies. Short term and long term training facilities have also been provided at the different centres situated at Varanasi and Salem. It is hoped that production in the handloom industry will increase still further during the Fourth Five Year Plan.

Silk industry is the oldest industry in our country and it has its impact on the social and economic life of the people of West Bengal, Jammu and Kashmir, Assam and Bihar. The production of raw silk has touched new high of 24 lakh kilograms whereas it was only 11 lakh kilograms in 1960.

Export of the natural silk has also increased manyfold. In 1960 we exported natural silk worth one crore of rupees whereas in 1969 we have exported this item worth 14.30 crores of rupees. Silk is being increasingly consumed in Japan now.

The production of synthetic silk is also on the increase for the last few years. The Government will take necessary steps to achieve the target period for the Fourth Five Year Plan. Necessary licences and letters of intent have already been issued. It has also been decided to issue more licences for the production of rayon filament and staple fibre. We have exported goods of synthetic silk worth 3.59 crores of rupees in 1969.

The Hon. Members will be glad to know that we have earned more this year from the exports of handicrafts. The economic community has declared that they will purchase handicrafts worth 50 lakhs Dollar for one year starting from 1st September. We are trying to gain maximum benefit from this declaration. The Hon-President has given awards to 17 craftsmen to encourage them.

We have exported leather and leather goods worth 85 crores of rupees. The Government has now adopted the policy of reducing the export of raw material. Control is continued on the export of raw leather and its quota of export is reduced every year. It is hoped that by the end of Fourth Five Year Plan we will stop exporting raw leather. We are trying to increase the production capacity of leather goods in our own country. Clearance has been given to a Shoe manufacturing company which whill be established in collaboration with Italy.

We have exported 52,000 metric tonnes of all sorts of coir valued at 12.92 crores of rupees. There has been a decline in the export of this item and we have taken note of it. A Committee has been set up by the Planning Commission to look into the causes of this decline and for suggesting ways and means for the bright future of this industry so that it could compete in the world market.

We have exported 1500 meteric tonnes of cardamon in 1969-70 In this connection I may also state that we are trying to control the 'Katt' disease.

The prices of pepper has gone up in the international market as its production in Indonesia has gone down. As a result there of exports of pepper from India has increased during the last few months. Efforts are being maintained to stabilize the prices.

So far as the clarification raised by Hon. Member Shri Jaipuriah is concerned I may state that no notification to that effect has been issued by the G. C. I. office. He should not have any misunderstanding about it.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : एस्केफ के नवीनतम प्रतिवेदन अथवा सर्वेक्षण से पता लगता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित देशों का भाग 58·6 प्रतिशत से बढ़कर 66.4 प्रतिशत हो गया है और विकासशील देशों का भाग 27 प्रतिशत से व्यय होकर 19.3 प्रतिशत रह गया है। भारत को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अनेक बार जोरदार कार्यक्रमों की घोषणा की गई परन्तु इसके परिणाम कुछ नहीं निकले। जहां तक भुगतान शेष की स्थिति का सम्बन्ध है वह हमारे प्रतिकूल है। शताब्दियों तक हम विदेशी शोषणकर्ताओं के लिये कच्चा माल तथा प्राइमरी उत्पाद सप्लाई करते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में उस सामान के प्रयोग के लिये कुछ प्रगति हुई है? परन्तु मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री भी इस बात में मेरे से सहमत होंगे।

मेरा सुझाव है कि जहां तक सम्भव हो हमें आधारभूत उत्पादों को तैयार वस्तुओं के रूप में भेजना चाहिये। हमें अपने व्यापार को नये क्षेत्रों तक बढ़ाना चाहिये। स्टैण्डर्ड वस्तुओं की बिक्री करनी चाहिये ताकि हमारे देश का अच्छा नाम बना रहे। विदेश व्यापार में प्रचलित कदाचारों को खत्म किया जाना चाहिये। उन निर्यातकों को जो कि उत्पादक भी हैं, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। कुछ विकसित देशों की भेदभाव की व्यापार नीतियों का सामना करना तथा उनको असफल बनाने के लिये अन्य विकसित देशों के साथ मिलकर संयुक्त नीति बनाई जानी चाहिये। हमें आशा थी कि इस वर्ष पुरानी व्यापार नीति में कुछ परिवर्तन किया जायेगा क्योंकि बम्बई अधिवेशन में बहुत बढ़चढ़ कर बातें कही गई थीं।

नई नीति के नाम पर कुछ मदों को राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य ऐसे ही अभिकरण को मारफत निर्यात करने की बात कही गई है। मेरे विचार में यह सब धोखाधड़ी की बातें हैं क्योंकि इससे उन अभिकरणों तथा इस क्षेत्र में कुछ लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा।

सरकार ने कच्चे माल के एक महत्वपूर्ण पद को एक सरकारी अभिकरण के द्वारा आयात कराने का निर्णय किया था। परन्तु सरकार ने अभी तक यह निर्णय नहीं किया कि अभिकरण का स्वरूप क्या होना चाहिये? इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस घोषणा के पश्चात् सितम्बर-अक्तूबर, 1970 तक खुले लाइसेंसों को अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री महोदय अथवा मन्त्रालय के अधिकारियों पर कहीं से दबाव पड़ा है?

राज्य सरकार इस मामले पर पहले ही चिन्ता व्यक्त कर चुकी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार तथा केरल राजू विकास निगम को इससे सम्बद्ध करना चाहती थी। परन्तु मुख्य बात यह है कि जो उद्योग देश के निर्यात व्यापार को बढ़ा सकता है आज उसी को बचाने तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

काजू के निर्यात प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और इसके आयात पर हम प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् भी देश में काजू के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। हमने 25 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर योजना आयोग को दी थी परन्तु उसे हम नहीं जानते कि उस योजना पर योजना आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहां तक सम्भव हो, हमें काजू का उत्पादन बढ़ाना चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मन्त्रालय पर प्राय: कुछ निहित हितों का दबाव पड़ता रहता है और वह राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करता है। इस बारे में सरकार की रबड़ सम्बन्धी नीति का उल्लेख किया जा सकता है। हमारे देश ने प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। परन्तु रबड़ के आयात के लिये डनलप तथा अन्य ऐसे ही समवायों की ओर से मन्त्रालय पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि वे देश में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक तथा नकली रबड़ के मूल्यों को कम करना चाहते हैं और ये समवाय अत्यधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं।

जहां तक वर्ष 1970-71 का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि रबड़ आयात करने से पूर्व माननीय मन्त्री रबड़ बोर्ड से अवश्य परामर्श लें। यदि वह कुछ रबड़ का आयात करना ही चाहें तो ऐसा वर्ष के अन्त में किया जा सकता है। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर विचार किया जाना चाहिये। हमें कुछ बड़े-बड़े समवायों के हित के लिए विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं करना चाहिये।

हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है और हमें इस मामले में कुछ मूलभूत निर्णय लेने चाहिये। मेरा सुझाव है कि निर्यात तथा आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। निर्यात के मदों के उत्पादन के लिये देश में नये आधार पर उद्योग को संगठित करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पूर्व कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जाये, माननीय गृह-कार्य मन्त्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

---

6 अप्रैल 1970, के प्रदर्शनकारियों में से कथित लापता लोगों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PERSONS REPORTED MISSING FROM AMONG DEMONSTRATORS OF 6TH APRIL. 1970

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कुछ माननीय सदस्य 6 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में हुए प्रदर्शन में से गुम होने वाले व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते थे। मुझे सूचना मिली है कि दिल्ली प्रशासन को गुम हुए 134 व्यक्तियों की एक सूची मिली है। इनमें तीन महिलाएं भी हैं। एक विशेष सेल स्थापित किया गया है ताकि गुम हुए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा सकें। अभी तक 67 व्यक्तियों का पता लगाया गया है और उनके बारे में एस० एस० पी० के कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। तीनों महिलाओं का पता लगा लिया गया है। शेष व्यक्तियों के बारे में पार्टी के कार्यालय को अधिक विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है।

Shri Rabi Ray (Puri) : Several children were also missing. They should also be traced.

Shri Y. B. Chavan : I will enquire about them if the Hon. Member gives their names.

विधेयक पुर:स्थापित
BILLS INTRODUCED

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
Representation of the People (Amendment) Bill

(नई धारा 77 क और 168 क का रखा जाना)

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of People Act, 1951".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(अनुच्छेद 194 का संशोधन)

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरा स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

प्राण-दण्ड की समाप्ति विधेयक
CAPITAL PUNISHMENT ABOLITION BILL

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): I beg to move :

"that leave be granted to introduce a Bill to provide for the abolition of capital punishment".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "प्राण-दण्ड को समाप्त करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adoptod

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 123 का संशोधन)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adoptod

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना—जारी)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLE 114)—CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय: 13 मार्च, 1970 को श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री भंडारे उस पर बोल रहे थे । कृपया वह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रा० कृ० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं संविधान से अनुच्छेद 314 को हटाने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं । इस अनुच्छेद के पीछे एक बड़ा इतिहास है । स्वतंत्रता मिलते समय यह बात सामने आई थी कि इन आई० सी० एस अपने-अपने आई० पी० एस लोगों का क्या होगा । इस सम्बन्ध में 30 अप्रैल, 1947 को वाइसराय ने एक घोषणा की कि इन अधिकारियों की स्थिति क्या होगी तथा उन्हें उसके बारे में आश्वासन भी दिया था । इसी घोषणा के आधार पर संघ सरकार आई० सी० एस० अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत रूप में समझौते हुए । प्रान्तीय धारा सभाओं में इसके सम्बन्ध में चर्चा हुई और उसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 314 संविधान में जोड़ा गया।

अब उस समझौते और अनुच्छेद को जोड़े गए 20 वर्ष हो गये हैं। अधिकतर आई० ए० एस० अधिकारी सेवा निवृत हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं, वे भी धीरे-धीरे चले जायेंगे।

वैसे देखा जाये तो स्वयं अनुच्छेद 314 अनुच्छेद 14 का विरोधी है। पर मैं उस बात के लिए कुछ नहीं कहूंगा। मेरा कहना तो केवल उनके सामाजिक स्तर और सामाजिक स्थान के सम्बन्ध में है। मेरा व्यक्तिगत आधार पर उनसे कोई झगड़ा नहीं है।

[श्रीमती जयाबेन शाह पीठासीन हुईं
Smti. Joyaban Shah in the chair]

मेरा कहना केवल इतना है कि वर्तमान सामाजिक ढांचे से उन्हें जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं वे मेल नहीं खाते। यदि वे ढंडे और खुले दिमाग से सोचें तो वे अधिकारी स्वयं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अब संविधान से अनुच्छेद 314 को हटा ही देना चाहिए।

परन्तु मामला इतने से ही समाप्त नहीं हो जाता। अनुच्छेद को हटाने के बाद संसद् को एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा प्रत्येक आई० सी० एस० अधिकारी को दिए गये वचनों को समाप्त किया जा सके। अब यह सरकार का काम है कि अनुच्छेद को हटाने के रास्ते में जो कठिनाइयां आएं वह उन्हें दूर करे।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस समय हमारी इस बात की परीक्षा है कि लिखित संविधान के प्रति हमारी कितनी निष्ठा है। विश्वास को तोड़ना बड़ी गम्भीर बात है, पर इस सम्बन्ध में मैं देखता हूं कि यहां विश्वास की ही कमी नहीं है वरन् समझ की भी कमी है।

संविधान में संशोधन करने की बात क्यों है जबकि स्वयं अनुच्छेद 314 में ऐसा उपबन्ध है कि आवश्यकता होने पर सचिव, राज्य सेवा के अधिकारों में कमी की जा सकती है।

भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की शर्तों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है। अन्तर मात्र इतना ही है कि राम न कह कर ईश्वर कह दिया जाए। तथा जो कुछ अन्तर है उन्हें मुद्रा स्फीति ने और कम कर दिया है क्योंकि हम लोगों ने रुपए में वेतन लेने का करार किया था, पर अब रुपए की कीमत घट कर 10 पैसे रह गई है। इंगलैंड में इसके बदले में मुद्रा स्फीति भत्ता दिया जाता है।

करों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप एक सिविल सेवा का सचिव प्रशासनिक सेवा के सचिव से वास्तव में अपने घर केवल 200 रुपये अधिक ले जाता है और उन 200 रुपए के लिए भी नानुच करते हैं जबकि आपने वचन दिया हुआ है तथा जबकि मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया है।

हमें यह याद रखना चाहिए कि वाइसराय ने भारत सरकार की ओर से भारतीय सिविल सेवा को सेवा की पूरी शर्तों को पूरी सुरक्षा देने के निश्चित प्रस्ताव के साथ आमंत्रित किया था। तथा इसे व्यक्तिगत पत्रों द्वारा दोहराया गया तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी कराये गये। क्या आप उन्हें केवल कागज का एक पुर्जा मात्र समझते हैं ? ठेका सम्बन्धी दायित्व संसद् के एक विधेयक से हटाया नहीं जा सकता। इसका निर्णय तो न्यायालय ही कर सकता है कि ठेका अभी है या नहीं। यह भारतीय सिविल सेवा और भारत सरकार के सम्बन्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वर्तमान विधेयक उसकी अवहेलना कर रहा है क्योंकि वह अनुच्छेद 314 में परिवर्तन करने के लिए है। जबकि अनुच्छेद 314 एक उत्तरदायित्व को मान्यता तो देता है पर यह उन ठेकों को स्थापित नहीं करता जो स्वयं के बल पर ही अस्तित्व में हैं। इस विधेयक को एक अन्य विधेयक द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वह किसी भी मात्रा में प्रभावी हो सके।

भारतीय सिविल सेवा का एक अधिकार जो सम्भवत: सरकार को कष्ट दे रहा है—वह है रुपये के बजाय पाउंड में पेन्सन लेने का उनका अधिकार। ऐसे तीन मामलों का निर्णय भारतीय सिविल सेवा के पक्ष में हुआ है। यदि हम लोगों ने ऐसी कोई अपील न्यायालय में देने के हित को देखते हुए नहीं की है, तो सरकार को उनकी इस भावना का आदर करना चाहिए तथा कम से कम अपने वचन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करनी चाहिए।

भारतीय सिविल सेवा द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई संकट आया, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को बुलाया गया है, जैसे विभाजन के दिनों उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। आजकल भी मंत्री लोग अपना सचिव भारतीय सिविल सेवा के आदमी को ही चुनते हैं, क्योंकि वे अच्छा काम करते हैं।

घृणा कोई भलाई नहीं होती इसलिए किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। अत: सिविल के अधिकारियों के साथ आप उन लोगों के जैसा व्यवहार करें जिन्होंने आपकी सेवा की है, उनके साथ भाइयों के सा आचरण करें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Shri Madhu Limaye has done a praise-worthy work by bringing this Bill. It will greatly help in removing disparity. In capitalist countries like Britain and America there is a difference of pay in the pay scales in the ratio of 1 and 15 and this ratio was 1 : 137 due to these I. C. S. people. We should do away with the priviliges enjoyed by the I. C. S. people. If these people had not been here India would have got its freedom fifty years ago. In the army people were not promoted beyond the rank of Subedar Major

It is a fact that India remained slave due to these people By supporting this Bill Hon. Minister has taken a step in right direction.

Discrimination against the I. A. S. people is against the Fundamental Rights and Directive Principles of the Constitution. It violates Sections 314 and 14 of the Constitution. It is against humanity.

It is an appropriate step taken for the welfare of the country and the society. These I. C. S. people did not allow the villagers to enter their homes fearing that their floor would be spoiled.

They hated the poor people and the villagers. They are responsible for creating enmity amongst the people. The Britishers had ruled us 200 years because of them.

The step taken by the Government is in the interest of the country and the Society.

The I. C S. people are being given unnecessary importance in every deptt. They are considered to be extra intelligent and so they are given preference in every department. All their privileges should be abolished.

They are being appointed on the highest offices today.

50 per cent of the Judges are from I. A. S. people. 50 per cent I. A. S. people are appointed on the posts of the Chairman of Union Public Service Commission and on the posts of the Vice-Chancellor of the Universities. It is clear refusal of equality of opportunities. This monopoly of I. A. S. officers should be removed.

The Bill is in the interest of the public and I, therefore, fully support it.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I am sorry to know the feeling of the Hon. Members regarding I. A. S. officers. If you want to remove their privillages, you can do it, but it is not proper to doubt their integrity.

It is but natural that the people working in Government offices, whether they may be I. C. S. officers, or other employees, have their loyalty towards the Administration. When the Britishers had their rule here, all persons from I. C. S. to peons were loyal to them. The police and the army were with them.

It is a fact that these officers were the pillars of the British rule. The Britishers were able to rule here due to them. But they were not the agents of the Britishers after independence. If they had not been made patriot after independence, it was the fault of the Government.

The most important work that Congress had done after independence was the re-organisation of the States. The credit of doing that praiseworthy work goes to Sardar Patel.

Here the Ministers waste their time in inagurations and in foreign tours. Sometimes even the replies are sent by their secretaries and they do not bother to look at those replies.

There is no method for measuring the loyalty of a person. Some agents of the Britishers have now become the greatest patriot of the present Government

I am not against abolishing the privileges of I. C S. Officers.

There should not be any discrimination among men and men.

I am thankful to Shri Madhu Limaye for introducing such a Bill. But I want this thing should not be restricted to I. C. S. officers only. The privileges of the Members of Parliament and Ministers should also be abolished.

These I. C. S. people are very honest and I hope that they will agree to the Minister if they are talked in a proper way.

Not to talk of privileges, any thing can be sacrificed in the interest of the country. But the Government should not take any step in haste. The Government must get the opinion of the Supreme Court in this matter.

श्री रा० बरूआ (जोरहाट) : हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार बल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने इस समस्या के महत्व का अनुभव नहीं किया था। 1935 के भारत सरकार के अधिनियम में जो उपबन्ध किया गया था, वह हमारे संविधान में शामिल किया गया है। मैं उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने के पक्ष में हूं। लेकिन सदस्यों के लिये ऐसा करना अनुचित होगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने विशेषाधिकारों को कभी कम करना नहीं चाहा। क्या गत कुछ वर्षों से हम अपने विशेषाधिकारों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं ? सदस्यों का दैनिक भत्ता 31 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपया कर दिया गया है तथा उन्हें अन्य सुविधाएं दी गई हैं। मन्त्री महोदय अपने को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अपने मन्त्रिमण्डल को बढ़ा रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है और सरकार को उनके विशेषाधिकार छीनने से पहले इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। उनके विशेषाधिकार छीनने से प्रशासनिकों के मनोबल में पूरी तरह से गिरावट आ जायेगी। न्यायपालिका को भ्रष्ट करने का पहले ही प्रयास किया गया है। यदि हम इस प्रकार की चेष्टा करेंगे तो इससे यह तर्क और बढ़ेगा और प्रशासन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। अत: हम इस विषय पर ठंडे दिमाग से फिर विचार करें और भावनाओं में न बहें। भारत जैसे विशाल देश में हम कुछ विशेषाधिकार जो 6 या 7 वर्षों में समाप्त किये जाने थे, सहज में दे सकते हैं।

इस समय उन्हें स्ट्रलिंग सम्बन्धी विशेष रियायतें प्राप्त हैं। लेकिन यह रियायत पर्याप्त नहीं हैं।

प्रशासन के प्रत्येक ढांचे में कुछ अधिकारियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। सेना में भी अधिकारियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अन्य विभागों में भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अतः हमें यहां व्यक्त की गई भावनाओं में नहीं बहना चाहिये। यदि हम अधिकारियों के मनोबल को इस प्रकार कम करेंगे तो वे राजनीतिज्ञों की कठपुतली बन कर रह जायेंगे और वे समस्त समाज का पूर्ण विनाश कर देंगे। माननीय मन्त्री को इस विषय पर सामान्य जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये और इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि उक्त अधिकारी सत्तारूढ़ व्यक्तियों की बातों में आकर कार्य न करें। अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करने के लिये हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं।

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : I welcome the Constitution amendment of Shri Madhu Limaye. The system that was prevalent at the time of implementation of the Constitution in 1950 is still in vogue i. e. to treat with employees of different sections in different way. It should be changed.

I appreciate the loyalty of I. C. S. Officers. No one can deny their intellect and efficiency. But I think it wrong that there should be enormous differences in Pay-Scales.

Here the Government do not adopt such a system by which the discrimination may be ended. There are different types of services in the Indian Government, such as Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Agriculture Services, Indian Accounts Service, Indian Engineering Services etc. and all have their different systems. The employees of technical trades have to study hard. The student of Engineering has to devote five years in the Engineering Course after passing the Higher Secondary Examination. The same case is with Indian Agriculture Service. But the prestige of an I. A. S. Officer is regarded more than to all these services. He disdains other categories.

The Government appoint I. C. S. officers as Governors. May be their efficiency is more. But their rights should be equal and as far as possible stress should be laid on their efficiency. The Pay-Scales have not been determined in a systematic way. The wage board or Pay Commission has not so far been able to formulate uniformity in regard to Pay-Scales and facilities for the employees. So I welcome the Bill on behalf of my party.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : There was a time when people came from England as I. C. S. officers and worked here. As far as I think at that time the conditions, climate etc. were not as such which suited the I. C. S. officers. So the Britishers gave them more privileges and salary to work here. But now the time has changed. Ghandhiji also instructed that he Ministers should take salary upto Rs. 500. A friend of mine from Assam has said that there is a great poverty in villages and there is no provision of clothes and food. Under such circumstances how can we demand more previleges. So I support the Bill of Shri Madhu Limaye. I do not understand the thinking of Jan Sangh. The contents of their speeches are old. They say that Ministers do not work and only the Bureaucracy is working. I do not agree with this. They asked to refer this point to the Supreme Court. Why they think that Parliament has no knowledge and only the Supereme Court has anthority to say on every point. I think it is disrespect to democracy.

There cannot be two opinions that the rights and privileges of I. C. S. officers should be curtailed. But I would request the I. C. S. officers to understand the trend of present and shed the superiority complexes to work more with the general mases.

श्री जी० विश्वनाथन (वीडीवाश) : सभा के समक्ष इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुछेद 314 का हटाना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हटाना हमारे हित में नहीं होगा और हमें इसको जारी रखना चाहिये। 1947 के पश्चात् हमने जामींदारी प्रथा, प्रबन्धक अभिकरण आदि की समाप्ति कर दी है। अब हम यह नहीं कह सकते कि यथापूर्व स्थिति कायम रहनी चाहिये, हमें सामाजिक परिवर्तनों के साथ चलना चाहिये, जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारा मन्तव्य भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की निष्ठा तथा देश भक्ति पर शक करना नहीं है। परन्तु यह आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें कि क्या यह व्यवस्था जारी रहनी चाहिये। 1946 में जब संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया था तो उस समय भी यह विवाद उठा था, परन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल के विरोध के कारण इसको शामिल कर लिया गया था।

संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों जैसे अनन्तरायनम अयंगर, डा० पी० एस० देशमुख, श्री महावीर त्यागी ने भारतीय सिविल सेवा के विरुद्ध अपने मन्तव्य दिये थे परन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल के विरोध के कारण इस अनुच्छेद को संविधान में लेना पड़ा।

मुझे आशा है कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देंगे और संसद् के निर्णय को मानेंगे। हम जानते हैं कि ये अधिकारी बड़े प्रभावशाली और कार्यकुशल हैं, एक बार भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी और मन्त्री के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें मन्त्री को तो अपना पद छोड़ना पड़ा परन्तु वह अधिकारी नहीं रहा, मैं उनको दोष नहीं देता क्योंकि इसमें राजनीतिज्ञों की भी कमजोरी है।

ऐसे कुछ विशेषाधिकार हैं जो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी को मिले हुए हैं परन्तु भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी को वे प्राप्त नहीं हैं। श्री लोबो प्रभु ने कहा है कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को बड़े ही कठिन स्थितियों में कार्य करना पड़ा है। हम इसे अस्वीकार नहीं करते परन्तु भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी भी ऐसी ही परिस्थितियों में कार्य करते हैं, अतएवं वे उनसे कम नहीं हैं।

सरकार भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी को पहले ही सेवा निवृत्त नहीं किया जा सकता है। उनको इंगलैंड में स्टर्लिंग के रूप में वार्षिकी मिलती है, भारतीय सिविल सेवा के किसी अधिकारी को जांच कार्य पूरा होने तक निलम्बित नहीं किया जा सकता है जबकि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी को निलम्बित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बंध में दृढ़ निर्णय ले तथा विधेयक का समर्थन करे। जो अतिरिक्त विशेषाधिकार भारतीय प्रशासन के अधिकारियों को नहीं मिले हुए हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिये। मैं भारतीय सिविल सेवा के सेवारत अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे संसद् के निर्णय को स्वीकार करें। मुझे आशा है कि यह सभा इस विधेयक को पारित कर देगी।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : हमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिये कि भारतीय सिविल सेवा का निर्माण भारत की सेवा करना नहीं-अपितु यहां इसे ब्रिटेन की सेवा करने के लिए तैयार करना था।

श्री लोबो प्रभु ने 'इस्पाती ढांचा' शब्द का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह पता होगा कि यह शब्द कहां से लिया गया है, यह इंगलैंड के प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमने

सिविल सेवा के इस्पाती ढांचे में भारत पर अधिकार किया हुआ है। उस समय इस आशय के व्यंग्य चित्र हुये थे जिसमें यह दिखाया गया था कि इंगलैंड ने किस प्रकार भारत को इस्पाती ढांचे के अन्तर्गत किया हुआ है, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को कम उम्र में ले लिया जाता था ताकि उनकी समस्त मानवीय भावनाएं समाप्त हो जाएं और वे इङ्गलैंड के लिए कार्य करें। यहां भारतीय सिविल सेवा ने इसी आधार पर कार्य किया है, वे भारत से तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति लेते थे और उन्हें विदेशी सरकार को भारत में अपने पांव जमाने में सहायता देने के काम में लाते थे।

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय सिविल सेवा से निकाल दिये गए थे अथवा कुछ ने यह सेवा ही छोड़ दी थी। यदि श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इस सेवा से न निकाले जाते तो भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ न होता अथवा यह किसी दूसरे रूप में होता। इसी प्रकार श्री अरबिंद और सी० आर० दास को निकाला गया था। इस समूची मशीनरी की सम्पूर्ण रूपरेखा देश में से प्रवीण व्यक्तियों को लेना तथा उनका प्रयोग विदेशी सरकार को यहां पांव जमाने में करने का था।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी अपना एक विशिष्ट वर्ग बनाकर रहते थे। श्री मून, जो पंजाब सिविल सेवा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं, ने अपनी पुस्तक "भारत में अजनबी" में लिखा है कि भारत में दो शताब्दियों से रहते आने पर भी सिविल सेवा जनता से अलग-अलग रही है। न उसने यहां के लोगों को समझा है और न अपने आपको उनको साथ मिलाया ही है। उन्होंने इसकी समाप्ति करने का सुझाव दिया था। अपने पुस्तक में श्री मून ने स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार यहां भारतीय सिविल सेवा असफल रही है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्ता के हस्तान्तरण में सबसे अधिक लाभ भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को हुआ है? जैसे ही यहां से अंग्रेज अधिकारी गये, उन्होंने यहां ऊंचे-ऊंचे पद ले लिए जो कि उन्हें कभी भी आजीवन नहीं मिल सकते थे।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को जो प्रशिक्षण मिला हुआ था, वह बाद में अनुपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि स्वतंत्र भारत में वे पहले के समान कार्य नहीं कर सकते थे। मैंने किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूछा था कि क्या वे अब पहले के समान भारत की सेवा कर सकेंगे तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की।

भारत को स्वतन्त्रता के पश्चात जो प्रशासकीय आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वह इसलिए हुआ क्योंकि ये अधिकारी अपने आपको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार न ढाल सके। मैं उनका नाम तो न लेना चाहूंगा परन्तु वह सर्वविदित हैं।

यह कहा गया था कि उनकी सेवाओं को चलाते रहना था। निश्चय ही ऐसा करना पड़ा क्योंकि सत्ता का हस्तान्तरण क्रान्ति पर नहीं अपितु आपसी समझौते पर आधारित था, यदि सत्ता का हस्तान्तरण क्रान्ति पर आधारित होता तो यह व्यवस्था कब की समाप्त हो गई होती और आज जो बहुत सी बुराइयां विद्यमान हैं, वे न होतीं।

मेरा सुझाव यह है कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी, जो आज सेवारत हैं, स्वेच्छा से संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को त्याग दें। यही समस्या का उचित समाधान होगा। उस स्थिति में इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता न होगी, यदि गृहकार्य मन्त्री इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि वे स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकारों को त्याग देंगे तो हम विधेयक को वापिस ले लेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को समाप्त किया जा सके।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : सभापति महोदय, श्री भट्टाचार्य जी ने भारतीय सिविल सेवा की एक बहुत सुन्दर और उचित परिभाषा दी। असल में ये सिविल सेवा के अधिकारी अपने को देवता मान बैठे हैं और उनका विचार है कि उन्हें जो विशेषाधिकार एवं अन्य सुविधायें दी जाती हैं, वह हमेशा के लिए बनी रहें। समय बदलता रहता है और अगर हम बदलती हुई परिस्थितियों से मेल नहीं करते तो हम जनता से, समाज से अलग हो जायेंगे।

हमारे प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखकर प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव पेश किये हैं, जिन पर भारत सरकार विचार कर रही है।

हम सिविल सेवा अधिकारियों की ईमानदारी या सद्भावना पर शंका नहीं करते। उन्होंने देश की महत्वपूर्ण सेवा की है। प्रशासन को प्रभावशाली ढंग से चलाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर इसके आधार पर यह कहना तर्कसंगत न होगा कि सिविल सेवा के कुछ इने-गिने अधिकारियों की अतिरिक्त सुविधायें, विशेषाधिकार वगैरह हमेशा के लिए बने रहें।

हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्य कुशलता और बुद्धिमत्ता में इन सिविल सेवा वालों से तनिक भी पीछे नहीं हैं। खासकर जो युवक और युवतियां प्रशासनिक सेवा पुलीस सेवा, वन सेवा आदि अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं, वे बड़ी कुशलता से, लगन से, जोश से कार्य करते हैं। सरकार को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिये सक्षम, ईमानदार और गतिशील प्रशासन सेवा अनिवार्य है। प्रशासनिक ढांचे में असमानता कायम रहेगी तो लोगों में निराशा व्याप्त होगी। हमारे प्रशासनिक ढांचे में बहुत सी अनियमिततायें हैं। कुछ इने-गिने अधिकारियों को विशेष सुविधायें प्राप्त होती हैं जबकि बहुसंख्यक अन्य अधिकारी इससे वंचित रह जाते हैं।

श्री मधु लिमये ने इसके सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। संविधान से अनुच्छेद 314 को हटाने के प्रयत्न का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे भी इस विधेयक का समर्थन करें ताकि यह बहुत जल्दी कानून बन जाय।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : सभापति महोदया, मेरे माननीय सहयोगी श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गए इस विधेयक का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। स्वतन्त्रता के पहले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने जो कार्य किये थे, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। हमारा सम्बन्ध स्वातन्त्र्योत्तर काल में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से है और भविष्य में प्रशासनिक क्षेत्र में वे क्या योगदान दे सकते हैं, इस बात से है। किसी का यह समझना कि सिविल सेवा अधि-

कारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, पूर्णतः गलत है। मैं इसीलिये इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह हमारे देश के जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान असमानताओं, कुछ इने-गिने लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को निकालने के सम्बन्ध में सरकार की जो मूल नीति है, उससे पूर्णतः मेल खाता है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी ने कहा कि शासन चलाने वालों को संविधान ने कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं। हमारी जनतांत्रिक शासन पद्धति में प्रशासन विभाग को सर्वोच्चता प्रदान करने का प्रयत्न अनुचित है। जब हमने विशेषाधिकारों, विशेष सुविधाओं को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हम सबसे पहले भूतपूर्व नरेशों की निजी थैली और अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने का कदम उठायेंगे। उसके बाद सिविल सेवा के अधिकारी आते हैं। यह लज्जा की बात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 23 वर्ष बाद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो भारत के हर कोने से, समाज के हर विभाग से आते हैं, उन्हें द्वितीय प्रशासनिक सेवाओं के रूप में माना गया। जिन लोगों को ब्रिटीश वालों ने अपने शासन कार्य के प्रभावी संचालन के लिये नियुक्त किया और जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक यंत्र में निहित स्वार्थों के विकास के लिये सहायता की, उन्हें विशेष सुविधायें और अधिकार प्रदान किये जाते रहे।

इन महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुये यह अनिवार्य है कि भारतीय सिविल सेवा क भारतीय प्रशासनिक सेवा में विलय किया जाय। सवाल कुछ विशेषाधिकारों या सुविधाओं को निकालने का नहीं है, यहां तक कि सिविल सेवा का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया जाना चाहिये और इस सेवा के अन्तर्गत सारे अधिकारियों को पद, विशेषाधिकार आदि सारी बातों में प्रशासनिक सेवा के बराबर कर दिया जाना चाहिये।

भारतीय पुलीस अधिकारियों का भी भारतीय पुलीस सेवा में विलय किया जाना चाहिए। चूंकि सरकार ने सारे विशेषाधिकारों को समाप्त करने की नीति अपनाई है, तो इस प्रक्रिया में कानून सम्बन्धी बाधा उपस्थित नहीं होगी। हम ने कई बार संविधान में संशोधन किये हैं। इस मामले में भी अगर संविधान में संशोधन अनिवार्य है, तो सरकार को उससे हिचकना नहीं चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): Mr. Chairman, I support the Amending Bill presented by Mr. Madhu Limaye. Just now in this House Shri Lobo Prabhu and some other Hon. members praised the I.C.S officers for their valuable services rendered to the country. They can be efficient, skilful and may be having a wide range of experience and knowledge. But they cannot function properly in the democratic set up of India and also they cannot play effective role in the pursuit of socialism which we have adopted as our end. These officers were selected for certain purposes. Their duty was not virtually to serve the country but to maintain the colonial rule. They lead a very pompous and luxurious life, and dominated over the people. The Patriots liked Mr. Subhas Bose had thrown away the title conferred on him by the Britishers. If the I. C. S officers also taking into account the changed circumstances had given up some of their privilleges it would have been admitted as an act of patriotism.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Dy, Speaker in the Chair

These I.C.S officers have had their education in England or other western countries . They know that equality prevails in that society. But here contrary to all the principles of equality and fraternity they want to dominate over the entire population. If the 55 crore people of this country is inefficient and worn-out and only these 80 or 90 people are skilled and efficient this country cannot go forward even for a moment. We cannot think that these handful of people are the incarnation of intelligence and efficiency. If these people are given free-hand to operate the whole administration there will be no more democracy and no more socialism in this country.

After 1947 we have committed a grave mistake that we allowed to continue these bureaucrats in the Government machinery, These bureaucrats were even against the freedom struggle, what to speak of their socialistic inclination ?

On one occasion Jawahar Lal Nehru clashed with the Late Dr. Ram Manohar Lohiya on the question of the ICS Officers. Mr. Nehru praised them. But Lohiya differed with this opinion. In this country we endeavour to bring in a socialist order, an egalitarian society, but to believe that this end can be achieved with the help of these colonial-trained bureaucrats is a farce.

Why the Government is allowing the privileges and other facilities of a hand-ful of people to be continued. The ICS people are enjoying certain facilities and the former rulers are enjoying unlimited facilities. Why has the Govt. not deleted the article which provides these facilities and privileges to a limited number of people at the cost of crores of people of this country ? The Government has divided the country into A,B,C,D, States and there are A,B,C,D, languages also. Panchayat was regarded as the unit of administration. But where is the real Panchayat Raj ? Hon. Member Shri Madhu Limaye has demanded to reconvene the constituent Assembly to frame a new constitution for this country, which may represent the will and aspirations o the people of India, which may expedite the process of implementation of radical measures. But for these demands and all that, we receive lathi charges and tear gas. The Govt. is swearing in the name of socialism. But this is only lip-service.

There is a large section of people in this country who for thousands of years have been backward economically, socially and culturally. In the constitution there should have been ample provision for their upliftment in all spheres of life. But unfortunately the Constitution safeguards the interests of these people who are developed economically and socially. The other section of the people is completely ignored. So this is not the process of socialism.

Therefore I appeal to the Government that those sections of the people who have been neglected hitherto, should be given opportunity to develop. I congratualate. Mr. Madhu Limaye for having made a bold attempt to bring such a Bill. I support it with all my heart and I appeal to the Government to rise in support of this Bill and see that it is passed through.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : हमारे सम्मुख जो सवाल है वह यह नहीं कि कुछ वर्ग के अधिकारियों को दिये जा रहे विशेषाधिकारों को समाप्त करना है या नहीं । असल में सवाल यह है कि संविधान में दिये गये आश्वासनों को हम मानते हैं या नहीं । अत: इस मामले में भावावेश में कुछ कदम नहीं उठाया जाना चाहिए । सिविल सर्विस वालों की मनमानी से सब लोग

अवगत हैं। मगर जब हम सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो मेरे विचार से, व्यक्तिगत इच्छा या अनिच्छा को मानदंड बनाना उचित नहीं होगा।

यह सच है कि सिविल सर्विस का गठन भारत में ब्रिटीशों के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 314 को शामिल करते समय हमारे पूर्वज नेता लोग वहां सम्मिलित थे। आज इसके संबंध में जितनी दलीलें पेश की जाती हैं, वे सब उस समय भी पेश की गयी थीं। मगर यह अनुच्छेद बहुमत के आधार पर संविधान में मिलाया गया। अब यह कहने से कि समय बदल गया है, कोई प्रयोजन नहीं है। असल में बदलती परिस्थितियों में भी इसको बनाए रखने के लिए ही संविधान में इन विशेषाधिकारों के लिए विशेष उपबन्ध किया गया। सवाल सिविल सर्विस के अधिकारियों के विशेषाधिकारों का नहीं, हमारी ओर से उन्हें दिये हुए वचन का है। अगर हम अपने वचन से हट जाएंगे तो देश में क्या प्रतिक्रिया होगी? गहरे विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा और प्रोविजनल संसद् में जो गारन्टी दी गयी, अगर हम 20 वर्ष बाद उसे मानने से इन्कार करते हैं, तो देश में कल क्या स्थिति पैदा होगी? यह सच है कि इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। मगर हमारे पूर्वजों ने उनकी सेवा को मानकर उन्हें जो सुविधायें और विशेषाधिकार प्रदान किए हैं, हमें उसे खतम करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत के विरुद्ध है। चूंकि मुझे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर विश्वास है, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस संबंध में संसद् भी कोई अधिनियम नहीं बना सकता। कुछ लोगों के विचार में कानून नैतिकता से बढ़कर है। मगर कानून नैतिकता का केवल एक अंग है। आज हमारे देश में, सरकार जो भी आश्वासन देती है, जनता का उसमें विश्वास नहीं जमता। अतः इस प्रकार सरकार के द्वारा वचन-भंग का समाज और नैतिक धारणाओं और प्रतिमानों पर जो बुरा असर पड़ेगा, मैं उससे अधिक चिंतित हूं।

विश्वासघात या वचन-भंग को गलती से प्रगतिशील कदम माना जाता है। मैं भी उन लोगों के साथ हूं जो समता के लिए आवाज बुलन्द करते हैं। मगर आप को समझना चाहिए कि गहरे विचार के बाद इन्हें ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। मैं आग्रह करता हूं कि संसद् संवैधानिक नैतिकता एवं औचित्य का पालन करे। हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे में संसद् बहुत अधिक शक्तिशाली है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस विपुल शक्ति का उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए वचन को तोड़ने के लिए करना उचित है या नहीं। मैं केवल इस बात की ओर सब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, अन्यथा मैं किसी भी प्रकार इस विधेयक से संबंधित नहीं हूं।

श्री न० कु० गांधी (जोधपुर) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक के लक्ष्य एवं कारण संबंधी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि "उस समाज में जो प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं सामाजिक न्याय के लिए वचनबद्ध है, विशेष सुविधाओं या निहित अधिकारों चाहे वे भूतपूर्व नरेशों, नौकरशाहों, पूंजीपतियों या मंत्रियों के ही क्यों न हों, के लिए कोई स्थान नहीं है।" मैं इस सिद्धांत से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे नये समाज में किसी भी विभाग के लोगों के विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं के लिए स्थान नहीं रहना चाहिए। मगर सवाल यह है कि जब हम सिविल सर्विस वालों के विशेषाधिकारों को खतम करने पर विचार करते हैं तो मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों और राजनीतिज्ञों को जो विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उस के बारे में भी विचार करेंगे या नहीं। इस सम्बन्ध में हम दुरंगी नीति अपनाते हैं।

यह सच है कि इन सिविल सर्विस वालों को प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अपेक्षा लगभग 500 रुपये अधिक मिलते हैं। उन्हें 250 रुपये का अतिरिक्त निवृत्ति वेतन मिलता है और अपना कार्यकाल प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से तीन साल अधिक है। उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य कुछ खास सुविधायें भी प्राप्त होती हैं।

क्या यही कारण हैं कि हम उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर देना चाहते हैं? इससे कोई बहुत बड़ा अन्तर तो भी नहीं पड़ेगा। इन लोगों के सेवा निवृत होने के बाद भी हमें इस कार्य पर इतना खर्च करना पड़ेगा। अतः मैं इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 314 को समाप्त करने के विरुद्ध हूं। वैसे यह दूसरी बात है कि यदि कोई आई०सी० एस० अधिकारी अपने कर्तव्य का यथोचित पालन नहीं करता, कोई अपराध करता है तो हम उन्हें दण्ड दे सकते हैं। परन्तु इस प्रकार का विधान बनाने से कोई उद्देश्य पूरा न होगा। ये आई० सी० एस० अधिकारी हमें स्वाधीनता के बाद अंग्रेजी शासन की ओर से प्राप्त हुए थे। जहां हमने अनेक स्वाधीनता सेनानियों को अनेक सुविधायें दी हैं इसी प्रकार आई० सी० एस० के लोगों को भी हमने यह छूट दी थी कि वे चाहें तो भारतीय सिविल सेवा में रह सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं। कि जो लोग इस समय हमें छोड़ गये वे अभारतीय ही थे। अब जो हमारे साथ रहें उन्हें हम अभारतीय नहीं कह सकते।

यह ठीक है कि हमने भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है परन्तु भारतीय सिविल सेवा के लोगों के बारे में हमें दूसरे दृष्टिकोण से सोचना होगा। हमें उनके ऐतिहासिक कार्य तथा वर्तमान कार्यों के सन्दर्भ में सोचना होगा। हम देखते हैं कि 54 सरकारी उपक्रमों में से 45 उपक्रमों में इन लोगों को पुनः नियुक्ति दी गई है। यदि इन लोगों ने अपने कर्तव्य को समुचित ढंग से पालन न किया होता तो इन्हें कौन पुनः नियुक्त करता? बल्कि हम उन्हें राजदूत, राज्यपाल आदि के पदों पर नियुक्त करते हैं। हमें देश की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये। जो लोग सेवानिवृत हो गये हैं, उन्हें सरकारी सेवा में रत लोगों से अधिक वेतन आदि मिल रहे हैं।

हम संसत्सदस्यों को भी जितने अपने विशेषाधिकारों का खयाल है, लोभ है, उतना ही हमें दूसरों के विशेषाधिकारों को भी मान्यता देनी चाहिए। या फिर हमें सभी के विशेषाधिकार समाप्त कर देने चाहिएं। श्री कुण्डू ने आरोप लगया कि जब इन आई० सी० एस० अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में लगाया गया तो इन्होंने अपने बड़े-बड़े बंगले, तैरने के तालाब आदि बनवाने आरम्भ कर दिये (व्यवधान)। यदि इन अधिकारियों के बारे में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उन्हें इसका दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से सभी सेवाओं में हतोत्साह की प्रवृत्ति जागृत होगी। आज आई० सी० एस०-का मामला है तो कल भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी यही हाल हो सकता है। भारत एक विशाल देश है और उसके प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमें योग्य अधिकारियों की आवश्यकता है। आखिर एक सामान्य व्यक्ति को भी तो कुछ विशेषाधिकर प्राप्त हैं। हमने उन्हें खाने, रहने, पहनने, रोजगार आदि की अनेक गारंटियां दे रखी हैं। परन्तु आज देश में यह स्थिति है कि बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी बढ़ती ही जा रही है। हमें अपना ध्यान तो इस स्थिति को ठीक करने में लगाना चाहिये।

इसी प्रकार मंत्रियों को भी बड़ी-बड़ी सुविधायें दे रखी हैं। उनके टेलीफोन बिल ही 70,000 या एक लाख रुपये प्रतिमाह हो जाते हैं। माना कि उन्हें भी काफी महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं परन्तु क्या इन टेलीफोन कालों के लिये लॉग-बुक नहीं रक्खी जा सकती। इधर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता ?

अत: मेरा मत है कि जब तक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी अपने कर्तव्यों की पूर्ति यथोचित ढंग से करते हैं तो उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात करना न्यायसंगत नहीं होगा।

Shri Sheo Narain (Basti) : Shri Ram Sewak Yadav has very rightly pointed out that these ICS officers practically do no work at all. Every case is prepared, summarised and given proper and final shape by the junior staff and officers, and these ICS Officers simply append their signatures and that is all their duty. If the Govt or any body claims that the ICS officers were the best brains of the country, then may I know what have they done in regard to common facilities like good roads etc. to the common man ? Nothing like that ?

The motion put by Shri Madhu Limaye is a very sound proposal, and the Govt. have assured to agree with it and support the same in this Parliament.

I have all respects for the ICS officers. There have been very good ICS officers like Shri Kamath; Shri Subhash Chandra Bose. They were very honest people, and they realy served the country to their most. And now also they should set examples for the loyalty towards the country. They are the best brains of the country and now should come out to materialise and implement the sacred slogan of socialism raised by Shrimati Indira Gandhi and her party and Govt. Let them give the best possible advice to us so as make us all successful in bringing about socialism in India. Where as other countries are advancing day by day our country is pushing back. But the fact is that the ICS officers are not doing what we had been and what we still expect from them.

I therefore demand that the privileges of the ICS officers should be done away with. I support the motion.

Shri Raghubir Singh Shastri (Bhaghpat) : When the Britishers left India in 1947 they left so many social problems like that of the Princes, communal disturbances and tyranny of the land lords. We have taken some time to tide over all these problems. But there is still a problem lying unsolved and that problem is of the I.C.S. officers. They have been bestowed with so many privileges since the time of British dominance over our country.

It is said that Sardar Patel had praised the I.C.S. officers in the Constituent Assembly and had said certain things in favour of their usefulness. In those circumstances it was necessary to praise them but now those circumstances have changed and we do not find them very useful. We must keep with the times now. These ICS officers are the symbol of British domination over our country. They also must change their outlook.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बैलट के बारे में

RE BALLOTING OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

Shri Bhogandhr Jae : (Jainagar) Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise on a point of order. Private Members' Bills are being taken here by ballot. Then the Committee places them in category A or B. Now I want to tell that my Bill deals with the implementation of Preamble of the Constitution. My bill was next to the bill of Shri Madhu Limaye but another bill was placed and the schedule was broken. It is requested that the categories of bills may be decided on the basis of the importance of the bills.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि पिछली बार श्री भोगेन्द्र झा का विधेयक श्री मधु लिमये के विधेयक के बाद था परन्तु बाद में समिति ने श्री प्र० के० देव के विधेयक को महत्वपूर्ण मान कर 'ए' श्रेणी में रखने की सिफारिश की तो सभा ने वह सिफारिश स्वीकार कर ली। जब एक बार सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और श्री देव का विधेयक 'ए' श्रेणी में आ जाने से श्री झा का विधेयक श्री देव के 'ए' श्रेणी की प्राथमिकता के कारण समाप्त हो गया। श्री झा को गैर-सरकारी विधेयक को सभा में रखे जाने के समिति के प्रतिवेदन के पूर्व ही आपत्ति उठानी चाहिये थी। कानून के अधीन अब क्या किया जाये, यह मैं नहीं जानता हूं। श्री झा के साथ मेरी सद्-भावना है कि अगामी अवसर पर अपना अवसर प्राप्त करें।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I moved my bill only in order to get the part of the constitution executed.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This is not a healthy trend to break the schedule and to bring another member's bill in category 'A'.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I want to know whether the bill was re-moved by the decision of the Committee or the ballot was held for it ; if so, why the bill was removed ? You have to determine any standard about it.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा यह कानून जानते हैं कि गैर-सरकारी विधेयकों की दो श्रेणियां 'ए' तथा 'बी' होती हैं। जब कोई विधेयक 'ए' श्रेणी में आ जाता है तो उसे प्राथमिकता मिल जाती है तथा दूसरे विधेयक समाप्त हो जाते हैं, अतः मेरे साथ आप सहयोग कीजिये।

पश्चिमी जर्मनी के व्यापारियों तथा वित्तपोषकों के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा*

VISIT BY WEST GERMAN DELEGATION OF BUSINESSMEN AND FINANCIERS TO INDIA **

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ऐसे नये उद्योग जो निर्यात की दृष्टि से आरम्भ किये गये हैं तथा श्रम बहुल है वे पूंजीवादियों का नया राग हैं। पूंजीवादियों का लक्ष्य एक ही है

* आधे घंटे की चर्चा

** Half an hour discussion

कि वे अपने इस नये राग से तात्कालिक लाभ आयोजन और आकल्पन के दौरान और वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर मशीनरी और साज-सामान के आयात द्वारा लाभ प्राप्त करने की आशा रखते हैं।

श्रीप्रकाश वीर शास्त्री पीठासीन हुये
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair

इसमें बढ़े हुये रोजगार का कोई वास्तविक क्षेत्र नहीं है क्योंकि वे तो जितना अधिक आधुनिकीकरण करना सम्भव होगा उतना अधिक करेंगे तथा विदेशों में फर्जी शाखाओं के जरिये माल की वास्तविक बिक्री से अधिक बिक्री दिखा कर वास्तविक मूल्य जो उनका लगा है, उसके कुछ भाग को अपने लिए वापिस प्राप्त कर लेंगे।

यह तो हमारी सरकार, इसके प्रबन्ध, नेतृत्व, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग को चेतावनी है। इस कारण हमें अर्थ व्यवस्था में दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसी सरकार है जिसको कि ऐसे लोगों के सामने आत्म-समर्पण के लिये दिया जा रहा है जो न तो जर्मन प्रजातान्त्रिक गणतंत्र को कोई राजनयिक सम्बन्ध दे सकते हैं और न कुछ और। इसी कारण भारत तथा पाकिस्तान के बीच लड़ाई देखने को मिलती है।

अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी में जापान की तरह बहुत सा धन लगा रखा है। व्यापार, सहायता और पूंजी निवेश ये तीन ऐसे हथियार हैं जहां हमारी जैसी सरकार भी आत्मसमपर्ण कर देती है।

इस पूरे कार्य के पीछे जो उद्देश्य छिपा है वह हमारी अर्थ व्यवस्था के सामरिक क्षेत्र में प्रवेश करना है। यही पश्चिमी जर्मनी का अभी उद्देश्य है। 1948 में पश्चिमी जर्मनी की केवल 2 लाख रुपये की पूंजी हमारे देश में लगी थी, जो कि 1967 में 58.9 करोड़ रुपये हो गई। 1957 में भारत के साथ उन्होंने दो प्रकार के सहयोग किये थे और 1968 में 452 सहयोग हो गये। आज भारत पर 7 अरब 97 करोड़ 84 लाख जर्मन मार्क का ऋण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व पूंजीवादी राष्ट्रों, उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में जर्मनों की कुल 4000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। अब वे फिर से पुरानी स्थिति प्राप्त करने के लिये उत्सुक हैं। अभी लगभग 3000 करोड़ रुपये की पूंजी में से विदेशों में उनकी कुल निजी पूंजी लगभग 920 करोड़ रुपये लगी हुई है।

जिन लोगों ने हमारे हितैषी मित्र के भेष में हमारे देश का भ्रमण किया, उनका उद्देश्य श्री एब्स के इन शब्दों से ही स्पष्ट है, जो उन्होंने एक जर्मन अखबार में लिखे थे—"अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिये संघ एक अर्धसैनिक संस्था है।" पश्चिम जर्मन एकाधिकारों के अनुकूल अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था कायम करने की मांग करने वाले देशों को ही धन दिया जायेगा।

पश्चिमी जर्मनी पहले ही यह दम्भ भर रहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका के बाद वही सबसे बड़ा पूंजी निर्यातक है। इसने जिन देशों में अपनी पूंजी लगाई है उनकी अर्थ व्यवस्था पर अपना कड़ा नियन्त्रण करने और उनकी सरकारों पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए इसे अधिक से अधिक पूंजी का निर्यात करने की आवश्यकता है। यदि हम पश्चिमी जर्मनी के साहूकारों को अपनी पूंजी दुगुनी करने देंगे जैसा कि वह चाहते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों को निर्बाध रूप से अपने देश में अपने को ही लुटाने के लिए उनको यहां बुला रहे हैं, फिर हमें भारत में एकाधिकारों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

श्री एब्स जो पश्चिमी जर्मनी के ऊंचे साहूकारों में गिने जाते हैं, एक युद्ध अपराधी रह चुके हैं तथा 15 वर्षों तक युगोस्लाविया द्वारा कैद में रखे गये हैं। ये एक प्रसिद्ध आई० जी० फारबेन उद्योग के निदेशक थे और अब भी हैं। जिस उद्योग में विषैली गैस बनती थी तथा जिससे लाखों वियतनामी मारे गये। दक्षिणी अफ्रीका में आज भी इस विषैली गैस का उत्पादन होता है और मंत्री जी देश में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। आज ये लोग दक्षिणी अफ्रीका तथा रोडेशिया के साथ उद्योग पनपा रहे हैं—वह जनवाद में बड़ा भारी विश्वास रखते हैं तथा वे लोग पुर्तगाली सेना को अफ्रीका में शस्त्र दे रहे हैं। आज राष्ट्रवादी अफ्रीका लपटों में है तथा रोडेशिया की मुद्रा भी जर्मनी में छपती है तथा पश्चिमी जर्मनी की रोडेशिया में लगाई गई पूंजी की सुरक्षा का आश्वासन रोडेशिया वालों ने दिया है।

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खाडिलकर) : माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा करते समय कहा कि उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि न तो हमारे देश के साथ औद्योगिक सहयोग और न ही व्यापार अथवा सहायता अच्छे हैं। मुख्य विवाद यह है कि पश्चिम जर्मनी समूचे विश्व में अपनी पूंजी लगाने का प्रयत्न कर रहा है और विकासशील राज्यों की अर्थ व्यवस्था पर कुछ नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहा है। यहां पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आधुनिक विश्व में देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद चाहे जो भी हो परन्तु व्यापार अवरोध अधिक दिन तक कायम नहीं रहते। यद्यपि पूर्वी जर्मनी को पश्चिम जर्मनी की बोन सरकार से मान्यता नहीं दी हुई है परन्तु उन दोनों के बीच जो व्यापार हो रहा है वह विश्व में सबसे अधिक है। अतः इस आधार पर आपत्ति उठाना कि इस शिष्टमंडल के कारण हम प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पश्चिम जर्मनी के वित्त निर्यात नियंत्रण में हो जायेंगे अथवा जहां तक दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका में पुर्तगाली उपनिवेश राज्यों का सम्बन्ध है, हम उनकी नीति का अनुसरण करते हैं तो यह गलत है।

यदि मैं गलत नहीं हूं तो, तो शायद 1968 में हमारे उद्योग मंत्री पश्चिम जर्मनी के दौरे पर गये। उन्हें यह पता चला कि पश्चिम जर्मनी के लोग विशेषकर व्यापारी और वित्तदाता भारतीय विकास तथा व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग के लिये हमारी जलवायु से परिचित नहीं हैं। उनके दौरे के समाप्त होने के बाद उन्हें निमन्त्रण देना उचित और देश के हित में समझा। श्री एब्स जो पश्चिमी जर्मनी के वित्तीय नेताओं में से एक हैं, के योग्य नेतृत्व में एक जर्मन शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया। वास्तव में हमने पूरी सावधानी बरती तथा जहां तक हमारी जानकारी है उनका हिटलर के राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह शिष्टमंडल भारत का दौरा करके सरकारी अधिकारियों, उद्योग, व्यापार तथा वित्त से सम्बद्ध लोगों से मिला। उन्होंने परस्पर व्यापारिक विषयों पर चर्चा की क्योंकि पारस्परिक वार्तालाप हितकारी होता है। इस शिष्टमंडल के साथ हमने कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं किया। 1965 में जर्मनी के एक दूसरे शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। हम चाहते हैं कि विश्व के उन सब देशों की तुलना में हम भी तरक्की करें जो प्रौद्योगिकी में आगे बढ़े हुए हैं।

माननीय सदस्य ने बहुत सी आपत्तियां जैसे—अर्थ व्यवस्था की सुरक्षा, अत्यधिक मूल्य वाली मशीनरी का आयात करना तथा अनुबन्ध करना आदि उठाईं, परन्तु पश्चिमी जर्मनी को

अपना शिष्ट मंडल यहां भेजने का निमन्त्रण देने का यह अत्यन्त उपयुक्त समय था क्योंकि हमने अनुभव किया किया कि यदि हम जर्मन सहयोग के साथ निर्यात प्रधान उद्योगों को प्रारम्भ करेंगे तो हमें न केवल जर्मन बाजार प्राप्त होगा बल्कि अन्य बाजारों के मिलने की संभावना भी होगी। हमारा व्यापार चाय, कपास तथा पटसन आदि में रूढ़िगत है तथा यदि हम जर्मनी के साथ सहयोग नहीं करते तो वैसे ही जड़े हुए रह जाते तथा हमारे देश के हित में कोई बात नहीं कर पाते, यदि केवल राजनीति की बात को लेकर ही बैठ जाते।

हमें सैद्धान्तिक मतभेद पर ध्यान नहीं देना चाहिये। जब विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिक विकास के लिये अधिक सहयोग और सहानुभूति का प्रयत्न किया जा रहा है तो फिर ऐसी आपत्ति उठाने से कोई लाभ नहीं है।

Shri Rabi Ray (Puri) : I congratulate Shri Jyotirmoy Basu for raising this question. I have not been satisfied with the answer made by the Hon. Minister. How much money was invested in the Rourkela Steel Plant in India by West Germany and the amount of the interest they received ? What was the percentage of the interest ? How much interest was received by the Russian Government from Bhilai Steel Plant, and what is the percentage of interest received by the British Government from Durgapur Steel Plant ?

Had the Hon. Minister discussed to reduce the rate of interest on the investment in Rourkela with Shri Willi Brandt while he was in India ? If not, then why ? Will the Hon. Minister propose to discuss with him ?

May I know whether it is a fact that when the then Deputy Prime Minister Shri Morarji Desai 8-10 days prior to his resigning the office, visited West Germany, entered into such an agreement that the Government of West Germany would invest some money in India for development ?

May I also know whether it is also a fact that Shri Bijayanand Patnayak who accompained Shri Desai had been assured by the West German Government that they would give aid for a fertiliser factory to be set up at Mathura in U. P. ? If any such thing has happened ? If so, the details thereof ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : माननीय मन्त्री महोदय ने श्री बसु के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

माननीय मन्त्री जी यह बतायें कि पश्चिम जर्मन व्यापार शिष्टमंडल के साथ कौन से क्षेत्र में सहयोग की बातचीत हुई ? वह सहयोग से होने वाले प्रमुख व्यापार के बारे में बतायें।

क्या रूरकेला इस्पात कारखाने से कुछ इस्पात निर्यात करने के बारे में बातचीत हुई तथा जो अनुबन्ध किया गया, क्या उसके अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार करते समय हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में कोई सुधार होगा ?

श्री खाडिलकर : श्री रबि राय ने पश्चिमी जर्मनी द्वारा लगाई गई पूंजी के बारे में जानकारी मांगी थी। मैं तत्काल जानकारी नहीं दे सकता। मैं बाद में पूरी जानकारी दूंगा कि पश्चिमी जर्मनी द्वारा लगाई गई पूंजी पर कितना लाभांश और ब्याज दिया गया। माननीय सदस्य ने रूरकेला भिलाई और दुर्गापुर के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े देने की मांग की है। इसकी भी मैं तत्काल जानकारी नहीं दे सकता। माननीय सदस्य ने एक समाचार को उद्धृत किया है। मैंने इस समाचार को नहीं देखा है फिर भी मैं इस बात की जांच-पड़ताल करूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में जर्मनी

से ऋण लेकर उर्वरक संयंत्र स्थापति करने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ? जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ । पश्चिमी जर्मनी से आया हुआ शिष्टमंडल जब वापिस जा रहा था तो शिष्ट मंडल के सदस्यों ने बताया कि वे भारत की प्रगति से प्रभावित हुए हैं और यदि सहयोग समझौता किया जाए तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा । पेट्रो-रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, पेस्टीसाइड, इलेक्ट्रॉनिक एवं विशिष्ट यन्त्रों के क्षेत्र में पश्चिमी जर्मनी काफी प्रगति पर है और ऐसे क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । पश्चिमी जर्मनी से जो शिष्ट-मंडल भारत आया था उसका उद्देश्य भारत की अर्थ व्यवस्था का अध्ययन करके भारत की औद्यो-गिक एवं व्यापारिक स्थिति से परिचय प्राप्त करना था । उनका विचार था कि भारत के इन क्षेत्रों में अधिक खोज की जा सकती है ।

श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा उठाए गये प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि भारत को जो विदेशी सहायता दी जाती है, वह ऋण के रूप में होती है और उसका भुगतान कर दिया जाता है । अत: इस अनुदान को वित्तीय अनुग्रह नहीं माना जा सकता । माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक नहीं है कि हम दूसरे देशों से जो ऋण लेते हैं, वह भिक्षा है । यह भी कहना ठीक नहीं है कि हम जिन देशों से ऋण लेते हैं, उसके प्रभाव में आकर हम राजनीतिक निर्णय करते हैं । यदि माननीय सदस्य कोई भी ऐसा उदाहरण बता सकें जहां हमने किसी भी नीति को किसी के प्रभाव में आकर अपनाया हो, तो मैं उसे मानने को तैयार हूं ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : हम अमरीका और रूस के प्रभाव में आकर अणुबम नहीं बना रहे हैं ।

श्री खाडिलकर : जहां तक आणविक क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार युद्ध के लिए अणुबम नहीं बनाना चाहती क्योंकि भारत के सामने कुछ उद्देश्य हैं । अणुबम न बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हमने पश्चिमी देशों के आगे समर्पण कर दिया है ।

एकाधिकार की शर्तों के बारे में प्रश्न उठाया गया है । हमने सारे पहलुओं पर विचार करके इसका अनुमोदन किया है । माननीय सदस्य ने व्यापार-संतुलन के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा है । 1950-51 में आयात की औसत 10.3 करोड़ रुपये एवं निर्यात की औसत 10.9 करोड़ रुपये थी । पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आयात एवं निर्यात की वार्षिक औसत क्रमश: 37 करोड़ रुपये और 12.7 करोड़ रुपये हो गई । दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आयात एवं निर्यात की वार्षिक औसत क्रमश: 109.5 करोड़ रुपये एवं 17.3 करोड़ रुपये हो गई । इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयात एवं निर्यात की मात्रा में अन्तर बढ़ता गया । 1968-69 में आयात 119.7 करोड़ रुपये का हो गया और निर्यात 26.5 करोड़ रुपये का हुआ । भारतीय चाय, पटसन से बनी वस्तुएं, नारियल, जटा आदि निर्यात करता है और जर्मनी से आधुनिक यंत्रों का आयात करता है । यदि हम पश्चिमी जर्मनी से सहयोग लेकर विस्तृत रूप में उद्योग स्थापित करें तो हम और अधिक निर्यात कर सकते हैं । पश्चिमी जर्मनी से जो शिष्टमंडल आया था, उसका यही उद्देश्य था और हमें निष्पक्ष होकर यह आशा करनी चाहिए कि उनका उद्देश्य पूर्ण होगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 13 अप्रैल, 1970/23 चैत्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday, the 13th April 1970/23 Chaitra, 1892 (Saka).

Printed at Eagle Offset Printers, Allahabad.